सप्तम माला, खण्ड 19 अंक 17, मंगलवार, 8 सितम्बर 1981/17 भाद्र, 1903 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(छठां सत्र)

(खण्ड 19 में अंक 11 से 20 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 17, मंगलवार, 8 सितम्बर 1981/17 भाद्र, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 327, 328, 330 से 333 और 335	1—30
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 329, 334 और 336 से 347	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3201 से 3218 और 3220 से 3400	30—223
विशेषाधिकार प्रश्न आदि के बारे में	224—229
सभा पटल पर रखा गया पत्र	229
राज्य सभा से सन्देश	229—230
लोक लेखा समिति	230
56वां प्रतिवेदन	
अधिनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	230
सातवां प्रतिवेदन	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	230—242
राजनयिकों की नियुक्ति के प्रश्न पर भारत और अमरीका के बीच कथित मतभेद	
श्री एस० एम० कृष्ण	210
श्री पी० वी० नरसिंह राव	230
श्री राम विलास पासवान	233
श्रीमती गीता मुखर्जी	237

*किसी नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री एस० बी० देसाई 246

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति 241

आयकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक —पुर : स्थापित 242—243

आयकर (संशोधन) अध्यादेश 1981 के बारे में वक्तव्य 243

श्री आर० वेंकटरामन 243

नियम 377 के अधीन मामले 243

(एक) मथुरा शहर को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने, यमुना नदी का प्रदूषण रोकने तथा विद्युत और जल आदि की कमी को दूर करने की आवश्यकता। 43—244

श्री दिगम्बर सिंह 243

(दो) कन्याकुमारी जिला के अरब सागर तट पर एक मत्स्य बन्दरगाह बनाने की आवश्यकता। 244—245

श्री एन० डेनिस 244

(तीन) असम के नवगांग जिला में डाक व तार विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता। 245

श्री मुकुन्द मंडल 245

(चार) राजस्थान को कदाना बांध से पानी उपलब्ध कराने हेतु गुजरात और राजस्थान के बीच हुए 1966 के समझौते को कार्यान्वित कराने की आवश्यकता। 245

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 245

(पांच) उत्तर पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय के कार्यकरण में सुधार लाने की आवश्यकता। 246—248

श्री चिंगवांग कोनयक 246

(छः) बिहार में फुलवारी शरीफ में बिहार काटन मिल्स लिमिटेड में तालाबन्दी समाप्ति के उपाय। 248—249

श्री रामावतार शास्त्री 248

(सात) पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद-पटना सेक्शन पर बन्द रेल गाड़ियों को फिर से चलाने की आवश्यकता। 249

श्री मोतीभाई आर० चौधरी 249

(आठ) बिहार के उन जन स्वास्थ्य कर्मचारियों को फिर से रोजगार देने की आवश्यकता जिनकी सेवाएं 1 सितम्बर, 1980 से समाप्त कर दी गई थीं। 249—250

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 249

(नौ) उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में प्रस्तावित किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, मेहमूदाबाद, को चालू करने की आवश्यकता। 250—251

श्री रामलाल राही 250

(दस) रेलगाड़ियों के देरी से चलना रोकने तथा गोहाटी मेल, दुधुवा मेल आदि कुछ रेलगाड़ियों की सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता। 251

श्रीमती ऊषा वर्मा 251

अनुदानों की अनुपूरक मागें (रेल), 1981-82 251—301

डा० मरदीश राय 251

श्री जमीलुर्रहमान 254

श्रीमती कृष्णा साही 257

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा 258

प्रो० नारायण चन्द पराशन 261

श्री के० माया तेवर 264

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर 267

श्री सत्य नारायण जाटिया 269

डा० कृपा सिंधु भोई 271

श्री मनीराम बागड़ी 274

श्री के० टी० कोसलराम 275

प्रो० मधु दण्डवते 276

श्री रामावतार शास्त्री 280

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी 282

श्री उत्तम राठौर 284

श्री गिरधारी लाल व्यास 286

श्री रामलाल राही 287

श्री चित्त बसु 289

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव 290

श्री नारायण चौबे 292

श्री केदार पांडे 293

विनिलोग (रेल) संख्या-5 विधेयक, 1981 301—302

पुरः स्थापित तथा पारित किया गया

विचार करने का प्रस्ताव

श्री केदार पांडे 301

खण्ड 2, 3 और 1

पारित करने का प्रस्ताव

श्री केदार पांडे 302

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1981-82 302—312

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती 308—312

लोक सभा

मंगलवार, 8 सितम्बर, 1981/-17 भाद्र, 1903 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय मैंने अधिनियम 388 के अधीन एक नोटिस दिया है । इसे ऐसे ही अस्वीकार करिये । इसका अतिरिक्त प्रमाण है । मेरा केवल एक निवेदन है । यह मेरी मांग है तथा मैं चैक प्रस्तुत करने के लिए तैयार···

अध्यक्ष महोदय : आप मांग करने के लिए स्वतन्त्र हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : कुछ लोग जिन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चंदा दिया था उन्हें जून के बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के नाम से रशीदे प्राप्त हुई हैं । मैं रशीदें प्रस्तुत कर सकता हूं ···

अध्यक्ष महोदय : महोदय मैं विरोध नहीं कर रहा मैं किसी चीज का विरोध नहीं कर कर रहा हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : तो फिर उन्हें रशीदें प्रस्तुत करने दीजिए । उन्हें यह सब चैक रखने दीजिए जो कि सभा पटल पर प्राप्त हुए हैं । आप देखेंगे कि ये चैक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जारी किये गए हैं । मैं इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के नाम से रशीदें प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी बात को विरोध नहीं कर रहा ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : चैक के अलावा जिस दस्तावेज पर प्रधान मन्त्री ने दस्तावेज किए थे वह भी टेबल पर आ जाए और डीड की कापी भी जिसके अन्तर्गत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान रजिस्टर किया गया टैबल पर आ जानी चाहिए । इसके बिना तो सदन को अंधेरे में रखने की कोशिश की जा रही है ऐसा कहा जा सकता है ।

श्री नीरेन घोष : उन रशीदों को सभा के समक्ष आने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मेरी बात सुनिए··· **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नांडीस : महोदय आप एक पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। आप श्री अन्तुले द्वारा लिखे गये मूल पत्र को प्रस्तुत न कर उस पत्र का जवाब प्रस्तुत कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं चैक की रशीदें प्रस्तुत करने को तैयार हूं··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी बात कह रहा हूं।

श्री नीरेन घोष : आपको हमें रोकना नहीं चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियमों के अनुसार कार्य करना है। मेरा काम है इस सभा के हितों की रक्षा करना तथा यह देखना कि यहां प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अनुसार काम हो। जहां तक विशेषाधिकार को हनन के किसी मामले का सम्बन्ध है मेरा काम यह देखना है। कि क्या किसी मन्त्री अवश्य किसी सदस्य विशेष ने इस सभा को जानबूझकर इरादतन गुमराह किया है।··· **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नांडीस : उन्होंने ऐसा किया है।

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी राय है। केवल मेरा सरोकार इतना भर ही है अन्यथा नहीं, किसने इकट्ठा किया क्या छपा था। मेरा सम्बंध केवल उस पहलु से है। **(व्यवधान)**

देखिए···

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : पांचवी लोक सभा में तथ्यसीन रेल मन्त्री स्व. श्री एल० एन० मिश्र के खिलाफ विपक्षी विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया गया था। नेताओं को गोपनीय रिकार्ड देखने की अनुमति दी गयी थी।

अध्यक्ष महोदय : विशेष प्रश्न जिस पर विचार किया जा रहा था नियम 222 के अधीन नोटिसों से सम्बन्धित था। अध्यक्ष पर यह जिम्मेदारी आती है कि वह यह देखे कि क्या उस मामले के लिए कोई प्रत्यक्षतः मामला बनता है जिसे कि नियम 222 के अधीन विशेषाधिकार मामले के रूप में उठाए जाने की प्राथमिकता दी जा रही है। पीठासीन अधिकारी को इस बारे में नियमों तथा इस विषय में पिछले उदाहरणों और पहले दिये गए निर्णयों को ध्यान में रखना होता है। मैंने इन नोटिसों पर बहुत ही सवधानी पूर्वक विचार किया था और यह अनुभव किया है कि वित्त मन्त्री ने जानबूझकर सदन को बिल्कुल गुमराह नहीं किया है और इसलिए नियम 222 के अधीन उठाए गए बाकी विशेषाधिकार के प्रश्न के लिए सहमति नहीं दी जा सकती तथा तदनुसार मैंने सभा को सूचित कर दिया था।

विपक्षी दलों के नेताओं और कुछ अन्य माननीय सदस्य कल मुझसे मिले थे तथा मैंने उन्हें प्रधान मन्त्री द्वारा हस्तान्तरित मूल दस्तावेज दिखाया था दस्तावेज तथा वित्त मन्त्री द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से उसके समर्थन हेतु संलग्न अनुबन्ध से यह स्पष्ट है कि प्रधान मन्त्री द्वारा

वास्तव में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये गए थे वह 'प्रतिभा प्रतिष्ठान महाराष्ट्र' के बारे में था न कि "इन्दिरा गाँधी प्रतिभा प्रतिष्ठान" के बारे में।

जैसा कि मैंने कल सभा में बताया था कि अगर कोई भी अन्य दस्तावेज अथवा प्रमाण हो तो नियम 222 के आधीन अन्य नोटिस में उसे प्रस्तुत कर सकते हैं तथा मैं नियमों पूर्व उदाहरणों और निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इन नोटिसों पर विचार करने को तैयार हूँ। मैं सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि चूंकि इस विषय में संकुचित दृष्टिकोण नहीं रखता अतः हमें सभा की कार्यवाही आगे बढ़ने देनी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपके वक्तव्य के बारे में स्पटीकरण चाहता हूं। आपने यह कहा है कि 'आप द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी नए प्रमाण की मैं जांच करने के लिए तैयार हूं'।

(व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव : इसके पश्चात किसी प्रश्न की अनुमति न दी जाए।

प्रो० मधु दण्डवते : इन्हें चुप रहने के लिए बोल दीजिए। मैं आपकी अनुमति से पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

प्रो० मधु दण्डवते : जो आपने कहा है मैं उस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूं जिससे कि हम आपकी इच्छानुसार जो भी आवश्यक होगा करेंगे। आपने कहा है 'मैं किसी भी नए प्रमाण की जांच करने के लिए तैयार हूं'। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप सरकार से कहेंगे कि वह सभा पटल पर वह चैक प्रस्तुत करें जिन्हें कि दान देने वालों ने इंदिरा गाँधी प्रतिष्ठान के नाम से जारी किया था। मैं आपको रसीदें देने के लिए तैयार हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब हम इस पर आएंगे देख लेंगे मुझे चैक से मतलब नहीं है।

अच्छा तो अब प्रश्न होंगे। श्री रामावतार शास्त्री।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

औषधि उद्योग में सहयोग के लिए क्यूबा के साथ समझौता

* 327. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि उद्योग में सहयोग के लिए भारत और क्यूबा के बीच कोई समझौता हुआ है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) कथित समझौते से दोनों देशों को क्या लाभ होगा।

पेट्रोलियम रसायन उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) से (ग): एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) से (ख) भारत और क्यूबा के बीच औषध उद्योग में सहयोग के लिए कोई अनुबन्ध सम्पन्न नहीं हुआ है। इस वर्ष जब स्वास्थ्य के उपमंत्री के प्रतिनिधित्व में क्यूबा के प्रतिनिधि मंडल ने 5 जून से 17 जून तक भारत का भ्रमण किया। इस भ्रमण के अन्त में प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के अधिकारियों से बातचीत की। दिनांक 17 जून 1981 को ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ जो इस बातचीत से सहसत कार्यवृत किस्म का था। इस ज्ञापन में विस्तृत रुप से नीचे दर्शाई गई पदें शामिल हैं :—

(1) 150 टन प्रतिवर्ष की कुल क्षमता के लिए पेनिसिलीन, इरीथ्रोमाइसीन और टेट्रासाइक्लीन के निर्माण के लिए एक एंटीबायोटिक प्लांट लगाने के लिए भारत से प्रारम्भिक तकनीकी ब्यौरे प्राप्त करने में क्यूबा की रुचि।

(2) भारत से अल्कोहल पर आधारित औषधों रसायन समेत संश्लेषित औषधों के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की क्यूबा की संभावना।

(3) चीनी से सोर्बिटोन के निर्माण के लिए और कच्चे माल के रुप में हेकोजेनिन का प्रयोग करते हुए स्टेरायड प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने के लिए भारतीय पार्टियों से तकनीकी अर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त करने में क्यूबा की रुचि।

(4) सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इंसटीट्यूट और सेन्टल इंडियन मेडिसिन्स प्लांट्स आर्गेनाइजेशन जैसी भारतीय प्रयोगशालाओं के सहयोग में जड़ीबूटि वाली दवाइयों/ दवाईयुक्त पौधों के वैज्ञानिक अन्वेषण में क्यूबा पक्ष की रुचि।

(5) भेषजीय विशिष्टताओं के निर्माण के लिए भारत और क्यूबा द्वारा तीसरे देशों में संयुक्त रूप से प्लांट लगाने की सम्भावना।

(6) क्यूबा पक्ष से सफेद दाग के इलाज में प्रयुक्त मेलाजेनिक की पर्याप्त मात्रा भेजने का प्रस्ताव जिससे भारती पक्ष भारत में इसके पंजीकरण के लिए आवश्यक डाक्डरी परीक्षण कर सकें।

(7) उपयोगी, तैयार उत्पाद में आगामी परिवर्तन के लिए प्रोस्टाग्लेन्डीन के लिए एक मध्यवर्ती पी० जी० ए-2 पर संयुक्त अनुसंधान करने के लिए क्यूबा पक्ष का प्रस्ताव।

(8) भेषजीय उद्योग के लिए भारत से उपकरण और मशीनरी खरीदने में क्यूबा की रुचि। क्यूबा को निर्माताओं की एक सूची भेजने के लिए भारत राजी हो गया।

(9) औषध और भेषज के क्षेत्र में भारत में क्यूबा के वैज्ञानिकों इंजीनियरों का प्रशिक्षण ।

(10) भारत से क्यूबा को औषधों के निर्यात की संभावना ।

(11) भारत में निर्माण किए जा रहे सेरा और टीकों के क्यूबा में निर्माण की संभावनाओं का पता लगाना ।

(12) क्यूबा पक्ष द्वारा वित्तीय सहायता की संभावनाओं का प्रश्न उठाया गया था । क्यूबा पक्ष से विशिष्ट प्रस्तावों के प्राप्त होने पर भारतीय पक्ष ऐसे मामलों में सामान्य नीति के आलोक में इस प्रश्न की जांच करने पर सहमत हो गया ।

(ग) जबकि कोई विशिष्ट अनुबन्ध सम्पन्न नहीं हुआ फिर भी क्यूबा गणतंत्र के जन स्वास्थ्य उपमंत्री के भ्रमण से दोनों देशों के बीच औषध और भेषज के क्षेत्र में सहयोग की सम्भावनाओं में विस्तार होने की आशा है ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, क्यूबा के उप-स्वास्थय मन्त्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल 6 से 17 जून तक हिन्दुस्तान में था । बयान में कहा गया है कि प्रतिनिधि मंडल के साथ भारतीय सरकार के प्रतिनिधियों ने 12 मुद्दों पर बातचीत की । सिर्फ वार्तालाप का ब्यौरा दे दिया गया है । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इस वार्तालाप की पृष्ठभूमि में क्या क्यूबा के प्रतिनिधियों की तरफ से औषधि उद्योग के क्षेत्र में समझौता करने के कुछ निश्चित प्रस्ताव पेश किये गए थे ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार की प्रतिक्रिया उसके बारे में क्या है ? क्योंकि इसमें सिर्फ ब्यौरा है । उन्होंने कुछ आपके सामने ठोस प्रस्ताव रखा था कि नहीं ?

श्री दलबीर सिंह : 1977 के अन्दर हमारा एक डेलीगेशन डा० नित्यानन्द की अध्यक्षता में वहां गया था और वहां पर यूनिडो और हमारा जो साराभाई रिसर्च सैन्टर, बड़ोदा है उनसे यूनिडो के साथ समझौता हुआ था जिसके नीचे एक प्रोजेक्ट वहां चल रहा है और हिन्दुस्तान उसमें टेक्नालाजी में और भी सब किस्म की सहायता कर रहा है । 15 किस्म के आइटम्स में फैसला किया गया है जिसमें असिस्ट करेंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, बयान के अन्त में कहा गया है कि औषधि और भैषज्य के क्षेत्र में सहयोग की सम्भावनाओं में विस्तार होने की आशा है । तो इसके परिप्रेक्ष में मैं यह जानना चाहता हूं कि विस्तार की सम्भावनाओं की क्या तस्वीर है आपके सामने ? कुछ तस्वीर आपने भी बनायी होगी और उन्होंने भी बनायी होगी । तो दोनों की तस्वीरों की स्थिति क्या है ?

श्री दलबीर सिंह : अभी जून के महीने में एक डेलीगेशन उनका आया था और उनके चाइस-हैल्थ मिनिस्टर, श्री आर० डी० वलोना अध्यक्षता कर रहे थे । वह जब आए तो उन्होंने यहां पर आकर के हमारे पैट्रोलियम विभाग और उनसे वार्तालाप की जिसके नतीजे के तौर पर एक ऐग्रीमेंट आफ मेमोरेन्डम आफ डिसकशन साइन किया है, और जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट शो

किया है उसके अन्दर बहुत से आइटम्स हैं जिनके अन्दर जहां-जहां उन्होंने इन्टरेस्ट शो किया है वह चीजें···

एक माननीय सदस्य : शास्त्री जी को आप क्यूबा भेज दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : बड़ा अच्छा फार्मूला है, जो गड़बड़ करे उसे हवाना भेज दूं।

श्री रामावतार शास्त्री : बताइये।

श्री दलबीर सिंह : यह सारी चीज कवर करके मैडिसन हैं, प्लान्ट में, इस किस्म की सारी चीजों में उन्होंने इन्ट्रेस्ट शो किया है और एग्रीमेंट साइन किया है। आगे भी और कालैबोरेशन का कोई एग्रीमेंट साइन होगा तो स्पैसेफिक चीजों को लेकर होगा, तब उसमें सारी चीज आ जाएगी।

श्री रामावतार शास्त्री : कैसे होगा ?

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी का कोई लिहाज नहीं करता।

श्री रामावतार शास्त्री : स्पष्ट तो बताइए क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : कार्टून तो नहीं बना रहे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : संभावनाएं क्या हैं, यह तो वह बता सकते हैं। दोनों के बीच में बातें हुई हैं, तो उन सम्भावनाओं की बात बताइए यह आपने कैटेलाग दे दिया है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : जो मैमोरैंडम दिया है, उसमें जिन-जिन चीजों पर एग्रीमेंट हुआ है, वह सब दिया है। लेकिन अब जो सम्भावनाएं हैं, उनमें यह सम्भावना लगती है कि कोई थर्ड कंट्री में अगर ज्वायन्ट वैंचर बनाने का सवाल हो तो क्यूबा और भारत सरकार दोनों तैयार हैं। उसके अलावा ल्यूकोड्रोमा के लिए क्लीनिक ट्रायल के लिए हिन्दुस्तान में उनकी मैडिसन ट्राई की जा रही है जो यूजफुल साबित हो सकती है। इन्टरमीडिएट प्रोस्टाग्लैंडिन हिन्दुस्तान में बनाना चाहते हैं और यह ड्रग खासतौर पर प्रैगनेन्सी के टर्मीनेशन में काम में ली जाती है। इक्वीपमेंट और मशीनरी भी वह कुछ खरीदना चाहते हैं, लेकिन इसकी भी डिटेल्ड प्रपोजल्स नहीं आई हैं। कुछ ड्रग्ज का आदान-प्रदान है, उसका भी डिटेल्ड प्रपोजल नहीं आया है। सेल आफ टैक्नोलाजी भी उसमें है, उसमें भी वह इन्ट्रेस्टेड हैं, खासतौर से एंटी बायोटिक्स की टैक्नोलाजी यहां से लेना चाहत हैं। फिलहाल उनका कोलैबोरेशन एक प्राइवेट सैक्टर कम्पनी से, जिसको यूनिडो ने सहायता दी है साराभाई एन्ड कम्पनी से हुआ है वह 15 दवायें बना रही हैं, जैसा मेरे साथी ने आपको बताया है। बाकी चीजें अभी विचाराधीन हैं।

श्री गुलाब नबी आजाद : महोदय, क्या क्यूबा को छोड़कर कोई और देश है जिसके साथ हमने इस बार सहयोग किया है, यदि हां, तो उस देश का नाम बतायें ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, मुझे खेद है कि इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अन्दाज से बता सकते हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अन्दाज इसमें नहीं चलता है।

अगर माननीय सदस्य अलग से एक प्रश्न रखेंगे तो निश्चय ही मैं जानकारी दूंगा।

उड़ीसा में बिजली सप्लाई की गम्भीर स्थिति

* 328 **श्री राम बिहारी बहेरा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय उड़ीसा में बिजली की सप्लाई की गम्भीर स्थिति से परिचित है ; और

(ख) उड़ीसा में बिजली की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) इस समय उड़ीसा में विद्युत सप्लाई की स्थिति काफी संतोषजनक है और राज्य ऊर्जा की अपनी अप्रतिबन्धित आवश्यकताओं को तथा व्यस्ततमकालीन मांग को भली भांति पूरा करने में समर्थ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रास बिहारी बहेरा : महोदय, पिछले पांच वर्षों में उड़ीसा में बिजली उत्पादन में अवरोध आ गया है। उड़ीसा सरकार के पास 914 मे. वा. क्षमता की थी तथा उड़ीसा की चालू विद्युत परियोजनाओं की कुल क्षमता केवल 1160 मेगा वाट है। दुर्भाग्य की बात है कि बिजली का उत्पादन बढ़ाए जाने के लिए अब तक कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाए गए। क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि क्या उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए किसी प्रकार की जांच कराए जाने का प्रस्ताव है तथा इस कमी को दूर करने के लिए कौन से प्रभावकारी कदम उठाए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, छठी पंच वर्षीय योजना में उड़ीसा में 560 मेगवाट और बिजली उत्पादन किया जाएगा तालचेर विस्तार में 110 मे० वा० क्षमता पैदा की जाएगी इस यूनिट में खराबियां रही हैं। इन्द्रावती निर्धारित कार्यक्रम अर्थात 1983-84 में के अनुसार चालू हो जाएगा 380 मेगा वाट क्षपता वाला उन पर कोलाब, 1984-85 के आस-पास चालू होगा। हमने अपर इन्द्रावती परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह 60 मेगा वाट क्षमता का है। इनसे 7 वीं पंच वर्षीय योजना में लाभ मिल सकेगा।

श्री रास बिहारी बहेरा : 914 मे· वा. की क्षमता और भारी वर्षा के बावजूद उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड राज्य ग्रिड को 410 मे. वा. की क्षमता को भी पूरा नहीं कर सका जिस कारण पिछली गर्मियों में बिजली पर आधारित 7 उद्योगों में 30 प्रतिशत बिजली की कटौती का सामना करना पड़ा। उड़ीसा में, तीव्र उद्योगीकरण का कार्यक्रम हाथ में लिया गया तथा लग-

भग 1000 उद्योग लगाए जायेंगे, जिनके लिए कम से कम 2000 मेगा वाट बिजली की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम के शीघ्रता पूर्वक कार्यान्वियन के लिए यह आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि क्या उड़ीसा में कुछ और विद्युत परियोजनायें स्थापित की जायेंगी तथा इस बारे में अब तक क्या कुछ किया गया है ?

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : जैसा कि मेरे सहयोगी ने मुख्य प्रश्न के जवाब में बताया है, जहां तक हमें मालूम है उड़ीसा में बिजली की कटौती नहीं की गई। उड़ीसा कभी पश्चिम बंगाल को तथा कभी दामोदर घाटी निगम को और कभी बिहार को अतिरिक्त बिजली की सप्लाई करता है इसलिए मैं नहीं सोचता कि वहां बिजली की कटौती की जाती है। आइए हम मासिक आंकड़े देखें। मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूँ। अप्रैल 1981 में 2 करोड़ 50 लाख यूनिट की आवश्यकता थी। तथा सप्लाई 2 करोड़ 81 लाख यूनिट थी। अप्रैल 1980 में आवश्यकता 253 मि. यूनिट की थी एव सप्लाई 155 मि. यूनिट थी। इस प्रकार 98 मे. वा. की कमी थी। इस समय अप्रैल के महीने में कोई कमी नहीं थी, अप्रैल में यह 31 मे. वा. ज्यादा थी। इसी प्रकार अगर आप मई के महीने की सप्लाई देखें, तो उसमें काफी सुधार हुआ है तथा उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं है। केवल जून के महीने में 11 मि. यू. की कमी पड़ी लेकिन यह स्थिति भी पिछले वर्ष अर्थात 1980 से बेहतर थी। बाद के महीनों में बिल्कुल कमी नहीं हुई है। अगस्त के महीने में कोई कमी नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ परियोजनायें हैं जिनकी जानकारी मैं आपको दूंगा। फरक्का उच्च ताप बिजली घर से उत्पन्न 600 मे. वा. में से उड़ीसा को 75 मे. वा. प्राप्त होगी। बिहार में केन्द्रीय क्षेत्र द्वारा हाथ में लिए गए 710 मे. वा. की पन-बिजली परियोजना से भी इसे कुछ प्राप्ति होगी। तालचेर में उच्च-ताप बिजली घर लगाए जाने के बारे में उड़ीसा के मुख्य मन्त्री काफी उत्सुक हैं।।

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर इतने लम्बे विवरण भी रखे जा सकते हैं। यह बहुत बड़ा है।

श्री ए० बी ए० गनीखान चौधरी : हम इसकी जांच कर रहे हैं और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही बड़ा है। अगर यह इतना बड़ा है, तो आप सभापटल पर यह विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

डा० कृपा सिन्धु भोई : मंत्री महोदय ने प्रश्न का स्पष्ठ उत्तर नहीं दिया। उड़ीसा में विभिन्न ताप बिजली घरों और पन-बिजली घरों द्वारा क्षमता उपयोग पूरी तरह नहीं किया जाता। राज्य बिजली बोर्ड अधिष्ठापित क्षमता का केवल 45 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है और इसलिए उन्हें पिछले साल बिजली की कटौती करनी पड़ी। मेरे मित्र श्री प्रणब मुखर्जी यहां नहीं हैं। वह बता सकते हैं कि क्या राउरकेला संयंत्र को कटौती की गई तथा इसे कठिनाई का सामना करना पड़ा अथवा नहीं। क्या यह सच नहीं है कि पिछले साल बिजली की कमी काफी उद्योगों को कठिनाई हुई। मैं माननीय मंत्री से केवल यह कहना चाहता हूं। माननीय

मन्त्री ने कहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना में वहाँ काफी उद्योग स्थापित होंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के उस भाग का उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया है।

डा० कृपा सिन्धु भोई : उनकी जानकारी के अनुसार, छठी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा राज्य की बिजली की कुल आवश्यकता कितनी होगी ? अधिष्ठापित क्षमता क्या होगी ? जिस डिजाइन और पैरामीटर में नए बिजली घर लगायेंगे तथा ऐसे कौन से विभिन्न बिजली घर है जिनसे अधिकतम क्षमता उपयोग प्राप्त किया जा सकेगा।

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : मैंने पहले ही इस प्रश्न का जवाब दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने पहले ही इस प्रश्न का जवाब दे दिया है। आप बिना बात सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

मान्यता प्राप्त भाषाओं में रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रम

*330. **श्री एम० एम० लारेंस :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी आकाशवाणी केन्द्रों से प्रतिदिन देश सेवा में (समाचारों के अतिरिक्त) प्रत्येक मान्यता प्राप्त भाषा में प्रशारित होने वाले कार्यक्रमों की निर्धारित अवधि कितनी है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान नाटकों के राष्ट्रीय कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किए गए क्षेत्रीय और लोक संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रत्येक मान्यता प्राप्त भाषा को कितनी बार प्रतिनिधित्व दिया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्रों से प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा में प्रसारण के लिए दिए गए समय का प्रतिशत क्या था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) आकाशवाणी केन्द्रों के प्रसारणों की भाषा प्रधान तथा संबंधित क्षेत्र/सेवा क्षेत्र की भाषा होती है। आकाशवाणी केन्द्र अल्पसंख्यक भाषाओं के कार्यक्रमों को तब अवश्य प्रस्तुत करते हैं जब सेवा क्षेत्र के कम से कम 5 प्रतिशत लोग उस भाषा को बोलते हों। तथापि, प्रत्येक मान्यता-प्राप्त भाषा में प्रत्येक केन्द्र के प्रसारणों की अवधि के बारे में आंकड़ें नहीं रखे जाते।

(ख) वर्ष 1978, 1979 और 1980 में जिन भाषाओं में नाटकों के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रसारित किया गया था, उनके बारे में विवरण—1 सभा की मेज पर रखा जाता है।

क्षेत्रीय और लोक संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम अनन्य रूप से किसी एक भाषा पर आधारित कार्यक्रम है। एक अन्य विवरण जिसमें उपरोक्त तीन वर्षों के दौरान प्रसारित कार्यक्रम को दर्शाया गया है, सभा की मेज पर रखा जाता है।

(ग) विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है।

विवरण-1

तीन वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान प्रसारित कार्यक्रमों का ब्यौरा

1978	कार्यक्रम का शीर्षक	केन्द्र जिसमें तैयार किया गया
5-1-78	तमिलनाडु के भक्ति गीत	मद्रास
2-2-78	नजरूल इस्लाम के गीत	कलकत्ता
2-3-78	हिमाचल प्रदेश के गीत	शिमला
6-4-78	वृन्द गान	आकाशवाणी निदेशालय
4-5-78	गुजरात का संगीत	अहमदाबाद
1-6-78	मणिपुर का संगीत	इम्फाल
6-7-78	बिहार का संगीत	पटना
2-8-78	रवीन्द्र संगीत	कलकत्ता
7-9-78	असम का संगीत	गोहाटी /डिब्रूगढ़
5-10-78	कश्मीर का संगीत	श्रीनगर/लेह
2-11-78	पंजाब का संगीत	जलन्धर
1979		
4-1-79	महाराष्ट्र के मंचीय गीत	पुणे
1-2-79	गढ़वाल और कुमायूं लोक संगीत	लखनऊ
1-3-79	राजस्थान का संगीत	जयपुर
5-4-79	नागालैंड का संगीत	कोहिमा
3-5-79	उत्तरी कर्नाटक का संगीत	धारवाड़
7-6-79	बच्चों के लिए गीत	आकाशवाणी निदेशालय
5-7-79	पंजाब की लोक कथा	आकाशवाणी निदेशालय
2-8-79	रवीन्द्र संगीत	कलकत्ता
6-9-79	हरियाणा संगीत	रोहतक
4-10-79	अन्डमान निकोबार का संगीत	पोर्टब्लेयर
1-11-79	गीता रामायण	लखनऊ

1980

3-1-80	गीता गोविन्द	भोपाल
7-2-80	गुजरात के गर्भा और भवाई	अहमदाबाद
6-3.80	कत्थकली पदनगात	त्रिचूर
3-4-80	उड़ीसा के भक्तिगीत	कटक
1-5.80	असम का बढ़गीत	गोहाटी
5-6-80	चम्बा और कांगड़ा का संगीत	शिमला
3-7-80	बंगाब के बाल्स और कीर्तन	कलकत्ता
7-8-80	सोफियाना कलाम	श्रीनगर
4-9-80	याकसगना का संगीत	मंगलौर
2-10-80	बापू का प्रिय भजन	आकशवाशी निदेशालय
6-11-80	महाराष्ट्र का तमाशा	पूणे

●

विवरण-2

1978 1979 और 1980 के दौरान नाटकों के राष्ट्रीय कार्यक्रम में मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रतिनिधित्व

1.	असमिया	दो बार
2.	बंगाल	आठ बार
3.	गुजराती	तीन बार
4.	हिन्दी	दस बार
5.	कन्नड़	दो बार
6.	कश्मीरी	एक बार
7.	मलयालम	एक बार
8.	मराठी	दो बार
9.	उड़िया	तीन बार
10.	पंजाब	एक बार
11.	संस्कृत	शून्य
12.	सिन्धी	शून्य

13.	तमिल	चार बार
14.	तेलुगु	दो बार
15.	उर्दू	तीन बार

विवरण-3

वर्ष 1979,1980 और 1981 के दौरान प्रत्येक प्रादेशिकभाषा में टैलीकास्ट करने के लिए दिए गये समय की प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण ।

	1979	1980	1980
दूरदर्शन जालन्धर			
पंजाबी	46.75	45.5	46.35
हिन्दी/उर्दू	40.25	41.5	40.05
अंग्रेजी	5.2	5.75	6.40
अन्य भाषाएं	7.5	7.25	7.20
दूरदर्शन-बम्बई			
मराठी	37.28	37.28	37.28
हिन्दी/उर्दू	27.97	27.97	27.97
गुजराती	7.20	7.20	7.20
अन्य भाषाएं	4.93	4.93	4.93
अंग्रेजी	20.45	20.45	20.45
दूरदर्शन कलकत्ता			
बंगाली	60.3	59.04	58.00
हिन्दी	20.7	23.06	25.00
अंग्रेजी	14.3	15.00	$15\frac{1}{2}$
अन्य भाषाएं	4.7	2.90	1/1/2
दूरदर्शन दिल्ली			
हिन्दी	60	62.39	62
अंग्रेजी	23	24.09	24
अन्य भाषाएं	17	13.52	14

	1979	1680	1981
दूरदर्शन लखनऊ			
हिन्दी/उर्दू	89	89	90
अंग्रेजी	7	7	6
अन्य भाषाएं	4	4	4
दूरदर्शन मद्रास			
तमिल	59	64	61
तेलुगु	2	2	2
कन्नड़	1	1	1
मलायम	1	1	1
संगीत एवं गैर-क्षेत्री भाषा	37	32	35
दूरदर्शन-श्रीनगर			
कश्मीर	38	41	41
हिन्दी/उर्दू	57	51	54
अंग्रेजी	2	6	3
डोगरी	2	1	1
गोजरी	1	1	1
दूरदर्शन-कटक			
उड़िया	90	90	90
हिन्दी	10	10	10
दूरदर्शन हैदराबाद			
तेलुगु	100	64	64
हिन्दी		36	36
दूरदर्शन गुलबर्गा			
कन्नड़	100	100	100
दूनदर्शन-जयपुर, रायपुर और मुजफ्फरपुर			
हिन्दी/उर्दू	90	90	90
स्थानीय बोली	10	10	10
दूरदर्शन [अहमदाबाद			
क्षेत्रीय भाषाएं	99.6	96.2	94

श्री एम० एम० लारेंस : श्रीमान माननीय मंत्री के उत्तर से यह स्पष्ट है कि सरकार ने कार्यक्रम निर्धारित करने में विशेषकर मलयालम और सिन्धी भाषा के कार्यक्रम निर्धारित करने में कोई औचित्य या मानदण्ड नहीं अपनाया है। उदाहरणार्थ बम्बई में लाखों मलयाली लोग रहते हैं परन्तु बम्बई दूरदर्शन केन्द्र को कार्यक्रम बनाते समय मलायम भाषा को ध्यान में नहीं रखा जाता। इस तरह कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और अहमदाबाद में भी दूरदर्शन कार्यक्रम नियत करते समय मलयालम की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, अहमदाबाद और दिल्ली में मलयालम के कार्यक्रम रखने पर ध्यान देगी।

कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : अपने उत्तर में मैं कह चुकी हूं कि जहां किसी एक भाषा को बोलने वाले 5 प्रतिशत लोग रहते हों वहां हम निश्चय ही उस भाषा में कार्यक्रम दे रहे हैं। परन्तु पंजाब जैसे इलाके के संबंध में उनके इन अनुरोध पर विचार करना संभव नहीं है क्योंकि वहाँ मलयाली भाषा लोग अधिक संख्या में नहीं है। एरन्तु देश के अन्य भागों में जनसंख्या के प्रतिशत को देखते हुए हम सदस्य महोदय की बात पर अवश्य ध्यान देंगे।

श्री एम० एम० लारेंस : मन्त्री महोदया ने मेरे प्रश्न को नहीं समझा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बम्बई में तथा अन्य केन्द्रों में जहां लाखों की संख्या में मलयाली रहते हैं क्या सरकार कार्यक्रम बनाते समय इसे ध्यान में रखेगी ? इनकी संख्या 5 प्रतिशत से अधिक है। अहमदाबाद में मलयाली, कन्नड़ और बंगालियों की संख्या कुल जनसंख्या का 5 प्रतिशत से अधिक है। ये लोग हजारों की संख्या में वहां रहते हैं। इसी तरह कलकत्ता में मलयाली तथा उड़िया लोग बड़ी संख्या में रह रहे हैं। दिल्ली में भी इनकी संख्या बहुत है। हम राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं ऐसा रवैया अपनाकर हम कैसा राष्ट्रीय एकीकरण चाहते हैं ?

सूचना एवं प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : श्रीमान यह सर्व विदित है कि मलयाली भाषी लोग इतने परिश्रमी होते हैं कि वे सारे विश्व में फैले हुए हैं और इस पर हमें गर्व है। और इस तरह भारत के प्रत्येक राज्य में लोग काफी संख्या में रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में समय की सीमाओं को देखते हुए उन लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता है जो उस प्रदेश में प्रमुख भाषा भाषी होते हैं। कुछ बोलियां के अतिरिक्त 15 भाषाऐ स्वीकृत की गई थीं। दूरदर्शन पर जो 4 घन्टे का समय मिलता है उसमें सभी भाषाओं को शामिल करना तो असम्भव होगा। फिर भी जहां तक हो सके अधिक संख्या में भाषाओं को स्थान देने का यत्न किया जाता है। दिल्ली में आपने देखा होगा कि मलयाली भाषा को फिल्में भी दिखाई जाती हैं परन्तु यदि आप कहें कि क्योंकि किसी प्रदेश में कुछ मलयाली भाषी हैं इसलिए हर केन्द्र में ऐसा ही होना चाहिये तो अन्य भाषा भाषी भी विशेष कर सिख समुदाय भी इसी तरह की मांग करने लगेगा क्योंकि मलयालियों की तरह ये लोग भी विश्व के हर भागों में फैले हुए हैं और यह एक समस्या बन जाएगी।

श्री एम० एम० लारेंस : श्रीमान, मैं जानना चाहूंगा कि क्या दूरदर्शन के कार्यक्रमों और रेडियो-प्रसारण के सम्बन्ध में सिन्धी समुदाय से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

श्री बसन्त साठे : जी, हां, प्राप्त हुआ है और हम इस बात को देखते हुए कि सिन्धी भाषी कहां-कहां अधिक एरिया में हैं, उनकी मांग पर उचित ध्याग दे रहे हैं और इसमें कुछ सिद्धान्तों का ध्यान रखा जाता है जिसका वर्णन मैंने किया है। क्योंकि श्रमोद्योगी और व्यवसायी लोग सभी तरह फैले हुए हैं इसलिए हमें देखना होगा कि जो सीमित समय हमारे पास है उसका उपयोग हम किस अनुपात में कर सकते हैं।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : श्रीमान, बम्बई दूरदर्शन ने तीन भाषाओं में समाचार देना शुरू किया है। यह बहुत रोचक है। परन्तु कभी-कभी वही दृश्य बार-बार दिखाया जाता है जिससे मन ऊबने लगता है। अतः मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि बम्बई के दूरदर्शन पर कितनी बार ऐसा हुआ कि श्री अन्तुले को अलग-अलग पक्तियों और अलग-अलग चीनी मिल मालिकों से इन्दिरागांधी प्रतिया प्रतिष्ठान के लिए चैक स्वीकार करते हुए दिखाया गया और कितना चन्दा एकत्र हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। यह मुख्य प्रश्न की पंक्तियों में नहीं आता। और यदि आप उत्तर देने को तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री बसन्त साठे : श्रीमान, में केवल इनना उन भाषाओं के बारे में कह सकता हूं जिनमें बम्बई दूरदर्शन प्रसारण करता है और यदि कोई घटना होती है तो समाचार दर्शक में स्वयावतः वही दृश्य सभी भाषाओं में आएगा। इससे प्रश्न इस बात का नहीं है कि प्रत्येक समाचार में कितना समय लगा यदि समाचार वही होगा दो दृश्य भी वही होगा। हां जी विशेष प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है इसलिए मैं सदस्य महोदय को जानकारी नहीं दे सकता।

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आदिवासियों की भाषाओं में उनके लोक-संगीत और अन्य प्रोग्रामों से संबधित है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि किन-किन केन्द्रों से किन-किन आदिवासी भाषाओं मे प्रोग्राम प्रसारित किए गए हैं ? यदि उन भाषाओं के नाम मंत्री जी के पास हों तो सभा-पटल पर रखने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय सदस्य के पास भिजवा दीजिएगा।

श्री वसन्त साठे : वह तो पिछला सवाल था। अब तो हम आगे निकल आए हैं और इसमें आदिवासियों का सवाल नहीं है।

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष महोदय, इस देश में हिन्दी भाषा-भाषी कोई प्रान्त नहीं है। यद्यपि सिंधी भाषा मान्यता-प्राप्त है किन्तु सिंधी भाषा-भाषी कोई प्रान्त न होने के के कारण अलग से कोई रेडियो स्टेशन भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सिंधी भाषा-भाषी कार्यक्रम करने के लिए क्या आप अलग से कोई रेडियो स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो सिंधी भाषा-भाषी कार्यक्रमों को न्यूनय देने सम्बन्धी क्या कार्यक्रम आप अपनाने जा रहे हैं ?

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष जी, भुज रेडियो स्टेशन पर हमने यह देखा कि वहां 41 परसेंट से ज्यादा लोक संख्या सिंधी बोलने वालों की है। ज्यादा से ज्यादा सिंधी बोलने वाले लोक संख्या भुज रेडियो स्टेशन के सैन्टर में आती है। अब यह सोच रहे है कि वहां सिंधी भाषा का ज्यादा प्रयोग किया जाए, जिससे आपको यह लगे कि एक रेडियो स्टेशन कम से कम ज्यादा सिंधी भाषा बोलने वाला है, उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।

ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में भर्ती

* 331 **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने नयी भर्ती बन्द करने के आदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अधिकारियों को अपनी नीति बदलने के लिए कोई नोटिस जारी किया है ;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) : ई० को० लि० की नई परियोजनाओं के लिए रोजगार नीति विचाराधीन

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री का उत्तर अस्पष्ट है। सरकार-श्रमबहुल खनन के बजाय पूंजी-बहुल खनन की नीति अपना रहे हैं। ओपन कास्ट कोयला खनन के लिए मशीनों का उपयोग करने से कई समस्याएँ पैदा हो हुई हैं। हजारों कामगार फालतू हो गए हैं। हमारे देश में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, अत्यधिक बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या सरकार श्रम-बहुल कोयला खनन योजना को स्वीकार करेगी और रोजगार में अवसर उपलब्ध करयेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : हम मशीनी करण के पक्ष में हैं। श्रम-बहुल योजना का प्रश्न ही नहीं उठता; लेकिन यह स्पष्ट है कि मशीनी करण रातोंरात नहीं हो सकता। उस स्थिति में हम अपने मूलभूत ढ़ांचे को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। जहां तक ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का संबंध है उसमें पहले ही फालतू कर्मचारी हैं इसीलिए पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा मैंने इसका रास्ता निकालने की कोशिश की है। हाल में हम दोनों की बातचीत हुई थी। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने एक फार्मूला प्रस्तुत किया है। वह फार्मूला यह है कि थानेवार 30 प्रतिशत लिया जाए। यदि हम इस फार्मूलें की ओर ध्यान दें तो हमें 6.5 करोड़ रुपये की हानि होगी। मैं पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से फिर से अनुरोध करूंगा

कि वे इस योजना पर पुनः विचार करें। इसके बाद ही इस पर विचार करेंगे। वह उपर्युक्त आधार पर 30 प्रतिशत चाहते हैं और अतिरेक में से 70 प्रतिशत जो कुछ भी हमारे पास है, इसमें वे भी शामिल हैं जिनकी भूमि छिन गई है। इसे स्वीकार करना होगा क्योंकि हमें उन लोगों की भूमि देनी है जिनकी भूमि छिन गई है।

मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री का अभारी हूं कि वे इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं परन्तु दुर्भाग्यवश हमें कोई रास्ता नहीं मिल पाया है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : सरकार और ऊर्जा मन्त्री खानों का यांत्रीकरण करने में रुचि रखते है और वे ब्रिटेन एवं अन्य देशों से इसके लिये ऋण प्राप्त कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि वे ऐसी ही शर्तों पर जोर देंगे परन्तु इससे हमारे देश की सार्वभौमिकता और स्वतंत्रता को धक्का पहुंचेगा। मैं यांत्रीकरण के संबंध में मुख्य मन्त्री से सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिये।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : में एक प्रश्न पूछ रहा हूं। कभी पीठासीन अधिकारी को रोक टोक से इसमें कठिनाई पैदा हो जाती है। आसान सोल में 25 दिसम्बर को एक बैठक हुउ थी। पश्चिम बगाल के मुख्य मन्त्री के पदाधिकारी और ट्रेड यूनियन के नेतागण उसमें उपथित थे और यह स्वाभविक है कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। इसके मार्गदर्शन सिद्धान्त और फालतू किये गये ईस्नटर्न कोलफील्ड लिमिटेड कर्मचारियों में से 30 प्रतिशत को रोजगार दिया जायेगा और स्थानोय युवकों को जो अन्तिम रूप से इससे प्रभावित हुए हैं उनको 30 प्रतिशत। जबकि देश में बे रोजगारी की भीषण समस्या है उस समय हमारे देश में रोजगार प्रदान करने के लिए कोयला खानें एक प्रमुख उद्योग हैं। क्या सरकार उस करार को मानेगी जो 25 दिसम्बर को आसनसोल में हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न पूछने का यही तरीका है तो मेरा ख्याल है कि मैं केवल दो ही प्रश्न करवा सकूंगा।

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : मुझे किसी करार का ज्ञान नहीं है पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने यही कहा था जो मैंने अभी कहा है। अब उस पर कोयला विभाग कुछ स्पष्टीकरण चाहता है क्योंकि ई० सी० एल० मे पहले हीं 10,000 लोग फालतू हैं। और छटी पंचवर्षीययोजना के ननुसार जिन लोगों की भूमि छीनी गयी है उनकी संख्या लगभग 10,700 हो जायेगी जिन्हें हम रोजगार देंगे। खानों के बन्द हो जाने के कारण 6500 व्यक्ति फालतू हो भी चुके हैं। अब पश्चिम बंखाल के मुख्य मन्त्री के फार्मूले के अनुसार 4500 व्यकित फालतू हो जायेगें। इस प्रकार कुल मिलाकर 21700 व्यक्ति फालतू होगे। जिन्हें हमें रोजगार में लगाना है। लेकिन यदि हम इन सभी लोगों को इस समय रोजगार में नहीं लगा पाते, और हमें छठी पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करना है तो हम उसमें इसे कार्यान्वित कर सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : बेरोजगारों की संख्या कहीं अधिक है। लाखों लोग बेरोजगार हैं। आप गलत नीति पर चल रहे हैं आप इसमें परिवर्तन करिये।

श्री नीरेन घोष : मुझे यह सूचना मिली है कि ई० सी०एल० 10-15 नई खानें खोलना चाहती है परन्तु वह श्रमिकों को किसी प्रकार की भर्ती नहीं कर रही है। और क्योंकि ये खान खोली नहीं जा रही हैं इसलिए इससे ई० सी० एल० को भारी क्षति हो रही है। इसके बाद ई० सी० एल० में और संबद्ध यूनियनों में एक करार भी है कि इन नयी खोली गयी खानों के लिए यदि उन्हें खोला जाता है तो किस प्रकार से भर्ती की जायेगी तथा और यह करार अभी तक अस्थिर सा है और महीनों से इसका पालन नहीं किया गया है। 15 नई खानें न खोले जाने के कारण देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच रहा है।

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : जून 1980 के महीने में ई० सी०एल० के प्रबंध निदेशक/ईटक और एटक और सीटू के साथ एक करार किया था और यह व्यापक करार भर्ती के प्रयोजनार्थ किया गया था। मैं करार के बन्श को यहां नहीं पढ़ूगा परन्तु दुर्भाग्यवश हिन्दू मजदूर सभा यूनियन इससे असहमत थी और इसके बजाय उन्होंने यह मांग की कि कुल भर्ती की 30 प्रतिशत भरती कर्मचारियों के आश्रितों में से की जानी चाहिये, इसलिए इस करार को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। जब मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से इसमें हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया जा तो वे वहाँ गये। उन्होंने इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए सुझाव भी दिये। मैंने तब मुख्य मन्त्रों के सुझावों का वित्तीय पहलू की देखभाल करने के लिए कोल कम्पनी से कहा था। उसके बाद हम फिर मिले। मुख्य मन्त्री के सुझाव के अनुसार 30 प्रतिशत कर्मचारियों को नयी खानों में भर्ती किया जाना है। जहां तक ई० सी० एल० का सम्बन्ध है, हम 33 नई परियोजनायें शुरू करने की सोच रहे हैं और इस कम्पनी ने 300 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव किया है। मैं संबधित माननीय सदस्य से केवल यही अनुरोध करूंगा और उन्हें यही बताऊंगा कि ई० सी० एल० को उत्पादन लागत बहुत अधिक है। इसमें 1.90 लाख कर्मचारी काम करते हैं। नयी परियोजनाओं से 2.7 लाख टन उत्पादन होने के आसार हैं। प्रति टन उत्पादन की लागत 122 रुपये हैं इसको देखते हुए यदि हम नहीं करते हैं तो ई० सी० एल० कभी भी लाभर्जित कम्पनी नहीं बन सकती। हम उस कम्पनी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है जिसमें फालतू कर्मचारी काम करें। हम खानें खोलने के लिए अत्यधिक इच्छुक हैं परन्तु जिस तरह से फालतू कर्मचारी रोजगार के लिए आ रहे है उसमें किसी भी कोयले की कम्पनी के लिए उनको रोजगार देना संभव नहीं है।

***332 अर्जुन सेठी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना में ट्रांसमिशन, वितरण और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों पर अल्युमीनियम के मूल्यों में हुई वृद्धि का कोई प्रभाव पड़ा है ; यदि हाँ, तो किस सीमा तक ;

(ख) क्या विद्युत क्षेत्र को जिसके पास नई परियोजनाओं के लिए पहले से ही धन का अभाव है इस मूल्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप 200 करोड़ रुपए का संभावित अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय को इस वित्तीय संकट से उबारने के लिए योजना आयोग और वित्त मन्त्रालय के बीच कोई सहमति हुई है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में मन्त्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिक्रम महाजन) (क) से (घ) : छठी योजना अवधि (1981-85) के शेष चार वर्षों में पारेषण, वितरण और ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों पर अल्युमीनियम की में वृद्धि का प्रभाव 300 करोड़ रुपये के लगभग होने का अनुमान है। सरकार को इस वृद्धि की जानकारी है। पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन वार्षिक योजनाओं की पद्धति के जरिए किया जाता है तथा वार्षिक योजनाएं तैयार करते समय, कीमयों में वृद्धि से उत्पन्न हुई स्थिति को ध्यान में रखा जाता है।

श्री अर्जुन सेठी . अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि मूल्य वृद्धि के कारण परियोजना पर केवल 300 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या वह सभा को यह आश्वासन देंगे कि इस मूल्य वृद्धि के कारण किसी भी नई परियोजना पर प्रभाव नहीं पड़ेगा अथवा वह बन्द नहीं होगी विशेषतौर से ऐसी परियोजनाये जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना काल में शुरू किया जाना है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि योजना आयोग समय-समय पर सम्पूर्ण मांगले की पुनरीक्षा करता है। और मूल्य वृद्धि पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जायेगा।

श्री अर्जुन सेठी : क्या मैं यह मानलूं कि इस मूल्यवृद्धि का किसी भी नई परियोजना पर प्रभाव नहीं पड़ेगा अथवा वह बन्द नहीं होगी ? इसके अतिरिक्त मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि योजना आयोग द्वारा पुनरीक्षा करने के अतिरिक्त उनके मन्त्रालय द्वारा इस मूल्य वृद्धि को कम करने के सम्बन्ध में कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जैसा कि मन्त्री महोदय ने इस सभा में अनेक बार कहा है कि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम पर इस मूल्य वृद्धि का प्रभाव पड़ने वाला है इसलिए इस प्रभाव को रोकने के तथा इन कार्यक्रमों को पूरा करने के सम्बन्ध में उन्होंने कौन-कौन से कदम उठाए हैं ?

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मुद्रा-स्फीति का सभी योजना कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ेगा। यह प्रभाव केवल विद्युत क्षेत्र पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि अन्य क्षेत्र पर भी पड़ेगा। इस स्थिति में योजना कार्यक्रमों को वास्तव में जिस ढंग से चलाया जाए वह एक सामान्य समस्या है जिसे केन्द्र तथा राज्य दोनों को मिलकर सुलझाना पड़ेगा।

श्री जगदीश टाईटलर : क्या यह सच है कि बाजार में क्रेताओं की कमी के कारण एल्यूमीनियम के स्टाक की भरमार है और कलकत्ता के बाजार में लगभग 20,000 टन एल्यूमीनियम विनिर्माताओं के पास पड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त 20,000 टन एल्यूमीनियम खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास पड़ा है। और यदि ऐसा है तो मूल्यवृद्धि का वर्काधार क्या है और

क्या यह सच है कि राज्य विद्युत बोर्डों के वकाया धनराशि के 100 करोड़ रुपए के दावे हैं और यदि हां, तो क्या इसने मूल्यवृद्धि की स्थिति को बिगाड़ा है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : राज्य विद्युत बोर्डों की मांगों के अनुसार हमने उन्हें एल्यूमीनियम खरीदने में सहायता की है। राज्य विद्युत बोर्ड उस तर्क को नहीं ले सकते है। यह समस्या हमारे पास आयी है और हमने उस समस्या को देखा है। मूल्यवृद्धि के सम्बन्ध में सरकार ने कुछ नहीं किया है। यह राज्य विद्युत बोर्ड के मांग के कारण नहीं है।

श्री जगदीश टाईटलर : राज्य विद्युत बोर्डों के अनुसार लगभग 100 करोड़ रुपए के दावे वकाया हैं।

श्री विक्रम महाजन : जहां तक मूल्यवृद्धि का सम्बन्ध है अधिक्य तथा अन्य समस्याओं के प्रश्न पर एक दूसरे मन्त्रालय द्वारा विचार किया जाता है और वह मन्त्रालय वाणिज्य मन्त्रालय है। इस बात को माननीय सदस्य जानते हैं। इसका हमारे मन्त्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। लेकिन हम विद्युत बोर्डों की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। हम राज्य विद्युत बोर्डों के चेयरमैनों की एक बैठक भी बुला रहे हैं। और उस बैठक में हम उनसे उनकी अगले लगभग पांच वर्षों की आवश्यकताओं के बारे में भी पूछेंगे ताकि हम तदनुसार अपेक्षित क्षमता बना सकें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण विद्युत योजना के अन्तर्गत हजारों बिहार के गाँव अप्रूव्ड पड़े हैं लेकिन अभी तक उनका विद्युतीकरण नहीं हो रहा है ? क्या भारत सरकार उनके लिए मदद जो अब तक नहीं दे पायी है, अब देगी जिससे कि उन तमाम गांवों का विद्युतीकरण किया जा सके ?

श्री विक्रम महाजन : जहां तक रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम का ताल्लुक है, भारत सरकार ने एक रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन बनाया हुआ है। जितनी भी स्टेट्स से रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए स्कीम्स आती हैं, उनके लिए हम स्टेट्स को सौफ्ट टर्म पर लोग देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा गांवों को इलैक्ट्रिफाई किया जा सके। जितनी भी हमारे पास स्कीम्स आयी थीं हमने उनके लिए, जितना हम चाहते हैं, फण्ड अलाट किए लेकिन जो फण्ड हम अलाट करते हैं उनमें से काफी लेप्स कर जाते हैं। (व्यवधान)

आपके पास अगर कोई सवाल होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। (व्यवधान) कम से कम उस बात को सुनने का तो कुछ धैर्य रखें, जो आपके लिए रुचिकर नहीं है।

जहां तक बेकवर्ड एरियाज का सवाल है, हमने उसके लिए और वीकर सैक्शंस के लिए स्पेशल फण्ड रखा है। उनके लिए हम इस स्पेशल फण्ड में से देते हैं और कहीं तो हम उस पर इन्ट्रस्ट भी नहीं लेते हैं।

हमने एक तीसरी योजना चलाने की कोशिश की है। जिन बेकवर्ड एरियाज में स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती हैं उनमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट कर सकती है या नहीं, यह हम देखते हैं।

रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन का जहां तक सवाल है इसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है।

पश्चिम बंगाल के लिए मिट्टी के तेल का कोटा

* 333. **श्री हनान मोल्लाह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष (महीनेवार, अद्यतन) पश्चिम बंगाल राज्य का मिट्टी के तेल का कोटा कितना था और इस अवधि में कितनी मात्रा सप्लाई की गई ;

(ख) यदि यह मात्रा कम की गई है तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) चालू वर्ष के लिए मिट्टों के तेल की मांग कितनी है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार सप्लाई में वृद्धि करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

विवरण

(क) सितम्बर 1980 से अगस्त, 1981 तक किया गया मिट्टी के तेल का आवंटन और सितम्बर 1980 से जुलाई, 1981 की अवधि तक इस उत्पादन की बिक्री, जो पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में है, के ब्यौरे निम्न प्रकार है :—

मास	आंकड़े मी० टनों में	
	आवंटन	बिक्री
सितम्बर, 1980	34,100	32,702
अक्तूबर, 1980	33,300	34,559
नवम्बर, 1980	34,030	33,188
दिसम्बर, 1980	34 450	31,873
जनवरी, 1981	34,400	35,802
फरवरी, 1981	30,500	32,556
मार्च, 1981	33,100	33,701
अप्रैल, 1981	33,400	33,274
मई, 1981	36,200	34,241

नाम	आंकड़े मी9 टनों में आवन्टन	बिक्री
जून, 1981	34,000	32,948
जुलाई,1981	29,800 (अस्थाई)	32,392
अगस्त, 1981	30,800	उपलब्ध नहीं है
	398,880	367,136

इन 12 महीनों का कुल आवंटन से 25,945 मी० टन अधिक है। उपर्युक्त 11 महीनों की कुल बिक्री पिछले 11 महीनों की बिक्री से 33,005 मी० टन अधिक है।

(ख) जैसा कि पैरा (क) में बताया गया है, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में प्रति माह 34,000 मी० टन की मांग बताई है।

(घ) सितम्बर और अक्तूबर 1981 के लिए प्रतिमास 34,000 मी० टन का आवंटन है।

श्री हन्नन मोल्लाह : पश्चिम बंगाल में 16 आवश्यक वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित की जाती है और उनमें से ही एक मिट्टी का तेल है। मिट्टी के तेल की घरेलू तथा उद्योगिक खपत लगभग 52,000 टने है लेकिन आवंटन कमी भी 34000 टन से ज्यादा नहीं है क्या मैं पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों को मिट्टी के तेल आवन्टन करने के बारे में जान सकता हूं।

पेट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी : आवंटन का मापदंन यह है कि हम आमतौर पर गत वर्ष के उसी महीने में जितने तेल की खपत हुई थी उससे 5 प्रतिशत अधिक तेल आवंटित करते है। माननीय सदस्क द्वारा बताये गये 54,000 टन के आकड़े बहुत ज्यादा प्रतीत होते हैं। मेरे पास पश्चित बंगाल के आवन्टन तथा बिक्री के सम्बन्म में आकड़े है। सितम्बर 1980 में 34,100 टन का आवंटन किया गया था जिसमें से बिक्री केवल 3270 टन की हुई। अप्रैल, 1981 में 33400 टन का आवन्टन किया गया लेकिन बिक्री 33,274 टन हुई केवल मई में राज्य सरकार द्वारा विशेष आवंटन की मांग करने पर 36200 टनं का आवटन किया गया। लेकिन इसमें से केवल लगभग 34,000 टन ही राज्य सरकार ने लिया। जब मुख्य मन्त्री तथा राज्य सरकार ने अगस्त में हमें लिखा तो हमने उन्हें 100 टन का तदर्थ आवंटनं किया। अतः सितम्बर से लेकर हम उन्हें 34000 टन दे रहे है जिसकी राज्य सरकार ने हमसे मांग की है।

श्री हन्नान मोल्लाह : वर्ष 1980 में 34000 टन का आवन्टन किया गया था। यदि इसमें 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है तो इस वर्ष यह 35,700 मीट्रिक होना चाहिए। लेकिन इस महीने के लिये आवंटन 34000 मीट्रिक टन का किया गया है। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूँ कि इस मामले पर वह विचार करें और आवंटन को 35,700 मी० टन तक बढाने के लिये सहमत हों ?

श्री प्रकाश चन्द सेठी : हमने इस मामले में हमेशा लिहाज किया हैं। दुर्भाग्यवंश, हमें मिट्टी के तेल की सप्लाई पर सावधानी पूर्वक निगारनी रखनी पड़ेगी क्योंकि इसकी सप्लाई कम है। और हमें इसका आयात करना पड़ेगा चूंकि हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में अन्तर है इसलिये बहुत से स्थानों से हमारे पास शिकायतें आयी है। कि मिट्टी का तेल हाई स्पीड डीजल में मिलाया जा रहा है। इसलिये कम्पनियों तथा राज्य सरकारों को सतर्क रहना पड़ेगा। तथापि जहा तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है जब कभी उन्होंने तदर्थ अतिरिक्त आवंटन की मांग की है हमने उन्हें कभी इंकार नहीं किया है। यदि आप अप्रैल-जुलाई, 1981 के आकड़े देखे तो आपको पता लगेगा कि हमने पिछले वर्ष की अपेक्षा 5.8 प्रतिशत की मांग होने पर उन्हें 14:6 प्रतिशत अतिरिक्त की सप्लाई की।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय ने जो आकड़े बताये है वह प्रत्येक महीने के आवंटन से सम्बन्धित है। जब वह कहते है कि उन्हें मिट्टी के तेल के वितरण का सप्लाई पर बड़ी सावधानी से निगरानी रखनी पड़ेगी तो इसके सुनिश्चित करने तथा देखने की कौन सी प्रक्रिया है कि ये आवन्टन के आकड़े वास्तव में वही आकड़े है जो उन्हें सप्लाई किये गये तथा प्राप्त हुए हैं क्योकि ये आकड़े कोटा के आकड़े और ये आकड़े वह आकड़े नहीं है जो विवरण के लिये प्राप्त किये गये हैं। कलकत्ता तथा अन्य शहरों में भी यह देखने में आया है कि इन आवन्टन आंकड़ों के बावजूद भी लोगों को मिट्टी का तेल लेने में बहुत कठिनाई होती है। मिट्टी के तेल की दुकानों के सामने लम्बी-लम्बी लाइनें लगी होती है। कभी-कभी दुकानदारों को यह कहना पड़ता है कि उनके पास अब इसका स्टाक नहीं है। मैं मन्त्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि मिट्टी के तेल का एक भाग शायद डीजल में मिलाने के लिये दुसरी जगह ले जाया जा रहा हैं अतः पूरे मामले को एक मिली-जुली समस्या मानना चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में कौन-कोन से कदम उठाना चाहती है कि :-

(क) इन आवन्टित कोटों की वास्तव में सप्लाई की जाये और ये वितरण के स्थान पर पहुंचे,

(ख) मिट्टी के तेल का एक भाग डीजल में मिलाने के लिये नही भेजा जाये।

श्री प्रकाश चन्द सेठी जहां तक केन्द्र से सप्लाई का सम्बंध हैं हम राज्य सरकार को आवन्टन कर देते हैं। जिला मुख्यालयों ओर अन्य स्थानों पर नियुक्त किए गए विभिन्न ऐजेन्टों के माध्यम से मिट्टी के तेल का समुचे राज्य में वितरण किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ रंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : पिछली बार ऐसा करने की कोशिश की गयी थी लेकिन इसके कोई सन्तोषजनक परिणाम नहीं मिले है।

जहां तक आवन्टन और वास्तविक सप्लाई का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि आवन्टन तथा वास्तविक रूप से प्राप्त की गयी मात्रा बराबर होनी चाहिए। मेरे पास जो आकड़े आये है उनसे इस बात का स्पष्टरूप से पता लगता है उदाहरणस्वरूप अक्तूबर 1 80 में 33300 मी० टन का आवन्टन किया गया था। लेकिन वास्तविक रूप से 34.559 मी० टन प्राप्त किया गया और इतनी ही मात्रा की बिक्री गयी। अत: जब तक कोई कठिनाई नहीं होती आमतौर पर सप्लाई पहुंच जाती है। निगरानी तथा सतर्कता बरतने के सम्बन्ध में कम्पनियों तथा सरकार दोनों के पास इसकी जांच करते नमूना लेने तथा यह देखने के लिये कि क्या इसमें किसी प्रकार की मिलावट की जा रही है, के लिये सरकारी मशीनरी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि सरकार की एक नीति है जिसके अनुसार सरकार पिछले वर्ष के इन्ही महीनों की तुलना में 5 प्रतिशत ज्याद देने का प्रयास कर रही है। अगस्त 1980 में 34100 मी० टन का आवन्टन किया गया था। लेकिन अगस्त,1981 में आवन्टन में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने की बजाय आवन्टन 34100 मी० टन से घटाकर 30,800 मी० टन रह गया। अत: पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में आवन्टन म 3,300 मी० टन का अन्तर है किसी प्रकार की वृद्धि की बजाय वास्तव में 3,300 मी० टन की कमी है। क्या मन्त्री महोदय आगामी सितम्बर और अक्तूबर के महीनों में जो कि त्यौहार के महीने है तथा जिनमें मिट्टी के तेल की अत्यन्त आवश्यकता है, तेल की इस मात्रा को उपलब्ध कराने पर विचार करेंगे ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मेरे पास मुख्य मंत्री का एक पत्र प्राप्त है जिसमें उन्होने यह कहा है कि अगले दो महीने में उनकी तेल की आवश्यकता लगभग 35000 से 36000 मी. टन के आस पास रहेगी। तथापि उन्होंने कहा कि 34000 मी. टन का आवंटन पर्याप्त होगा। अत: हमने सितम्बर और अक्तूबर 1981 के लिये 34000 मी० टन का आवंटन किया है। यदि इसकी और मांग आती है तो हम कुछ तदर्थ आवंटन करेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : पश्चिम बंगाल में मार्क्सिस्ट पार्टी की सरकार है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पार्टी के कितने लोगों को कैरोसीन आयल का डीलर बनाया गया है जिसकी वजह से यह सब गड़बड़ हो रही है।

श्री नारायण चौबे : चूंकि वह राजस्थान के है और कांग्रेस (आई) पार्टी के है इसलिए वह डीलर बनने या डीलर बनने के अतिरिक्त कोई बात नहीं सोच सकते है।

यूरिया का उत्पादन

* 335. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाले विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश मे यूरिया उर्वरक का (कारखाना-वार) कितना मासिक उत्पादन होता है;

(ख) इस यूरिया के उत्पादन में कितना नैफ्था का उपयोग किया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि जुलाई-अगस्त, में यूरिया के मूल्यों में वृद्धि की गई है तथा यदि हां, तो उनकी कीमतों में वृद्धि किन तिथियों को की गई थी और कितनी की गई थी, और

(घ) क्या यह भी सच है कि उनके मूल्यों में वृद्धि करने के समय फैक्टरियों के पास यूरिया और नैफ्था के भारी मात्रा में भंडार जमा थे और यदि हां, तो प्रत्येक फैक्टरी का इस बारे में क्या ब्यौरा है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण-1

(क) और (ख) : अप्रैल-जून, 1981 के दौरान यूरिया का मासिक उत्पादन (कारखाने-वार) और इस अवधि के दौरान नैफ्था का उपयोग क्रमशः संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दर्शाया गया है।

(ग) दिनांक 11 जुलाई, 1981 से यूरिया के मूल्य को 2000/-रु० प्रति मी० टन से 2350/-रु० प्रति टन तक बढ़ाया गया है।

(घ) जुलाई, 1981 को व्यापार बन्द होने के बाद नैफ्था और यूरिया के भंडार के बारे में स्थिति को संलग्न विवरण-3 में दर्शाया गया है।

विवरण-2

अप्रैल से जून, 1981 तक कारखाने-वार और माहवार यूरिया का उत्पादन दर्शाने वाला विवरण

(मी० टन में)

कंपनी और यूनिट का नाम	अप्रैल 1981	मई 1981	जून 1981	कुल यूरिया संचयी योग	टिप्पणी
1. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया					
सिन्दरी	21.388	12.815	8.175	42.378	फ्यूल आयत से
गोरखपुर	19.240	11.412	10.750	41.402	नैफ्था से
रामागुण्डम	8.106	9.471	3.480	21.057	कोल से
तालचर	6.000	5.667	4.475	16.142	

1	2	3	4	5	6
2. मद्राह फर्टिलाइजर लि०					
मद्रास	6.289	11.868	9.146	27.303	नैफ्था से
3. नेशनल फर्टिलाइजर लि०					
नंगल II	6.285	31.014	28.216	65.515	फ्यूल आयत से
भटिण्डा	31.116	22.662	31.334	85.112	
पानीपत	11.684	31.012	40.075	82.771	
4. फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावकोर लि०					
कोचीन 1	—	4.926	12.575	17.501	नैफ्था से
5. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार० लि०					
नामरुप	14.964	19.336	11.730	46.030	प्राकृतिक गैस से
दुर्गापुर	16.355	7.721	11.943	36.019	
बरौनी	11,348	16.038	15.570	42.956	
6. राट्रीय कैमिकल्स फर्टि० लि०					
ट्रामपे	6.884	7.554	77.870	22.308	प्राकृतिक गैस से
7. नेविली तिगनाइट कार०					
नेविली	12.572	14.174	7.438	34.184	फ्यूल आयल से
8. इंडियन फार्मस फर्टिलाइजर कोपरेटिव लि०					
केलोल	7.346	23.198	31.588	62.132	प्राकृतिक गैस से
फूल पुर	18.728	26.214	41.584	86.526	नैफ्था से
9.इंडियन इक्सप्लोसिव लि०					
कानपुर	11.447	25.473	36.453	73.373	नैफ्था से
10. मंगलोर कैमि एण्ड फर्टि० लि०					
मंगलोर	21. 698	30.147	28.390	80.235	नैफ्था से
11. श्री राम फर्टि० एण्ड कैमिकल्स					
कोटा	27.000	21.198	20.671	68.869	नैफ्था से

1	2	3	4	5	6
12. जुआरी एग्रो केमिकल्स लि०					
गोआ	26.295	22.964	5.764	55.023	नैफ्था से
13. साऊदर्न पेट्रोकैमिकल्स इन्डस्ट्रीज कारपो०लि०					
टूटीकोरिन	30.000	37.000	48.000	115.000	नैफ्था से
14. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कं०					
बड़ौदा	13.756	16.695	27.400	57.851	कुछ नैफ्था से और कुछ गैस से
योग				11,79.687	

विवरण-3

अप्रैल-जून, 1981 के दौरान यूरिया के उत्पादन के लिए नैफ्था की माह-वार उपयोग दर्शाने वाला विवरण ।

[मी० टन० में]

कंपनी और यूनिट का नाम	अप्रैल 1981	मई 1981	जून 1981
1. फर्टिलाइजर कारपो आफ इंडिया गोरखपूर	3.549	6.104	6.177
2. मद्रास फर्टिलाइजर लि० मद्रास	15,815	20.497	17.677
3. फर्टि. एण्ड केमि. ट्रावनकोर लि० कोचीन ।	73.105	4.844	6.436
4. हिन्दुस्तान फर्टि. कारपो. लि. दुर्गापुर	12.897	9.183	12.770
बरौनी	9.030	11.338	11.497
5. इंडियन फार्मस फर्टि. कोपरेटिव फूलपुर	उपलब्ध नहीं	14.892	22.051
6. इंडियन इक्सप्लोसिब्स लि. कानपुर	7.882	14.509	17.795
7. मंगलौर केमि. एण्ड फर्टि. लि. मंगलौर	13 192	10.454	14.310

8. श्रीराम फर्टि. एण्ड कैमिकल्स कोटा	13.192	10.558	10.290
9. जुआरी एग्रोकैमिकल्स लि० गोआ*	18.566	16.516	13.975
10. साउदर्न पेट्रोकैमिकल्स इन्डस्ट्री कारपो. टूटीकोरिन	17.500	20.300	24.500
11. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी	3.770	5,755	9.972

विवरण-4

दिनांक 10.7.1981 को व्यापार बन्द होने पर यूरिया और नैफथा का भण्डार दर्शाने वाला विवरण पत्र ।

(टनों में)

क्र० सं० कंपनी और यूरिया का नाम	दिनांक 10.7.81 को व्यापार बन्द होने पर भन्डार	
	यूरिया	नैफथा
1. फर्टि. कारपो. आफ इन्डिया		
सिन्दरी	30.035	नैफथा पर आधारित नहीं
सामागुण्डम	17.484	-वही-
तालचर	5.886	-वही-
गोरखपुर	6.370	2.019
2. मद्रास फर्टिलाइजर लि. मद्रास	21.171	8.966
3. नेशनल फर्टिलाइजर लि.		
पानीपत	56.422	नैफथा पर आधारित नहीं
भटिंडा		
नंगल		
4. फर्टि. एण्ड कैमि. ट्रावनकौर लि.		
कोचीन	17.677	6.727
उद्योगमण्डल		

*मिश्रित उर्वरक के निर्माण में नैफथा का भी उपयोग किया गया था ।

क्र. सं. कंपनी का नाम और यूनिट	दिनांक 10.7.1981 को व्यापार बन्द होने पर भण्डार	
	यूरिया	नैफ्था
5. हिन्दुस्तान फर्टि. कारपोरेशन लि.		
नाम रूप	13.072	नैफ्था पर आधारित नहीं
बरौनी	17.659	6.340
दुर्गापुर	20.481	4.595
6. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टि. लि.		
ट्राम्बे	4.191	1.063
7. नेवली लिग्नाइट कारपो.		
नेवली	42,060	नैफ्था पर आधारित नहीं
8. इंडियन फार्मस फर्टि. कोपरेटिव लि.		
कलोल	19.526	5.034 ईन्धन के लिए
फूलपुर	8.046	10.930 प्रयोग किया गया
9. इन्डियन एक्सप्लोसिव्स लि. कानपुर	8.967	13.700
10. मंगलोर कैमि. एण्ड फर्टि. लि. मंगलोर	21.408	9.569
11. श्रीराम फर्टि. एण्ड कैमिकल्स कोटा	8.546	9.528
12. जुआरी एग्रो कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज लि. गोआ	×1.565	10.456
13. साउदर्न पेट्रोकैमिकल्स इन्डस्ट्रीज कारपो. लि. टूटीकोरिन	96.041	10.061
14. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी बड़ौदा	16.300	3.227

×गोदाम और मार्गस्था भण्डार के अलावा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह प्रश्न सीधे किसानों से सम्बन्ध रखता है। मैंने प्रश्न यह किया था कि जिस समय आपने यूरिया के दाम बढ़ाए उस समय कारखानों के मालिकों के पास कितना इसका स्टाक था और आपने कुल कितनी कीमत बढ़ाई। उत्तर के सी भाग में कहा गया है कि दो हजार से 2350 यानी साढे तीन सौ रुपए फी टन यूरिया की कीमत बढ़ाई गई है। जो स्टाक इन्होंने बताया है कारखाने के मालिकों के पास था वह 4 लाख 32 हजार 947 टन था। इसके अलावा 1 लाख 2 हजार 215 टन नैफ्था पहले से ही कारखानों के पास स्टाक में था। इस स्टाक के अलावा कारखानों के वेअरहाउसिस में भी स्टाक रहा होगा या ट्रांजिट में जो था वह भी रहा होगा। मैं जानना चाहता हूं कि वह सब कुछ कितना था ? मेरी सूचना के अनुसार कम से कम डेढ़ सौ करोड़ रुपये का अनुचित लाभ कारखानों के मालिकों को इस यूरिया के स्टाक से हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सारा जो अनुचित लाभ कारखानों के मालिकों को हुआ है यह किसानों को क्यों नहीं दिया गया. यह माल जब्त क्यों नहीं किया गया और इसको पुरानी कीमत पर बेचने के लिए कारखानों को बाध्य क्यों नहीं किया गया ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : माननीय सदस्य की चिन्ता और सादगी, दोनों की मैं कद्र करता हूं। सादगी इस माने में कि उनका यह खयाल है कि ये सब कारखाने प्राइवेट सैक्टर में हैं। एव ही कारखाना है···

श्री कृष्ण कुमार गोयल : किसानों को क्यों पुराने स्टाक का लाभ नहीं पहुंचाया गया ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : दूसरी बात यह है कि जो भी नैफ्ता उनके पास रहा हो जो नीति है उसके अनुसार एक महीने तक पुरानी ही कीमत लगाने के लिए उनसे कहा गया था। इसलिए नैफ्था से उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जो दूसरा फर्टिलाइजर है उस पर भी रिटेंशन प्राइस का सम्बन्ध है। अगर कीमत बढ़ती है तो सब्सिडी हमारी घट जाती है, और अगर कीमतें कम होती हैं तो सब्सिडी हमारी बढ़ जाती है। इसलिए जो माननीय सदस्य का ख्याल है नौशनल उनको प्रोफिट हुआ है, यह ठीक नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

छठी योजना के दौरान नए रेडियो स्टेशन

* 329. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने छठी योजनावधि में नए रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए किन स्थानों की जाँच की है ;

(ख) उनमें से किन स्थानों को सभी दृष्टियों से उपयुक्त पाया गया है और उनमें से किन स्थानों पर जब तक स्टेशन खोले गये हैं ;

(ग) प्रथम योजना काल से लेकर छठी योजना की वार्षिक योजना सहित देश के आदिवासी क्षेत्रों तथा जिलों में राज्य-वार खोले गये रेडियो स्टेशनों के नाम क्या है ;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने भावी योजनाओं में आदिवासी क्षेत्रों में नए रेडियो स्टेशन खोलने के लिए कोई वृहद् योजना तैयार की है ; और

(ङ) यदि हां, तो देश में आदिवासी जिलों की संख्या कितनी है और वर्तमान रेडियो स्टेशनों के अन्तर्गत कितने जिले आते हैं और शेष आदिवासी जिलों के संबन्ध में क्या कार्यक्रम है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) आकाशवाड़ी ने 11 स्थानों पर नए रेडियो स्टेशनों और 59 स्थानों पर स्थानीय प्रसारण केन्द्रों का प्रस्ताव किया था । इन स्थानों के नामों को दर्शाने वाला विवरण-1 सभा की मेज रखा जाता है ।

(ख) छठी योजना में शामिल किये गये प्रस्ताव 6 स्थानों पर नए रेडियो स्टेशन खोलने तथा 6 और स्थानों पर स्थानीय प्रसारण केन्द्र खोलने के लिए है। इनमें से कोई भी अभी तक चालु नहीं हुआ है। इसका ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण सभा की मेज पर रखा गया है ।

(ग) विवरण 3 सभा की मेज पर रखा जाता है ।

(घ) और (ङ) कुछ 128 आदिवासी जिलों में से आकाशवाणी केन्द्र इस समय 83 जिलों को पूरी तरह से तथा 36 जिलों को आंशिक रूप से कवर कर रहे हैं । छठी योजना के अंत तक 3 और जिले पूर्णतया कवर हो जाएंगे । शेष 6 जिले उत्तरवर्ती पांच वर्ष में कवर किये जाने है ।

विवरक-1

215 करोड़ रुपए के परिव्यय से छठी योजना (1980-85) के प्रारम्भिक रूपान्तर में नये रेडियो स्टेशन खोलने के लिए अनन्तिम रूप से चुने गये स्थानों के नाम ।

1. 20 कि० वा० मी० वे०/10 कि० वा० मी० वे०/1 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर से युक्त केन्द्र ।

   1. तुरा (मेघालय)
   2. मंगतोक (सिक्किम)
   3. गोलपारा/काकराझार (असम)
   4. शोलापुर (महाराष्ट्र)
   5. धनबाद (बिहार)
   6. तेजपुर (असम)
   7. सूरत (गुजरात)

8. भवानी पटना (उड़ीसा)
9. मदुरै (तमिलनाडु)
10. आगरा (उत्तर प्रदेश)
11. जमशेद पुर (बिहार)

2. 1 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर से युक्त स्थानीय प्रसारण केन्द्र ।

1. डिफू (असम)
2. बामडिला (अरुणाचल प्रदेश)
3. खोंसा/अलांग (अरुणाचल प्रदेश)
4. उकरुल (मणिपुर)
5. चुराचांदपुर (मणिपुर)
6. लुंगलेई (मिजोरम)
7. सैहा/लावंतालाई (मिजोरम)
8. जोवाई (मेघालय)
9. मोकोवोचुंन (नागालैंड)
10. तियोनसांग (नागालैंड)
11. आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश)
12. बेतिया (बिहार)
13. दुमका (बिहार)
14. आह्वा (गुजरात)
15. दीसा (गुजरात)
16. मनाली (हिमाचल प्रदेश)
17. पुंछ (जम्मू व कश्मीर)
18. मोर्केरिफारे (कुर्ग) (कर्नाटक)
19. शहडोल (मध्य प्रदेश)
20. छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश)
21. नासिक (महाराष्ट्र)
22. क्योंझर (उड़ीसा)
23. बसवाड़ा (राजस्थान)

24. नागर कोइल (तमिलनाडु)
25. उत्तरकाशी (उत्तर प्रदेश)
26. पिथोरागढ़ (उत्तर प्रदेश)
27. कैलाशर/बेलोनिया (त्रिपुरा)
28. कारनिकोबार (अंडमान व (निकोबार द्वीप समूह)
29. कावेरेथी (लक्षद्वीप)
30. दमन/दीव (गोआ दमन और दीव)

3. वी० एच० एफ०/(एम. एम) ट्रांसमीटर से युक्त स्थानीय प्रसारण केन्द्र।

1. नोवागांवा (असम)
2. वारगंल (आंध्र प्रदेश)
3. यिरूपति (आंध्र प्रदेश)
4. राजमुन्द्री (आंध्र प्रदेश)
5. कटिहार (बिहार)
6. डोल्टनगंज (बिहार)
7. अम्बाला (हरियाणा)
8. सिरसा/हिसार (हरियाणा)
9. करवार (कर्नाटक)
10. केसरगोड़ा (केरल)
11. अखोला (महाराष्ट्र)
12. पुणे (विश्वविद्यालय स्टेशन) (महाराष्ट्र)
13. बरहम पुर (उड़ीसा)
14. राउरकेला (उड़ीसा)
15. भटिण्डा (पंजाब)
16. कोटा (राजस्थान)
17. ओक्टा मुड्ड (तमिलनाडु)
18. धर्मपुरी (तमिलनाडु)
19. मदुरै (विश्वविद्यालय स्टेशन) (तमिलनाडु)
20. मेरठ (उत्तर प्रदेश)
21. झांसी (उत्तर प्रदेश)

22. बांधा/बलिया (उत्तर प्रदेश)
23. अलीगढ़ (विश्वविद्यालय स्टेशन) (उत्तर प्रदेश)
24. कूंच बिहार (पश्चिम बंगाल)
25. बालुर घाट (पश्चिम बंगाल)
26. आसनसोल (पश्चिम बंगाल)
27. भोलपुर (विश्वविद्यालय स्टेशन) (पश्चिम बंगाल)
28. चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)
29. कारैकेल (संघ शासित क्षेत्र)

विवरण—2

क—नये रेडियो स्टेशन

	स्थान	प्रेषक क्षमता	राज्य का नाम
1.	इटानगर	100 कि० वा० मि० वे०	अरुणाचल प्रदेश
2.	तुरा	20 कि० वा० मि० वे०	मेघालय
3.	गंगतोक	20 कि० वा० मि० वे०	सिक्किम
4.	मदुरै	10 कि० वा० मि० वे०	तमिल नाडू
5.	आगरा	10 कि० वा० मि० वे०	उत्तर प्रदेश
6.	जमशेदपुर	1 कि० वा0 मि० वे०	बिहार

ख— प्रत्येक केन्द्र में 1 कि० वा० मि० वे० ट्रांसमीटर से युक्त स्थानीय रेडियो प्रसारण सेवा।

	स्थान	राज्य का नाम
1.	कोटा	राजस्थान
2.	डिफू	असम
3.	कियोंझर	उड़ीसा
4.	शोलापुर	महाराष्ट्र
5.	आदिलाबाद	आंध्र प्रदेश
6.	नगरकोइल	तमिल नाडु

विवरण—3

आदिवासी जिले (राज्यवार) तथा उनको कवर करने वाले रेडियो स्टेशन ।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जिले का नाम	कालम 3 में उल्लिखित जिलों को कवर करने वाले रेडियो स्टेशन का नाम
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	मामेंग (आंशिक रूप से)	तवांग, तेजू, पासीघाट और डिबूगढ़
		सुबेनसिरी (तथैव)	
		सियांग (तथैव)	
		लोहित (तथैव)	
		तिरप तथैव)	
2.	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद और नागपुर
		श्रीकाकुलम	
		पूर्वी गोदावरी (आंशिक रूप से)	
		पश्चिमी गोदावरी	
		खमाम	
		वारंगल	
		आदिवलाबाद	
3.	असम	गोलपारा	गोहाटी, डिब्रूगढ़ और कोहिमा
		कामरूप	
		नवगांग	
		दरांग	
		सिबसागर	
		डिब्रूगढ़	
		लखिमपुर	
		चाचर	

1	2	3	4
4.	बिहार	रांची	रांची
5.	गुजरात	भरूच पंचमहल सूरत बुलसार साबर कांठा वादोदरा बांसकांठा	अहमदाबाद, राजकोट, वादोदरा, इंदोर और बम्बई
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—
7.	करनाटक	एस० कनार, चिकमंगलूर मैसूर	भद्रावती, मैसूर, बंगलौर और उड़ीपी
8	केरल	त्रिवेन्द्रम, इडुकी, क्वीलोन कोजीकोड़ा, मल्लापुरम, कन्नानोरे, पालघाट	त्रिवेन्द्रम, एलैप्पी, त्रिचूर कालीकट और कोयम्बटूर
9.	मध्य प्रदेश	झबुआ, धार, खरगौं, छिन्द वाड़ा, बेतुल, सिबनी बालाघाट मन्डाला, सरगूजा, रायगढ़, बिलासपुर, बस्तर, रायपुर, मोरेना, रतलाम, खंमेवा, होशंगा- बाद, सिधी, राजनन्दगांव, दुर्ग	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर ग्वालियर, नागपुर, रायपूर रेवा, अम्बिापुर, जगदलपुर जेपोर और सम्बलपुर
10.	मेघालय	यूनाइटिड खांसी और जंनता की बहाड़ियां गारों की पहाड़ियां	शिलांग, गोहाटी
11.	महाराष्ट्र	थानां आसिक धूले जलगांव अहमदनगर पुणे	बम्बई, पूणे, जलगांव, इन्दौर, औरंगाबाद, परभनी नागपुर

1	2	3	4
		नानडेड	
		अमरावती	
		यौतमल	
		चन्द्रपुर	
12.	मिजोरम	मिजोरग	ऐजवाल, सिल्चर
13.	मणिपुर	मणिपुर(उत्तरी)	इम्फाल, को हिमा, सिल्चर
		मणिपुर(दक्षिण)	
		मणिपुर (पूर्वी)	
		मणिपुर (पश्चिमी)	
		तेंग नौपाल	
14.	नागालैंड	कोहिमा	कोहिमा, डिब्बूगढ़, इम्फाल
		मोकोकेचूंग	
		तयोनसांग	
15.	उड़ीसा	मयूरभंज	कलकत्ता, कटक. सम्बलपुर
		बालासौर	जैपोर, जगदलपुर
		क्योझर	
		सुन्दरगढ़	
		सम्बलपुर	
		कोरापुट	
		फूलवनी	
		गंजम	
		काला हांडी	
16.	राजस्थान	बंसबाड़ा	इन्दौर, उदयपुर, जोधपुर,
		डुंगरपुर	अजमेर
		चित्तौड़गके	
		उदयपुर	
		सिरोही	

1	2	3	4
17.	सिक्कम	—	—
18.	तमिलनाडु	एस० आरकोट	मद्रास, बंगलौर, तिरुचिरापल्ली
		सलेम	पांडिचेरी
		एन० आरकोट	
		तिरुचिरापल्ली	
		धर्मपुरी	
19.	त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा	अगरतल्ला
		दक्षिणी त्रिपुरा	
		पश्चिमी त्रिपुरा	
20.	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर-खेड़ी	लखनऊ
		गौंडा	
21.	पश्चिमी बंगाल	परूलिया	कलकत्ता
		बकपुरा	राँची
		बीरभूम	
		मालदा	
		दार्जिलिंग	
		जलपाई गुड़ी	सिलीगुड़ी
		पश्चिम दीनाजपुर	
		मिदनापुर	
		मुर्शिदाबाद	
		बर्धवान	
		24 परगना	
		हुगली	
22.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	निकोबार	पोर्टब्लेयर
23.	दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर श्वेली	बम्बई, अहमदाबाद
24.	गोवा दमन और	दमन	बम्बई, अहमदाबाद
25.	दीवलक्ष द्वीप	लक्ष द्वीप	अलैप्पी

नोट : 1. आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा कवर किए जाने वाले जिलों की कुल संख्या 119 है।

2. 36 जिले आंशिक रूप से कवर होते हैं।

रानीखेत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में इलैक्ट्रोनिक ऐक्सचेंज

*334 **श्री हरिश्चन्द्र सिंह रावत** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रानीखेत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र और रक्षा सेवा के केन्द्र हैं, इलैक्ट्रानिक ऐक्सचेन्ज स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री :(**श्री सी० एम० स्टीफन** : (क) जी हां ।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

मुगल सराय में इण्डियन आयल कारेपोरेशन के डिपो तथा गैस डीलरों के परिसरों पर छापे

*336. **श्री जैनुल बशर** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि तोल और माप विभाग के अधिकारियों ने मुगल सराय में इण्डियन आयल कारपोरेशन के डिपो तथा खाना पकाने की गैस के डीलरों के परिसरों पर छापे मारे गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि गैस सिलेण्डरों में गैस तथा ड्रम एवं डिब्बों में लुब्रीकेटिंग तेल की मात्रा निर्धारित मात्रा से कम पाई गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस प्रकार की अनियमिताओं के मामलों में केन्द्रीय जाँच ब्यूरों द्वारा जाँच कराने का है !

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : (क) तथा (ख) मुगल सराय में इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई० ओ० सी०) का खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) का कोई वितरण नहीं है और न ही आई० ओ० सी० के मुगल सराय स्थिति प्रतिष्ठान में तरली कृत पेट्रोलियम गैस के सिलेंडरों का भण्डार किया जाता है । तथापि बाट और माप सहायक नियंत्रक ने प्रतिष्ठान का दौरा किया था तथा उस स्थल में भण्डार किये गये स्नेहक तेलों के कुछ टिनों की जाँच की थी तथा कुछ मामूली कमी की सूचना दी थी । बाट और माप सहायक नियंत्रक के निष्कर्षों का इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने खण्डन किया है । सहायक नियंत्रक ने स्नेहक तेल के ड्रमों की कोई जांच नहीं की थी ।

इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने भरण संयंत्रों को यह निर्देश जारी किये हैं कि वह तरलीकृत पेट्रोलियम गैस सिलेंडरों, स्नेहक तेल ड्रमों तथा टिनों का ठीक भरा जाना सुनिश्चित करें ।

(ग) चूंकि बताई गई कमी बहुत कम है तथा उसका खन्डन किया गया है इस सम्बन्ध में अभी जांच शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है ।

बाढ़ के कारण असम में तेल के उत्पादन में हुई कमी

*337. **श्री एडुआर्ड फैलीरो** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के सप्ताहों में असम में आई भारी बाढ़ से राज्य में तेल का उत्पादन प्रभावित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस बाढ़ से उत्पादन में कितनी कमी हुई है ; और

(ग) उत्पादन की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) जी हां ।

(ख) लगभग 13,400 मीट्रिक टन ।

(ग) बाढ़ का पानी कम हो जाने पर उत्पादन सामान्य हो गया है ।

केरल राज्य को खाना पकाने की गैस का आबंटन

*338. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980- 81 के दौरान केरल राज्य को खाना पकाने की गैस की कितनी मात्रा आबंटित की गई थी ;

(ख) केरल के कितने कस्बों में खाना पकाने की गैस के वितरण की सुविधा उपलब्ध है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार आट्टिंगल जैसे नगर पालिका वाले कस्बों में, जहां जलाने की लकड़ की किल्लत है, खाना पकाने की गैस का बिक्री-केन्द्र खोलने को प्राथमिकता देने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) किसी राज्य को खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) जारी करना उसके विद्यमान उपभोक्ताओं तथा बनाई गई योजना के अनुसार नए ग्राहकों की मांग से नियंत्रित होता है ।

(ख) दस कस्बों में ।

(ग) आट्टिंगल में एक गैस एजेंसी की स्थापना के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दामोदर नदी के बहाव मार्ग में परिवर्तन

* 339. **श्रीमती गीता मुकर्जी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार के सिंचाई मंत्री ने यह चिंता व्यक्त की है कि संबंधित क्षेत्र की कोयला खानों की भराई के लिए जिस ढंग से दामोदर नदी से रेत को हटाया जा रहा है उससे दामोदर नदी का रास्ता बदल जाने से दुर्गापुर के औद्योगिक काम्प्लेक्स को खतरा पैदा होने की संभावना है ;

(ख) क्या केन्द्रीय खान योजना और डिजायन संस्थान के चेयरमेन ने पश्चिमी बंगाल के सिंचाई मन्त्री को बताया कि दामोदर नदी से रेत निकालने को रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि पश्चिमी बंगाल को उपकर का भुगतान किया जाता है ;

(ग) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि दामोदर नदी का रास्ता बदलने से दुर्गापुर इस्पात परियोजना, दुर्गापुर अलाय इस्पात संयंत्र, डी० पी०एल० सीसेट फैक्ट्री और रेलमार्ग के एकभाग के लिए भयंकर संकट पैदा हो जाएगा : और

(घ) यदि हां, तो क्या वह इस मामले पर पुनर्विचार करेंगे ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ग) : **पश्चिमी बंगाल के सिंचाई,** जल मार्ग, विकास और योजना मंत्री ने अपने 3 और 11 जून, 1981 के पत्र में वर्दवान जिला में दामोदर नदी के बांए किनारे के टूट-फूट के बारे में लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को रेत से निकालने से दामोदर घाटी निगम के टावरों को खतरा पैदा हो गया है और इसे रोकने की दृष्टि से उन्होंने पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित रू० 435.85 लाख की योजना कार्यान्वित करने के लिए धनराशि की मांग की है। यह भी कहा गया है कि यदि सुधार की कार्रवाई नहीं की गई तो अगले 10-12 वर्षों में दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जहां तक रेलवे लाइन का सम्बन्ध है, रेलवे ने कहा है कि रेलवे लाइन बहुत दूर है और निकट भविष्य में इसे कोई खतरा नहीं है।

(ख) : केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० ने योजना पर अपनी टिप्पणी देते हुए पश्चिमी बंगाल सरकार ने यह कहा है कि ई० को० लि० के रेत निकालने से क्षति नहीं हुई है बल्कि बार-बार आने वाली बाढ़ों जिनमें सितम्बर 1978 की रिकार्ड बाढ़ शामिल है और अन्य कारणों की वजह से हुई है। केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० का यह विचार भी है कि ई० को० लि० से यह आशा करना उचित नहीं होगा कि वह बांए किनारे की बचाव योजना की लागत का कोई अंश वर्दास्त करे। यह सुझाव भी दिया था कि ई० को० लि० द्वारा उठाए गए रेत पर राज्य सरकार जो स्वामिस्त और उपकर वसूल कर रही है वह इस योजना के लिए वित्तीय साधन जुटाने का एक स्रोत हो सकता है।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार और कोयला कंपनियों के विरोधी विचार को दृष्टि में रखकर, भारत सरकार ने समिति बनाने का निश्चय किया है जो इस मामले को देखेंगी।

देशीय कच्चे तेल के मूल्य बढ़ाने का निर्णय

*340. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम उत्पत्तदकों के मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकार ने तेलशोधक कारखानों को सप्लाई किए जाने वाले देशीय कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो देशीय कच्चे तेल के मूल्यों में कुल कितनी वृद्धि होगी ;

(ग) क्या तेल/ प्राकृतिक तेल पर विकाश शुल्क 60 रुपये टन के बढ़कप 300 रुपये टन किये जाने पर भी विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या प्रभाव होगा ।

पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) और (ख) : चुंगी आदि को छोड़कर तटीय और अपनटीय देशी खनिज तेल के 1.4.1981 से प्रचलित मूल्य जो क्रमश: प्रति मी० टन रुपये 324.41 और रुपये 458.50 को 11.7.1981 से बढ़कर प्रति मी. टन 1182 रुपये कर दिया गया था । विस्तृत रूप से बढ़े हुए तेल अन्वेषण एवं विकाश कार्यक्रम, बकाया भुगतान कर निरंतर पड़ने वाले भार और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को सन्तुलित बनाने की आवश्यकता और इसकी आर्थिक रूप से और कुशल प्रयोग को बढ़ावा देने को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया था ।

(ग) 13.7.1981 से देशी खनिज तेल पर उपकर को प्रति मी० टन 60 रुपये से बढ़कर प्रति मी० टन 100 रुपये से किया गया है । खनिज तेल पर उपकर की अधिकतम टन को प्रति मी० टन 100 रुपये से प्रति मी० टन 300 रुपये बढ़ा देने को ध्यान में रखते हुए, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है । अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि उपकर को प्रति मी० टन 100 रुपये से अधिक कब बढ़ाया जाएगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

"एपल" द्वारा दूरदर्शन कार्यक्रमों का रिले किया जाना

*341. **श्री पी० नामग्याल :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "एपल" ने, जिसे इस वर्ष कक्षा में स्थापित किया गया है, देश के अनेक भागों में दूरदर्शन कार्यक्रम रिले करना शुरू कर दिये हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार लद्दाख, लाहौर स्पीति, अंडमान तथा निकोबार द्वपी समूह, मघालय, अरुणाचल, मिजोरम और नागालेंड जैसे देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक यह सुविधा बढ़ाने का है ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मकह है तो यह परियोजना कब शुरु की जाएगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) 1982 में "इनसेट (आई० एन० एस० ए० टी०) के छोड़े जाने के बाद उसकी तुलना में "एपल" का क्या कार्य होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) (क) और (ख) : "एपल" के उद्देश्य मुख्य रूप से प्रौद्योगिक और प्रयोगात्मक है । अतः इस रूप में इसके उपयोग के लिए दूरदर्शन की कोई विस्तृत योजनाएं नहीं हैं । तथापि, एक वर्ष के इसके प्रत्याशित जीवन के दौरान' इसका उपयोग विशेष अवसरों पर दूरदर्शन केन्द्रों के बीच दूरदर्शन कार्यक्रमों के वितरण के लिए किया जा सकता है । तब तक विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों के कार्यक्रमों को साथ-साथ टेलीकास्ट करने के लिए इसका उपयोग तीन अवसरों पर किया गया है अर्थात

(1) प्रधानमंत्री द्वारा 13-8-81 को "एपल" उपग्रहण का रास्ट्र को समर्पण और उसके बाद टेली-कान्फ्रेंस;

(2) स्वतन्त्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14-8-81 को रास्ट्रपति का रास्ट्र के नाम संदेश ; और

(3) 15-8-81 को लालकिले से प्रधान मंत्री का रास्ट्र के नाम संदेश ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(च) "एपल" की भूमिका प्रौद्योगिकी और प्रयोगात्मक है जबकि "इनसैट" का उपयोग सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचार उपग्रह के रूप में दिया जाएगा ।

धैनकनाल जिले में मौर्स (तार) सुविधायें

* 342. **श्री के० पी० सिह देव** : क्या संचार मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धेनकनाल जिले के बहुत से सब-डिवीजन मुख्यालयों में मौर्स (तार) सुविधायें नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन से जिले हैं ;

(ग) ऐसी सुविधायें देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) कार्य कब शुरू किया जाएगा ?

सचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) धैनकनाल जिले के कुछ उप मण्डल मुख्यालयों पर मौर्स (तार) सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, फोनोकाम पर तार सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(ख) धैनकनाल जिले में निम्नांकित उप मण्डल हैं :—

(1) कामाख्यानगर

(2) हिन्डौल, तथा

(3) पल्लहारा,

(ग) और (घ) कामाख्यानगर में मौर्स (तार) की सुविधा प्रदान करने के लिए मंजूरी दे दी गई है और भंडार प्राप्त हो जाने पर यह कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा। शेष दो स्थानोंके प्रस्तावों की जाँच की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तुलना में डाक विभाग के क्लर्कों के कार्य के घन्टे

* 343. **श्री बापू साहिब पल्लेकर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सात घन्टे की दैनिक ड्यूटी की तुलना में डाक विभाग के क्लर्कों को आठ घन्टे की ड्यूटी देनी पड़ती है और इस प्रकार वे एक साल में 300 घन्टे अर्थात 43 दिनों की अतिरिक्त ड्यूटी देते हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों की वित्तीय रूप से क्षतिपूर्ति करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) से (ग) डाक लिपिकों को, जिनका पदनाम अब डाक सहायक हो गया है, डाक घरों में प्रतिदिन आठ घन्टे की ड्यूटी देनी पड़ती है जबकि भारत सरकार जिनमें डाक तार विभाग भी शामिल है, के प्रशासनिक कार्यालयों में, लिपिक स्टाफ सात घन्टे की ड्यूटी देता है। प्रचालन और प्रशासनिक कर्यालियों के कार्य घन्टों में अन्तर केवल डाक तार विभाग में ही अनोखी बात नहीं है, अपितु रेलवे और नागर विमानन जैसे सापेक्ष मंत्रालयों/विभागों में भी ऐसा ही है। चूंकि डाक सहायकों के वेतनमान का निर्धारण किए जाने वाले कार्य के आधार पर सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है जिनमें कार्य घन्टे भी शामिल हैं, अतः इस वर्ग के कर्मचारियों को कोई आर्थिक प्रतिपूर्ति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

"इडेन" के पास जमानत धरोहर राशियों पर ब्याज का भुगतान

* 344 **श्री आर० एन० राकेश** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुकिंग गैस के उपभोक्ताओं द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि "इंडेन" के पास हमेशा के लिए रहेगी और इस प्रकार वे उपभोक्ताओं की नकद धरोहर जमा राशियों पर प्रतिवर्ष लाखों रुपए कमा रहे हैं और उपभोक्ताओं को उस पर ब्याज नहीं मिलता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी धरोहर जमा राशियों पर उपभोक्ताओं को ब्याज देने के लिए "इंडेन" को आदेश देने का है अथवा उपभोक्ताओं को यह धरोहर राशि बैंकों में जमा कराने की अनुमति देने का है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं। एक खाना पकाने की गैस के उपभोक्ता द्वारा एक सिलेंडर/रेग्यूलेटर पर प्रतिभूति राशि को वापिस कर दिया जाता है यदि उपभोक्ता सिलेंडर/रेग्यूलेटर को ठीक अवस्था में सुपुर्द कर देता है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपभोक्ताओं से एकत्र की गई प्रतिभूति राशियों को सिलेंडर/रेग्यूलेटरों के आपूरण के लिए तथा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस सुविधाओं के संचालन और रख-रखाव के लिए उपयोग में लाया जाता है। उपभोक्ताओं को प्रदान किए गए प्रत्येक सिलेंडर तथा रेग्यूलेटर के लिए, तेल उद्योग को 1.5 सिलेंडर तथा 1.02 रेग्यूलेटरों की सप्लाई जारी रखनी पड़ती है।

दण्डकारण्य परियोजना का अन्तरण

* 345 **श्री हरिहर सोरन** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने उनके मन्त्रालय से दण्डकारण्य परियोजना उड़ीसा राज्य को अन्तरित करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह परियोजना चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक अन्तरित करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) दण्डकरण्य परियोजना कार्य कर रहा है किन्तु उन क्षेत्रों में स्थित परिसम्पत्तियों और संस्थानों, जहां भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास से सम्बन्धित कार्य पूरा हो गया है, के अन्तरण का प्रश्न उड़ीसा और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों से उठाया गया है, और उन्होंने इन सम्पतियों तथा सस्थानों को अपने हाथ में लेने और उन्हें भविष्य में बनाए रखना सिद्धान्ततः मान लिया है। इन सम्पत्तियों/संस्थानों के अन्तरण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और भारत सरकार के बीच

बातचीत द्वारा विस्तृत शर्तें तय की जा रही हैं और इन शर्तों के तय होने के पश्चात वास्तविक अन्तरण किया जाएगा।

औषध उपयोग का विस्तार करने का प्रस्ताव

* 346 **श्री अमर राय प्रधान** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश भर में औषध उपयोग का विस्तार करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर्याप्त बल्क औषधों और फार्मूलेशनों का निर्माण पहले से ही कर रहे हैं और छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वे अपने कार्यकलापों को बढाने का विचार रखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में वर्ष 1980-81 में हुए बल्क औषध के लगभग 63 करोड़ रुपये के उत्पादन को वर्ष 1984-85 के अन्त तक 215 करोड़ रुपये के उत्पादन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार 1980-81 में हुये लगभग 80 करोड़ रुपये के फार्मूलेशनों का उत्पादन भी वर्ष 1974-85 तक 330 करोड़ रुपये तक बढ़ने की आशा है। सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों और सरकारी प्रबन्ध वाली कपनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के आधार पर छठी योजना के लिये 144.90 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। गैर-सरकारी क्षेत्र में बल्न औषधों का उत्पादन वर्ष 1980-81 के दौरान हुये लगभग 117 करोड़ रुपये का उत्पादन वर्ष 1984-85 के अन्त तक 450 करोड़ रुपये तक बढ़ने की आशा है और फार्मूलेशनों का उत्पादन वर्ष 1980-81 के दौरान हुआ लगभग 1120 करोड़ रुपये का उत्पादन वर्ष 1984-85 के अन्त तक 2150 करोड़ रुपये के उत्पादन तक बढ़ने की आशा है।

त्रिपुरा में टेलीफोन सेवा

*347. **श्री बाजूबन रियान** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि त्रिपुरा में टेलिफोन ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार त्रिपुरा में टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने हेतु पुराने साज-सामान को बदल दिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन : (क) त्रिपुरा राज्य में टेलीफोन सेवाये सामान्यतया संतोषजनक है ।

(ख) टेलीफोन कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए कुछ हस्तचल टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वच्छ टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलने की योजना है ।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित एक्सचेंजों को बदलने की योजना बनाई गई है :

(1) अगरतला स्थित 1800 लाइनों का हस्तचल एक्सचेंज 2100 लाइनों के स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज में बदला जाएगा ।

(2) राधा किशोरपुर स्थित 200 लाइनों का हस्तचल एक्सचेंज 200 लाइनों के स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज में बदला जायेगा

(3) कैलाशहर स्थित 100 लाइनों के हस्तचल टेलीफोन एक्सचेंज को 100 लाइनों के स्वचल एक्सचेंज में बदला जायेगा ।

बिहार सर्किल के अन्तर्गत एसक्चेंज केन्द्रों से निःशुल्क ट्रंक काल

3201 **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान बिहार सर्किल के अन्तर्गत विशेष एक्सचेंज केन्द्रों से विशेषकर कटिहार, दरभंगा और मधुबनी एक्सचेंज केन्द्रों से कुल कितनी बार नि.शुल्क ट्रंक कालें की गई है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या ऐसे किसी अनधिकृत निःशुल्क ट्रंक काल का प्रयास करते हुए किसी कर्मचारी को 12 अप्रैल, 1981 को कटिहार में रंगे हाथ पकड़ा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा करने वाले कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव): (क) नियमानुसार बिना शुल्क ट्रक काल लगाना स्वीकार्य नहीं है । इस प्रकार बिना शुल्क की कालों को रोकने के लिए प्रेक्षण किया जाता है । बिहार में एक वर्ष के दौरान बिना शुल्क की कालों के 34 मामले पकड़े गए दरभगामें 5 मामले पकड़े गयेतथा मधुबनी और कटिहार में ऐसा कोई मामला नहीं पकड़ा गया ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"राइजिंग पिटहैड स्टाक्स-कोल इंडिया में गो इन फोर एक्सपोर्टस" शीर्षक समाचार

3202. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981-82 के पहले 5 महीनों में कोयले का उत्पादन निर्धारित स्तर से कम हुआ है; यदि हां, तो कितना कम उत्पादन हुआ और उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उनका ध्यान दिनांक 12 अगस्त, 1981 के "फाइनैन्शियल एक्सप्रैस" नई दिल्ली में "राइजिंग पिटहैड स्टाक्स कोल इंडिया में गो इन फोर एक्सपोर्ट" शीर्षक समचार की ओर दिलाया गया है : और

यदि हां, तो किन-किन देशों को कोयले का निर्यात किये जाने की सम्भावना है और किस मूल्य पर तथा क्या यह सरकार से सरकार आधार पर अथवा किसी वार्टर सौदे के रूप में किया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्रात्रय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अप्रैल-अगस्त, 1981 की अवधि के लिये देश में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 41·79 मिलियन टन था और इसकी तुलना में वास्तविक उत्पादन 46.72 मिलियन टन (अनंतिम) रहा इस प्रकार लक्ष्य की की तुलना में 1.07 मिलियन टन की अथवा 2.3 प्रतिशत की थोड़ी गिरावट आई । इस गिरावट का मुख्य कारण था अप्रैल और मई, 1981 के दौरान ई० को० लि० में भारी अनुपस्थिति और मई-जून,1981 के दौरान सिंगरैनी मे हड़ताल। फिर भी, अप्रैल-अगस्त, 1980 के 41.94 मी० टन की तुलना में वर्तमान वर्ष की इसी अवधि का उत्पादन 9 प्रतिशत अधिक है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस समय कुछ कयोला पड़ोसी देशों को निर्यात किया जा रहा है जैसे नेपाल,भूटान बंगला-देश । ये देश अपनी आवश्यकताए पूरी करने के लिए भारत से परम्परागत रूप से से कोयला लेते रहे हैं । अप्रैल-जून,1981 में लगभग 37,00 टन कोयला इन देशों को निर्यात किया गया । लगभग 40,000 टन कम भाप का कोयला. जिसकी आन्तरिक मांग नहीं है, निर्यात के लिए प्रस्तावित किया गया है । कोयले का निर्यात "खनिज एंव धातु व्यापार निगम" के माध्यम से किया जाना हैं और यह निगम इस समय दक्षिण कोरिया और बेल्जियम जैसे सभावित खरीदारों से बातचीत कर रहा है परन्तु अभी तक कोई पक्का सौदा नहीं कर दिया गया है ।

अहमदनगर जिले में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

3203. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) 1 अगस्त 1981 तक अहमदनगर जिले (महाराष्ट्र में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंज में टेलिफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कुल कितने लोगों के नाम दर्ज थे और उनके नाम प्रतिक्षा सूची में कब से है ;

(ख) 1980 के दौरान और 1981 में अब तक (एक्सचेंज) प्रतिक्षा सूची में से कितने लोगों को टेलीफोन एक्सचेंज दिए गए ;

(ग) प्रतीक्षा सूची (एक्सचेंज-वार) कब तक पूरी हो जायेगी ; और

(घ) सरकार ने अहमदनगर जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों की कार्य प्रणाली में सुधारों लाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) एवं (ख) पहली अगस्त, 1981 को अहमदनगर जिले के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलिफोनों की प्रतीक्षा सूची जिस तारीख तक कनेक्शन दिए जा चुके हैं, 1980 में और अगस्त, 1981 तक दिए गए कनेक्शनों की संख्या विवरण में दी गई हैं ।

(ग) उपस्कर तथा भंडार जैसे जैसे उपलब्ध होते जायेंगे वैसे वैसे ही प्रतीक्षा सूची का उत्तरोत्तर निपटाना किया जाएगा।

(घ) सेवा में सुधार करने के लिए अनुरक्षण कार्य को तीव्र किया जाएगा ।

विवरण

तारीख 1-8-81 की अहमद नगर जिले के विभिन्न एक्सचेंजों में टेलीफोनों की प्रतीक्षा सूची ।

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची	कब तक कनैक्शन दिए गए	दिए गए कनेक्शन 1980	1981 में अगस्त, 1981 तक
1.	अश्वी	4	6.3.81	9	1
2.	अडंइसल	10	4.8.79	1	—
3.	बलविर शहर	8	14.4.79	—	—
4.	ब्राह्मणी	13	23.5.80	17	—
5.	बंलभ टकाली	1	—	—	2
6.	चांदे	8	2.3.79	—	—
7.	दही गांव	14	7.3.79	17	—
8.	दहीगांव बलका	17	18.3.80	15	—
9.	जमखेद	2	18.3.81	7	—

1	2	3	4	5	6
10.	जाल्के	10	15.6.79	—	—
11.	करजत	2	28.8.81	4	—
12.	कोलपेवाढी	5	18.9.79	3	—
13.	कोलार	5	6.2.81	7	—
14.	काडा	8	22.9.80	2	1
15.	कोपरगांव	85	9.8.79	9	—
16.	कुकाना	16	6.8.79	3	9
17.	कापसी	5	7.11.79	3	2
18.	कसैर गांव	4	7.3.80	12	2
19.	निराज गांव	2	30.10.80	—	—
20.	नैवासा	18	5.3.80	6	9
21.	निगोज	11	21.4.79	4	1
22.	पथार्डी	1	6.6.81	5	5
23.	पराकर नगर	8	1.9.79	—	—
24.	पुटम्बा	7	5.6.79	—	—
25.	राहूरी	21	3.4.80	7	4
26.	रशीम	2	31.12.75	1	—
27.	रवांडे	1	2.6.81	—	—
28.	शेवागांव	14	2.11.79	—	—
29.	श्री गोंडा	5	—	1	3
30.	शिवाजी नगर	24	9.8.77	—	—
31.	श्री गौंडा फैक्ट्री	4	30.9.80	—	1
32.	श्री रामपुर	200	19.12.77	5	—
33.	सौनाई	21	23.8.78	1	—
34.	शिरडी	16	23.9.80	17	2
35.	तक्लीभान	10	10.1.80	5	—
36.	तक्ली मिया	2	4.8.79	—	—

1	2	3	4	5	6
37.	उधीर गाँव	19	15.12.75	13	—
38.	बक्कोरी	6	29.2.80	—	—
39.	वडाला भैरोवा	8	1.3.80	4	—
40.	अहमदनगर	594	18.11.78	10	93
41.	अहमदनगर एम. आई. डी.सी.	61	10.8.78	7	8
42.	परनेर	1	—	2	—
43.	कशटी	—	—	4	1
44.	वंशीवरा	—	—	2	—
45.	चासनाली	शून्य	—	3	—
46.	धामोरी	—	—	3	1
47.	पडगांव	—	—	1	—
48.	फोयेगाँव	—	—	—	1
49.	राहाटा	—	—	2	6
50.	तिसगाँव	—	—	—	18
51.	अकोला	1	1981	7	4
52.	घांघरपाल	4	1981	—	4
53.	चारगांव	1	1981	—	—
54.	जोरवे	6	1981	—	—
55.	जावले कडलग	1	1980	10	—
56.	कोटुल	3	1980	—	5
57.	मंगलपुर	1	1981	—	—
58.	राजुर	—	—	—	—
59.	साकुर	1	1981	3	1
60.	संगमनेर	15	1979	—	1

दूर संचार स्विचिंग उपकरण का देश में उत्पादन

3204. **श्री के० प्रधानी : श्री बी० वी० देसाई :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलैक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके देश में दूर संचार स्विचिंग उपकरण की नई उत्पादन क्षमता की स्थापना के लिए डाक-तार विभाग ने एक विस्तृत नीति पत्र तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इलैक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्रों का आयात करने के लिए कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) (1) बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता जालकार्यों में प्रत्येक के प्रयोग के लिए 10,000 टेलीफोन लाइनों वाले 3 एक्सचेंजों के आदेश मैसर्स निस्सो हवाई को पहले ही दे दिये गए हैं ।

(2) चालू योजना की शेष अवधि के दौरान विभिन्न साइजों के इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों के 4,75 लाख लाइनों के आयात हेतु योजना की अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

1977 से 1981 तक विभिन्न कोयला खानों में बी० सी० सी० एल० में अधिष्ठापित पे लोहरों, मास्टर ड्रिल, शोवलों की संख्या

3205. **श्री० ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977 से जून, 1981 तक विभिन्न कोयला खानों में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में अधिष्ठापित पे लोडरों, मास्टर ड्रिल, शोवलों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन मशीन की खरीद के लिए कुल कितनी राशि खर्च की गई थी और किन देशों से मशीनों का आयात किया गया था ;

(ग) कार्य कर रही मशीनों की प्रतिशतता क्या है ; और

(घ) इन मशीनों के रख-रखाव और मरम्मत की कुल लागत कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जारी निर्देश

3206. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को हाल में कोई निदेश दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे): (क) **और** (ख)केन्द्रीय सरकार द्वारा फिल्म सेंसर बोर्ड को जारी किए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित है कि फिल्म सेंसर व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि फिल्म का माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदन शील बना रहे और यह कि सेंसर व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन के सिद्धान्तों की रोशनी में सेंसर सम्बन्धी अपने दृटिकोण की समीक्षा की है और यह पास किया है कि फिल्मों को सेंसर करते समय निम्नलिखित बातों पर सावधानी पूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए :

(1) क्या फिल्म असंगत और अन्धविश्वासों की प्रेरणा या उनको बढ़ावा देती है और वह ऐसी पूजा पद्धतियों या रिवाजों को बढ़ावा देती है जो अलौकिक एजेंसियों का आह्वान करते हैं जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि वे विश्वास करने वालों को फल देती है और विश्वास न करने वालों को नुकसान पहुंचाती है

(2) क्या फिल्म महिलाओं को पुरुषों की हीन दासी के रूप में चित्रित करता है और दास्त्व की महिलालओं के श्लाघ्य गुण के रूप में प्रशंसा करती है। बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकार की फिल्मों से आपत्तिजनक अंश निकाल दिए जाने चाहिए और यह कि यहां काट छांट मात्र से फिल्म से वह बात दूर न होती हो जो अवांछनीय हो, उनको प्रमाण-पत्र न दिया जाये। बोर्ड ने इस बात पर बल देने का भी निर्णय लिया कि "यू" प्रमाण पत्र प्राप्त फिल्में स्वच्छ बनाई जानी चाहिए ताकि उनमें से ऐसे तत्वों को बिल्कुल निकाल दिया जाए जो बच्चों के लिए आपत्तिजनक और हानिकारक हों। तदनुसार, फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष ने फिल्म उद्योग की विभिन्न एसोसियेशनों को एक पत्र भेजा है ताकि वे उक्त निर्णयों को अपने सदस्यों के ध्यान में ला दें।

इन्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा क्राड-कन्टेनरस का निर्माण

3207. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डो-वर्मा पेट्रोलियम कम्पनी संसार की उन गिनी-चुनी कम्पनियों में एक हो गयी है जो पशु-वीर्य-सग्रह के लिए आधुनिक अल्यमिनियम के क्राडकन्टेनरों का निर्माण करते हैं ;

(ख) क्या किसी अन्य राज्य में 600 क्राडकन्टेनरों के निर्माण की क्षमता वाला संयंत्र लगाया गया है अथवा लगाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) **से** (ग) : जी, हां। इण्डो-वर्मा पेट्रोलियम कम्पनी (आई० बी० पी०) : ने महाराष्ट्र में नासिक स्थान

पर 5000 कन्टेनर्स प्रतिवर्ग उत्पादन क्षमता सहित अल्यूनियम क्राडकन्टेनर्स के उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित किया है। किसी अन्य राज्य में इस समय इस प्रकार के संयंत्र को स्थापित करने के लिए आई० बी० पी० का कोई प्रस्ताव नहीं है।

देश में निर्मित जनरेटिंग सेटों के कारण कार्यकरण संबंधी समस्याओं से ग्रस्त बिजली केन्द्र

3208. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बिजली केन्द्रों का नाम क्या है जिन्हें देश में बने जनरेटिंग सेटों तथा उनमें लगे कल-पुर्जों के कारण अक्सर कार्यकरण संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) उन संयंत्रों का नाम क्या हैं जिन्होंने जनरेटिंग सेटों का आयात कर लिया है और उन सेटों की तुलनात्मक कार्यक्षमता तथा भारसहन क्षमता कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विक्रम महाजन : (क) विद्युत उत्पादन यूनिटों की कार्य-निष्पादन कई कारणों से प्रभावित होता है, यथा प्रणाली अभिकल्प, कोयला हैंडलिंग संयंत्र राख हैंडलिंग संयंत्र जैसे आनुषांगिक उपस्करों का तथा अन्य सहायक उपस्करों का कार्य निष्पादन, प्रचालन कार्मिकों का प्रशिक्षण आदि। इन आनुषांगिक और उपस्करों की सप्लाई मुख्य विद्युत उत्पादन उपस्कर के सप्लाई कर्त्ताओं द्वारा नहीं की जाती। यद्यपि स्वदेशी तौर पर निर्मित यूनिटों का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं है तथापि पिछले एक वर्ष से इसमें सुधार हुआ है। जिन ताप विद्युत केन्द्रों के मुख्य उपस्कार स्वदेशी सप्लाइ कर्त्ताओं द्वारा सप्लाई किए गए हैं और 1980.81 के दौरान जिनका संयंत्र भार अनुपात 50 प्रतिशत से कम है उन के नाम दिखाने वाला विवरण संलग्य है।

(ख) जिन ताप विद्युत केन्द्रों में आयातित उत्पादन सेट हैं, उनके नाम तथा वर्ष 1980-81 के दौरान उनका संयंत्र भार अनुपात दिखाने वाला विवरण—2 में संलग्न है।

तथापि उपरोक्त दी गई दोनों सूचियों में उन केन्द्रों के नाम शामिल नहीं हैं जहां पर एक ही केन्द्रों में स्वदेशी और आयातित सैट प्रतिष्ठापित किए गए हैं।

विवरण—1

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	यूनिटों की सं० और क्षमता	प्रतिशत संयंत्र भार अनुपात 1980-81
	उत्तरीक्षेत्र		
1.	बदरपुर	3×100	42.00
		1×210	46.00
2.	फरीदाबाद विस्तार	2×60	30.00

1	2	3	4
3.	भटिण्डा	4×110	38.00
4.	ओबरा विस्तार	3×100	40.00
		2×200	36.50
		1×200	39.00
5.	वनकी विस्तार	2×110	47.00
6.	पानीपत	2×110	34.00
7.	हरदुआगंज चरण-पांच	11×110	19.00
	पश्चिमी क्षेत्र		
8.	उकई	2×120	33.00
		1×200(यूनिट 4)	21.00
9.	भुसावल विस्तार	1×210	43.00
	दक्षिणी क्षेत्र		
10.	कोठागुडम "बी"	2×110	21.00
11.	कोठागुडम "सी"	2×110	28.00
12.	तूली-कोरिन	1×210	30.00
13.	विजयवाड़ा	1×210	48.00
	पूर्वी क्षेत्र		
14.	संथालडीह	3×120	35.00

विवरण—2

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	यूनिटों की सं० तथा क्षमता	प्रथिशत संयंत्र भार अनुपात 1980-81
	उत्तरी क्षेत्र		
1.	ओबरा (ता० वि०)	5×50	45.00
	हरदुआगंज "ए"	2×30	2.00
3.	रेणुसागर	2×62.5	92.00
4.	पनकी	2×32	55.00

1	2	3	4
5.	राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र (परमाणु)	2×220	45.00
	पश्चिमी क्षेत्र		
6.	धुवारण	4×63.5	
		2×140	72.00
7.	ए० ई० कं०	2×28.5	58.00
8.	कोबरा II	4×50	51.00
9.	कोबरा I	3×30	52.00
10.	अमेरकंटक	2×30	73.00
11.	तारापुर (परमाणु)	2×210	48.00
12.	ट्राम्बे	3×90	70.00
13.	खापरखेड़ा	3×30	52.00
14.	पारस	1×50	
		1×62.5	67.00
15.	भुसावल	1×62.5	71.00
	दक्षिणी क्षेत्र		
16.	कोठागुम "ए"	4×60	49.00
17.	कोठागुडम "बी"	1×62-5	69.00
18.	नैल्लोर	81×50	8.00
19.	नेवेली	6×50	
		3×100	60.00
पूर्वी	**पूर्वी क्षेत्र**		
20.	बरौनी	2×50	26.00
21.	दुर्गापुर	2×55	
		1×141	24.00
22.	बोकारो	3×57.5	
		1×55	44.00

1	2	3	4
23.	न्यु कोशीपुर	2×25	
		2×50	56.00
24.	मुला जोर	4×25.5	
		1×26	69.00
25.	दुर्गा०परि० लि०	2×30	
		1×70	
		2×75	29.00
26.	बैंडल	4×80	60.00
27.	तलचेर	4×62.5	34.00
28.	चन्द्रपुर	1×30	43.00

इलेक्ट्रोनिक्स एक्सचेंज का निर्माण करने के लिये संयंत्र

3209. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इरादा इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों के निर्माण के लिये संयंत्र स्थापित करने का है ?

(ख) यदि हां, तो क्या संयंत्रों को स्थापित करने के स्थान निर्धारित कर दिये गये है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) जी नहीं।

(ख) एवं (ग) उपयुक्त स्थान चयन का प्रश्न संचार मन्त्रालय (डाक तार बोर्ड) में भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक स्थान चयन समिति के विचाराधीन हैं। इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

डम्बीवाली, जिला थाणे (महाराष्ट्र) में डाकघर खोलना

3210. **श्री सूरज भान** : क्या संचार मन्त्री डम्बीवाली, जिला थाणे में डाकघर के लिए भूमि अधिग्रहण के बारे में 23-3-1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4718 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने डम्बीवाली डाकघर(जिला थाणे महाराष्ट्र) के लिए भूमि का अधिग्रहण करके इसे डाक प्राधिकारियों को सौंप दिया गया है।

(ख) यदि हां, तो कब और शीघ्र डाकघर खोलने के लिए पोस्टल प्राधिकारियों ने क्या विशेष कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और यह डाक प्राधिकारियों को कब तक प्राप्त होने की संभावना हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) जी, नहीं ।

(ख) एवं (ग) अधिग्रहण कार्यवाही सम्बन्धी मामला अभी प्रगति पर है यह मामला इस समय विशेश भूमि अधिग्रहण अधिकारी जिला थाणे के पास निर्णय हेतु लम्बित है । शीघ्र निर्णय देने हेतु उनके साथ मामले में लिखा पढ़ी की जाएगी । तथापि जहां भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है वहां एक किराए के भवन में डाकघर पहले ही कार्य कर रहा है ।

टेलीफोनों के लेखे के लिए आधुनिक प्रक्रिया का प्रस्ताव

3211. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास टेलीफोनों के लेखें की वर्तमान प्रक्रिया को बदलने और उपभोक्ताओं और टेलीफोन विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार नयी प्रक्रिया बनाने के लिए कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) इस समय उपयुक्त प्रस्ताव किस व्यवस्था पर है और इस बारें में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) जी नहीं ।

(ख) एवं (ग) उपयुक्त (क) को देखते हुई इनका प्रश्न ही नही उठता ।

कछार में तेल की खोज

3212. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कछार में तेल के खोज का कार्य धीमी गति से चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कछार में तेल की खोज तीव्र गति से करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है !

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जिला मुख्यालयों द्रुत डाक सेवा का प्रस्ताव

8213. **श्री मानमोहन टुडु** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छठी योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों की राजधानियां के अलावा कुछ जिला मुख्यालयों में द्रुत डाक सेवा की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना अवधि में विभिन्न राज्यों के किन-किन जिला मुख्यालयों में द्रुति डाक सेवा की व्यवस्था करने का विचार है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 45 राष्ट्रीय तथा 407 क्षेत्रीय क्यू० ए० म० एस० केन्द्रों में पहले ही क्यू०ए० एस० सेवा चालू की जा चुकी है तथा क्यू० एम० एस० का विकास करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो छठी योजना से संबद्ध नहीं है ।

(ख) एवं (ग) : सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत अम्बाला, लुधियाना तथा जालंधर के प्रस्ताव विचाराधीन हैं और सभी अन्य राज्यों में समय समय पर पुनरीक्षा की जाती है ।

अण्डमान में पेट्रोल की बिक्री

3214. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर और मध्य अण्डमान में डिगलीपुर, माया बन्दर, रंगट की सरकारी एजेन्सियों द्वारा सात रुपए प्रति लीटर से अधिक मूल्य पर पेट्रोल की बिक्री की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इन दूरवर्ती क्षेत्रों को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर पेट्रोल और पेट्रोल से उत्पादित वस्तुओं की सप्लाई करने के बारे में क्या कार्रवाई करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जी, हां । उत्तर और मध्य अण्डमान में डिगलीपुर, मायाबन्दर तथा रंगट प्रत्येक में पेट्रोल की औसत मासिक मांग 50 से 60 लीटरों की श्रेणी में है । इन क्षेत्रों में पेट्रोल को मुख्य उपभोक्ता अण्डमान सार्वजनिक निर्माण विभाग है । अन्य वाणिज्यिक विविध मांगों को अण्डमान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपने स्टाक में से स्थानीय सहायक आयुक्त को अनुमोदन प्राप्त करके 7.07 रुपए प्रति लीटर की वर्तमान दर पर पेट्रोल की सप्लाई करके मांग को पूरा किया जाता है । क्योंकि उपर्युक्त द्वीपों की पेट्रोल की मांग लगभग नगाय हैं, इसलिए विद्यमान व्यवस्था को युक्ति युक्त समझा गया है ।

पाकिस्तान में भारतीय फिल्में दिखाने पर प्रतिबन्ध

3215. **श्री वीरभद्र सिंह : सूचना और प्रशारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन के बारे में इस समय क्या क्या प्रतिबंध लगा रखे हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार ने भी पाकिस्तानी फिल्मों के प्रदर्शन पर ऐसे ही प्रतिबन्ध लगा रखे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रशारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों के आयात और प्रदर्शन पर कोई सरकारी प्रतिबन्ध नहीं है किन्तु पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में किसी पाकिस्तानी फिल्म का आयात या प्रदर्शन नहीं किया गया है ।

(ग) भारत सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच फिल्मों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने के पक्ष में है और इस कारण से इसने भारत में पाकिस्तानी फिल्मों के प्रदर्शन पर न तो कोई प्रतिबन्ध और न ही कोई पाबंदी लगाई है ।

कतिपय औषधियों का कम प्रौद्योगिकी वाली मदों के रूप में वर्गीकरण

3216. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने कुछ ऐसे मामले भेजे हैं, जिनमें कुछ ऐसे औषधियों को कम प्रौद्योगिकी वाली मदों के रूप में वर्गीकृत करने का अनुरोध किया गया है, जिनके उन्होंने विकल्प तैयार कर लिए हैं और जिनके लिए उन्होंने सरल प्रक्रिया विकसित कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार प्राप्त हुई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, सम्बन्धित मदों के नाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सिप्ला ने अपने रसायन वुटामोल के निर्माण के सन्दर्भ में जनवरी 1981 में सरकार को लिखे गये पत्र के साथ राष्ट्रीय प्रयोगशाला के उप निदेशक के विचार भी संलग्न किए थे जिसमें यह दर्शाया गया था कि प्रक्रिया में निम्न प्रौद्योगिकी लगती है । इससे पूर्व राष्ट्रीय रसायन प्रयोग शाला ने दिसम्बर, 1980 में इस विषय पर लिखा था । सरकार द्वारा गठित उच्च प्रौद्योगिकी समिति ने निष्कर्ष दिया कि प्रस्तावित सालबुटाजोल के निर्माण में उच्च प्रौद्योगिकी लगती है । इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला के निदेशक को लिखा जिनसे मार्च, 1981 में उत्तर मिला जो यह दर्शाता है कि उप निदेशक, उच्च प्रौद्योगिकी समिति द्वारा उच्च और निम्न प्रौद्योगिकी के बीच वर्गीकरण करने के बारे में अपनाए गए मानदण्डों से परिचित नहीं था । निदे-

शक, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ने उपनिदेशक के एक नोट को संलग्न किया जिसमें यह कहा गया है कि क्रिया में सात स्तर और एक कुशल कार्बनिक रसायनज्ञ द्वारा प्रयुक्त अनेक संश्लेषित कुशल कार्बनिक संचालन निहित हैं।

दिल्ली में इंजीनियर्स इण्डिया लि० के लिए कार्यालय भवन का निर्माण

2317. **श्री निहाल सिंह** : क्या **पेट्रोलियम, और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्जीनियर्स इण्डिया लि० के लिए कार्यालय की इमारत के निर्माण के लिए 395.82 लाख रु० का ऋण मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में उसका प्रस्थान कहां है और इमारत कब तक पूरी हो जायेगी।

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) और (ग) सरकार ने इन्जीनियर्स इण्डिया लि० को 385.82 लाख रुपये की अनुमानित लागत जिसमें भूमि और पंजीकरण लागत शामिल नहीं हैं, पर कार्यालय भवन के निर्माण के लिए सिद्धान्त रूप में अनुमोदन दे दिया है। सम्पूर्ण व्यय कम्पनी के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाना है। कार्यालय भवन आर० के० पुरम (भिकाईजी कामा बाजार), नई दिल्ली में स्थित है और इसके 1981 के मध्य तक पूरे होने की संभावना है।

पश्चिमी क्षेत्र में बिजली घरों द्वारा उत्पादित बिजली

3218. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पश्चिमी क्षेत्रों में स्थापित ताप बिजली घरों के नाम क्या है और 1980 में तथा 30 जून, 1981 तक उन्होंने वास्तव में कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन किया ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान क्षेत्र में पारेषण हानियों का औसत क्या था ;

(ग) इन ताप बिजली घरों के क्षमता उपयोग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ;

(घ) क्या सरकार छठी योजना अवधि के दौरान देश के पश्चिमी क्षेत्र में और अधिक ताप बिजली घर स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पश्चिमी क्षेत्र में प्रतिष्ठापित ताप विद्युत केन्द्रों के नाम तथा जनवरी 1979-80 के के जून 1981 तक की अवधि के दौरान उनसे हुआ ऊर्जा उत्पादन अवधि में जो विवरण-1 में संलग्न है।

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान पश्चिम क्षेत्र में पारेषण और विवरण हानियां 18.29

प्रतिशत थीं । 1979-80 का वर्ष ही ऐसा अन्तिम वर्ष है जिसकी पारेषण और वितरण हानियों का अन्तिम रूप से आकलन कर लिया गया है ।

(ग) पश्चिमी क्षेत्र में ताप विद्युत केन्द्रों का कार्य निष्पादन सामान्यतः देश के अन्य भागों से अपेक्षाकृत अच्छा है । तथापि, मौजूदा प्रतिष्ठापित क्षमता से विद्युत का उत्पादन अधिकतम करने की दृष्टि से पश्चिमी क्षेत्र सहित देश के मौजूदा ताप विद्युत संयंत्रों के प्रचालन संबंधी अनुरक्षण में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं । इन उपायों में ये शामिल हैं :

(क) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तथा बेहतर सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को सहायता ।

(ख) उपस्कर के डिजाइन में कमी का पता लगाना तथा उन्हें सुधारने और प्रतिस्थापित करने के कार्यक्रम शुरु करना ।

(ग) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाई कर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की समय पर सप्लाई की व्यवस्था करना ।

(घ) उचित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई । गलती करने वाली कोयला खानों का पता लगाया जा रहा है और संयुक्त रुप से सेम्पलिंग करने के लिए विद्युत केन्द्रों के प्रतिनिधि वहां तैनात किए जा रहे हैं । कोयला कम्पनियों को कहा गया है कि पत्थर, सलेटी पत्थर तथा अन्य विजातीय पदार्थों को हाथ से उठाने के कार्य को तेज करें, ताकि गुणवत्ता में सुधार हो । कोयला कम्पनियों को यह सलाह भी दी गई है कि वे कोयला खानों पर पोर्टेबिल/स्थायी क्रशर प्रतिष्ठापित करें तथा कोयला परिस्कार के लिए समुचित कार्यक्रम शुरू करें ।

(ङ) जिन इन्जीनियरों तथा तकनीकी कर्मियों को विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना ।

(च) प्रणाली की नई उत्पादन क्षमता में तेजी से अभिवृद्धि करना । परियोजनाओं का शीघ्रता से पूरा किये जाने के लिए सुनिश्चित करने हेतु सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रमों की विस्तृत मानीटरिंग का कार्य हाथ में लिया जा रहा है ।

(घ) और (ङ) छठी योजना अवधि 1980-85 के दौरान 5984 मेगावाट की उत्पादन क्षमता को चालू करने का कार्यक्रम है । चालू करने के कार्यक्रम का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है ।

विवरण-1

जनवरी, 1980 से जून 1981 तक की अवधि में हुआ ऊर्जा उत्पादन दिखाने वाला विवरण ।

राज्य	केन्द्र	विद्युत उत्पादन मिलियन यूनिट (केवल ताप विद्युत)
गुजरात	धुवरन (ताप)	5071
	उकाई	3225
	गान्धीनगर	1911
	उत्राण	557
	अहमदाबाद इलेट्रिक कंपनी	1432
	साबरमती	880
	अन्य	87
	जोड़	13163
मध्यप्रदेश	सतपुड़ा	3799
	कोरबा	3132
	अमरकंटक	2459
	जोड़	9390
महाराष्ट्र	नासिक	4499
	कोराडी	5231
	खोपेन खेड़ा	610
	पारस	772
	भुसावल	1681
	पारली	965
	तारापुर	2638
	ट्राम्बे	3174
	चिल्ला	306
	अन्य	146
	जोड़	20022

विवरण–2

पश्चिमी क्षेत्र की उन परियोजनाओं की सूची जिनसे छठी योजना अवधि के दौरान लाभ प्राप्त होने की आशा है ।

राज्य/स्कीम का नाम	छठी योजना के दौरान क्षमता सम्बन्धी लाभ (मेगावाट)
1. उकई बायां तट नहर (जल विद्युत)	5
2. कडन्ग पम्पड स्टोरेज स्कीम (ज. वि.)	120
3. उकई पांचवी यूनिट (ताप विद्युत)	210
4. वानक बोरी (ताप विद्युत)	630,
5. वानक बोरी विस्तार (ताप विद्युत)	210
उप-जोड़	1175
मध्य प्रदेश	
1. सतपुड़ा 8वीं और 9वीं यूनिट (ता. वि.)	420
2. कोरबा (पूर्व) (ताप विद्युत)	120 (1980-81 में चालू की
3. कोरवा (पश्चिम) (ताप विद्युत)	420 गई)
4. कोरबा (पश्चिम) विस्तार (ता. वि.)	420
उपजोड़	1380
महाराष्ट्र	
1. कोयला डी.पी. एच. (जल विद्युत)	20 (1980-81 में चालू की गई)
2. पेथोन (जल विद्युत)	12
3. भारी वेल रेसें (जल विद्युत)	80
4. तिल्लारी (जल विद्युत)	60
5. नासिक 5वीं यूनिट (ताप विद्युत)	210 (1980-81 में चालू की गई)
6. भूसावल यूनिट 3 (ताप विद्युत)	210

7. पारली यूनिट 3	(ताप विद्युत)	210 (1980-81 में चालू की गई)
8. चन्द्रपुर यूनिट-1 और 2	(ताप विद्युत)	420
9. चन्द्रपुर विस्मार	(ताप विद्युत)	210
10. ट्राम्बे	(ताप विद्युत)	500
11. कोराड चरण-3 यूनिट 6 और 7	(ता. वि.)	420
12. उरण गैस	(ता. वि.)	240
	उपजोड़	2592

साँझा परियोजनाएं

1. पेंच	(जल विद्युत)	160

केन्द्रीय क्षेत्र

1. कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र		630
	जोड़	5937
रामागुण्डम सुपर ताप वि. केन्द्र से गोवा को हिस्सा		47
	कुल जोड़	5684

नई कोयला खान परियोजना

3220. **श्री अनादि चरण दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 में केन्द्रीय योजना बोर्ड से कितनी नई कोयला परियोजनाओं की अनुमति मिलने की संभावना है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ नई कोयला परियोजनाओं को योजना आयोग से अनुमति प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) यदि हाँ, तो, इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उनसे मंत्रालय द्वारा सभी नई कोयला परियोजनाओं को योजना आयोग से अनुमति दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोयला खान परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए कोई केन्द्रीय योजना बोर्ड नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नई कोयला खनन परियोजनाओं पर योजना आयोग विचार करता और उसे निबटाता है।

छठी योजना में नये रेडियो स्टेशन

3221. **प्रो० नारायण चन्द्रपराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का प्रस्ताव राज्यों में न केवल जन संख्या बल्कि उसके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को भी ध्यान में रखते हुए और रेडियो स्टेशन खोलने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) जी हाँ। छठी योजना में शामिल किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

क. नये रेडियो स्टेशन

स्थान	प्रस्तावित करने की शक्ति	राज्य का नाम
1. तुरा	20 कि० वा० मी० वे०	मेघालय
2. गंगतोक	20 कि० वा० मी० वे०	सिक्किम
3. मदुरै	10 कि० वा० मी० वे०	तमिल नाडु
4. आगरा	10 कि० वा० मी० वे०	उत्तर प्रदेश
5. जमशेदपुर	1 कि० वा० मी० वे०	बिहार
6. ईटानगर	100 कि० वा० मी० वे०	अरुणाचल प्रदेश

ख. प्रत्येक केन्द्र में 1 कि० वा० मे० वे० ट्रांसमीटर के साथ स्थानीय रेडियो प्रसारण सेवा

स्थान	राज्य
1. कोटा	राजस्थान
2. डिफू	असम
3. क्योंझर	उड़ीसा
4. शोलापुर	महाराष्ट्र
5 आदिलाबाद	आन्ध्र प्रदेश
6. नागर कोइल	तमिलनाडु

ग. समर्पित राष्ट्रीय प्रसारण सेवा

(1) नागपुर	100 किलोवाट मीडियम वेव	महाराष्ट्र

आकाशवाणी कर्मचारी कलाकारों की परेशानियां

3222. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी कर्मचारी कलाकारों की कुछ विशेष परेशानियाँ थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या परेशानियाँ दूर कर दी गयी हैं ; और

(ग) कर्मचारी कलाकरों की कौन सी मांगें मंजूर की गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) (क) से (ग) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट सविदा कर्मचारी हैं । उनकी मुख्य मांगे ये हैं कि उनको नियमित सरकारी कर्मचारियों में परिवर्तन किया जाना चाहिए और उनके लिए पदोन्नति के अधिक अवसर होने चाहिए तथा उनके शुल्कमानों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए आदि । उनको नियमित सरकारी कर्मचारियों में परिवर्तन करने के संबंधित मामले और सीनियर प्रोड्यूसरों के अतिरिक्त पद सृजन करके प्रोड्यूसरों के लिए पदोन्नति के अधिक अवसरों की व्यवस्था करने से संबंधित मामले में सक्रिय रूप से कारवाई की जा रही ।

वर्तमान असंगतियों, प्रगतिरोध, यदि कोई हो शुल्कमानों को युक्तिसंगत बनाने की गुंजाइश इत्यादि की जांच करने के लिए एक अन्त: विभागीय संवर्ग पुनरीक्षण समिति का भी गठन किया गया है । इस समिति ने पहले ही कई बैठकें करली हैं जिनमें सभी श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों के प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से अपनी मांगे स्पष्ट करने के लिए भी अवसर दिया गया है ।

डाक और तार कर्मचारियों को वर्दी देना

3223. **श्री चतुर्भुज** : क्या संचार मंत्री यह बताने में कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग के कुछ वर्गों के कर्मचारियों को सिली-सिलाई वर्दी देने के लिये प्रावधान है ;

(ख) यदि हां, तो एक जनवरी, 1980 से 1 जनवरी 1981 तक कितने कर्मचारियों को ऐसी वर्दियां सप्लाई की गई थी और कपड़े की कुल लम्बाई कितने मीटर है और कुल कितनी वर्दियां सप्लाई की गई थी ; और

(ग) 1अगस्त 1981 को स्टाक में कुल कितना कपड़ा पड़ा हुआ था और इसका मूल्य कितना है और स्टाक से कितने कर्मचारियों को वर्दियां दी जा सकती हैं और इतना अधिक स्टाक जमा होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) वर्दी सप्लाई दिए जाने के पात्र कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 5,30 लाख

है। वर्ष 1980-81 के दौरान सप्लाई दिए सेटों की संख्या लगभग 5,28 लाख है तथा लगभग 31,68 लाख मीटर कपड़े की खपत हुई है। 1-8-1981 को 8.43 लाख मीटर खादी फालतू है जिसकी लागत लगभग 51,81 लाख रुपये है। इस स्टाक से वर्दियां के लगभग 1,40,000 सैट बनाए जा सकते हैं। वर्ष 1980-81 की आवश्यकता को ध्यान में रखकर खादी के कपड़े के लिए इंमग पत्र भेजे गए हैं।

(ग) चूंकि सप्लाई कर्ता ने समय पर सप्लाई करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की अत यह निर्णय लिया गया कि 1980-81 के लिए वर्दी के दो सैट दिए जाएँ एक खादी का और दूसरे मिल में बने कपड़े का। बाद में, स्टाक यूनियनों की मांग पर यह निर्णय लिया गया मिल में बने कपड़े की सप्लाई की जाए। हालांकि खादी के लिए दिए गए मांग पत्र को रद्द करने के लिए कार्रवाही की गई परन्तु 30 जून, 1980 जिस तारीख को सप्लाई पूरी होनी थी, तक निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई मात्रा (5,35 लाख मीटर) खादी विभाग को स्वीकार करनी पड़ी। नीति में उपर्युक्त परिवर्तन होने के कारण फालतू खादी का उपयोग बाद के वर्ष के दौरान वर्दी तैयार करने में नहीं किया जा सका। मानिदेशक पूर्ति एवं निपटान के माध्यम से फालतू स्टाक का निपटान करने के लिए कार्रवाही की जा रही है।

श्रेणी-3 के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचि प्रकाशित न करना

3224 **श्री रामलाल राही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय मे श्रेणी-3 के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियां पिछले कई वर्षों से प्रकाशित तहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वरिष्ठता सूचियाँ कब प्रकाशित की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों के उत्पादन में लिये पेट्रोल के विकल्प के लिए अनुसन्धान और विकास द्वारा अध्यन

3225. **श्री० एस बी० सिदन ज** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बतांने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसन्धान विकास विभाग ने उर्वरकों के उत्पादन के लिये पेट्रोल का विकल्प पाने के लिए कोई अध्यन किया है और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) :

(क) और (ख) हमारे देश में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन के लिए सम्भावित प्रारम्भिक बिन्दु केवल पेट्रोलियम पर आधारित फीडस्टाक है भारत में ऐसे उर्वरक एकक है जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कोयले के धुएं से निकाली गई हाइड्रोजन और कोयले के प्रत्यक्ष मैसीकरण के प्रयोग पर आधारित है। सार्वजनिक क्षेत्र का एक परापर्शी संगठन दि फर्टिलाइजर (प्लानिंग एन्ड डवलपमेन्ट) इन्डिया लि० उन विदेशी इन्जिनियरिंग संगठनों, जो इसी प्रकार के कार्य कर रहे हैं, के सहयोग से उच्च दवाव संचालन आदि द्वारा अपनी मितव्ययता को सुधारने के लिए कोयला मैसीकरण प्रौद्योगिकी को आधुनिकतम बनाने की सम्भावनाओं की खोज कर रहा है।

जिला थाना के उल्लाहासनगर कैम्प सं० के डाकघर के लिये स्थान

3226. **श्री आर० के० महालगी** : क्या सचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के थानाजिले के उल्लाहासनगर के कैंप सं० 2 के डाकघर के लिए अधिक स्थान प्राप्त करने के मामले में पिछले चार महीनों के दौरान क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि अब तक कोई मूल-मूल प्रगति नहीं हुई है, तो उसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) एवं (ख) : महाराष्ट्र के थाना जिले के उल्लहासनगर के कैम्प सं०-2 डाकघर के लिए अधिक स्थान प्राप्त करने के प्रयास में सफलता नहीं मिली। इसका कारण व्यस्त बाजार क्षेत्र में उचित किराए के स्थान का उपलब्ध न होना है। महाराष्ट्र सर्किल के पोस्ट मास्टर जनरल, द्वारा उपयुक्त भूखंड प्राप्त करने हेतु कार्रवाही की जा रही है ताकि डाकघर के लिए एक विभागीय भवन का निर्माण किया जा सके। उल्लहासनगर के विरिष्ठ अधीयक्ष, डाकघर भी मौजूदा डाकघर स्थित भवन के मकान मालिक से इसके परिसर में अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क कर रहे हैं। लगभग 1000 वर्ग फुट अतिरिक्त आवासीय स्थान के मिलने की संभावना है।

नतन स्टोव का उत्पादन

3227. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने "नूतम स्टोव" का उत्पादन लगभग बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो बाजार में "नूतम स्टोव" की मांग है ;

(ग) यदि हां, तो नूतम स्टोव" का उत्पादन निरन्तर जारी रखने के लिये क्या सरकार कोई कदम उठा रही है, तो क्या कदम उठा रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) इंडियन आयल कारपोरेसन (आई० ओ० बी०) नुतत स्टोवों के निर्माण में नहीं लगी हुई है ।

(ख) जी हां, ।

(ग) देश में नुतम स्टावों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, नेशनल स्टाम इण्डट्रीज कारपोरेशन (एन० एस० आई०) नई दिल्ली के साथ लघु पैमाने की एककों, जिन्हें उनके द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, के माध्यम से इन स्टोपों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रबन्ध किये गये हैं । ऐसी नौ सिक्कों को आई० आई०पी०/ आई० ओ० बी० द्वारा डिजाइन किये गये स्टोपों के निर्माण में लिए एन० एस० आई० सो० द्वारा लाइसेंस पहले ही दिये जा चुके हैं । इनके अतिरिक्त, हरियाणा राज्य सरकार उद्यम द्वारा नूतन स्टोपों का निर्माण शीघ्र ही आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ।

बैरा सियोल परियोजना के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

3228. **श्री कमला मिश्र मधुर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैरा स्युल परियोजना के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध की गई है ।

(ख) वहां पर कितने औषद्यालय काम कर रहे हैं और वे कहां पर स्थित है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सुरंगानी संकुल की अपेक्षा टिस्सा में अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(घ) क्या यह सच भी है कि टिस्सा में जहां पर बांध का कार्य दिन-रात चल रहा है और जहां पर कर्मचारियों के जीवन को अधिक जोखिम है, की अपेक्षा सुरंगानी में अधिक चिकित्सकीय कर्मचारीलगाए गए हैं ।

(ङ) यदि हां, तो चिकित्सकीय दृष्टि कोण से टिस्सा के कर्मचारियों के हितों पर ध्यान न देने के क्या कारण हैं ;

(च) इस कुप्रबन्ध तथा चिकित्सा अधिकारियों की सेवाओं का उपर्याप्त उपयोग करने के लिए कौन उत्तरदायी है ;और

(च) टिस्सा में और अधिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराकर इसको ठोक करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विक्रम महाजन ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मत्री (क) और (ख) : बेरा-स्यूल परियोजना पर निम्नलिखित अस्पतालों और डिसपेन्सरियां कार्य कर रही हैं जो परियोजना के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती हैं :

(1) सुरगानी में परियोजना के मुख्यालय में बैंग-स्यूल परियोजना का केन्द्रीय अस्पताल;

(2) टिस्सा में अस्पताल ;

(3) बारोंती में स्युल कम्पलैक्स के लिए डिसपेन्सरी ;

(4) चिल्ली में बाँध कम्पलैक्स के लिए डिसपेन्सरी ;

(5) बाँध कम्पलैक्स, नेकरोर वर्कशाप, भालेध काम्लैक्सस के लिए नकरोर में डिस्पेन्सरी।

(6) कार्य के क्षेत्र में मुख्य गाँध कार्यस्थल पर डिस्पेन्सरी।

(ग) जी नहीं।

(घ) सुरंगानी में केन्द्रीय अस्पताल, समस्त परियोजना के लिए बीस अस्पताल है और टिस्सा अस्पताल और अन्य डिस्पेन्सरियों से रोगी इस अस्पताल को भेजे जाते हैं। अकेले टिस्सा में ही दो चिकित्सा अधिकारी तैनात किए गए हैं।

(ङ) से (छ) : प्रश्न नहीं उठता।

हजारीबाग गिरिडीह जिलों में नए डाक घर, तार घर तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

3229. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की संचार नीति के अनुसार बिहार के हजारीबाग गिरिडीह जिलों में नए डाकघर, तथा तार घर और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए सर्वेक्षण किया गया था और क्या इस सम्बन्ध में रिपोर्ट कर दी गई है ; और

(ख) 1977 से 1981 तक गिरिडीह जिले के जुमुआ, बन्याबाद, गैंडी, धनवाद, विरूनो, वगोदेव, देवारी, तिसासी गांवों और हजारीबाग जिले के इचाक, बस्काडा, जयनगर, मरकाचों, कोडाना, सतगांवों मे खोले गए डाकघर, तारघर और टेलीफोद एक्सचेंज की संख्या ताथ स्थान कितना है और 2500 की जनसंख्या वाले उन स्थानों के नाम क्या है जहां ये अभी तक नहीं खोले गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव : (क) हजारीबाग और गिरिडीह जिलों में डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए कोई जिलावार सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि विशेष प्रस्तावों की जाँच की जाती है तथा विभागीय नीति के अनुसार उन पर कार्रवाही की जाती है।

(ख) डाकघरों और तारघरों से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तिसरी (जिला गिरिडीह और कोडारमा) (जो जिला हजारीबाग) में छोटे स्वचल

एक्सचेंज (एम० ए० एक्स०-III) मौजूदा है आर्थिक व्यवहार्यता तथा न्यूनतम पंजीकृत मांग के आधार पर और अधिकांश एक्सचेंज खोले जाएंगे ।

उत्तर प्रदेश में एक ऐरोमेटिक निस्सारण संयंत्र लगाना

3230. **श्री चन्द्र शेखानी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उवर्रक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उन्होंने 2 अप्रैल, 1981 को सदन में सेलमपुर उत्तर प्रदेश में ऐरोमैटिक निस्सारण संयंत्र लगाने के बारे में घोषणा की थी ;

(ख) सेलमपुर नामक स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है ;

(ग) क्या इस संयंत्र को लगाने की औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं अथवा पूरी होने वाली है ;

(घ) यह संयंत्र कब तक पूरा हो जायेगा और इसके पूरा होने में कितना खर्च आयेगा और

(ङ) इस संयंत्र में निर्माण होने वाली वस्तुओं के नाम क्या हैं और वहां कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ।

पेट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिला ।

(ग) इस प्रयोजना के लिए एक सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की गई है । विशिष्ट स्थल का चयन करने के लिए भूमि सर्वेक्षण एवं परीक्षण किये जा रहे हैं ।

(घ) प्रोसेस लाइसैंस का चयन तथा अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात इस कॉम्प्लेक्स को पूरा करने के लिए लगभग 5 वर्ष लगेंगे ।

प्रयोजना की अनुमनित लागत 273 करोड़ रुपये है ।

(ङ) सलीमपुर प्रयोजना में उत्पादन की जाने वाली प्रस्तावित मदें बेंजीन, ओ-जाइलीन तथा पी-जाइलीन हैं ऐसी आशा है कि यह काम्प्लेक्स लगभग 900 लोगों के लिए रोजगार का सृजन करेगा ।

कसदं, तामिलनाडु मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में बदलना

3231. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार विभाग ने तमिलनाडु कसद में एक मैनुअल आपरेटिंग टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में बदलने की महत्वता का अध्यन किया है :

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा अकलित लक्षता और इस कार्य को शुरू करने की अवधि क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कसद में स्थित बहुत से हथकरघा निर्यात गृहों तथा कारखानों को ध्यान में रखकर इसे प्राथमिकता प्रदान करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव : (क) जी, हां,

(ख) यहां 1985 के दौरान 3,000 लाइनों वाला एक डब्बा बन्द इलैक्ट्रानिक आयातित एक्सचेंज खोलने की योजना बनाई जा रही है।

(ग) कस्बों के महत्वपूर्ण होने के कारण आयात करके टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि देशी सप्लाई पर्याप्त नहीं है।

"कुकिंग गैस कनेक्शन" जारी करना

3232. **आचार्य भगवान देव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान, राज्यवार, अब तक कितने कुकिंग गैस कनेक्शन जारी किये गये हैं ;

(ख) गैस कनेक्शनों के लिये राज्यवार, कुल कितने व्यक्तियों ने अपना पंजीकरण कराया है ; और

(ग) इन व्यक्तियों को गैस कनेक्शन कब तक दिये जायेंगे।

पेट्रोलियम और रसायन उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी (क) तथा (ख) : खाना पकाने की गैस के इस वर्ष के दौरान राज्यवार दिये गये कनेक्शनों तथा प्रतीक्षा सूचि (31.12.1980 के अनुसार) व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाले विवरण-पत्र संलग्न हैं

(ग) खाना पकाने की गैस के कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूचियों का निपटान एल० पी० जी० की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए तेल कम्पनियों द्वारा चरण बद्ध तरीके से किया जाएगा।

विवरण-I

वर्ष 1981 (मई के अन्त तक) राज्यवार/संघीय क्षेत्रों में दिये गये एल० पी० जी० गैस कनेक्शनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-पत्र

	राज्य/संघ शासित प्रदेश	दिये गये गैस कनेक्शनों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	36107

1	2	3
2.	महाराष्ट्र	73020
3.	कर्नाटक	36364
4.	उड़ीसा	4077
5.	मध्य प्रदेश	8358
6.	गुजरात	9095
7.	राजस्थान	3129
8.	जम्मू तथा कश्मीर	1700
9.	हरियाणा	1261
10.	असम*	5228
11.	बिहार	6335
12.	हिमाचल प्रदेश	1613
13.	केरल	925
14.	पंजाब	919
15.	सिक्किम	219
16.	तमिलनाडु	28226
17.	उत्तर प्रदेश	17022
18.	पश्चिम बंगाल	18507
19.	चण्डीगढ़	730
20.	पांण्डिचेरी	163
21.	गोवा	330
	योग :	2,57,030

*मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा सम्मिलित हैं।

विवरण-2

31 दिसम्बर, 1980 को यथास्थिति के अनुसार राज्यवार पंजीकृत घरेलू गैस कनेक्शनों के लिए प्रार्थना पत्रों की संख्या दर्शाने वाला विवरण पत्र

	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम		प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	...	1,91,608
2.	असम	...	11,265
3.	बिहार	...	48,535
4.	गुजरात	...	5,63,607
5.	हिमाचल प्रदेश	...	11,050
6.	कर्नाटक	...	1,46,910
7.	केरल	...	48,910
8.	मध्य प्रदेश	...	2,03,375
6.	महाराष्ट्र	...	10,90,840
10	मणिपुर	...	1,080
11.	राजस्थान	...	63.401
12.	गोआ	...	29,708
13	तमिलनाडू	...	2,41,930
14.	चण्डीगढ़	...	55,796
15.	दिल्ली	...	4,11,482
16.	जम्मू तथा काश्मीर	...	8,314
17.	पंजाब	...	1,08,102
18.	हरियाणा	...	1,19,442
19	उड़ीसा	...	23,002
20	पश्चिम बंगाल	...	68.304

1	2		3
21.	मेघालय	...	1,340
22.	मिजोरम	...	530
23.	नागालैण्ड	...	2,170
24.	सिक्कम	...	165
25.	त्रिपुरा	...	600
26.	उत्तर प्रदेश	...	2,38,527
27.	पाण्डिचेरी	...	9,572
		कोग :	26,98,988

अमूल डेरी गुजरात को गैस की सप्लाई

3233, **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमूल डेरी, गुजरात को प्राकृतिक गैस की सप्लाई करने का निर्णय ले लिया गया है; यदि नहीं, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा;

(ख) अमूल डेरी को गैस सप्लाई में विलम्ब के क्या कारण हैं जबकि गैस के क्षेत्र से डेरी तक पाइप लाइन बिछाने की कीमत वहन करने के लिए यह डेरी तैयार है और

(ग) क्या उनका मन्त्रालय इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रबंध करने के लिये तैयार है।

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) जी, हाँ, अमूल डेयरी को गुजरात में प्राकृतिक गैस की सप्लाई करने का निर्णय ले लिया गया है।

(ख) और (ग) जनवरी, 1980 में ओ० एल० पी० सी० द्वारा अमुल डेयरी को गैस की सप्लाई के लिए प्रारूप ठेका दिया गया जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है। सप्लाई पाईप लाइन बिछाये जाने तथा उनके आरम्भ हो जाने के उपरांत हो जाने के उपरांत ही शुरू की जा सकेगी।

दिल्ली और रांजपुर के बीच एस० टी० डी० सेवा का समाप्त होना

3234, **श्री केयूर भूषण** : क्या सन्चार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और रायपुर के मध्य एस० टी० डी० सेवा शुरू की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सेवा को समाप्त करने के क्या कारक हैं और क्या एक प्रयोगात्क आधार पर इसकी शुरूयात किए जाने के बाद इसको बन्द कर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां तो इस सेवा को कब तक शुरू किये जाने का विचार हैं ?

सन्चार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उराँव) (क) रायपुर से दिल्ली के लिए एक तरफा एस० टी० डी० सेवा प्रारम्भ कर गई थी ।

(ख) सेवा भंग नहीं की गई थी ।

(ग) दिल्ली से रायपुर के लिए एस० टी० डी० सेवा 1982 में चालू कर दिए जाने की संभावना है ।

भारतीय फिल्मो को चोरी छिपे बाहर ले जाना

3235, **डा० बसन्त कुमार पन्डित क्या सूचना और प्रसारण** : मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्जित क्षेत्रों और देशों विशेषकर जिनके साथ भारत के सम्बन्ध नहीं है, को पिछले दो तीन वर्षों में भारतीय फिल्मों की तस्करी में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दक्षिण अफ्रीका, मारीशह, मेडागास्कर रीयूनियन आइलैंड आदि में विभिन्न केन्द्रों पर किये जाने वाले भारतीय फिल्मों के नियमित प्रदर्शनों की ओर आकर्षित हुआ है जिसके कारण भारत को विदेशी मुद्रा के अर्जन में काफी हानि उठानी पड़ रही है ;

(ग) क्या यूनीवर्सल एक्सपोर्ट ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम तथा मारीशस में भारतीय उच्चायुक्त को भारतीय फिल्म "खून का बदला खून" की मारीशिस में तस्करी द्वारा ले जाने के लिखित प्रमाण देते हुए आवेदन किया है ; और

(घ) यदि हां तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने क्या कार्यत्राही की है और यदि नहीं तो क्या कारण हैं ?

सूचना एवं प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्स साठे) (क) सरकार को प्राप्त सूचनाओं से यह संकेत नहीं मिलता कि पिछले 2-3 वर्षों के दौरान भारतीय फिल्मों की तस्करी बढ़ी है, विशेष कर "वर्जित" क्षेत्रों और उन देशों में जिसके साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्ध नहीं है ।

(ख) दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर, मारीशिस, मेडास्कार, रीयूनियन आइलैंड, आदि में भारतीय फिल्मों का निर्यात नियमित चैनलों के माध्यम से किया जाता है और यह स्वाभाविक है कि इन देशों में भारतीय फिल्मों के नियमित प्रदर्शन हों ।

(ग) और (ख) मैसर्स यूनिवर्सल एक्सपोर्टर्स ने मारीशस के एक फिल्म आयातक द्वारा दक्षिण अफ्रीका से खून का बदला खून नामक फिल्म की तस्कर किए जाने के बारे में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और मारीशस स्थित भारतीय हाई कमीशन दोनों से शिकायत की थी। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने शिकायत मारीशस स्थित भारतीय हाई कमीशन को भेज दी। हाई कमीशन ने इस शिकायत की छानबीन की। मारीशस के संबंधित अधिकारियों ने हाई कमीशन को सूचित किया था कि इस फिल्म को न तो सेंसर प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत किया गया था और न ही इसको मारीशस में प्रदर्शित किया गया था। दूसरी ओर गर्म खून नामक फिल्म मारीशस में आयात और प्रदर्शित की गई थी फिल्स 'खून का बदला खून' के लिए अधिकार मैसर्स लोटस फिल्म डिस्ट्रीब्युटर्स, मारीशस द्वारा प्राप्त किए जा चुके हैं और उनको अब फिल्म की प्रिंट प्राप्त हो गई है यद्यपि उसको उस देश में अभी तक प्रदर्शित नहीं किया गया है इस प्रकार राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और मारीशस स्थित भारतीय हाई कमीशन दोनों ने मैसर्स युनिवर्सल एक्सपोर्टर्स की शिकायत पर उपयुक्त कारवाई की।

सरीन समिति की महानगरों में दूर संचार सेवा सुधारने के बारे में सिफारिश

3236. **श्री गुलाम मोहम्मद खान :**

श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री मूलचन्द डागा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर-संचार सेवायें सम्बन्ध सरीन समिति ने अपनी सिफारशें प्रस्तुत कर दी है,

(ख) क्या समिति ने महानगरों में टेलीफोन सेवायें सुधारने का सुझाव दिया था,

(ग) समिति ने उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने टेलीफोन डायरेक्टरियों, उप करणों के रख-रखाव, टेलीफोन सेवा में "ब्रेक डाउन" होने से बचने के बारे में क्या सुझाव दिये हैं,

(घ) क्या उसकी सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सन्चार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) अभी तक दो अन्तरिम रिर्पोट प्रस्तुत की जा चुकी है।

(ख) जी हां।

(ग) पहली और द्वितीय अन्तरिम रिर्पोटों में समिति की सिफारिशें दिनांक 1-9-81 को लोक- सभा के अतारांकित प्रश्न डायरी सं० 05252 के उत्तर में सभा पटल पर रख दी गई थी।

(घ) एवं (ड़) कुछ सिफारिशों पहले ही लागू की जा चुकी हैं तथा अन्य सिफारिशें की जांच की जा रही है अथवा वे लागू की जा रही हैं।

भारत के संविधान का हिन्दी में अनुवाद

3237, श्री भीकू राम जैन :

श्री राम सिंह यादव : क्या विधि न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के संविधान का हिंदी में अनुवाद प्रकाशित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या संविधान का भारत की अन्य भाषाओं में भी अनुवाद कराने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) जी हाँ। भारत के संविधान के हिन्दी में प्राधिकृत अनुवाद को अन्तिम रूप दे दिया गया है और वह मुद्रणाधीन है।

(ख) संविधान के गुजराती, कन्नड़ मलयालम, मराठी, पंजाबी और तेलुगु पाठ पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं।

(ग) प्रकाशन की तारीखें इस प्रकार हैं, अर्थात :-

1, गुजराती	28, 10, 1980
3, कन्नड़	17, 10, 1976
3, मलयालम	1974
4, मराठी	17, 12, 1979
5, पंजाबी	22, 7 1975
6, तेलुगु	2, 6, 1980

उड़िया पाठ मुद्रित हो गया है और उसका विमोचन किया जाना वाला है। संविधान के तमिल पाठ के शीघ्र ही मुद्रित हो जाने की आशा है। संविधान के बंगला पाठ की पांडुलिपि तैयार करके मुद्रणालय भेज दी गई है। असमिया, कश्मीरी और उर्दू पाठ तयार किये जा रहे हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट

3238. श्री नीरेन घोष : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कोल इन्डिया लिमिटेड के कार्यों की जांच संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुतत कर दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) : कोल इन्डिया लि० के कार्यों की कोई विशिष्ट जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नहीं की गई। परन्तु कोल इन्डिया लि. की चार कोयला उत्पादक सहायक कम्पनियों के अधिकारियों के विरुद्ध 1978, 1979 तथा 1980 के केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 52 मामले दर्ज किए थे। इनमें से 13 मामले भा. को. को. लि., 8 से. को. लि , 17 ई. को. लि. और 14 वे. को. लि. के थे। केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने 47 मामलों में अपनी जांच पूरी कर ली है और 5 मामले में अभी जांच चल रही है जिसके शीघ्र पूरी हो जाने की संभावना है। छः मामले पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बन्द कर दिए गए थे और बाकी बचे मामलों में विभिन्न प्रकार की कार्रवाईयां जैसे विभागीय कार्रवाई, अभियोजन, आदि की जा रही हैं।

इण्डिया कार्बन लि० बज बज को रा पेट्रोलियम कोक की सप्लाई

3239. श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या पेट्रोलिम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि रा पेट्रोलियम कोक (आर. पी. सी.) के उपलब्ध न कराये जाने के कारण इण्डिया कार्बन लि० की बज बज यूनिट अगस्त, 1979 से बन्द पड़ी है, जिसके फलस्वरुप लगभग 150 व्यक्ति बेरोज़गार हो गए हैं ;

(ख) क्या उद्योग मंत्रालय से इंडिया कार्बन लि. की बज बज यूनिट को रा पेट्रोलियम कोक की सप्लाई करने के लिए उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है ; और

(ग यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ;

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) कच्चे पेट्रोलियम कोक (आर. पी. सी.) की उपलब्धता न होने के कारण इंडिया कार्बन लि. (आई. सी. एल.) की बज बज एकक के कथित बन्द के बारे में इस मंत्रालय को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा इण्डियन आल कारपोरेशन को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वह देश में प्रचलित केल्साइनिंग एककों जिनमें आई. सी. एल., बज बज भी शामिल हैं, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्चे पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम कोक का आयात करें।

स्वचालित मशीनों के निर्माण की योजना रद्द करना

3240. श्री मनीराम बागड़ी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार संचार विभाग में स्वचालित मशीनों के निर्माण की योजना को रद्द करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उपरोक्त योजना के कारण बेरोजगार होने वाले 8,000 श्रमिकों के

लिए सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किये जाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं।

डायजीपाम का अत्यधिक मूल्य

3241. श्री ज्योतिर्मयसु : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री लंका सरकार ने 1973 में ट्रैक्विमाइजर डायाजीं पाम खरीदा जबकि स्विस मल्टीनेशनल इसे असमान्य कीमत पर बेच रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि मल्टीनेशनल ड्रग कम्पनी ने बिना किसी वैद्य तथा उचित लाइसेंस के एक वर्ष में तीन करोड़ मूल्य के प्रोटीनेक्स ग्रांसेज का उत्पादन करके उसे बेच दिया -

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ;

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मैसर्स रोचे प्रोडक्ट्स लि. ने सूचित किया है कि उन्होंने वर्ष 1973 में श्रीलंका को डायजेपाम पर आधारित फार्मूलेशन का निर्यात नहीं किया। जहां तक देश में दवाइयों की बिक्री का सम्बन्ध है, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 में मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था है उक्त आदेश की तीसरी अनुसूची के श्रेणी-i, श्रेणी ii और श्रेणी Iii में निर्दिष्ट फार्मूलेशनों को छोड़कर किसी पर मूल्य नियंत्रण नहीं है। तथापि पांचवी अनुसूची में कुछ लाभप्रदता की सीमा निर्धारित की गई है।

(ख) से (घ) चूंकि मैसर्स फाइजर के औद्योगिक लाइसेंस में हाइड्रोलिसेट के निर्माण के लिए "प्रीटिनेक्स" निर्दिष्ट नहीं है, इसलिए उस कम्पनी को अप्रैल, 1977 में बिना औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किए प्रोटिनेक्स के निर्माण के लिए उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के उलंघन के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कम्पनी के कारण बताओ नोटिस का इस आधार पर विरोध किया कि प्रोटीन हाइड्रोलिसेट के निर्माण के निर्माण के लिए उनके द्वारा धारित लाइसेंस उन्हें प्रोटिनेक्स के निर्माण के लिए भी इकदार बताता है विधि मंत्रालय से परामर्श करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला गया कि चूंकि कम्पनी ने किसी मिथ्या निरुपण के आधार पर विस्तार के लिए मूल लाइसेंस या अनुमति प्राप्त की है और चूंकि सभी पार्टियों को विदित था कि उसका निर्माण कर रही है। इसलिए न तो अभियोग लगाने की और न ही उत्पादन रोकने की आवश्यकता थी।

इस विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1980-81 के दौरान मैसर्स फाइजर की प्रोटिनेक्स की व्यापार बिक्री 2.24 करोड़ रुपये की है।

पब्लिक सैक्टर ड्रग यूनिट सिक शीर्षक समाचार

3242, **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान टाइम्स आफ इण्डिया दिनांक 29 जुलाई, 1981 में "पब्लिक सैक्टर ड्रग यूनिट सिक" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो समाचार में उल्लिखित बातें कहां तक ठीक हैं ;

(ग) इंडियन ड्रग्स एन्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. को पिछले पांच वर्षों में कितनी हानि हुई,

(घ) क्या इन एककों की मासिक हानियां इन परियोजनाओं की क्षमताओं के कम उपयोग के कारण है पिछले तीन वर्षों की हाथियों का मासिक ब्यौरा क्या है ;

(ड.) उत्पादित माल के जमा हो जाने के कारण पिछले तीन वर्षों में कितनी मासिक हानि हुई ; और

(च) ऋषिकेश एन्टीनायोटिक्स संयंत्र को पिछले पांच वर्षों में (वर्ष वार) और आज तक कितना लाभ अथवा हानि हुई,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) समाचार पत्र में लिखित कुछ मुद्दे कंपनी के कार्यकारी परिणामों पर आधारित हैं।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान इंडियन ड्रग्स एन्ड फार्मास्यटिकल्स लि. (आई. डी. पी. एस.) को हुए लाभ/हानि नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	(रु. लाख) (लाभ (+)/ हानि (—)
1976-77	+411
1977-78	+766
1978-79	+1
1979-80	—720
1980-81	—1682

(घ) कम क्षमता उपयोग समेत अनेक कारणों से हानि हुई है। अन्य कारण है— बिजली, और कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता या अनुपब्धता, मूल्यों का विलम्ब से समायोजन, अधिक वस्तुसूची, बाजार बाधा, उत्पाद मिश्र में बल्क औषधों की पहले से ही प्रधानता, सस्थागत बिक्री आदि पर आश्रित होना। मासिक वित्ती विवररणपत्र के कच्चा होने के कारण मूल्यांकन हमेशा सही नहीं होते।

(ङ.) आई. डी. एल. के अनुसार तैयार माल के जमाव के कारण हानि को निश्चित रुप से नहीं आंका जा सकता।

(च) पिछले पांच वर्षों के लिए आई. डी. पी. एल. के श्रपिवेश यूनिट के कार्यकारी परिणाम नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	(रु. लाख) लाभ+/हानि (—)
1976-77	+2.63
1977-78	+401.92
1978-79	—178.83
1979-80	—495.47
1980-81	—898.81

वर्ष 1980-81 के अन्त तक श्रपिकेश प्लांट को 3809.09 रुपये की संचयी हानि हुई है।

औषधियों का आयात

3243. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करोड़ों रुपए मूल्य की 'बल्क' औषधियों जैसे एंटीबायोटिक्स औषधियों, सल्फा आदि का आयात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एच० ए० एल० और आई० डी० पी० एल० ने सुझाव दिया है कि देश में औषध उद्योग की क्षमता का विस्तार किया जाना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो विस्तार योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न मात्रा में कुछ एन्टीबायोटिक्स और सल्फा औषधों का आयात हुआ है।

(ख) और (ग) मैसर्स आई० डी० पी० एल० और मैसर्स एच० ए० एल० पहले से ही बहुत से बल्क औषधों का निर्माण कर रहे हैं और वे छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपना उत्पादन कार्यकलाप बढ़ाने का विचार रखते हैं। मैसर्स आई० डी० पी० एल० और एच० ए० एल० के प्रस्तावों के आधार पर छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के लिए लगभग 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इनमें एंटीबायोटिकस और सल्फा समेत चालू योजनाओं और नई योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल हैं।

केरल के बारकला क्षेत्र में लिग्नाइट का मिलना

3244. **श्री ए० नीला लोहिथादसन नाडार** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केरल के बारकला क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में लिग्नाइट मिलने का ब्यौरा है ; और

(ख) उसको वाणिज्य स्तर पर निकालने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा की गई विस्तृत जांच से पता चला है कि बारकला क्षेत्र में लिग्नाइट के ऐसे बड़े भन्डार नहीं हैं जिनका व्यापारिक स्तर पर लाभदायक खनन हो सके।

3245. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री मनीराम बागड़ी :

श्री चिंतामणि जेना : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तारीख 8 अगस्त, 1981 के अंग्रेजी साप्ताहिक 'करेंट' में प्रकाशित समाचार शीर्षक 'स्टेट इलेक्सनस दिस इयर' की तरफ आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां।

(ख) राज्यों में मध्यावधि निर्वाचन कराने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नये रेडियो और रिले केन्द्रों की स्थापना

3246. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कितने-कितने महत्वपूर्ण रेडियो स्टेशन और रिले केन्द्र है ;

(ख) वे कहां-कहां पर स्थित हैं और उनमें से प्रत्येक की क्षमता कितनी हैं ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार कितने नए रेडियो स्टेशन और रिले केन्द्र स्थापित करेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) इस समय देश में 85 केन्द्र हैं जिनमें से दो रिले केन्द्र हैं। ये केन्द्र जिन-जिन स्थानों पर स्थित हैं उनके राज्यवार नाम तथा प्रत्येक केन्द्र की क्षमता के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) शून्य तथापि, छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक, छः स्थानों पर नए रेडियो स्टेशनों और छः और स्थानों पर स्थानीय प्रसारण केन्द्र चालू किए जाने की संभावना है।

विवरण

क्रम सं०	राज्यों के नाम जिनमें आकाशवाणी केन्द्र स्थित हैं।	ट्रांसमीटर [रों] की शक्ति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	
(1)	हैदराबाद	50 कि० वा० मी० वे०
		10 कि० वा० मी० के०
		10 कि० वा० शार्ट० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
(2)	विजयवाड़ा	20 कि० वा० मी० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
(3)	विशाखापत्तनम	100 कि० वा० मी० वे०
(4)	कुडप्पा	20 कि० वा० मी० वे०
2.	असम	
(1)	गोहाटी	50 कि० वा० मी० वे०
		10 कि० वा० मी० वे०
		10 कि० वा० शा० वे० (दो)
(2)	सिलचर	10 मि० वा० मी० वे०

1	2	3
(3)	डिब्रुगढ़	100 कि० वा० मी० वे
3.	बिहार	
(1)	पटना	20 कि० वा० मी० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
(2)	रांची	10 कि० वा० मी० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
		2 कि० वा० मी० वे०
(3)	भागलपुर	10 कि० वा० मी० वे
(4)	दरभंगा	10 कि० वा० मी० वे०
4.	गुजरात	
(1)	अहमदाबाद	10 कि० वा० मी० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
(2)	बड़ौदा	1 कि० वा० मी० वे०
(3)	भुज	10 कि० वा० मी० वे०
(4)	राजकोट	20 कि० वा० मी० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
5.	हरियाणा	
(1)	रोहतक	20 कि० वा० मी० वे
6.	हिमाचल प्रदेश	
(1)	शिमला	100 कि० वा० मी० वे०
		105 कि० वा० शार्ट वे०
7.	जम्मू व कश्मीर	
(1)	श्रीनगर	20 कि० वा० मि० वे०
		7.5 कि० वा० शा० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
(1)	जम्मू	50 कि० वा० मी० वे

1	2	3
		1 कि० वा0 शा० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
(3)	लेह	10 कि० वा० मी० वे०
8.	कर्नाटक	
(1)	बंगलोर	50 कि० वा० मी० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
(2)	भद्रावती	20 कि० वा० मी० वे०
(3)	धारवाड़	10 कि० वा० मी० वे०
		1 कि० वा० मी० वे
(4)	गुलबर्गा	10 कि० वा० मी० वे०
(5)	मंगलोर/उदीपी	20 कि० वा० मी० वे० (उदीपी)
		1 कि० वा० मी० वे० (मंगलोर)
(6)	मैसूर	1 कि० वा० मी० वे०
9.	केरल	
(1)	एल्लेपी	100 कि० वा० मी०
(2)	कालीकट	10 कि० वा० मी० वे
		1 कि० वा० मी० वे०
(3)	त्रिचूर	20 कि० वा० मी० वे०
(4)	त्रिवेन्द्रम	10 कि० वा० मी० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
10.	मध्य प्रदेश	
(1)	अम्बिकापुर	20 कि० बा० मी० वे०
(2)	भोपाल	10 कि० वा० शा० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
(3)	छतरपुर	20 कि० वा० मी० वे०
(4)	ग्वालियर	10 कि० वा० मी० वे०

1	2	4
(5)	इन्दौर	100 कि० वा० मी० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
(6)	जबलपुर	20 कि० वा० मी० वे०
(7)	जगदलपुर	20 कि० वा० मी० वे०
(8)	रायपुर	20 कि० वा० मी० वे०
(9)	रीवा	20 कि० वा० मी० वे०
11.	महाराष्ट्र	
(1)	औरंगाबाद	1 कि० वा० मी० वे०
(2)	बम्बई	20 कि० वा० मी० वे०
		50 कि० वा० मी० वे०
		10 कि० वा० मी० वे०
		20 कि० वा० मी० वे०
		15 कि० वा० इ. आर. पी. एफ. एस.
(3)	जलगांव	20 कि० वा० मी० वे०
(4)	नागपुर	100 कि० वा० मी० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
(5)	परभनी	10 कि० वा० मी० वे०
(6)	पूणे	20 कि० वा० मी० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
(7)	रत्नागिरि	20 कि० वा० मी० वे०
(8)	सांगली	20 कि० वा० मी० वे०
12.	मणीपुर	
(1)	इम्फाल	50 कि० वा० मी० वे०
13.	मेघालय	
(1)	शिलांग	1 कि० वा० मी० वें
14.	नागालैंड	
(1)	कोहिमा	50 कि० वा० मी० वे०
		2 कि० वा० शा० वे०

1	2	3
15.	उड़ीसा	
(1)	कटक	100 कि० वा० मी० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
(2)	जेकोर	20 कि० वा० मी० वे०
(3)	सम्बलपुर	20 कि० वा० मी० वे०
16.	पंजाब	
(1)	जलंधर	100 कि० वा० मी० वे०
		50 कि० वा० मी० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
17.	राजस्थान	
(1)	जयपुर	1 कि० वा० मी० वे० (दो)
(2)	अजमेर	20 कि० वा० मी० वे
(3)	बीकानेर	10 कि० वा० मी० वे०
(4)	उदयपुर	10 कि० वा० मी० वे०
(5)	जोधपुर	100 कि० वा० मी० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
(6)	सूरतगढ़	10 कि० वा० मी० वे०
		(चलता फिरता ट्रांसमीटर)
18.	सिक्किम	
	—शून्य—	
19.	तमिलनाडु	
(1)	कोयम्बत्तर	10 कि० वा० मी० वे०
(2)	मद्रास	20 कि० वा० मी० वे०
		10 कि० वा० मी० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
		2.5 कि० वा० मी० वे०
		1.5 कि० वा० इ. आर. पी. एफ. एम.

1	2	3
(3)	तिरुचिरापल्ली	50 कि० वा० मी० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
(4)	तिरुनेलवेली	10 कि० वा० मी० वे०
20.	त्रिपुरा	
(1)	अगरतल्ला	20 कि० वा० मी० वे०
21.	उत्तर प्रदेश	
(1)	लखनऊ	50 कि० वा० मी० वे०
		10 कि० वा० शा० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
(2)	इलाहाबाद	1 कि० वा० मी० वे०
		1 कि० वा० मी० वे०
(3)	वाराणसी	10 कि० वा० मी० वे०
(4)	रामपुर	10 कि० वा० मी० वे०
(5)	कानपुर	1 कि० वा० मी० वे०
(6)	मथुरा	1 कि० वा० मी० वे०
(7)	गोरखपुर	100 कि० वा० मी० वे०
(8)	नजीबाबाद	100 की० वा० मी० वे०
22.	पश्चिम बंगाल	
(1)	कलकत्ता	100 कि० बा० मी० वे०
		50 कि० वा० मी० मे०
		20 कि० वा० मी० वे०
		10 कि० वा० शा० वे०
		2.5 कि० वा० मी० वे
		15 कि० वा० इ. आर. पी. एफ. एम.
(2)	कुर्सियांग	20 कि० वा० शा० वे०
(3)	सिलीगुड़ी	20 कि० वा० मी० वे०

क्रम संख्या	संघ शासित क्षेत्र का नाम जिसमें आकाशवाणी केन्द्र स्थित है।	ट्रांसमीटर/ट्रांसमीटरों की शक्ति
1.	**अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह**	
(1)	पोर्ट ब्लेयर	20 कि० वा० मी० वे०
2.	**अरुणाचल प्रदेश**	
(1)	पासी घाटी	250 वा० मी० वे०
(2)	तवांग	500 वा० मी० वे०
(3)	तेजु	250 वा० मी० वे०
3.	**चंडीगढ़**	1 कि० वा० मी० वे०
4.	**दिल्ली**	100 कि० वा० मी० वे०
		10 कि० वा० मी० वे० (दो)
		20 कि० वा० मी० वे०
		10 कि० वा० शा० वे०
5.	**गोवा, दमन और दियू**	
(1)	पणजी	10 कि० वा० मी० वे०
		5 कि० वा० मी० वे०
6.	**पाडिचेरी**	1 कि० वा० मी० वे०
7.	**मिजोरम**	
(1)	एजवाल	20 कि० वा० मी० वे०
8.	**लक्ष्यद्वीप और मिनीकाय द्वीप समूह**	—शून्य—
9.	**दादर और नागर हवेली**	—शून्य—

नोट:—इस विवरण में राजकोट और कलकत्ता के दो मेगावाट ट्रांसमीटर तथा अलीगढ़ और दिल्ली के शार्ट वेव ट्रांसमीटर, जिनका उपयोग मुख्यतया, विदेश सेवाओं/अतिरिक्त न्यूज लिंक अप आदि के लिए किया जाता है, शामिल नहीं है।

अवैध कोयला खान के विरूद्ध कार्यवाही

3247. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा मन्त्री विभिन्न क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन के बारे में 30 मार्च, 1981 के अतरांकित प्रश्न संख्या 5818 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, में 1978 में किए गए संशोधन के अनुसार यह कोई दण्डात्मक और निवारक कार्यवाही की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो दण्डात्मक तथा निवारक प्रयोजनों से अलग-अलग की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या-क्या सजा दी गयी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) प्रश्न संख्या 5818 का उत्तर 31.3.1981 को दिया गया था। कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :—

(1) अवैध कोयला खनन को दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया है जिसके लिए 3 वर्ष तक की कैद और रु० 20,000 तक जुर्माना हो सकता है।

(2) राज्य सरकारों ने जिला प्राधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए है कि अपराधियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के साथ पठित कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के अधीन कार्यवाही करें।

(3) कोयले का अवैध खनन रोकने के लिए जल्दी जल्दी छापे मारे जा रहे हैं।

(4) निगरानी और चौकसी व्यवस्था को भी मजबूत बनाया गया है।

जब भी कोयला कम्पनियों अवैध कोयला खनन पकड़ती है वे इसकी रिपोर्ट कानून लागू करने वाले सम्बन्धित प्राधिकारियों को कर देती है। जनवरी, 1980 से जून, 1981 तक लगभग 800 व्यक्तियों को अप्राधिकृत रूप से कोयला खनन करते हुए पकड़ा गया है। इन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गयी हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए तेल छिद्रण कार्य करने वाले जहाज

3248. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विचार बम्बई हाई के अतिरिक्त अन्य तट दूर क्षेत्रों में तेल की खोज का काम शुरू करने के लिए तेल छिद्रण कार्य करने वाले जहाज खरीदने का है ;

(ख) तेल छिद्रण कार्य करने वाले जहाजों की अनुमति लागत क्या होगी ; और

(ग) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की आगामी कुछ वर्षों के दौरान अपतटीय क्षेत्रों में अपने अन्वेषी-खुदाई करने वाले जहाजों की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) सरकार के अनुमोदन से 55 मि० अमेरिकी डालर की लागत पर ओ. एन. जी. सी. एक नए खुदाई करने वाले जहाज की खरीद के लिए आर्डर दे दिया है। ओ० एन०जी०सी० को इस खुदाई करने वाले जहाज की तप्लाइ पश्चिम जर्मनी यार्ड से अप्रैल 1982 में किए जाने की आशा है।

मुहम्मद रफी की स्मारक डाक टिकट

3249, **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** :क्या सन्चार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेकों संगठनों और व्यक्तियों ने सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक मुहम्मद रफी का एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की मांग की हैं ;

(ख) यदि हां तो क्या कोई डाक टिकट जारी करने का विचार है। और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क(से (ग) जी हां। सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप अन्य प्रस्तावों के साथ इस प्रस्ताव को भी फिलैटली सलाहकार समिति के समक्ष उसकी अगली बैठक में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

भाखड़ा परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता को दुगना करना

3250. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब तथा अन्य उत्तरी राज्यों में लम्बे अर्से से चली आ रही बिजली की कमी पर काबू पाने के लिए भाखड़ा परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता तो दुगना करने का प्रस्ताव अब किस चरण में है ; और

(ख) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य (मंत्री श्री विक्रम) महाजन (क) और (ख) व्यस्त कालीनन क्षमता को दृष्टि से भाखड़ा प्रणाली में कुछ परम्परागत या पम्प स्टोरेज यूनिटों को प्रतिष्ठापित किए जाने की व्यवहार्यता का अध्यन किया जा रहा है। स्वीडिश तकनीकी सहायता का उपयोग किये जाने की संभाव्यता का भी पता लगाया जा रहा है।

पेट्रोलियम, कोक, कार्बन ब्लैक आदि के आयात को समाप्त करने का निर्णय

3251. **श्री तारिक अनवर** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** : मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम, कोक, कार्बन ब्लैक, इथाईल एकराइलेट, मोनोमर आदि के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने इसके लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में "बल्क" आयात लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है ; और

(ग) क्या सरकार ने गैर-सरकारी निर्माताओं और लघु उद्योगों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा है !

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वर्ष 1981 1982 की आयात नीति की प्रतिबंधित सूची में केलसाइंड पेट्रोलियम कोक तथा कार्बन सम्मिलित हैं। 7 जुलाई, 1981 से इनको वर्ष 1981-82 की आयात नीति की वारित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था।

जहाँ तक इथाइल एक्रीलेट मोनोमर का संबंध है, यह मद एक्रीलिक इस्टर मोनोमर नामक मद के द्वारा शामिल थी जो वर्ष 1981-82 की आयात नीति की प्रतिबंधित सूची में संख्या 13 की प्रविष्टि के सामने दी गई है . दिनांक 7 जुलाई, 1981 से इस मद को आयात नीति की प्रतिबंधित सूची में डाला गया था।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इन मदों के लिए किसी प्रकार के बल्क लाइसेंस जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) मदों की देशी उपलब्धता, उनकी कुल मांग तथा अन्य संबंधित विचार को ध्यान में रखते हुए प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित परिवर्तनों को किया गया था।

इलैक्ट्रोनिक एक्सेंज चालू करने की योजना

3252. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री जनार्दन पुजारी : क्या **सन्चार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक एक्ससेचेंज चालू करने की योजना के लिए एक सेल की स्थापना की गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) जी हाँ।

(ख) डाक तार निदेशालय में एक विशेष ड्यूटी अधिकारी (इलैक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली) के अधीन इलैक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणालियों के लिए एक कार्य-बल का गठन किया है। उप महानिदेशक स्तर के दो अधिकारियों तथा निचले स्तर के अन्य अधिकारियों को इलैक्ट्रानिक एक्सेचेंज के चयन तथा योजना प्रणाली के लिए रखा गया है। इलैक्ट्रानिक एक्सेंचजों के जाल

कार्य की योजना के लिए चार महानगरीय टेलीफोन जिलों में उचित स्तर के पदों का सृजन किया गया है ।

नागालैंड एसर्ट्स राईट टु आयल

3253. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जुलाई, 1981 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "नागालैण्ड एसर्टस टु आयल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ,तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या नागालैंड से संबंधित तेल के वाणिज्यिक उपयोग के सम्बन्ध में कोई कानून अड़चन है ;

(घ) क्या नागालैंड की माँग इस सिद्धान्त का घोर उल्लंघन नहीं है कि राष्ट्र के सभी संसाधन पूरे राष्ट्र के अपने हैं ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस मामले को हल करने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ।

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) जी हाँ ।

(ख) से (ड़) वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नागालैंड सरकार द्वारा प्रदान किये गये एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेंस के अन्तर्गत नागालैंड में चेम्पांग में एक कूप में केवल परीक्षण उत्पादन कर रहा है । इन प्रचालनों में कोई कानूनी सत्यपरोध नहीं हैं ।

चन्द्रनगर टेलीफोन एक्सचेंज का स्वचालित चक्सचेंज में परिवर्तन

3254. **प्रो० रूप चन्द पाल :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास चन्द्र नगर टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सजचें में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सन्चार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) जी हां ।

(ख) एक्सचेंज के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है तथा अधिग्रहण हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है ।

केरल में पालघाट में टेलीफोन उद्योग का विस्तार

*3255. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के पालघाट में टेलीफोन उद्योग के विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) जी हां।

(ख) सरकार ने, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पालघाट कारखाने की छोटे इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज के उत्पादन की वर्तमान वार्षिक क्षमता को 10,000 समतुल्य लाइनों से 1.5 लाख समतुल्य लाइनों तक बढ़ाने की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अधीन इलैक्ट्रानिक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज, निजी स्वचल एक्सचेंज और ग्रामीण स्वचल एक्सचेंज तैयार होंगे और अनुमान है कि इसकी पूंजीगत लागत 15,95 करोड़ होगी जिसमें 7.99 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा के घटक शामिल हैं।

उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र के लिए भवन

3256, **श्री राम अवध** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मण्डी हाउस, दिल्ली में स्थित उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र के भवन को बहुत पहले ही असुरक्षित घोषित कर दिया गया था और उसके बावजूद उसका कार्यालय उसी भवन में कार्य कर रहा है ; और

(ख) यदि, तो उसके क्या कारण हैं और उसके नये भवन के निर्माण ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) (क) मंडी हाउस के भवन के प्रथम तल को असुरक्षित घोषित किया गया था और उसको खाली कर दिया गया है। केवल भू-तल जिसे असुरक्षित घोषित नहीं किया है, में ही कार्य किया जा रहा है।

(ख) मण्डी हाउस के अहाते में स्थायी भवन का निर्माण शुरू करने के लिए धन राशि का आबंटन छठी योजना में किया गया था। निर्माण कार्य के योजना अवधि के दौरान शुरू हो जाने की उम्मीद है।

बिहार में खाना पकाने की गैस के एजेंटों की नियुक्ति

3257, **श्री कुंवर राम** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक बिहार में एल० पी० खाना पकाने की गैस के कितने एजेंट नियुक्त किये गये हैं ; और

(ख) इन एजेंसियों में से कितनी एजेंसियां जिलावार, पृथक-पृथक ब्यौरा देते हुए हरिजनों, स्वतन्त्रता सैनानियों, विकलांग व्यक्तियों और भूतपूर्व रक्षा कर्मचारियों को आबंटित की गई हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) पैंतीस।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ग	संख्या	जिला
अनुसूचित जाति	2	पूर्णिया तथा पटना
अनुसूचित जनजाति	1	हजारीबाग
स्वतंत्रता सेनानी	शून्य	
शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्ति	शून्य	
भूतपूर्व सेनानी	5	मुजफ्फरपुर, पुर्णियां तथा पटना

राजस्थान को बिजली की सप्लाई

3258. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष व्यस्ततम अवधि के दौरान जब भाखड़ा, जवाहरसागर, गांधी सागर और राणाप्रताप सागर पानी की कमी के कारण पन बिजली की सप्लाई नहीं कर पाएंगे और ताप बिजली घर भी उसे बिजली सप्लाई नहीं कर सकेंगे, उस समय राजस्थान को किस स्रोत से बिजली की सप्लाई की जाएगी ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस वर्ष राजस्थान की व्यस्ततम काल के दौरान बिजली की सप्लाई करने के लिए कोई योजना तैयार की है ; और

(ग) व्यस्ततम काल के दौरान राजस्थान की बिजली की कुल मांग कितनी है और राजस्थान सरकार के पास बिजली की कितनी सप्लाई उपलब्ध है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य (श्री विक्रम महाजन) : (क) राजस्थान की विद्युत संबंधी आवश्यकताएं, भाखड़ा-व्यास काम्पलेक्स, चम्बल और सतपुड़ा परियोजनाओं में उसके हिस्से तथा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना से पूरी की जाती हैं। यह कहना सही नहीं होगा कि पानी की कमी के कारण भाखड़ा, जवाहरसागर, गांधीसागर तथा राणाप्रताप सागर, राजस्थान को विद्युत सप्लाई करने की स्थिति में नहीं होंगे। यद्यपि मानसून अभी समाप्त नहीं हुआ, लेकिन भाखड़ा, पोंग तथा गांधीसागर में अब तक का अन्तर्वाह काफी संतोषजनक रहा है तथा इन जलाशयों का स्तर पिछले वर्ष की इसी अवधि के स्तरों से कुछ ऊंचा रहा है। राजस्थान में कोई बड़े ताप विद्युत केन्द्र नहीं हैं। तथापि, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के 220-220 मेघावाट के दो यूनिटों का समस्त उत्पादन राजस्थान के लिए उपलब्ध है।

(ख) यह अपेक्षित है कि प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकताएं अपने-अपने उत्पादन साधनों से पूरी करें। जब कभी किसी राज्य प्रणाली में कुछ कमी होती है, पड़ोसी प्रणालियों से सहायता

की व्यवस्था की जाती है बशर्ते उनके पास फालतू ऊर्जा हो। राजस्थान कुल मिलाकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकने में समर्थ है, बशर्ते कि राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के यूनिट संतोषजनक ढंग से कार्य करते रहें। तथापि, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के युनिटों को बंदियों के कारण राजस्थान में विद्युत की कमी के समय में जहां तक संभव होता है बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र, मध्य प्रदेश, भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड आदि जैसी पड़ोसी प्रणालियों से सहायता दी जाती है।

(ग) सितम्बर, 1981 से जून, 1982 तक की अवधि में राजस्थान में ऊर्जा की प्रत्याशित मांग तथा प्रत्याशित उपलब्धता विवरण-1 में दी गई।

विवरण-1

राजस्थान में सितम्बर, 1981 से जून, 1982 की अवधि के लिए ऊर्जा की प्रत्याशित मांग तथा प्रत्याशित उपलब्धता।

	उपलब्धता	मांग	कमी	
	मिलि०यूनिट/दिन	मिलि०यूनिट/दिन	मिल० यूनिट/दिन	प्रतिशतता
सितम्बर, 1981	12.97	16.00	3.03	18.9
अक्तूबर, 1981	13.42	16.13	2.71	16.8
नवम्बर, 1981	14.30	17.00	2.70	15.9
दिसम्बर, 1981	12.19	17.10	4.91	28.1
जनवरी, 1982	11.97	18.39	6.42	34.9
फरवरी, 1982	12.54	19·46	6.92	35.6
मार्च, 1982	12.61	19.35	6.74	34.8
अप्रैल, 1982	12 97	15.83	2.86	18.1
मई, 1982	13·32	15.31	2.49	15.7
जून, 1982	14.97	16.00	1.03	5.4

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबंधों से महत्वपूर्ण उद्योगों को मुक्त किया जाना

3259. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री पी० के० कोडियन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महत्वपूर्ण उद्योगों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों से मुक्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) कम्पनी और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम पर उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) ने अन्य बातों के साथसाथ एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के संशोधन के लिए बिभिन्न सुझाव दिए हैं । समग्रतः एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की उपलब्धि को प्राप्त करने की दिशा में, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में कतिपय संशोधनों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनायें

3260. श्री बाबू लाल सोलंकी क्या : ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना के अधीन मध्य प्रदेश की कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाएं 1979 से 31 जुलाई, 1981 तक विचाराधीन रही हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं के अधीन कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है और उन पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितनी भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) 31.7.1981 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड की 73 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें, ग्राम विद्युतीकरण निगम के पास जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । इनमें, 1.65 करोड़ रुपये ऋण परिव्यय की वे 5 स्कीमें भी शामिल हैं जो 1979 के दौरान प्राप्त हुई थी । इनमें से चार स्कीमों का मूल्यांकन, ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा कर लिया गया है तथा आगे संशोधन के लिए ये बिजली बोर्ड को लौटा दी गई हैं । होशंगाबाद की टिमरनी स्कीम राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हो गई है तथा स्वीकृति के लिए इस पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में बताई गई 5 स्कीमों में, 146 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है तथा पहले से विद्युतीकृत गांवों के साथ लगी 350 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण भी किया जाना है । इन स्कीमों के संबन्ध में कार्य, निगम द्वारा ये स्कीमें स्वीकृत कर दिए जाने पर शुरू किया जायेगा । स्कीमें सामान्यतः कार्य आरंभ किये जाने से लेकर पांच वर्ष तक की अवधि में पूरा किये जाने के लिए सोपानबद्ध होती है । उपर्युक्त 5 स्कीमों में से होशंगाबाद की टिमरनी स्कीम, संशोधन के बाद अगस्त. 1980 में प्राप्त हुई थी और वित्तीय सहायता के लिए इस पर विचार किया जा रहा है । बाकी 4 स्कीमें अभी भी मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के पास

संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए पड़ी हैं, और संशोधन के पश्चात् जैसे ही प्राप्त होगीं, उन पर स्वीकृति के लिए विचार किया जायेगा। ये 5 स्कीमें 1.65 करोड़ रुपये ऋण परिव्यय की हैं।

(ग) उपर्युक्त 5 स्कीमों में से 3 स्कीमों के पूरा हो जाने पर इनसे 783 कृषि पम्प सेटों को ऊर्जित किए जाने की परिकल्पना की गई है जिन से लगभग 2192 एकड़ क्षेत्र की भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। शेष दो स्कीमें, पहले से ही विद्युतीकृत गांवों के साथ लगी हुई हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करने के लिए है।

उच्च न्यायालयों में लम्बित सिविल और आपराधिक मामलों में की गई कार्रवाई

3261. **श्री चित्त महाटा :**

श्री बापूसाहिब परुलेकर : विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक उच्च न्यायालय में जून, 1981 तक लंबित सिविल तथा आपराधिक मामलों की संख्या क्या है ; और

(ख) इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) प्रत्येक उच्च न्यायाल में जो सिविल और आपराधिक मामले लंबित हैं उनके संबध में उपलब्ध जानकारी विवरण-1 में दी गई है।

(ख) मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए जो उपाय किए हैं वे विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरक-1

30-6-1981 को उच्च न्यायालयों में सिविल और आपराधिक लंबित मामले

उच्च न्यायालय का नाम	सिविल मामले	आपराधिक मामले
इलाहाबाद	124225	21668
आंध्र प्रदेश	47253	2508
मुम्बई	58828	5078
* कलकत्ता	79178	4648
दिल्ली	29145	1841
गोहाटी	6861	1524

1	2	3
गुजरात	18565	3152
हिमाचल प्रदेश	5474	473
जम्मू कश्मीर	8953	1769
* कर्नाटक	77837	1380
केरल	29837	2599
* मध्य प्रदेश	19792	6558
मद्रास	63309	7487
उड़ीसा	10213	1997
* पटना	29387	11564
पंजाब और हरियाणा	31646	3191
* राजस्थान	18287	6474
सिक्किम	37	5

31-12-1980 को लंबित मामले

* केवल मुख्य मामले

विवरण—2

न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपीलों को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 मे संशोधन किया गया (देखिए धारा 100 क)

(2) राज्यों और मुख्य न्यायाधिपतियों से अनुरोध किया गया है कि वे न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के अपने प्रस्ताव विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर भेजें ।

(3) न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ा दी गई है ।

(4) अनेक उच्च न्यायालय ऐसे मामलों को मिलाकर एक समूह में रख रहे हैं जिनमें समान प्रश्न जुड़े हुए हैं ।

(5) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई कर रहे हैं :—

(क) सूचना तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना।

(ख) मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना।

(ग) कुछ अधिनियों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

(घ) भूमि अर्जन आदि के मामलों से उत्पन्न होने वाले विषवों को एक समूह में रखना।

नये गैस कनेक्शनों का जारी किया जाना

3262. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके द्वारा दिये गये इस वचन के अनुपालन में कि एक लाख गैस-कनेक्शन हर वर्ष दिये जायेंगे और कि दिल्ली के निकट इस वर्ष की प्रथम तिमाही में 2500 टन क्षमता का एक एल० पी० जी० सयन्त्र की स्थापना के अतिरिक्त आगामी तीन वर्षों में तीस लाख नये कनेक्शन दे दिये जायेंगे; हाल ही में बड़ी संख्या में नये गैस कनेक्शन जारी किये गये हैं।

(ख) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में लोगों ने गैस-विक्रेताओं पास धरोहर राशि जमा कराई थी जो अब गैस की कमी आदि जैसे विभिन्न बहाने बना रहे हैं :

(ग) क्या बहुत से लोगों ने नये कनेक्शनों के लिए पंजीकरण करा रखा है और वे दिल्ली में अपना कनेक्शन प्राप्त करने की प्रतिक्षा कर रहे है ; और

(घ) एल० पी० जी० के लिए प्रतीक्षार्थियों की लम्बी सूची से निपटने हेतु पाईप लाईनों के द्वारा गैस सप्लाई करने की कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) इस मन्त्रालय में वर्ष 1981 प्रथम तिमाही से नये खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) कनेक्शन जारी करने के लिए गये निर्णय के अनुसार, तेल कम्पनियों ने इस वर्ष मार्च से प्रति माह एक लाख एल० पी० जी० कनेक्शन जारी करना आरम्भ कर दिया हैं। ऐसी आशा की जाती है कि वर्ष 1981 की प्रथम तिमाही और मार्च, 1985 के बीच की अवधि के दौरान तेल कम्पनियों द्वारा कुल 12 लाख ग्राहकों को पंजीकृत किया जाएगा। बाद के दो वर्षों में आठ लाख प्रति वर्ष एल० पी० जी० कनेक्शनों को जारी करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। तेल कम्पनियों के एल० पी० जी० विपणन कार्यक्रम के एक भाग के रुप में, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन (बी० पी० सी० एल०) ने दिल्ली के पास शकूर बस्ती में 25,000 मी० टन क्षमता

का एक बाटलिंग संयन्त्र स्थापित किया है और इसको शीघ्र ही चालू करने की आशा की जाती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) दिल्ली में एल० पी० जी० कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में लगभग 4 लाख आवेदन-कर्ताओं की कुल संख्या है ।

(घ) देश में किसी भी स्थान पर पाइप लाइनों के द्वारा एल० पी० जी० की सप्लाई के लिए इस मंत्रालय के अन्तर्गत इस समय कोई योजना नहीं है ।

" अलाटमेंट आफ लैंड फार ओ० एन० जी० स्कीम हैल्ड" शीर्षक समाचार

3263. **श्री शिव सोरन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 11 जुलाई, 1981 के स्टेटसमैन में उपरोक्त शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) उक्त योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

(ग) भूमि का उक्त आवंटन रुक जाने के क्या कारण थे ; और

(घ) उक्त भूमि के कब तक आवंटित हो जाने की आशा है ।

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : (क) जी, हां ।

(ख) योजना में निम्नलिखित शामिल है :—

1. समाज भंडारण तथा संबिधत सुविधाओं सहित डरान में 9 एम० टी० पी० ए० से 20 एम० टी० पी० ए० तक खनिज तेल स्थरीकरण (स्टेबिलाइजेशन) यूनिट का विस्तार ।

2. सम्बन्धित उपयोगिताओं सहित डरान स्थिति वर्तमान एल० पी० जी० संयंत्र में 4 एम० एम० एम० 3/डी से 8 एम० एम० एम० 3/डी गेस विखंडन क्षमता में विस्तार ।

3. उपयोगिताओं सहित 8 एम० एम० एम० 3/डी गैस से उरान से उरान में सी 2/सी 3 बसूली संयंत्र स्थापित किया जाना ।

(ग) और (घ) ओ० एन० जी० सी० के बर्तमान उरान स्थल के सन्निकट लगभग 41 हेक्टेयर का क्षेत्र, क्षेत्रीय पार्क का विकास करने के लिए सी० आई० डी० सी० ओ० के आरक्षित क्षेत्र के अर्न्तगत पड़ता हैं । तथापि इस क्षेत्र को ओ० एन० जी० सी० द्वारा प्रयोग में लाने के लिये अनुतति प्रदान करना अथवा न करना विचाराधीन है ।

कुकिंग गैस एजेन्सियों का शहरवार आवंटन

3264. **(श्री नरसिंह मकवाना :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और ऊर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान शहरवार कितनी बुकिंग ऐजेंसिया दी गयी हैं ;

(ख) क्या ऐजेन्सी धारियों पर ऐसी कोई शर्त लगाई गई है कि वे अपने उपभोक्ताओं के साथ शिष्ठता का व्यवहार करेंगे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) एक एजेन्सी देने के इन्टरव्यू में अपनाए गए मानदण्ड क्या हैं और क्या सभी एजेन्सियाँ समान मानदण्डों के आधार पर दी गयी हैं।

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) वर्ष 1980-81 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर एल० पी० जी० डीलर शिपें खोलने के लिए तेल कम्पनियों द्वारा 37 आशय पत्र जारी किए गये थे :—

सूरत 2	विशाख	काकीनादा	कोठागुण्डम
अन्नतपुर	तेवाली	गुन्टुर	हैदराबाद (2)
तिरूचि	कलकत्ता (4)	भोपाल	छत्तरपुर
हौशँगाबाद	आनन्द	मेरठ	बरेली
श्रीनगर	कोट्टायम	अम्बाला	फरीदाबाद
बम्बई (2)	नाडेड	नासिक	औरंगावाद
जलगाँव	जलन्धर	अमृतसर	अलवर
भरतपुर	मुरादाबाद	मथुरा	—

(ख) ऐसा सूचित किया गया है कि वितरकों द्वारा ग्राहकों के साथ शिष्टता व्यवहार करने के सम्बन्ध में यद्यपि कोई विशेष धारा समझौते में प्रदान नहीं की गयी, तथापि डीलरशिप समझौते की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत शामिल होने वाली आचरण सहिता में वितरकों का शिष्टता का व्यवहार निहित है।

(ग) वितरक एजेन्सी चलाने के लिए उनकी योग्यता तथा आवश्यक सुविधाओं और वित्तीय प्रबंध आदि को प्राप्त करने के लिए उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए. विशिष्ट विज्ञापनों के संदर्भ में आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों में से डीलरशिप डिस्टीब्यूटरशिप को प्रदान करने के लिए चयन किया जाता है। अधिकांश रूप में ये मानदण्ड विभिन्न श्रेणियों के अन्तरर्गत आने वाली समस्त एजेन्सियों पर लागू होते हैं।

गोरखपुर उर्वरक संयंत्र में उत्पादन में कमी

3265 **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर उर्वरक संयंत्र में उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं और यह कब से अपनी क्षमता में कम उत्पादन कर रहा है।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान, महिनेवार यह अपनी क्षमता की तुलना में कितने प्रतिशत उत्पादन कर रहा है,

(ग) गत छः महीनों के दौरान, मदवार, इस संयंत्र में कितनी बार चोरियां हुई थीं और चुराई गई प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना है, और

(घ) इस संयंत्र में चोरी किए जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीरसिंह) : (क) गोरखपुर यूनिट के वर्ष 1971-72 में 94.9 प्रतिशत की अपनी उच्चतम क्षमता उपयोग प्राप्त किया है। वर्ष 1974-75 तक इसने 30 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर कार्य किया। वर्ष 1974-75 के पश्चात जिन प्रमुख बाधाओं के कारण उत्पादन में गिरावट आई वे इस प्रकार हैं, वोल्टेज का घटना बढ़ना, विद्युत कटौती, नेफ्था की अपर्याप्त उपलब्धता आदि।

(ख) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान माहवार क्षमता उपयोग निम्न प्रकार है :

माह	क्षमता उपयोग की प्रतिशतता	
	1979-80	1980-81
अप्रैल	27.3	26.3
मई	46.7	31.3
जून	30.7	33.3
जुलाई	59.7	29.1
अगस्त	63.2	52.7
सितम्बर	26.3	54.7
अक्टूबर	49.1	57.0
नवम्बर	43.6	58.1
दिसम्बर	23.4	38.5
जनवरी	31.6	65.3
फरवरी	29.2	47.8
मार्च	36.6	57.3

(ग) मार्च, 81 अगस्त 81 के बीच आठ बार चोरियां हुई जिसमें से 5 मामलों में चुराई गई सम्पति प्राप्त कर ली गई थी । ब्यौरे निम्न प्रकार है :

मद	मूल्य (रुपये)
1. 50 कि. ग्रा. वाले तीन युरिया बैग	315.00
2. 8 लिटर नैफ्था	8.00
3. 3 कोर 32 फिट बिजली के तार	100.00
4. 3 लीटर नैफ्था	3.00
5. प्रयोग किए गए तेल के 7 ड्रम	7000.00
6. ताम्बे के कपलिंग संख्या-3	300.00
7. नवताल ताले	18.00
8. 1. एसींटाईलीन टार्च 2 सेट 2. एसीटाइलीन और आक्सीजन 2 सेट रेग्युलेटर्स 3. सीसे की शीट 150 कि. ग्रा. 4. वैल्डिंग तार 50 मीटर 5. बिजली की बोतली 2 संख्या 6. कुछ औजार/बरसाती/12 कर्मचारियों के नवताल ताले	7600.00

(घ) इन चोरियों के लिए कोई विशेष कारण निर्दिष्टनहीं किए जा सकते हैं।

मुहानों पर कोयले का भंडार और निर्यात के लिए बातचीत

3266. **श्री रामविलास पासवान :**

श्रीमती माधुरीसिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुहानों पर एक करोड़ सोलह लाख टन से भी अधिक कोयले का भंडार पड़ा हुआ है और सरकार इसके निर्यात के लिए कुछ देशों से बातचीत कर रही है।

(ख) यदि हाँ, तो इस समय कितने कोयले का (मूल्य सहित) और किन देशों को निर्यात किया जाता है, और

(ग) क्या बिजली, उद्योग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कोयले की देशीय आवश्यकता पूरी हो जाती है जिससे सरकार उसे अन्य बाजारों में भेज रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मँत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) देश में कोयले का वर्तमान खान मुहाना स्टाक लगभग 16.00 मिलियन टन है। कम भाप वाले कोयले की 40,000 टन की थोड़ी मात्रा, जिसकी आंतरिक माँग नहीं है, उन देशों को निर्यात करने का प्रस्ताव किया गया है। जिन्होंने इसमें अपनी रुचि दिखलाई है। कोयले का निर्यात 'खनिज एवं धातु व्यापार निगम' के माध्यम से किया जाना है और यह निगम इस समय संभावित खरीदारों से बातचीत कर रहा है परन्तु अभी तक कोई पक्का सौदा नहीं कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ कोयला पड़ौसी देशों को निर्यात किया जाता हैं जैसे बाँगलादेश, नेपाल और भूटान। ये देश भारत से परम्परागत रूप से कोयला लेते है, अप्रेल, जून 1981 के दौरान इन देशों को लगभग 37,000 टन कोयला निर्यात किया गया। (बंगला देश को 23,000 टन, नेपाल को 8,000 टन और भूटान को 6,000 टन)। अप्रेल, जून की अवधि में निर्यात किए गए कोयले की कीमत रु. 125 लाख है। वर्तमान उत्पादन और खान मुहानों का स्टाक मिल कर आंतरिक मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं और जो कोयला हमारे परम्परागत खरीदारों को भेजा जा रहा है उससे-आंतरिक कोयला उपलब्धता पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। देश में कोयले की उपलब्धि में कोई कमी नहीं आएगी।

कोयला कम्पनियों तथा राज्यों विद्युत बोर्डो के बीच कोयले की किस्म तथा कीमत के बारे में विवाद

3267. **श्री समर मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला कम्पनियों तथा राज्य विद्युत बोर्डो के बीच कोयले की किस्म तथा कीमत के बारे में कदम उठाए गए हैं, और

(ख) क्या ऊर्जा मंत्रालय ने इस बारे मे वित्त मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) : कुछ राज्य बिजली बोर्ड यह शिकायत करते रहे हैं कि कोयला सप्लाई कर्त्ताओं से उन्हें घटिया किस्म का कोयला प्राप्त हो रहा है। कोयला सप्लाई के लिए किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बताई गई समस्याओं से भी इसका सम्बन्ध है। यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा कोल इन्डिया के प्रतिनिधियों के एक दल को इन पहलुओं की विस्तार से जांच करनी चाहिए और कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए। विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में कुल मिलाकर पर्याप्त सुधार हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

अल्कोहल का उत्पादन करने वाली इकाईयों को हो रही कठिनाइयां

3268. **श्री क्रिस्टोफर एक्का** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्कोहल का उत्पादन मुख्यत: किन-किन राज्यों में होता हैं।

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में अल्कोहल का उत्पादन करने वाली अधिकतर इकाइयां गम्भीर संकट का सामना कर रही है।

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार का उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है।

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) महाराष्ट्र, उत्तर-प्रदेश, तमिलाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार हरियाणा और पंजाब अल्कोहल का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार मुख्य रूप से अल्कोहल की अनुपलब्धता के कारण अल्कली एंड केमिकल्स कार्पोरेशन आफ इन्डिया का रिसरा (पश्चिम बंगाल) स्थित संयंत्र बन्द पड़ा था। यह भी सूचना मिली है कि एल्कोहल की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण पश्चिमी बंगाल जैसे कमी वाले राज्यों में अल्कोहल पर आधारित उद्योगों का क्षमता उपयोग कम है।

(ग) और (घ) वर्तमान अल्कोहल वर्ष 1980-81 (दिसम्बर-नवम्बर) एक कठिन वर्ष रहा है क्योंकि अल्कोहल और शीरे की सप्लाई मांग की तुलना में बहुत कम है। केन्द्रीय शीरा बोर्ड ने अनुमान लगाया था कि वर्तमान अल्कोहल वर्ष में 5716 लाख लीटर की सम्भावित मांग की तुलना केवल 4200 लाख लीटर अल्कोहल उपलब्ध होने की आशा थी। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे निम्नानुसार अल्कोहल का उत्पादन बढ़ायें।

(1) यह सुनिश्चित करना कि समस्त उपलब्ध शीरे का प्रयोग किया गया था (2) अल्कोहल उत्पादन के लिए खांडसारी शीरे के प्रयोग को प्रोत्हाहन देकर और (3) चीनी कारखानों द्वारा शीरे के भंडार के लिए पर्याप्त और कोई उचित भांडारन सुविधाओं में वृद्धि का सुनिश्चित करना।

सरकार यह प्रयास कर रही है कि परम्परागत आधिक्यता वाले राज्य कमी वाले राज्यों को अधिकतम सम्भावित सीमा तक अल्कोहल और शीरा उपलब्ध करे। अल्कोहल की उपलब्धता में सुधार करने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि वास्तविक औद्योगिक प्रयोगकर्त्ताओं को मामला-दर मामला आधार पर जारी किये जाने वाले लाइसेंसों के आधार पर अल्कोहल का आयात करने की अनुमति दे दी जाये।

तेल और प्रकृतिक गैस आयोग द्वारा उत्पादित कच्चा तेल और गैस

3269. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-80 और 1980-81 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कितनी मात्रा में कच्चे तेल और गैस का उत्पादन किया गया ;

(ख) इस अवधि के दौरान संघ सरकार को अंशदान और रायल्टी के रुप में कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने कितना लाभ अर्जित किया ।

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अशोधित तेल तथा गैस की उत्पादित की गयी मात्रा नीचे दी गयी है :—

	1979-80	1980-81
अशोधित तेल (मि० मो० टन)	9.196	8.905
गैस (मि० घन मी०)	1013.992	972.150

(ख) 1979-80 वर्ष के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा लाभांश की घोषित की गयी धनराशि 19.95 करोड़ रुपये है तथा 1980-81 के लिए यह धनराशि 20.37 करोड़ रुपये (अस्थायी) है । 1979-80 वर्ष के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को रायल्टी के रूप में 13.57 करोड़ रुपये की धनराशि दी गयी तथा वर्ष 1980-81 के लिए यह धनराशि 17.84 करोड़ रुपये है ।

(ग) 1979-80 वर्ष के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 107.23 करोड़ रुपये (करों से पूर्व) का लाभ हुआ था । 1980-81 वर्ष के लिए यह लाभ 46.57 करोड़ रुपये (करों से पूर्व अस्थायी) है ।

थाल वरोट उर्वरक संयंत्र की प्रगति रिपोर्ट

3270. श्री ए० टी० पाटिल : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थालवरोट (महाराष्ट्र) में राष्ट्रीय रसायनिक उर्वरक की परियोजना की वर्तमान प्रगति रिपोर्ट क्या है,

(ख) क्या यह प्रगति मूल योजना में निश्चित की गई समय अनुसूची के अनुसार है ;

(ग) क्या योजना तथा समय अनुसूची में कोई परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा, कारण तथा परिणाम क्या है, और

(घ) (1) योजना तथा समय अनुसूची में परिवर्तन के कारणों और परिणामों को दूर

करने तथा (2) योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने और समय अनुसूची को बनाये रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) कारखाने के लिए भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। जल, बिजली, रेलवे साइडिंग आदि जैसी कन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के प्रावधानों के लिए व्यवस्था कर ली गई है। निर्माण कार्य प्रगति पर अमोनिया, यूरिया और वाष्प जेनेरेशन प्लांटों जैसे मुख्य प्लाटों के लिए करारों पर हस्ताक्षर हो गये हैं और प्रभावी हो गये हैं। स्थल दूर और इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबन्धित कार्य संतोष प्रद ढंग से चालू रहे है। अमोनिया और यूरिया प्लांटों के लिए डिजाइन और अधिप्राप्ति कार्यकलाप निर्धारित समय के अनुसार चल रहे हैं।

(ख) परियोजना के पूरे होने का निर्धारित समय प्रारम्भ की तिथि से 45 महीने है। अमोनिया प्लांट के लिए प्रारम्भिक तिथि 15 जनवरी, 1981 और यूरिया प्लांट के लिए 30 जनवरी, 1981 है। परियोजना की प्रगति निर्धारित समय के अनुसार हो रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सरकार परियोजना की प्रगति की देखरेख किसी कठिनाई के मामले में उचित कदम उठाने की दृष्टि से कर रही है।

अल्कोहल पर आधारित उद्योग के लिये औद्योगिक अल्कोहल पर राष्ट्रीय नीति

3271. **श्री मुकन्द मण्डल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के लिए औद्योगिक अल्कोहल पर कोई राष्ट्रीय नीति है।

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चंद्र सेठी) (क) से (ग) सरकार, असांविधित आधार पर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बीच उपलब्ध अल्कोहल और शीरे के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वय प्राधिकरण की भूमिका निभा रही है। इस भूमिका निभाने में केन्द्रीय शीरा बोर्ड एक परामर्शदात्री संस्था, सरकार की सहायता करती है, जिसमें सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है। अल्कोहल वर्ष (दिसम्बर-नवम्बर) के प्रारम्भ में केन्द्रीय शीरा बोर्ड की बैठक होती है और उसमें विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में अल्कोहल/सीरे की सभावित उपलब्धता और आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाता है। अल्कोहल वर्ष के दौरान समय-समय पर केन्द्रीय सीरा बोर्ड के कार्य-

कारी दल की बैठक होती है और उसमें उत्पादन, उपलब्धता और माँग के रुख की समीक्षा की जाती है। इन मूल्यांकनों के आधार पर शीरा और अल्कोहल का अन्तर्राज्यीय आवंटन किया जाता है। सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती रहती है कि शीरे/अल्कोहल में अधिशेष वाले राज्य कमी वाले राज्यों को शीरे/अल्कोहल की अधिकतम मात्रा उपलब्ध कराएं।

सरकार समय-समय पर राज्यों की आवश्यकता पर निम्नलिखित बातों के बारे में दबाव डालती रहती है।

(1) यह सुनिश्चित करते हुए अल्कोहल का अधिकतम उत्पादन करें कि खांडसारी शीरा समेत सभी उपलब्ध सीरे का उपयोग अल्कोहल निर्माण के लिए किया जाता है और चीनी मिलों द्वारा सीरे के लिए पर्याप्त और उचित भंडारन सुविधाओं का सृजन हो।

(2) पेय उद्देश्य के लिए मांग और औद्योगिक उद्देश्य के लिए माँग के बीच उचित संतुलन बनाए रखना ताकि राजस्व के कारणों रसायन उद्योग में भूखमरी न हो।

(3) अल्कोहल पर क्रय कर, विक्रय शुल्का प्रशासनिक प्रभार, गैलोनेज शुल्क आदि जैसे अनेक राज्य शुल्कों को एक समेकित शुल्क में बदलना और औद्योगिक अल्कोहल पर समेकित प्रभार की दर को उद्योग के लिए कच्चे माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर विक्रय शुल्क की दर के स्तर तक कम करना।

सरकार शीरे के अलावा कच्चे मालों से अल्कोहल के निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास प्रयासों को भी बढ़ावा दे रही है।

आटो-वाहनों को चलाने के लिए अल्कोहल का प्रयोग

3372. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचार की जानकारी है कि ब्राजील ने अल्कोहल से आटो-वाहनों के चलाने में सफलता प्राप्त कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने देश में गन्ने की खेती के व्यापक क्षेत्र को देखते हुए अल्कोहल के उत्पादन को बढ़ाने और अल्कोहल उत्पादन कार्यक्रम को शुरु करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :(क) और(ख) जी हां, । यह पता चला है कि ब्राजील ने मोटर वाहनों में ईधन के रूप में 20 प्रतिशत अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर मिश्रण के रूप में प्रयोग के द्वारा देश भर में सफलतापूर्वक अल्कोहल

कार्यक्रम आरम्भ करके अपने 17 प्रतिशत पेट्रोल के उपभोग को अल्कोहल के प्रयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया है।

(ग(और(घ) देश से अल्कोहल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किये गये हैं। तथापि, गन्ने जैसी कृषि फसलों, से बड़ी मात्रा में अल्कोहल के उत्पादन के वृद्धि करने में कुशल भूमि उपयोग, खाद्य फसलों तथा ऊर्जा फसलों इत्यादि के बीच प्रतियोगिता से सम्बन्धिल कठिनाईयां सम्मिलित हैं। किसी प्रकार के ऐसे कदम उठाने से पहले इन पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करना पड़ेगा। अल्कोहल की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण इस समय देश में अल्कोहल का कोई कार्यक्रम अपनाना सम्भव नहीं समझा गया है।

बड़ी तेल कम्पनियों को छिद्रण कार्य के लिए पेशकश

3273. **श्री रेणुपद दास** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा क्या कारण है जिससे अधिकांश प्रमुख तेल कम्पनियों को छिद्रण-कार्य की पेशकश के स्थल बहुत आकर्षक नहीं लगे हैं।

पेट्रोलियम, और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : तेल कम्पनियों के साथ बातचीत चल रही है। इस स्थिति में अधिक ब्यौरे देना जब हित में नहीं होगा।

बिजली की मांग

3274. **श्री बी० आर० नहाटा** :

श्री बलवीर सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य की बिजली की मांग अथवा आवश्यकता कितनी थी और उस अवधि के लिए सर्वेक्षण समिति रिर्पोट का अनुमान कितना था ;

(ख) बिजली सर्वेक्षण समिति द्वारा आगामी पांच वर्षों के लिए प्रत्येक राज्य की बिजली की आवश्यकता कितनी आंकी गई है ;

(ग) क्या 81-82 से 1984-85 के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा बिजली आवश्यकता के बारे में अन्य एजेंसियों द्वारा भी कोई सर्वेक्षण कराया गया है यदि हां, तो दोनों सर्वेक्षणों में कितना अन्तर है और यदि कोई अन्तर हैं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) किन सिद्धान्तों के आधार पर किसी राज्य की बिजली की आवश्यकता का आकलन किया जाता है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान (ऊर्जा के रूप में) विद्युत की राज्यवार वास्तविक मांग तथा नवी वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण समिति द्वारा 1976-77 के लिए दसवीं वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण समिति द्वारा 1977-78 से 1980-81 तक के लिए किये गये मूल्यांकन संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

[मत्रालय में रखा गया। देखिए सख्या एल०टी०-2790/81]

(ख) और (घ) : छठी योजना तैयार करते समय योजना आयोग ने 1984-85 में बिजली की अखिल भारतीय खपत 148 टी० डब्ल्यू० एच० होने का अनुमान लगाया है। योजना आयोग ने अनुमान विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों की विद्युत की भावी मांग के आधार पर लगाया है और यह अनुमान राज्यवार नहीं लगाया गया है। जब ग्यारहवां वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा तब राज्यवार और वर्षवार आंकड़े उपलब्ध होंगे।

ग्यारहवें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण का कार्य प्रेरणा अवस्था में है और वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक के वर्षों की बिद्युत की मांग के अनुमानों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिए जाने की आशा है।

यह उल्लेखनीय है कि ग्यारहवें वार्षिक सर्वेक्षण के उपयोग के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने विद्युत की मांग के सम्बन्ध में अपने-अपने भावी अनुमान तैयार किए हैं। कुछ राज्यों के लिए कुछ भावी अनुमान निष्पक्ष सलाहकारों द्वारा भी तैयार किए गए है। यद्यपि विभिन्न भावी अनुमानों के बीच वास्तविक अन्तर संबंधी जानकारी तभी उपलब्ध होगी जब ग्यारहवीं वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण समिति की रिर्पोट को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा और उसे प्रकाशित कर दिया जाएगा, तथापि यदि भावी अनुमानों में कोई अन्तर हुआ तो उसके मुख्य कारण ये हैं; अर्थ व्यवस्था के विकास के संबध में लगाये गए अनुमान, विशेष रूप से औद्योगिक उत्पादप के संबंध में लगाए गए अनुमान तथा मांग का भावी अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई पद्धति।

(घ) देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विद्युत सबंधी आवश्यकताओं का अनुमान विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों में उपभोग की प्रवृतियों के विस्तृत विश्लेष्ण के आधार पर लगाया गया है। वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण समितियों द्वारा अल्पकालिक और मध्यमकालिक मांग का भावी अनुमान लगाने के लिए इस समय जो पद्धति अपनाई जा रही है वह है सूक्ष्म दृष्टिकोण और वास्तविक उपभोक्ताओं की प्रवृति सम्बन्धी तकनीकों का एक मिला जुला रूप।

विदेशी औसध कम्पनियों द्वारा विदेशों को धन भेजना

3275. **श्री रविन्द्र बर्मा** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों द्वारा कम्पनी वार प्रतिवर्ष 26 प्रतिशत विदेशी इक्विटी से अधिक कितना धन विदेशों को भेजा, और

(ख) भारतीय औषध अधिनियम के स्पष्टीकरण 2 के तहत विदेशी फर्म द्वारा कौन-कौन से मद तैयार किये जा रहे हैं अथवा किए जाते है' उन सदों का फर्मवार ब्योरा क्या है, जिनके लिए मंत्रालय द्वारा विस्तार के तौर पर बाद में लाइसेन्स दिया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पाँचवी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी वाली औषध कंपनियों द्वारा लाभ/लाभाँश तकनीकी जानकारी फीस और रायल्टी के सुधार पर विदेश भेजी गयी कुल धन राशि के वार्षिक ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) औषध नीति 1978 के अन्तर्गत अधिक उत्पादन को नियमित कराने के सम्बन्ध में विदेशी कम्पनियों द्वारा उपलब्ध किए गए आंकड़े के अनुसार यह पाया गया है कि 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली कुछ औषध कम्पनियों ने आई (डी एण्ड आर) अधिनियम की अनुसूचि। के स्पष्टीकरण 2 के अन्तर्गत कुछ बल्क औषधों का निर्माण शुरू किया है। ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। मैसर्स रिचर्ड हिन्दुस्तान के मामले में अनुबन्ध "ख" पर विवरण पत्र मे इन कम्पनियों के सामने दर्शायी गई बल्क औषधों के बारे में आशय पत्र बाद में जारी किए गए थे।

विवरण—1

26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली औषध कम्पनियां द्वारा पांचवी पंचवर्षीं योजना के दौरान बाहर भेजी गयी राशि

(आंकड़े रूपयों में)

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	के दौरान भेजी गयी राशि				
		1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
1.	मैसर्स रोचे प्रोडेक्टस लि०	16,52,000	8,59,000	30,74,322	24,15,187	20,02,500
2.	मैससं बोहिरिंगर नाल लि०	—	—	6,56.946	4,72,114	3,45,600
3.	मैसर्स जर्मन रेमेडीन (आइ) लि०	अनुउपलब्ध	अनुउपलब्ध	3,16,529	4,26,379	4,58,328
4.	मैसर्स निकोलस लैब्स लि०	—	—	—	11,73,687	6,92,652
5.	मैसर्स जानसन एंड लि० जानसन	—	4,21,000	13,96,600	18,41,194	11,54,250
6.	सैसर्स दि बूटस कं० (आइ) लि०	72,000	8,74,000	6,75,000	10,53 473	13,80,135
7.	म्सर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि०	8,99,100	—	14,13,602	14·42.397	14,85,135
8.	मैसर्स सिनामाइड (आइ) लि०	10,03,000	१,35,000	77,14,907	55.92.016	47,87,474
9.	मैसर्स सियरले (आइ) लि०	—	×10,10.000	2,50,087	4,80,480	4,05,000
10.	मैसर्स सेन्डोज (आइ) लि०	—	25,86,000	11,46,173	—	11,81,250

(आंकड़े रुपयों में)

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	के दौरान भेजी गई राशि				
		1984-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
11.	मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरटरीज	—	62,84000	86,44,134	131,33,107	120,82,500
12.	मैसर्स वेयथ लेबोरेटरीज	8,16,000	4,45,000	११,12,876	17.29,735	10,98,900
13.	मैसर्स फाइजर लि०	18,71,000	15,60,000	94,85,567	169,61,765	45,36,000
14.	मैसर्स आर्गेवान (आइ) लि०	4,40,000	4,30,000	6,57319	6,03,653	—
15.	मैसर्स क्यूरवैल	—	—	—	20,2,125	—
16.	मैसर्स सीवा गैगी	45,40,000	11,53,000	34,17,608	3,612,375	54,18,558
17.	मैसर्स डफर इन्टरफ्रान	अनुउपलब्ध	अनुउपलब्ध	2,53,791	2,29,500	1,50,532
18.	मैसर्स एग्लो फ्रेन्च ड्रग कं० (इस्टर्न) लि०	—	1,000	89,923	2,22,547	—
19.	मैसर्स रेलिस (आइ) लि०	अनुउपलब्ध	अनुउपलब्ध	12.22.249	13,62,122	1,16,518
2०.	मैसर्स रेकिट एंड कोलमैन (आई) लि०	अनुउपलब्ध	अनुउपलब्ध	16,40,625	16,40,625	9,35,156

1	2	3	4	5	6
21. मैसर्स सीबातुल	अनुउपलब्ध	अनुउपलब्ध	—	—	—
22. मैसर्स वेयर (आई) लि०	—	1,000	23,28,117	35,78,867	46,54,022
23. मैसर्स वाण्डर लि०	—	—	47,254	6,897	45,000
24. मैसर्स बूरोज वेलकम	—	391,000	33,20,234	13,83,509	—
25. मैसर्स हेवस्ट फार्मास्यूटिकल्स	—	9,48,000	20,35,666	20,43,072	20,43,072
26. मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान लि०	7,52,000	6,59,000	19,92,443	28,02,107	19,63,819
27. मैसर्स अल्कली एंड केमिकल कार्पोरेशन आफ इन्डिया लि०	25,90,000	8,20,000	5430,148	17,55,364	44,60,674
28. मैसर्स यूनि-सेज्कयो लि०	—	—	—	—	19,582
29. मैसर्स व्हीफन्स लि०	31,000		19,757	38,550	93,523
30. मैसर्स ज्योफरी मानर्स	—	9,49,000	20,32,347	22,98,758	22,68,000
31. मैसर्स में एंड वेकर	—	—	—	—	—
32. मैसर्स सिननायोटिक्स लि०	—	1,34,000	—	1,35,000	2,25,000

1	2	3	4	5	6
33, मैसर्स पार्के डेविस	—	—	49,66,610	42,45,213	55,12,500
34, मैसर्स ई मर्क (आई) प्रा० लि०	—	—	3,17,580	3,52,770	3,07,470
35, मैसर्स मर्क शर्प एंड डोहमे आफ इन्डिया	9,63,000	2,000	12,25,704	22,34,844	8,91,000

विवरण—2

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	कैप्टिव खपत के लिए बल्क औषध का नाम
1.	मैसर्स ई मर्क (आई) प्रा० लि०	1. विट० के—4 आयल सोल्यूबल
		2. विट० के—4 जल
2.	मैसर्स फाइजर	1. बेनमिन्थ (मारन्टय टारटरेट)
3.	मैसर्स बेयर (आई) लि०	1. बेडियनल सन्हटेंश
		2. डेटिजन सन्सटेश
		3. इन्सिडल
		4. डिफीनाइल हाइडेन्टल
4.	मैसर्स ब्रोज बैलकम लि०	1. अल्लीपूरानोल
5.	मैसर्स सीबा गैगी इंडिया लिमिटेड	1. टेस्टोस्टेरोन
		2. टेस्टोस्टेरोन वालेरीयनेट
6.	मैसर्स हैक्सट फार्मास्यूटीकल्स	1. एनलजिन के क्वीनाइन लवण
		2. एनलजिन के कैल्सियम लवण
7.	मैसर्स पार्के डेविस (आई) लि०	1. ब्रोमोडिफेन हाइड्रामाइन
8.	मैसर्स सिनामाइड	1. ट्राइहेक्सी फेनीलाइल
		2. डिसोफिनोल
9.	मैसर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान	1. थाइमोल
10.	मैसर्स मर्क शर्प एंड डोहमे	1. साइप्रोहेप्टामाइड
11.	मेसर्स रेलिस (आई) लि०	1. लीवर कन्सनटेट
		2. आइरन डेक्सट्रनि
		3. डेक्स्ट्रान
		3. हाइड्रयूरोनीडेस
12.	मैसर्स सियरले (आई) लि०	1. हेलोपेरीटोल
		2. मेस्ट्रनाल
		3. अमीनो फाइडाइन
13.	मैसर्स बोहिरिंगर नोल लि0	1. लेप्टाजोल
		2. आक्टीनम

	3. सेवनटोल
	4. मल्टीफन्जीन सब्सटेन्श
	5. पियटन सब्सटेन्श
	6. एल इफेड्राइन
	7. ग्लाईबेन्कलामाइड
14. मैसर्स डफर इन्टरफ्रान	1. न्यो—फेरम कन्सनट्रेट
	2. न्यो—फेरम पाउडर
	3. आयोडिन कन्सनट्रेट

छः उर्वरक संयंत्रों के स्थापना स्थलों के चयन के निर्माण में विलम्ब का प्रभाव

3276. **श्री एन० ई० होरो** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 गैस आधारित संयंत्रों की स्थापना के बारे में निर्णय लेने में तथा गैस के परिवहन के लिए पाईपलाइन बिछाने में विलम्ब के कारण उनके लागत अनुमानों में भारी वृद्धि हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच समिति द्वारा यदि इस बारे में सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया गया तो उसका ब्यौरा क्या है ;

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं है कि गैस पर आधारित 6 उर्वरकों संयंत्रों की स्थापना के बारे में निर्णय लेने तथा गैस के परिवहन के लिए पाईपलाइन बिछाने में विलम्ब हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप लागत में भारी वृद्धि हो गई है। प्रस्तावित संयंत्रों के लिए उपयुक्त स्थानों की सिफारिश करने और इन संयंत्रों में गैस ले जाने के लिए पाईपलाइन के उपयुक्त रेखांकन की सिफारिश करने हेतु स्थल चयन समितियां नियुक्त की की गई है। समिति द्वारा शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है और इसके पश्चात सरकारी निर्णय लिया जाएगा।

किशनगंज से पटना तक सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करना

3277. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किशनगंज से पटना तक सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(ख) क्या किशनगंज में कोई जनरेटर लगाया गया है क्योंकि वहां पर बिजली उपलब्ध नहीं है ;

(ग) क्या जनरेटर चालक के अभाव में जनरेटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है ; और

(घ) क्या इसी कारण किशनगंज से पटना तक सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) किशनगंज में एक सहायक जनरेटर उपलब्ध है और मुख्य पावर सप्लाई बंद हो जाने पर इसका प्रयोग किया जाता है।

(घ) जी दहीं ।

अहमदाबाद में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करना

3278. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद में एक नए दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस बात को देखते हुए कि स्थल अधिगृहित किया जा चुका है और ट्रांसमीटरों तथा संबंध उपकरणों के लिए मार्च, 1980 में आदेश दिए गए हैं, अहमदाबाद में निर्माण कार्य कब पूरा हो जाएगा ;

(ग) क्या स्टूडियो वीडिओ उपकरणों के आदेश दिए गए हैं ; और

(घ) इस परियोजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) लगभग 1600 वर्ग मीटर के छोटे भाग को छोड़कर दूरदर्शन केन्द्र के लिए स्थान को 20 जनवरी, 1981 को कब्जे में ले लिया गया है। शेष स्थान को भी राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही सौंप दिए जाने की उम्मीद है। भवन के प्राक्कलन मंजूर किए जा रहे हैं । ट्रांसमीटर और स्टूडियों उपकरणों के लिए आर्डर दे दिया गया है।

(ख) अहमदाबाद दूरदर्शन केन्द्र के 1983-84 तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ग) जी, हां।

(घ) निम्नलिखित के बारे में कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है :

(1) योजना में धनराशि का आवंटन।

(2) समूचे कार्य के लिए व्यय वित्त समिति/पब्लिक इन्वैस्टमेंट बोर्ड की मंजूरी।

(3) प्रशासनिक मजदूरी और व्यय की मजदूरी

(4) स्थल का चयन, अधिग्रहण आदि (जैसा प्रश्न के भाग) (क) के उत्तर में बताया गया है।

सिविल निर्माण कार्यों के प्राक्कलन विचाराधीन है और टावर के लिए आर्डर अभी दिया जाना है ।

एल०पी० जी० वितरकों को प्रति सिलेण्डर लाभ

3 79. श्री अजय विश्वास क्या पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल० पी० जी वितरक को प्रति सिलेण्डर कितना लाभ होता है ;

(ख) प्रत्येक वितरक को अधिकतम कितने उपभोक्ताओं का रखने की अनुमति है ; और

(ग) अधिकतम उपभोक्ताओं की संख्या जांचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) एल० पी० जी० वितरकों को 15 किलोग्राम, 142 किलोग्राम तथा 12.8 किजोग्राम के प्रत्येक सिलेंडर पर एक समान आधार पर डीलर के कमीशन के रूप में 3.62 रुपये के कुल लाभ की अनुमति प्रदान की गई है ।

(ख) और (ग) प्रति वितरक उच्चतम सीमा रिफिल की बिक्री के आधार पर लागू होती है । सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार रिफिल की बिक्री की सीमाएं नीचे दिए गए के अनुसार निर्धारित की गई :—

बाजार	रिफिलों/महीनों की संख्या
बम्बई	6,000
दिल्ली	4,000
10 लाख रुपये से अधिक जनसंख्या वाले अन्य शहर	3,500
2 लाख और 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहर	3,000
अन्य स्थान	2,500

ये अधिकतस सीमाएं सहकारी समितियों पर लागू नहीं होतीं । उन वितरकों से जिनकी रिफिल की बिक्री उनकी अधिकतम सीमा से अधिक है एक चरणबद्ध ढंग से उनके अतिरिक्त ग्राहकों को वापिस लेने के लिए तेल कम्पनियों से कहा गया है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार संस्थापनों के लिए तोर अथवा वायु विद्युत

3280. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार संस्थापनों की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए अधिक तोर अथवा वायु विद्युत का उपयोग करने के लिए कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार और राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) गोधरा, मेहताना, भिंड, इम्फाल, बांदा और अगरतला क्षेत्रों के कुछ स्थानों में बहु-सम्पर्क ग्रामीण रेडियो, टेलीफोन योजनाओं के लिए वाणिज्यिक विद्युत सप्लाई की कोई व्यवस्था नहीं है । इन स्थानों पर फोटो वेल्टिक सौर पैनलों । वायु जनरेटरों जैसे गैर पारम्परिक विद्युत स्रोतों पर विचार किया गया है ।

ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए विश्व बैंक द्वारा किया गया अध्ययन

3281. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के दल ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में अध्ययन किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस मामले में कोई सिफारिश की है और स्थापित की जाने वाली परियोजनाएं निर्दिष्ट की हैं ; और

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोई वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित किए जा रहे कुछ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक (अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ) के बीच अभी तक दो ऋण करार सम्पन्न हुए हैं । ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए तीसरे ऋण के लिए बातचीत चल रही है । पहले दोनों ऋणों के मामले की तरह ही तीसरे ऋण के लिए भी, विश्व बैंक के मूल्यांकन दल द्वारा अपने मूल्यांकन कार्य के एक भाग के रूप में उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित की गई ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं में शामिल किए गए कुछ चुने हुए क्षेत्रों का क्षेत्रीय दौरा किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) तीसरे ऋण के अन्तर्गत हाथ में ली जाने वाली ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का तथा उनके लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता का ब्योरा, बातचीत समाप्त होने के पश्चात ही उपलब्ध होगा ।

वृहत् बम्बई में टेलीफोन डायरेक्टरी जारी किया जाना

3282. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बृहत बम्बई के लिए टेलीफोन डायरेक्टरियां पिछली बार कब जारी की गई थी ;

(ख) वृहत बम्बई के लिए अद्यतन टेलीफोन डायरेक्टरी के जारी न किए जाने के क्या कारण हैं जिसकी वजह से प्रयोक्ताओं को बहुत दिक्कतें हो रही हैं ; और

(ग) अद्यतन टेलीफोन डायरेक्टरी शीघ्रता से जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और नई डायरेक्टरी कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) बम्बई की अंग्रेजी टेलीफोन निदेशिका सितम्बर 1979 में प्रकाशित की गई थी। जनवरी, जुलाई तथा दिसम्बर, 1980 में इसके अनुपूरक प्रकाशित किये गये थे। हिन्दी टेलीफोन निर्देशिका दिसम्बर, 1980 में प्रकाशित की गई थी।

(ख) हाल ही की अद्यतन अंग्रेजी निर्देशिका जारी न करने के कारण इस प्रकार हैं (1) छपाई कागज की सप्लाई में विलंब (2) कम्प्यूटर एजेंसी के साथ नए करार को अन्तिम रूप देने में विलम्ब।

(ग) जब चूंकि छपाई कागज की सप्लाई पूरी हो गई है तथा कम्प्यूटर एजेंसी के साथ करार को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है अतः अंग्रेजी निर्देशिका मार्च, 82 तथा हिन्दी निर्देशिका अप्रैल, 82 तक प्रकाशित किये जाने की सम्भावना है।

एल० पी० जी० का उत्पादन

3283. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का कितना वार्षिक उत्पादन हो रहा है ;

(ख) इस समय कुल कितने उपभोक्ताओं को एल० पी० जी० की सप्लाई की जा रही है ;

(ग) 31 मार्च, 1981 तक नए कनैक्शनों की सूची में कुल कितने उपभोक्ता दर्ज हैं ; और

(घ) मांग को पूरी करने के लिए एल० पी० जी० के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने हाल में क्या कदम उठाए गए हैं।

पेट्रोलियम, और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) देश में

तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का वर्तमान उत्पादन 4 लाख मी० टन के लगभग है।

(ख) और (ग) वर्तमान में लगभग 35 लाख पंजीकृत उपभोक्ता हैं। दिनांक 31-3 1981 की यथा स्थिति को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कनैक्शनों के लिए आवेदकों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि 31-12-1980 को आवेदकों की संख्या 37 लाख के लगभग थी।

(घ) 1982-83 तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० एन० जी० सी०) के उपरान्त संयंत्र तथा मथुरा तथा कोयाली शोधनशालाओं से लगभग 5 लाख मी० टन अतिरिक्त तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के उपलब्ध होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त 1984-85 तक तक आयल इन्डिया लिमिटेड के असम स्थित जी० एल०पी० निष्कर्षण संयंत्र से 60,000 मी० टन और गैस के उपलब्ध होने का अनुमान है। कुछ संशोधन-शालाओं में उनके पश्चात विस्तार अतिरिक्त तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का उत्पादन किया जाएगा। इस प्रकार आने वाले वर्षों में तरलीकृतपेट्रोलियम गैस की उपलब्धता में भरपूर वृद्धि होने का अनुमान है।

पचेत पहाड़ी द्वितीय यूनिट के लिए डी० वी० सी० समय अनुसूचि

3284 **श्री चितामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पचेत पहाड़ी द्वितीय यूनिट के लिए डी० वी० सी० सूची समय सुचों अस्त-व्यस्त हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मत्रालय में राज्य मत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) : पंचेत घाटी पम्प स्टोरेज स्कीम में प्रतिवर्ती टर्बाइनों का निर्माण किया जाना है। उपस्कर की विशेष प्रवृति को देखते हुए एक विदेशी फर्म को आर्डर दे दिए गए थे। उपस्कर के सन्तोषजनक कार्म-निष्पादन को साबित करने के लिए उक्त विदेशी फर्म माडल टेस्ट करने के लिए राजी हो गई थी। दुर्भाग्य-वश, माडल टेस्ट सफल नहीं रहे। निर्माणकर्त्ता ने एक दूसरा माडल टेस्ट किया है तथा इसके परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है। इस कारण परियोजना को चालू करने में थोड़ा विलम्ब हुआ है। भूमि के अधिग्रहण से संबंधित समस्या भी थी। इससे, चालु करने का कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हुआ है।

राजस्थान के जैसलमेर जिले में तेल की खोज

3285 **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की पा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग राजस्थान के जेसलमेर जिले से तेल और गैस की ो खोज और सर्वेक्षण के कार्य में कब से जुटा हुआ है ;

(ख) आयोग ने इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति की हैं और वहाँ छिद्रण कार्य कब शुरू किया जाएगा ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस मंत्रालय का विचार छिद्रण और खोज कार्य को उपर्युक्त एजेंसी की बजाय किसी अन्य एजेंसी को सौंपने का निर्णय लेने का है ।

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क)तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 1956 से राजस्थान के जैसलमेर जिले में अन्वेषण और तेल एवं प्राकृतिक गैस सर्वेक्षण के काममें लगा हुआ है ।

(ख) भूगर्भीय अन्वेषण कार्य पूरे होने वाले हैं। अभी तक सम्पूर्ण बेसिन के गुरुत्व चुम्बकीय सर्वेक्षण और भूकम्पीय सर्वेक्षण, इसके अन्तर्गत 3712 लाइन किलोमीटर के क्षेत्र हैं, पूरे हो गये हैं। आंकड़ों के आधार पर, अभी तक 16 कुओं की खुदाई की गई है, परन्तु इस क्षेत्र में हाईड्रोकार्बन्स के वाणिज्यिक भण्डार नहीं पाये गये हैं। उन्नत तकनीक जो इस समय प्रचलित है के साथ किये गये भूकम्पीय सर्वेक्षणों के फलस्वरूप उचित सम्भावित स्थलों का पता लगाने पर ही आगे खुदाई प्रक्रियाएं जारी की जायेगी।

(ग) इस सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नही लिया गया है ।

बिहार में नए डाकघर खोलने में विलम्ब

3286. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या संचार मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बहुत बड़ी संख्या में नए डाकघर खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है लेकिन राज्य को आवश्यक आवंटित धनराशि नहीं दी गई है जिस कारण नए डाकघर खोलने का काम बन्द पड़ा है;

(ख) क्या बिहार के महाडाकपाल ने इस धनराशि के लिए संचार विभाग को आवश्यक प्रस्ताव नहीं भेजे अथवा क्या संचार विभाग के अधिकारियों की सुस्ती के कारण यह कार्य रुका है ; और

(ग) चालू वित वर्ष में इस मद के अन्तर्गत राज्यवार आवंटित राशि क्या है और बिहार को कितना धनराशि आवंटित किया गया ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान बिहार सर्किल के लिए वर्ष भर में 360 डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक कुछ ही प्रस्तावों पर कार्यवाही की गई है तथा उनको डाकघर खोलने हेतु उचित पाया गया है। कार्यक्रमानुसार वर्ष के दौरान सभी डाकघर खोलने के लिए निधि को बिहार सर्किल के अधिकार में रखा गया है।

(ख) हालांकि बिहार सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल ने निधि हेतु अपनी आवश्यकताओं को दर्शाते हुए एक विवरण समय पर प्रस्तुत किया था, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वह डाक तार

निदेशाब्य में प्राप्ति नहीं हुआ । अस्तु सर्किल को प्रारम्भिक निधि का आबंटन नहीं किया गया । तदुपरान्त सर्किल से निधि हेतु असस्मारक प्राप्त होने पर अपेक्षित निधि उपलब्ध करा दी गई हैं ।

(ग) 1980-82 के दौरान डाक योजनाओं के विस्तार कार्य को प्रारम्भ करदे के लिए निधि का सर्किल वार आबंटन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है ।

विवरण

355-डाक सेवाएं की । 2 डाकघद (योजना)खोलने एवं उनका दर्जा बढ़ाने हेतु नई मदें के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 के लिए निधि के सर्किलवार आबंटन को दर्शाने का विवरण ।

यूनिटों में

सर्किल का नाम	बी 1 (2) के आधीन आबंटन
आन्ध्र	2,15,000
बिहार	2,86,000
दिल्ली	2,500
गुजरात	3,70,000
जम्मू एवं कश्मीर	1,10,000
कर्नाटक	2,31,000
केरल	2,96,000
मध्य प्रदेश	6,00,000
महाराष्ट्र	4,70,000
उत्तर पश्चिम	4,45,000
राजस्थान	2,00,000
तमिलनाडु	1,52,000
उत्तर प्रदेश	54,000
पश्चिम बंगाल	1,38,500

हल्दिया में तेल शोधन कारखानें का विस्तार

3287. **प्रो० सत्य गोपाल मिश्र** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार छठी योजना अवधि के दौरान हल्दिया के तेल शोधन कारखाने का विस्तार करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) हल्दिया शोधनशाला को विस्तार प्रायोजन को छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। इन्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड से कुछ परिवर्तन करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सम्भाव्यता रिपोर्ट में संशोधन करने के लिए कहा गया है। इसकी प्रतिक्षा की जा रही है। हल्दिया शोधनशाला विस्तार प्रायोजना के ब्यौरे सम्भाव्यता रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद पता करेंगे।

गोदावरी तटदूर परियोजना के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता

3288. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदावरी तटदूर परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता के सम्बन्ध में हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) परियोजना सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना से कच्चा तेल कब मिलना शुरू हो जाएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) प्रस्तावित प्रायोजना का मूल्यांकन अभी विश्व बैंक के दल द्वारा अभी किया जाना है और मूल्यांकन के परिणाम पर विश्व बैंक ग्रुप से इस प्रायोजना की सहायता के लिए बातचीत करना निर्भर करेगा।

(ख) बेसित की हाईड्रो-कार्बन क्षमता का पता लगाने के लिए गोदावरी-कृष्णा बेसिन के तटवर्ती और तटदूर क्षेत्रों में और आगे भूकम्पीय सर्वेक्षणों एवं अन्वेषी व्यधन के कार्यक्रम के भाग को कार्यान्वित करने के लिए विश्व बैंक से 120 मिलियन अमेरिकी डालर तक की सहायता मांगी जा रही है।

डाक-तार विभाग (राजस्थान) में काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया जाना

3289. **श्री अशफाक हुसन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार विभाग में ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या क्या है जो क्रमशः पाँच वर्षों से अधिक समय 500 दिन अथवा अधिक दिन और 240 दिन अथवा अधिक दिन से कार्य कर रहे हैं ;

(ख) इन नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या नियम बनाए गए हैं ; और

(ग) क्या सरकार का वरिष्ठता के अनुसार रोजगार कार्यालय के माध्यम से गोरखपुर जो सर्किल में सात वर्ष पूर्व नियुक्त किए गए चतुर्थ कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव है ?

सचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होते ही यथा शीघ्र सभापटल पर दी जाएगी ।

(घ) जिन नैमित्तिक मजदूरों की भर्ती निर्धारित ढंग से हुई है तथा जिन्होंने दो क्रमागत वर्षों में से प्रत्येक में कम से कम 240 दिन तक सेवा की है वे विभाग के सम्बद्ध नियमित संवर्ग में समाहित किए जाने के हकदार हैं ; वशर्ते कि वे भर्ती की शर्तें पूरी करते हों तथा सम्बन्धित संवर्गों में रिक्त स्थान उपलब्ध हों ।

दूरसंचार कारखानों और संगठनों के औद्योगिक कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर का न होना

3290. **श्री भट्टाचार्य** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि दूरसंचार कारखानों और संगठनों के कर्मचारियों को बड़ी संख्या में अपने नियुक्ति संवर्ग से, अपनी सेवा अवधि के दौरान एक भी पदोन्नति पाए बिना, सेवा निवृत्त होना पड़ता है और चूंकि पदोन्नति की कोई श्रृंखला नहीं है अत: बहुत से कर्मचारियों को आगे भी अपने अधिकमत वेतन पर स्थिर रहना पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) एवं (ख) सामान्यत: दूरसंचार कारखानों तथा दूरसंचार संगठन के औद्योगिक सस्थापनों के अकुशल ग्रेड में भर्ती की जाती है तथा अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यन्त कुशल ग्रेड के पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाता है बशर्ते कि सम्बन्धित कर्मचारी निर्धारित व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण कर ले । कर्मचारियों का बहुत कम प्रतिशत ही अपनी भर्ती के संवर्ग में वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचा है और उनको इस कारण अगले ग्रेड में पदोन्नत नहीं किया जा सका क्योंकि अधिकांश ने निर्धारित व्यवस्साय परीक्षा

50 नई कोयला खनन परियोजनाओं का खटाई में पड़ना

3291. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा वित्तीय कमियों जो पूरा करन की अपनी वचनवद्धता को पूरा न किए जाने के कारण 50 से भी अधिक कोयला खान परियोजनायें खुदाई में पड़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां ये नई परियोजनाएं स्थगित की जानी थी ; और

(ग) योजना आयोग की वचनबद्धता को पूरा न करने के क्या कारण हैं और इससे कोयले के लक्षित उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) कोयला खानों के विकास के लिए अतिरिक्त राशि देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। विभिन्न परियोजनाओं पर इसके प्रभाव का निश्चय सरकार द्वारा कोई अन्तिम निर्णय ले लिए जाने के बाद ही किया जा सकता है।

ऊर्जा के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण

3292. **श्री सज्जन कुमार :**

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक भारत को ऊर्जा के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऊर्जा के विकास के लिए ऋण की इस राशि को किस तरह खर्च किया जाएगा और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रात्रय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना के दूसरे सोपान (3 × 500 मेगावाट तथा इसकी सम्बद्ध पारेषण लाइनों) के लिए लगभग 320 करोड़ रुपयों (400 मिलियन यू० एस० डालर) के एक ऋण के लिए विश्व बैंक (अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण) के साथ अप्रैल-मई 1981 में बातचीत आरम्भ की गई थी तथा विश्व बैंक द्वारा इसे जुलाई, 1981 में स्वीकृति दी गई थी। इस ऋण से सम्बन्धित करारों पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किये जाने की सम्भावना है।

2100 मेगावाट की चरम क्षमता वाला कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र मध्य प्रदेश में स्थित है तथा इसका निर्माण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में किया जा रहा है।

यह उल्लेखनीय है कि अभी तक विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता ली गयी है और इनके सम्बन्ध में करार हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इन करारों का ब्यौरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है।

विवरण

विद्युत परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के ऋणों का ब्यौरा

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	ऋण संख्या	ऋण की राशि (मिलिन यू. एस. डालर
1.	चौथी दामोदर घाटी निगम	19—आइ. एन.	18.50

1	2	3	4
2.	दूसरी कोयला विद्युत	24—आई. एन.	17.50
3.	कोठागुण्डम विद्युत	37—आई. एन.	20.00
4.	व्यास उपस्कार परियोजना	89—आई. एन.	23.00
5.	दूसरा विद्युत पारेषण	242—आई. एन.	75.00
6.	तीसरा विद्युत पारेषण	377—आई. एन.	85.00
7.	ग्रा० वि० नि०—1	572—आई. एन.	570.00
8.	चौथा विद्युत पारेषण	604—आई. एन.	150.00
9.	सिंगरौली ताप वि० परियोजना चरण—1	685—आई. एन.	150.00
10.	कोरिवा ता० वि० परि० चरण—1	763—आई. एन.	200.00
11.	रामागुण्डम ता० वि० परि० चरण--1	874—आई. एन.	200.00
12.	ग्रा० बि० नि०—11	911—आई. एन.	175.00
13.	सिंगरौली ता. वि. परि. चरण—2	1027—आई. एन.	300.00
14.	फरक्का ता. वि. परि. चरण—1	1053—आई. एन.	225.00

विद्युत परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक के ऋणों का ब्यौरा

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	ऋण संख्या	ऋण की राशि (मिलियन यू. एस. डालर)
1.	दामोदर	72—आई. एन.	19.50
2.	ट्राम्बे विद्युत	106—आई. एन.	16.20
3.	ट्राम्बे विस्तार	164—आई. एन.	9.80
4.	तीसरा दामोदर घाटी निगम	203—आई. एन.	25.00
5.	कोयना विद्युत	223—आई. एन.	25.00
6.	विद्युत पारेषण	416—आई. एन.	70.00
7.	दूसरा काठागुण्डम विद्युत	417—आई. एन.	14.00
8.	रामागुण्डम ता० वि० परियोजना चरण—1	1648—आई. एन.	50.00
9.	तीसरी ट्राम्बे ता. वि. परि.	1549—आई. एन.	105.00
10.	फरक्का ताप विद्युत	1887—आई. एन.	25.00

मध्य प्रदेश में गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों का आवंटन

3293. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को 'गैस एजेंसियां' तथा 'पेट्रोल पम्प' दिये गये हैं ;

(ख) कितने आवेदन पत्र अभी तक सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी विशेषकर उम्मीदवारों के नाम तथा एजेंसियों के स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदाय को बालाघाट जिले के मलाजखण्ड में एक फुटकर पेट्रोल बिक्री एजेंसी और भोपाल और बेतुल में एक-एक कुकिंग गैस वितरण एजेंसी दी गई थी। बेतुल में पार्टी द्वारा जुलाई, 1981 में एजेंसी लेने से मुकर जाना बताया गया।

(ख) और (ग) निम्नलिखित स्थानों पर 5 कुकिंग गैस एजेंसियों और एक फुटकर पेट्रोल बिक्री एजेंसी के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अधीन डीलरों का चयन किया जा रहा है :

खाना पकाने की गैस	रिटेल आउटलेट
इन्दौर	मिसराद (भोपाल)
भोपाल (2)	
भिलाई	
जबलपुर	

क्योंकि चयन अभी किया जाता है, इस समय प्रत्याशियों के नाम सम्बन्धी ब्यौरे देना संभव नहीं है।

घटिया कोयले का भटिंडा ताप परियोजना के उत्पादन पर प्रभाव

3294. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घटिया किस्म के कोयले से, जो कई बार तीन मीटर तक लम्बे पिण्ड होते हैं न केवल भटिंडा ताप परियोजना का उत्पादन ही कम हो गया है, बल्कि इससे रख रखाव संबंधी लागत भी बढ़ गई है और संयंत्र की कार्यकाल सम्बन्धी संभावना पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का संयंत्र को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री विक्रम महाजन(क) पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने यह बात सरकार की जानकारी में लाई है कि भटिण्डा ताप विद्युत केन्द्र को बड़ी मात्रा में घटिया किस्म का कोयला मिल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कोल हैण्डलिंग संयंत्र की ग्रेढ़िंग में अवरोध पैदा हुआ जिससे संयंत्र के कार्य-निष्पाद पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) कोयला विभाग, कोल इण्डिया लि०, तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के एक संयुक्त दल को मात्रा तथा गुणवत्ता दोनों ही के सम्बन्ध में कोयले की सप्लाई की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए भेजा गया था।

इस संयुक्त दल ने पिछले महीने इस विद्युत केन्द्र का दौरा किया था और अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि कोयले के स्टाक की उतराई के स्थान पर विद्युत केन्द्रों और कोयला सप्लाई कर्त्ताओं के प्रतिनिधियों द्वारा कोयले के संयुक्त रूप से सैम्पल लेने की प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। विद्युत केन्द्र प्राधिकारियों और अन्य संबंधियों के साथ परामर्श करके इस पर समुचित कार्यवाही की जा रही है।

कोल इण्डिया द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान निकाला गया कोयला

3295. **श्री दलवीर सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लिमिटेड के द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान मध्य-प्रदेश को कोयला खानों से कितनी मात्रा में कोयला निकाला गया, कोयला खानों में से निकाले गये कोयले में से कितना मध्य-प्रदेश में उपयोग में लाया गया और किन प्रयोजनों के लिए ;

(ख) मध्य प्रदेश में उपलब्ध कोयला किन-किन श्रेणी का है, उनके क्या उपयोग हैं और इसमें से कितने कोयले की ढुलाई की जा रही है और किस सीमा तक, और

(ग) मध्य प्रदेश की प्रत्येक कोयला खान से इन तीन वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन का लक्ष्य क्या था और उपलब्धि क्या रही ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ग) : वांछिक सूचना निम्नलिखित है :—

(मि० टन० में आंकड़े)

वर्ष	मध्यप्रदेश की को० इ० लि० की खानों से कोयला उत्पादन का लक्ष्य	म० प्र० में को० इ० लि० की खानों से निकले कोयले की मात्रा	कोयले का भाग जो म०प्र० में निकाला गया और म.प्र. में ही इस्तेमाल किया गया	उद्देश्य जिसके लिए प्रयोग किया गया;
1978-79	22.68	22.56	7.62	विद्युत बनाने
1979-80	24.21	24.31	8.25	इस्पात बनाने,
1980-81	26.01	25.93	8.50	सीमेंट कपड़ा, रेयन, कागज और अन्य वस्तुएं बनाने के लिए ईट मकान के लिए

(ख) अकोक्कर कोयला (ग्रेड 'ए' से 'एफ') मीडियम कोककर कोयला (वाशरी ग्रेड II); अर्द्ध-कोककर (ग्रेड I/II) और कम भाप वाले कोयले की थोड़ी मात्रा मध्य-प्रदेश में उपलब्ध हैं जिन्हें उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए काम में लाया जाता है। कोयला रेल गाड़ी सड़क, उपभोक्ताओं के अपने वैगनों, बेल्ट कन्वेयरों और रज्जुमार्ग द्वारा पहुंचाया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परिवहन साधनों से निम्नलिखित कोयला भेजा गया :

(आंकड़े मिलियन टनों में)

वर्ष	रेल से	सड़क से	उपभोक्ताओं के ही वैगनों में	बेल्ट रज्जुमार्ग कन्वेयर्स		कुल
1978-79	15-29	2.09	2.48	1.06	0.86	21.78
1979-80	16.24	4.22	2.14	1.22	0.86	24.68
1980.81	16.86	4.94	1.94	1.50	0.87	26.11

तेल की खुदाई हेतु निविदायें आमंत्रित करना

3296. **श्री राजेश पाइलट** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तटदूर तथा सामान्य तेल की खुदाई के लिए हाल में अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो पिछली छूटों और शर्तों की तुलना में अब क्या छूटें और नई शर्तें रखी गयी हैं ;

(ग) इसका अब तक क्या उत्तर मिला है और पिछले उत्तरों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है; और.

(घ) क्या यह संभव नहीं है कि एक ही समय में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के साथ अनेक कम्पनियों को सम्बद्ध किया जाये और तेल के आयात में जल्द से जल्द कमी लाइ जा सके ।

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां ;

(ख) और (ग) : इस समय बातचीत चल रही है और इस स्थिति में, ब्योरे प्रकट करना जनहित में नहीं होगा ।

(घ) जो भी व्यवस्थाएं करनीं होगी उनमें ओ. एन. जी. सी. को पूर्ण रूप से और प्रभावी रूप से सम्बद्ध किया जायेगा ।

कलाकारों का शोषण कर रहे आकाशवाणी के अधिकारी

3297. **श्री राजेशकुमार सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस प्रेस समाचार (पायनियर, 14 जुलाई 1981) की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कलाकारों का शोषण कर रहे आकाशवाणी के अधिकारियों की कार्य प्रणाली और भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी जैसे अन्य अपरावों में उनके व्यस्त होने पर प्रकाश डाला गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रशारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) उप महानिदेशक के स्तर के एक अधिकारी से मामले में तथ्य अन्वेषण जांच करने के लिए कहा गया है ।

वकीलों द्वारा फीस का लिया जाना

3298. **श्री अशोक गहलोत** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वकीलों द्वारा अपने मुवक्किलों से ली जाने वाली फीस पर कोई यंत्रणा लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई रूपरेखा तैयार की है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

औषत उद्योग का विकास

3299. **श्री रतनसिंह राजवा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषध उद्योग के सभी क्षेत्रों ने समान रूप से औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 की आलोचना की है।

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार की नीतियों से भारतीय भेषज उद्योग का विकास कम हो गया है।

(ग) क्या सरकार ने औषध उद्योग द्वारा किए गए विरोध पर अब तक ध्यान नहीं दिया है, यदि हां तो, उसके क्या कारण हैं, और

(घ) देश में औषध उद्योग के विकास को पुकरुजीवित करने और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का विचार यदि कोई कार्यवाही करने का है तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम, और रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 में बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्यों को सुव्यवस्थित करने की व्यवस्था है। वे सभी बल्क औषध और पहली और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं और जिनकी आवश्यकता आम तौर पर मूल्य नियंत्रित फार्मूलेशनों के उत्पादन के लिए होती है, स्वयं मूल्य नियंत्रित है। आदेश फार्मूलेशनों पर मार्क-अप भी निर्धारित करता हैं। श्रेणी I पर 40 प्रतिशत तक, श्रेणी II पर 55 प्रतिशत और श्रेणी III फार्मूलेशनों पर 100 प्रतिशत शेष फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रित नहीं है।

इस आदेश का उद्देश्य है निर्माताओं को उपर्युक्त लाभ की अनुमति देते हुए जनता को आवश्यक और जीवनरक्षक औषधों उपर्युक्त मूल्यों पर उपलब्ध कराना।

आदेश के आधीन मूल्य निर्धारण/संशोधन के परिणामस्वरूप कुछ औषधों के मूल्यों में वृद्धि हुई है और कुछ अन्य के मूल्यों में कमी हुई है। आदेश में वर्तमान औषध मूल्यों में यथा स्थिति बनाये रखने की कोई व्यवस्था नहीं हैं, जो इनसे प्रभावित हो उन्होंने इस पर भिन्न-2 प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बहुत से निर्माताओं ने इसके अन्तर्गत किये गए मूल्य संशोधनों को कार्यान्वित किया है और कुछ ने उनकी समीक्षा के लिए कहा है जिसके लिए आदेश में व्यवस्था है और कुछ इस मूल्य निर्धारणों/संशोधनों तथा (मूल्य नियत्रण) आदेश 1979 के विरुद्ध न्यायालयों में चले गये हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) वह औषध नीति के बारे में उद्योग संघों और व्यक्तिगत औषध निर्माताओं से प्राप्त विरोध पत्र को आधार हीन और अनुचित पाया गया था। महत्वपूर्ण औषधों के उत्पादन में वर्ष 1979-80 की तुलना में 1980-81 में बृधि हुई है जिसे निम्न तालिका में देखा जा सकता है।

क्र.सं.	बल्क ड्रग का नाम	यूनिट	उत्पादन	
			1979-80	1980-81
1.	पेनिसिलिन	एमएमयू	326.96	336.51
2.	स्ट्रेप्टोमाइसीन	टन	220.16	227.33
3.	क्लोरमफेनीकोल पाउडर	टन	89,92	125.84
4.	ट्रेटासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड	टन	141.09	129.83
5.	ऑक्सीटेट्रासाइलीन	टन	113.96	169.85
6.	एम्पीसिलिन ट्राइहाइड्रेट/एनहाइड्स	टन	16.96	43.32
7.	एरिथ्रोमाइसीन	टन	23.06	30.85 (अस्थाई)
8.	डि आक्सी साइक्लीन	टन	1.15	2.22
9.	सल्फामेथाक्साजोल	टन	48.04	154.37
10.	पेथाइल सल्फाथियाजोल	टन	15.16	31.40
11.	एनलजीन	टन	592.18	781.86
12.	आतसी फिनाइलबूटाजोन	टन	48.13	62.14
13.	इथाबुटोल एच.सी.एल	टन	24.26	35.06
14.	क्लोरोप्रोपेमाइड	टन	11.83	25.96
15.	पिपराजाइन एंड इसके लवण	टन	109.81	122.39

राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में नपे डाकघरों का खोला जाना

300. **श्री जय नारायण** रावट : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान राज्य में उन आदिवासी क्षेत्रों के नाम क्या है जहां की योजना अवधि के दौरान नये डाकघरों के खोले जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : फिलहाल राजस्थान राज्य के सभी

आदिवासी गांवों के नाम जहां छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नए डाकघरों को खोलने की संभावना है, बताना संभव नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों को खोलने की प्रक्रिया सकिल में डाक प्राधिकारियों द्वारा निरंतर चलाई जाती है और निर्धारित मानदंडों के अनुसार जैसे ही प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जाता है तथा वार्षिक योजना लक्ष्यों के अन्तर्गत उनका खोलना संभव पाया जाता है, डाकघर खोल दिए जाते हैं।

हल्दिया उर्वरक संयंत्र के निर्माण पर खर्च धनराशि

3301. **श्री नारायण चौबे** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में उर्वरक के उत्पादन के लिए एक संयंत्र है,

(ख) यह संयंत्र कब पूरा हुआ ;

(ग) इसके निर्माण पर कितनी राशि खर्च हुई है,

(घ) इस कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं, और

(ङ) उन कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ते, बोनस तथा अन्य भत्तों पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ;

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) संयंत्र का यांत्रिक निर्माण नवम्बर 1979 में पूरा हुआ था। दिनांक 1.4.1982 से संयन्त्र द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिये जाने की आशा है।

(ग) जून, 1981 तक संयंत्र के निर्माण पर 239.5 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

(घ) इस कारखाने में कर्मचारियों की कुल संख्या 1701 है।

(ङ) कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ते, बोनस और अन्य भत्तों पर जुलाई, 81 तक 905.69 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई है।

कृत्रिम रेशों का आयात

3302. **श्री वी० के० नायर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में कृत्रिम रेशों का आयात किया गया, उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई और भारतीय तथा आयातित रेशों के तुलनात्मक मूल्य क्या है ;

(ख) देश में इसके उत्पादन के लिए कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है इसमें कितनी

पूंजी अन्तर्ग्रस्त है. उक्त अवधि में इसका कितने प्रतिशत उपयोग हुआ और क्या इसके लिए और अधिक क्षमता का सृजन किया जा रहा है ;

(ग) क्या उक्त आयात से बचा जा सकता था, और यदि नहीं तो किन परिस्थितियों के कारण ;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग हो और उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर यह उत्पाद खपलब्ध हो ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि विदेशों से मंगाकार सामग्री का मण्डारण कर लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) मानव निर्मित तन्तुओं की मांग अपनी घरेलू उपलब्धता से अधिक रही, इसलिए अन्तर को आयात द्वारा पूरा किया जाना था।

(घ) अधिकांश मानव निर्मित तन्तु संयंत्रों की प्रचलित क्षमता मोटे तौर पर पूर्ण रूप से उपयोग में लाई जा रही है।

सिन्थोटिक फाईबर पर कोई मूल्य नियत्रण नहीं है।

(ङ) मानव निर्मित तन्तुओं की विश्व मांग/सप्लाई स्थिति में अचानक परिवर्तनों की सम्भावना होती है, अतः सीमा शुल्क द्वारा घरेलू उत्पाद को पर्याप्त संरक्षण दिया जाता है।

प्रशान्त विहार में बिजली का प्रावधान

3303. **श्री मोखा भाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय कालोनी प्रशान्त विहार में बिजली के प्रावधान के बाबत नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या उपर्युक्त कालोनी के निवासियों को बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं ;

(ग) यदि हां, और यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण हैं क्या ; और

(घ) उपर्युक्त कालोनी के निवासियों का किस तिथि तक बिजली के कनेक्शन दे दिए जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) प्रशांत विहार के लिए सामान्य विद्युतीकरण की स्कीम जिसमें सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था किए जाने के लिए ही प्रावधान है, दिल्ली विकास प्राधिकरण से इसकी अनुमानित लागत हेतु आवश्यक भुगतान प्राप्त होने पर, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा 17 जनवरी, 1981 को पास कर दी गई थी। ब्लाक

'ए', 'बी' और 'सी' के विद्युतीकरण का कार्य अक्तूबर, 1981 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है। इसके बाद, इन ब्लाकों के भावी उपभोक्ताओं को सामान्य वाणिज्यिक औपचारिकतायें पूरी कर देने के पश्चात् बिजली के कनक्शन दे दिए जायेंगे। भवन निर्माण संबंधी गतिविधियों की प्रगति पर निर्भर करते हुए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का विचार ब्लाक डी और ई का सामान्य विद्युतीकरण उत्तरोत्तर रूप से 1982 के अन्त तक कर देने का है।

(ख) से (घ) क्योंकि अभी कालोनी का विद्युतीकरण किया जाना है इसलिए फिलहाल स्थायी कनेक्शन देना व्यावहारिक नहीं हैं। तथापि विशेष अनुरोध तथा सामान्य शर्तों पर, निर्माण कार्यों के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा अस्थायी कनेक्शन दिए जा रहे हैं। किसी भी ब्लाक विशेष में बिजली का स्थायी कनक्शन तब ही दिया जा सकता है जब उस ब्लाक में सामान्य विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया हो।

दिल्ली में टेलीफोनों के त्रुटिपूर्ण कार्यकरण के बारे में शिकायतें

3304. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 जून 1981 से 30 जुलाई, 1981 तक दिल्ली में विभिन्न टेलफोन एक्सचेंजों में से प्रत्येक में टेलीफानों के त्रुटिपूर्ण कार्यकरण के बारे में कितनी शिकायतें दर्ज की गई थी। और ये शिकायतें किन-किन तारीखों को दर्ज की गई थी।

(ख) एक्सचेंज वार औसत अवधि क्या है जिसमें ये शिकायतें दूर की गई थीं और किस अनुपात मे ;

(ग) इतनी अधिक शिकायतों का क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस बारे में सम्बन्धित अधिकारियों की ओर से कोई खामी थी;

(ङ) लापरवाही से टेलीफोनों केवल बिछाने के लिए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

संचार मंत्रालय में राज्यमत्री (श्री कार्तिक उरांव : (क) तारीख 28.6.81 से 30.7.81 की अवधि के बीच प्रत्येक एक्सचेंज में दर्ज की गई शिकायतों की संख्या संलग्न सारणी में दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-2791/81]

(ख) (1) संलग्न सारणी में जून और जुलाई 1981 महीनों की एक्सचेंजवार दोष को औसत अवधि दी गई है।

(2) जहां तक एक्सचेंजवार अनुपात का संबंध है, यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

(ग) केवल जुलाई, 1981 महीने के दौरान शिकायतों की संख्या मानसून आ जाने और केबुलों में खराबी के कारण ज्यादा रही।

(घ) जी नहीं ।

(ङ.) उपरोक्त को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

तट दूर सप्लाई जहाजों की खरीद

3305. **श्री जगदीश टाईटलर** क्या पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए 21 तट-दूर सप्लाई जहाजों की खरीद पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वांछित जहाजो के निर्माण के लिए घरेलू प्रतिभा के उपयोग पर विचार कर किया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने भारतीय जहाज रानी निगम तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सहयोग से इन जहाजों के संचालन के लिए संयुक्त उपक्रमों पर विचार किया था; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से इन जहाजों की खरीद पर हुये सौदे का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां । 24 सप्लाई जलयानों की खरीद के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को अनुमोदन दे दिया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से आम निविदा (ओपन टेंडर) के माध्यम से तत्काल डिलीवरी के लिए 4 नए या पुराने जहाज प्राप्त करने का प्रस्ताव है । प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाकी जहाजों का देश में तथा विदेशों में निर्माण किया जाएगा ।

विभिन्न कांग्रेस दलों के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग का निर्णय

3306. **श्री नवीन रवाणी** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने वास्तविक कांग्रेस के संबंध में अपने निर्णय की घोषणा कांग्रेस (इ) के पक्ष में की है ।

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

(ग) सरकार ने इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है, और

(घ) उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के विभिन्न कार्यालयों का भार कांग्रेस (इ) को सौंपने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) इण्डियन, नेशनल कांग्रेस के मामले में तारीख 23 जुलाई, 1981 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा किए गए आदेश से उद्धरण इस प्रकार है :—

'मैं अभी निर्धारित करता हूं कि·····

(1) उस ग्रुप को जिसकी अध्यक्ष श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं और जो इण्डियन नेशनल कांग्रेस (इ) के नाम से ज्ञात है, प्रतीक आदेश के प्रयोजन के लिए इण्यिन नेशनल कांग्रेस, जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है, के रूप में मान्यता प्राप्त होगी;

(2) जब तक कि वह दल "गाय और बछड़ा" के उस प्रतीक के लिए, जिसे अनुपलब्ध बना दिया गया है, फिर से दिए जाने के लिए आवेदन नहीं करता है तब तक "हाथ" प्रतीक आरक्षित प्रतीक बना रहेगा; और

(3) इण्यिन नेशनल कांग्रेस के उस ग्रुप की जिसके नेता श्री देवराज अर्स हैं और जो इण्डियन नेशनल कांग्रेस (अ) के नाम से ज्ञात है, मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। किन्तु उक्त दल किसी भिन्न नाम और अभिनाम से मान्यता प्राप्त करने के जिए आयोग से अनुरोध कर सकेगा और यदि ऐसा आवेदन किया जाता है तो प्रतीक आदेश के अधीन उस पर उसके गुणागुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) आयोग का निर्णय निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 10 के प्रयोजन के लिए रिटर्निंग आफिसर को एक निदेश है और वह उन नियम के अधीन रिटर्निंग आफिसर पर आबद्धकर है। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए सरकार को कोई कार्रवाई नहीं करनी है।

तेल की खोज के लिए विदेशी तेल कंपनियों के साथ समझौता

3307. **श्री रामसिंह यादव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तेल की खोज और उत्पादन में सहयोग के लिए कितनी विदेशी तेल कंपनियों ने अपनी सेवाए देने की पेशकश की है; और

(ख) क्या सरकार ने इस कार्य के लिए उनकी पेशकश स्वीकार कर ली है, यदि हां, तो सरकार द्वारा कितनी कंपनियों के लिए स्वीकृति दी गई है।

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तथा (ख) इस समय जबकि बातचीत जारी है ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा।

कुकिंग गैस एजेंसियाँ देना

3308. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुकिंग गैस एजेंसियां देने के लिए, राज्यवार, किन स्थानों को चुना गया था;

(ख) एजेंसियां प्राप्त करने के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित की गई तारीखें क्या हैं ?

(ग) किस तारीख को एजेंसियों का चयन पहली बार रद्द किया गया था;

(घ) रद्द किये जाने के बाद किन तारीखों को आवेदन पत्र दोबारा मांगे गए थे; और

(ङ.) उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तेल कंपनियों ने 1980-81 तथा 1981-82 की अपनी योजना में देश में क्रमश: 235 तथा 328 खाना पकाने की गैस एजेंसियां स्थापित करने के लिए कारंवाई प्रारम्भ कर दी है। राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। तथापि स्थलों के बारे में पूरा ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। इस बारे में इतनी भारी मात्रा में सांख्यिकीय सूचना को इकट्ठा करना/संकलित करना मंहगा होगा तथा इसमें काफी समय लगेगा तथा यह उद्देश्य के अनुरूप न होगा।

(ङ.) वितरकों का चयन किया जा रहा है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	एजेंसियों की संख्या	
		1880-8: योजना	1981-82 योजना
1.	आंध्र प्रदेश	26	12
2.	असम	02	—
3.	बिहार	08	17
4.	गुजरात	22	20
5.	हरियाणा	12	12

*उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर

1		2	3
6.	कर्नाटक	29	22
7.	हिमाचल प्रदेश	—	04
8.	केरल	—	10
9.	मध्य प्रदेश	17	27
10.	महाराष्ट्र	25	19
11.	उड़ीसा	02	14
12.	पंजाब	15	28
13.	राजस्थान	15	32
14.	तमिलनाडु	12	25
15.	उत्तर प्रदेश	20	64
16.	पश्चिमी बंगाल	07	10
17.	चण्डीगढ़	02	01
18.	दिल्ली	20	03
19.	गोवा	01	03
20.	जम्मू तथा कश्मीर	—	06
		235	328

गुजरात में आहवा डांग में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करना

3309, श्री छोटू भाई गामित : क्या सूचना और प्रशारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में कहवा डांग में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के लिए कोई अन्तिम निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) आहवा डांग और आकाशवाणी केन्द्र कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ; और

(घ) वहां पर आकाशवाणी केन्द्र की शीघ्र स्थापना के लिए सरकार द्वारा की जा रही ठोस कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) वित्तीय संसाधनों के कारण छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौराण गूजरात में आहवा डांग में रेडियो स्टेशन स्थापित करने की व्यवस्था करना सम्भव नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठते।

जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल के तलाडिहा गांव में डाकघर

3310. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जिला मिदनापुप पश्चिम बंगाल के तिलाडिहा गांव के अभाव में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या उक्त बात को ध्यान में रखकर सरकार का विचार उक्त गांव में डाकघर खोलने का है ;

(ग) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (घ) —जिला मिदनापुर के तिलाडिहा गांव में एक डाकघर खोलने हेतु एक आवेदन प्राप्त हुआ है। वहां डाकघर स्थापित करने की व्यवहार्यता पर विचार किया जा रहा है और चालू वर्ष के दौरान इस मामले में निर्णय ले लिया जाएगा।

इलैक्ट्रोनिक उपकरणों का निर्माण

3311. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन टेलीफोन इंस्ट्रीज ने इलैक्ट्रानिक टेलीफोन उपकरणों का निर्माण शुरू कर दिया है ;

(ख यदि,हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा तथा इसकी प्रतिवर्ष क्षमता क्या है ; और

(ग) उपभोक्ताओं को वे नये उपकरण कब उपलब्ध होंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नही।

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं होता।

ग्वालियर में दूरदर्शन केन्द्र

3312. **श्री एन० के० शेजवालकर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्वालियर में शीघ्र ही एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) मध्य प्रदेश में अन्य स्थानों के नाम क्या हैं, जहां दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है ;

(ग) क्या शास्त्रीय संगीत में बढ़ती हुई रुचि को देखते हुए एक केन्द्र विशेष से शास्त्रीत संगीत का निरन्तर प्रसारण उपयोगी रहेगा और क्या ग्वालियर से उक्त प्रसारण सम्भव है ; और

(घ) क्या सरकार के पास ग्वालियर प्रसारण केन्द्र की क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) रायपुर में दूरदर्शन प्रेषण केन्द्र है । कायतुर में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित करने की एक स्कीम छटी योजना में शामिल की गई है । अव्यपगमनीय निधि के अन्तर्गत इन्दौर में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की एक स्कीम भी विचाराधीन है ।

(ग) आकाशवाणी का ग्वालियर केन्द्र एक सहायक केन्द्र है जो आकाशवाणी, भोपाल से सम्बद्ध हैं । अब भी यह केन्द्र मूल केन्द्र अर्थात आकाशवाणी, भोपाल के बराबर शास्त्रीय संगीत सहित संगीत कार्यक्रम प्रसारित करता है ।

(घ) जब वर्ष के अन्त तक आकाशवाणी के केन्द्र का दर्जा बढ़ाने का काम मुकम्मल हो जाएगा तब इस केन्द्र के लिए मूल रूप से अधिक कार्यक्रमों को प्रसारित करना सम्भव हो जाएगा ।

दिल्ली दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों का मूल्यांकन

3313. **श्री रशीद मसूद** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किये जा रहे कार्यक्रमों की उनकी उपयोगिता को देखने के दृष्टिकोण अथवा इसकी सामाजिक दायित्वों को पूरा करने, मनोरंजन और लोगों को शिक्षित करने के दृष्टिकोण के साथ मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इसे एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए अन्तर को, यदि कोई है तो, भरने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) : जी, हां । दिल्ली दूर-

दर्शन केन्द्र में एक स्रोता अनुसंधान यूनिट है जो विशिष्ट कार्यक्रमों की मात्रात्मक प्रतिपुष्टि (फीड बैक) और गुणात्मक मूल्यांकन करने की दृष्टि से अध्ययन/सर्वेक्षण करती है। पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र की स्रोता अनुसंधान यूनिट द्वारा 16 अध्ययन/सर्वेक्षण किए गए हैं।

दूरदर्शन केन्द्रों के कार्यक्रमों में सुधार लाने और उनमें उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए उनकी आवधिक समीक्षा की जाती है। यह प्रयास निरंतर चलता रहता है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पृथक न्यायपीठ

3314. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सुरजभान : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पृथक न्यायपीठ की स्थापना किए जाने की मांग की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ख) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हाँ।

(ख) उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए एक न्यायपीठ गठित करने की मांग से उत्पन्न सभी बातों पर और उस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिशों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक तीन सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया है।

मध्य प्रदेश में उत्पादन की कमी से उद्योगों की स्थापना में बाधा पड़ना

3315. **श्री दिलीपसिंह भूरिया :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि गत 3-4 महीनों के दौरान मध्य प्रदेश में बिजली के उत्पादन में 60 से 50 प्रतिशत तक गिरावट आई है ;

(ख) क्या इसके कारण मध्य प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों और अन्य उपभोक्ताओं को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या इस राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के अवसरों पर भी इसका कुप्रभाव पड़ा है और बिजली की कमी के कारण अन्य राज्यों के उद्योगपति यहां नई इकाइयों की स्थापना करने में हिचकते हैं ;

(घ) उन राज्यों के साथ हुए करारों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को अन्य राज्यों से, राज्य-वार बिजली की कितनी-कितनी सप्लाई मिलने की व्यवस्था है और वास्तव में उसे कितनी सप्लाई मिल रही है; और

(ङ) क्या भारत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे

हैं कि मध्य प्रदेश को अन्य राज्यों से हुए करारों के अनुरूप ही उनसे अपना बिजली का हिस्सा प्राप्त होता है।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) मध्य प्रदेश में जनवरी से मार्च, 1981 तक की हुई अवधि में हुए उत्पादन की तुलना में अप्रैल, 1981 से जून, 1981 तक की अवधि के दौरान हुए विद्युत उत्पादन में 10.53 प्रतिशत की कमी हुई है। मध्य प्रदेश में जनवरी, 1981 से मार्च, 1981 तक की अवधि के दौरान औसत दैनिक उत्पादन 18.52 मिलियन यूनिट था और अप्रैल, 1981 से जून, 1981 तक यह उत्पादन 16.57 मिलियन यूनिट था। लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में यह अधिक है।

(ख) विद्युत की कमी की परिस्थितियों में विद्युत सप्लाई की स्थिति को नियमित करने के लिए मध्य प्रदेश ने औद्योगिक यूनिटों समेत विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर 25 से 40 प्रतिशत की मांग कटौती तथा 15 से 20 प्रतिशत ऊर्जा कटौती लागू की है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक यूनिट लागू विद्युत कटौतियों के अधीन रहते हैं लेकिन इनमें से अधिकांश यूनिट इस योग्य हैं कि उन्हें आबंटिक की गई विद्युत से वे सामान्यतः चलते रहें।

(ग) मध्य प्रदेश में उद्योगों में वृद्धि हुई है तथा राज्य में विद्युत की समग्र मांग में वृद्धि हुई है। कुल उत्पादन का लगभग 74% मध्य प्रदेश के उद्योगपति उपभोग करते हैं।

(घ) और (ङ.) गाँधी सागर के चम्बल घाटी जल विद्युत केन्द्र, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर में मध्य प्रदेश का 50% का हिस्सा है। किन्तु सतपुड़ा यूनिट 1-5 में राजस्थान का हिस्सा 40% है। सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र तथा गांधी सागर जल-विद्युत केन्द्र के समस्त उत्पादन का उपभोग मध्य प्रदेश करता है, जबकि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर के उत्पादन का उपभोग राजस्थान करता है तथा हिस्से के शेष भाग का समायोजन मध्य प्रदेश से राजस्थान को अरीय (रेडियल) सप्लाई करके किया जाएगा। इस प्रकार विद्युत की कम सप्लाई राजस्थान को रही है न कि मध्य प्रदेश को।

पैट्रो कैमीकल्स उद्योग को मंजूरी

3316. **श्री जेवियर अराकल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में कितनी-कितनी लागत के कितने नए पेट्रो-कैमिकल्स उद्योगों को मंजूरी दी गई है और इनकी स्थापना कहां-कहां और कब होगी ;

(ख) इन नए उद्योगों में उत्पादन कब तक शुरू हो जायेगा तथा उनके कितने क्या-किन उत्पादन होंगे और यदि उनका कोई वित्तीय मूल्य होगा तो कितना होगा; और

(ग) कोचीन तेल शोधन कारखाने के एरोमेटिक्स एकक के काम में विलम्ब के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जनवरी से अगस्त, 1981 के दौरान पेट्रोलियम उद्योगों के लिए जारी किए गये आशय पत्रों/ औद्योगिक लाइसेंसों के सम्बन्ध में सूचना संकलित की जा रही है और उन्हें सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ग) कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड एक सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है जिसकी प्राप्त होने पर तेजी से जांच की जाएगी।

औषधियों का अधिक आगात

3317. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी. पी. सी. के कहने पर सरकार ने कुछ समय पूर्व औषधियों की बड़े पैमाने पर आयात की योजनाएं तैयार की थी,

(ख) क्या ऐसी आयात योजनाओं के परिणामस्वरूप सी. पी. सी. के पास बिना बिक्री औषधियों का बहुत स्टाक जमा हो गया, और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीरसिंह) : (क) सरकारी सरणीकृत एजेन्सी सी. पी. सी. द्वारा देश में विभिन्न औषधों की अनुमानित मांग और उनकी स्वदेशी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरणीकृत औषध मदों को आयात किए जाने की अनुमति दी जाती है। इसको अतिरिक्त सी.पी.सी.भी पर्याप्त वफर स्टाक रखने के लिए नाजुक मदों की अतिरिक्त मात्रा (प्रत्येक मद के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत आयात का कुछ प्रतिशतता) का आयात कर सकता है।

(ख) और (ग) अभी वास्तविक उपभोक्ताओं को आबंटित सरणीबद्ध मदों के अप्रत्याशित कम उठान या वगैर उठान के कारण सी. पी. सी. को ऐसे औषधों का स्टाक रखना पड़ता है। तथापि ऐसे मामलों में विषयसूची को कम करने के उपचारी उपाय किए जाते हैं।

रतलाम में स्वचालित एक्सचेंज

3318. **श्री फूलचन्द शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रतलाम शहर में एक स्वचालित एक्सचेंज की आवश्यकता काफी अर्से से महसूस की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वहां विद्यमान टेलीफोन एक्सचेंज में यह व्यवस्था किए जाने में कितना समय लगेगा तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उपर्युक्त रतलाम टेलीफोन एक्सचेंज में कार्य कर रहे कर्मचारियों (आप्रेटर, मानीटर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन आदि) की कुल संख्या तथा खाली पदों की कुल संख्या क्या है ?

सचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) 1985-86 तक। भवन के निर्माण हेतु कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

(ग) टेलीफोन ओपरेटरों, मांनीटरों, पर्यवेक्षकों, तकनीशियनों आदि के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 121 है। इनमें से 108 पद भरे जा चुके हैं। केवल 13 की कमी है।

सम्बलपुर में स्वचालित केन्द्र (एक्सचेंज) का निर्माण

3319. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बलपुर में स्वचालित केन्द्र के निर्माण के लिए टेंडर मंगाने में विलम्ब के क्या कारण है जबकि उसके लिए बजट में व्यवस्था भी कर ली गई थी; और

(ख) निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है तथा सम्बलपुर में स्वचालित केन्द्र का निर्माण पूरा होने की क्या तिथि निर्धारित की गई है ?

सचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) एन० आई० टी० के जारी करने में कोई असमान्य देरी नहीं हुई है यद्यपि कार्य ड्राइंग को अंतिम रुप देने में थोड़ी देर हुई है।

(ख) निर्माण कार्य के दिसम्बर, 1981 में शुरु किए जाने की आशा है और इसे लगभग 18 महीनों में पूरा कर दिया जाएगा।

बल्क दवाइयों का उत्पादन

3320. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में बल्क दवाइयों का उत्पादन क्या है ?

(ख) क्या इन वर्षों के दौरान बल्क दवाइयों की मांग और पूर्ति के बीच खाई और चौड़ी हुई है।

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या सरकार का विचार बल्क दवाइयों को निर्यात करने का है,

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) गत पांच वर्षों के दौरान भारत में बल्क औषधों के उत्पादन का मूल्य निम्न प्रकार था :—

वर्ष	रु० करोड़
	बल्क औषधों के उत्पादन का मूल्य
1976-77	150
1977-78	164
1978-79	200
2979-80	226
1980-81	240

(ख) मूल्यों में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, मांग और पूर्ति के संदर्भ में गत पांच वर्षों के दौरान औषधों के आयात के कुल मूल्य के अन्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) औषधों और भेषजों (उत्तम रसायनों सहित) के कुल निर्यात में बल्क मदों की गणना 10 प्रतिशत से अधिक है । बल्क औषधों सहित निर्यात निस्पादन के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध है ।

सूरतगढ़ आकाशवाणी केन्द्र

3321. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरतगढ़ स्थित आकाशवाणी केन्द्र एक क्षेत्रीय केन्द्र है;

(ख) क्या उक्त केन्द्र से होने वाले प्रसारण प्रधान तथा क्षेत्रीय भाषा में होते हैं;

(ग) क्या क्षेत्रीय भाषा का स्वाभाविक प्रवाह बनाये रखने के लिये वहां कोई क्षेत्रीय कलाकार नियुक्त किए गये हैं ।

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वहां कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या की तुलना में उनकी संख्या का अनुपात क्या है; और

(ङ) क्या क्षेत्रीय भाषा के स्वाभाविक प्रवाह को बनाये रखने के उद्देश्य से वहां और अधिक क्षेत्रीय कलाकार भर्ती करने पर विचार किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क और (ख) जी, हां । केन्द्र से होने वाले प्रसारण प्रधानतया प्रादेशिक भाषा अर्थात हिन्दी में होते हैं । तथापि, कृषि और गृह कार्यक्रमों तथा अन्य विशिष्ट स्रोता कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने में राजस्थानी के स्थानीय रुप का भी प्रयोग किया जाता है ।

(ग) से (ङ.) केन्द्र में स्टाफ आर्टिस्टों सहित 30 कार्यक्रम कर्मचारियों की स्वीकृति संख्या है। इनमें से इस समय 9 पद भरे हुए हैं और ये सभी व्यक्ति केन्द्र की प्रादेशिक भाषा अर्थात हिन्दी को जानते हैं। दो और रिक्तियों को भरने के लिए आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं। जहां तक शेष 19 रिक्तियों का सम्बन्ध है, केन्द्र की भाषा इत्यादि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सीधी भर्ती के द्वारा या विभाग में ही उपलब्ध अधिकारियों का स्थानान्तरण करके इन पदों को भरने की कार्रवाई चल रही है।

त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन पर कार्यक्रम ठीक दिखना

3322. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन ट्रांसमीटर से कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, जिसमें समुद्र भी सम्मिलित हो दूरदर्शन कार्यक्रम ठीक प्रकार से दिखाई पड़ते हैं ;

(ख) समुद्र का यह क्षेत्र कौन सा है जहां कार्यक्रम ठीक प्रकार दिखते है ;

(ग) समुद्र में दूरर्शन तरंगों के बर्बाद होने से कितने प्रतिशत ऊर्जा की हानि होती हैं और राजकोष को कितनी होती है ;

(घ) केवल में ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए सुविधाजनक स्थान कौन सा है जिससे त्रिवेन्द्रम में भी कार्यक्रम ठीक से दिखें और साथ ही समुद्र में ऊर्जा की बर्बादी न हो ; और

(ङ.) उस स्थिति में केरल का कितना अतिरिक्त क्षेत्र समुचित कार्यक्रम ग्रहण (रिसैप्शन) के अन्तर्गत लाया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ङ.) : त्रिवेन्द्रम में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना, "राज्यों की राजधानियों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की योजना" के अन्तर्गत संसाधनों की उपलब्धता पर सिर्भर करते हुए चरणों में की जा रही है। त्रिवेन्द्रम ट्रांसमीटर का कुल सेवा क्षेत्र 14,800 वर्ग किलोमीटर है।

त्रिवेन्द्रम के ट्रांसमिटिंग एन्टीना का डिजाइन, तटीय नगरों के लिए सेवा की मानक प्रथा के अनुसार, समुद्र की ओर ऊर्जा के प्रसार को कम करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है।

कोरापुट, उड़ीसा पोतेरू परियोजना के लिये सहायता

3323. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले में पोतेरू परियोजना के कार्यान्वयन के लिये अब तक, वर्षवार, कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ख) क्या सरकार का इस परियोजना को उड़ीसा सरकार को सौंपने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार भी इस परियोजना के लिये भूमि आदि देने के अतिरिक्त वित्तीय सहायता दे रही है ; और

(घ) इस परियोजना के पूरा होने की सम्भावित अवधि क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० के० थुन्गन) : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं । परियोजना का निष्पादन उड़ीसा सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(ग) जी, हां । जल मार्ग पर होने वाले व्यय के भाग के रूप में उड़ीसा सरकार द्वारा केवल 16.00 लाख रुपये की राशि का योगदान किया जाएगा ।

(घ) जून, 1985 ।

विवरण

वर्ष	राशि जिसकी उड़ीसा सरकार को प्रतिपूर्ति की गई (रुपयों में)
1974-75	1,01'23,000.00
1975-76	1,10,00,000,00
1976-77	1,21,00,000.00
1977-78	5,73,84,190.00
1978-79	5,60,00,000,00
1989-80	2,50,00,000.00
1980-81	4,50,00,001.00
1981-82 (जून, 1'81 तक)	87,47,569.00
योग	22,53,54,760.00

वर्तमान टेलीविजन प्रणाली को रंगीन टेलीविजन प्रजाली में बदलने की योजना

3324. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार वर्तमान टेलीविजन प्रणाली को रंगीन टेलीविजन प्रणाली में बदलने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे : देश में रंगीन दूरदर्शन प्रेषण चालू करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। अब तक निर्णय विदेशी प्रशारण संगठनों के उपयोग के लिए एशियाई खेलों का सीमित रंगीन कवरेज उपलब्ध करने का है।

औषधियों की कीमतों में कमी लाने हेतु सुझाव के लिये एक दल की नियुक्ति।

3325. **श्री जी० आई० कृष्णन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा औषधियों की कीमतों को कम करने के तरीके ढूढ़ने और सुझाव देने के लिए किसी बल की नियुक्ति की थी।

(ख) यदि हां, तो यह दल कब नियुक्त किया गया था ; और

(ग) क्या सरकार को इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

पेट्रोलियम, और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (ग) : जी नहीं। तथापि सरकार ने औषधों की मूल्य निर्धारित और निर्माण पर वर्तमान नीति का अध्ययन करने और उत्पादन बढ़ाने, अनुमान में किफायत के लिये सुझाव देने के लिये दिसम्बर 1980 में एक अन्तर मंत्रालीय कार्य दल का गठन किया है। उक्त कार्य दल में योजना आयोग को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है।

कार्य दल ने अभी अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना है।

"गांधी पर" फिल्म

3326. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांधी पर फिल्म के सम्बन्ध में, जो इस समय शूटिंग अथवा प्रदर्शन के अधीन है, इन लक्ष्यों की पुष्टि कर ली है कि इसमें गांधी जी का गोखले से परिचय 1915 में, गांधी जी ने गोखले से 1909 में मुलाकात की और नेहरू गांधी जी से पहली बार लखनऊ कांग्रेस के दौरान 1916 में मिले थे ; किन्तु फिल्म में (शाट संख्या 37 में) 1915 में गांधी का बम्बई पत्तन पर स्वागत करते हुए नेहरू को सरदार पटेल के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में तथ्यों की पुष्टि की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वन्सत साठे) : (क) और (ख) यह फिल्म महात्मा गांधी की कल्पित जीवनी है जिसमें सिद्धान्तः उनके जीवन के संदेश को भारत से बाहर के देशों में पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है। गांधी जी के जीवन और उन सभी घटनाओं तथा व्यक्तियों, जिनके साथ वे सहयोजित थे, को 3 घंटे की अवधि की इस फिल्म में देना संभव नहीं है। अभि-

प्रेत आशय पर अधिक प्रकाश डालने के लिए अनेक पात्रों, यद्यपि वे प्रख्यात और भारत में सुपरिचत है, को छोड़ देना पड़ा और इतिहास से कतिपय हेरफेर करने पड़े ।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य के कारण वृद्धि में अतिरिक्त राजस्व

3327. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य वृद्धि से अतिरिक्त राजस्व बढ़ गया है ; और

(ख) अतिरिक्त साधन का कितना प्रतिशत तेल अन्वेषण कार्यक्रम और उनके विस्तार पर व्यय किया जायेगा ?'

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) खनिज तेल के मूल्य संशोधन करने के परिणामस्वरूप, तेल उद्योग पर 1070 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का भार है । तदनुसार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य उपयुक्त रूप से बढ़ा दिए गए हैं ।

(ख) खनिज तेल के मूल्य में वृद्धि होने से ओ० एन० जी० सी० और ओ० आई० एल० दोनों के पास क्रमशः 2185 करोड़ रुपये और 287 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आंतरिक साधन हैं। सब मिलाकर, यह उनके संशोधित योजना परिव्यय को पूरा करने में सहायता देंगे ।

लघु क्षेत्र में काम कर रही औषध कम्पनियां

3328. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में लघु क्षेत्र में कुछ विदेशी औषध कम्पनियां काम कर रही हैं ।

(ख) यदि हां, तो नई औषध नीति के शुरु होने के समय लघु क्षेत्र में काम कर रही दस विदेशी कम्पनियों का ब्योरा क्या है, और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं कि भविष्य में कोई विदेशी कम्पनी लघु क्षेत्र में काम न करें ।

पेट्रोलियम और रसानन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) और (ख) नई औषध नीति और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत सिर्फ उन्हीं कम्पनियों को विदेशी कम्पनियां माना जाता है जिनकी प्रत्यक्ष विदेशी साम्यपूंजी 40 प्रतिशत से अधिक है ।

शायद उन विदेशी कम्पनियों का हवाला दिया गया है जो देश में गैर डी० जी० टी० डी० यूनिटों की तरह संचालित हैं क्योंकि वे या तो लघु उद्योग क्षेत्र में थी या क्योंकि वे उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के अन्तगंत नहीं आती थी । नई औषधि नीति की घोषणा के समय उनमें से आठ थी । वे निम्न प्रकार है :

1. मैसर्स सी० ई० फुलफोर्ड
2. मैसर्स निकोलस आफ इन्डिया लि०
3. मैसर्स जी० डब्ल्यू० कार्नरिक
4. मैसर्स कूपर लैब०
5. मैसर्स जान वायथ एंड ब्रदर्स
6. मैसर्स ग्रुप प्रोडक्ट्स
7. मैसर्स में एन्ड बेकर (इं) लि०
8. मैसर्स वायथ (इं) लि०

उनकी स्थिति नीचे दर्शाई गई है :—

उपरोक्त क्र० सं० (1) की कम्पनी औषध फार्मूलेशन के निर्माण में लगी है और उसने अपनी विदेशी साम्यपूंजी को 40 प्रतिशत तक कम करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की है जिससे यह भारतीय कम्पनी हो जायेगी।

उपरोक्त क्र० सं० 2 की कम्पनी जो निकोलस (इं) यू० के० की एक भारतीय शाखा थी, का इंडियन स्केरिंग द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है और अब यह निकोलस लेव० इन्डिया लि० के नाम से जानी जाती है। अब यह भारतीय कम्पनी है।

उपरोक्त क्र० सं० 3 की मैसर्स जी० डब्ल्यू कार्नरिक कम्पनी ऋण लाइसेंस के अन्तर्गत सिर्फ फार्मूलेशन कार्यकलाप में लगी है। अब कम्पनी का भारतीयकरण हो गया है।

उपरोक्त क्र० सं०4 से 6 तक की कम्पनियां स्वयं किसी मठ का निर्माण नहीं करती किन्तु अन्य कम्पनियों के साथ ऋण लाइसेंस और अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत उनका निर्माण कराती है। क्र० सं० 4 और 6 की कम्पनियां अब समाप्त हो गई हैं।

उपरोक्त क्र० सं० 7 की कम्पनी पहले व्यापारी कम्पनी थी। अब यह स्थिति है कि यू० के० कम्पनी की शाखा में एन्ड बेकर लि० का अधिग्रहण में एंड बेकर इंडिया प्रा० लि० द्वारा कर लिया गया था जिसे एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित कर दिया गया है और अब यह संगठित क्षेत्र में एक विदेशी कम्पनी में बेकर इन्डिया लि० के रुप में जानी जाती है।

उपरोक्त क्र० सं० 8 पर उल्लिखित मैसर्स वायथ (इन्डिया) प्रा० लि० का अपना कोई निर्माण कार्यकलाप नहीं है। इस फर्म का मुख्य व्यापार औषधों और फार्मूलेशनों तथा फार्मूलेशनों के निर्माण के लिए किराये के आधार पर कारखाना देना था। अमेरिकन होम प्रोडक्ट्स के एक प्रभाग मैसर्स वायथ इन्टरनेशनल लि० ने भारत में संचालित कम्पनियों के एक नाम वायथ के रूप पुनर्गठन और एकीकरण का प्रस्ताव किया है। इसमें क्र० सं० 5 की कम्पनी भी शामिल होगी।

(ग) 24.4.1978 को राज्य सभा पटल पर प्रस्तुत नई औषधि नीति वक्तव्य के सभा 23 में पहले ही सरकार की नीति को प्रस्तुत किया था जिसमें यह कहा गया है कि विदेशी कम्पनियों के लिए लघु उद्योग वर्जित क्षेत्र होगा ।

दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत आदिवासी-कमजोर भूमिहीन परिवारों को भूमि का आवंटन

3329. **श्री अजुनसेठी** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित व्यक्तियों सहित आदिवासी तथा अन्य कमजोर वर्ग के उन परिवारों की संख्या कितनी है जिन्हें मार्च, 1980 तक दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत भूमि तथा वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) क्या सरकार को ऋण तथा अन्य सुविधाएं देने में विस्थापितों और आदिवासियों के बीच किए जाने वाले भेदभाव की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) मार्च, 1980 तक दन्डकारण्य परियोजना द्वारा उद्धार करके उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश की सरकारों को लौटाई गई 31265 एकड़ भूमि पर 4161 आदिवासी परिवार बसाए गए हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्य सरकारों ने कहा है कि आदिवासियों को दी जाने वाली प्रति परिवार 3500 रुपये की सहायता को संशोधित कर के 6, 200 रुपये प्रति परिवार कर दिया जाए । यह भारत सरकार के परीक्षाधीन है ।

असम में तेल के नये भण्डार की खोज

3330. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम में तेल के नये भण्डार पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) असम में वारक संरचना में एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने गाढे तेल की थोड़ी मात्रा की खोज की है । इसके अतिरिक्त, आयल इण्डिया लिमिटेड ने बोगापानी क्षेत्र में तेल की खोज की है। उत्पादन परीक्षण के दौरान उन्होंने लगभग 75 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से तेल का उत्पादन किया है ।

स्टाफ कारों के उपयोग में मितव्ययिता बरतने के लिये अनुदेश जारी करना

3331 . **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों को कोई अनुदेश जारी किए हैं कि स्टाफ कारों का कम से कम उपयोग किया जाये जिससे पेट्रोल की खपत में कमी हो सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1980 के दौरान तथा चालू वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों के दौरान प्रत्येक मन्त्रालय द्वारा पेट्रोल की कितनी खपत की गई ।

पेट्रोलियम, और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) जी हां ।

(ख) 1979 में पेट्रोलियम बिभाग ने मन्त्रालयों/केन्द्रीय सरकार के विभागों राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परामर्श किया था कि वे अपनी स्टाफ कारों में पेट्रोल की खपत करें ।

(ग) मन्त्रालयों में पेट्रोल की खपत प्रत्येक वर्ष ईधन खरीद के लिए किये गये बजट सम्बन्धी प्रावधान के अनुसार होती है। अपेक्षित्मित तरीके से सूचना को एकत्र करने में पर्याप्त समय और परिश्रम लगेगा जो सम्भवत: इन्हें प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप नहीं होंगे ।

तालचर उर्वरक संयंत्र में उत्पादन

3332. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा स्थित तालाचर उर्वरक संयंत्र ने वर्ष 1980-81 में उर्वरक के उत्पादन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 में उड़ीसा स्थित तालचर उर्वरक संयंत्र में उर्वरकों की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन होने की संभावना है, और

(ग) इस उर्वरक संयंत्र में लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अब तक हुई प्रगति क्या है ।

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हलवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह आशा है कि तालचर उर्वरक संयंत्र वर्ष 1981-82 में 69.000 टन नाइट्रोजन का उत्पादन करेगा।

(ग) संयंत्र द्वारा नम्बर 1980 से वाणिज्यक उत्पादन प्रारम्भ किये जाने के प्रश्चात कुछ

उपकरण सम्बन्धी समस्याओं का सामना किया गया है। इन समस्याओं पर काबू पाने के लिये सुधारात्मक उपाय प्रारम्भ किये गये हैं।

विभिन्न डाक व तार केन्द्रों पर डिस्पेंसरियां खोलना

3333. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न डाक व तार केन्द्रों पर कुल कितनी डाक व तार डिस्पेंसरियां खोली गई हैं, ।

(ख) वर्ष 1981-82 में डाक व ताम कर्मचारियों के लिये कितनी नई डिस्पेसरियां खोलने का प्रस्ताव है,

(ग) क्या उड़ीसा में ऐसी कुछ डाक व तार डिस्पेंसरियां खोलने का प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, वे कहां खोली जायेंगी और उक्त प्रस्ताव की क्रियान्वित की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 49

(ख) डाक व तार डिस्पेंसरियां खोलना प्लान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आता। अतः प्रति वर्ष डाक-तार डिस्पेंसरियां खोलने के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते। जुलाई, 1881 में जयपुर के लिये एक और डाक-तार डिस्पेंसरी हेतु स्वीकृति दे दी गई है तथा 1981-82 के दौरान इसके खोल दिये जाने की आशा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अण्डमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना

3334. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अण्डमान और निकोबार प्रशासन के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में काफी संख्या में रिट याचिकाएं लंवित हैं और संचार समस्याओं के कारण अण्डमान और निकोबार प्रशासन की काफी कठिनाईयां का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उसी प्रकार की एक न्यायपीठ जैसी गोवा में है, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ, स्थापति करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं ; और यदि हां, तो सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार का विचार स्थायी न्यायपीठ स्थापित होने तक सभी रिट याचिकाओं को शीघ्र निपटाने के लिए पोर्ट ब्लेयर सर्विट न्यायालय में अंतरित करने का है ; और

(घ) क्या अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने कानूनी रिटेनर की नियुक्त के लिए भारत सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) जी हां । अण्डमान और निकोबार द्वीप प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रशासन के विरुद्ध 133 रिट याचिकाएं कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित हैं ।

(ख) पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ स्थापित किए जाने की मांग की गई है । इस विषय पर विचार किया गया है । अण्डमान. निकोबार द्वीप समूह से जो कार्य प्राप्त होता है उसके आधार पर पोर्ट ब्लेयर में एक स्थायी न्यायपीठ स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं किन्तु कलकत्ता उच्च न्यायालय पोर्ट ब्लेयर में थोड़े-थोड़े समय पर एक खंड न्यायपीठ सर्किट में भेजने के लिए सहमत हो गया है ।

(ग) रिट याचिकायों के अंतरण के प्रश्न के बारे में कलकत्ता उच्च न्यायालय के साथ बातचीत भी प्रारम्भ की गई है और उक्त उच्च न्यायालय इस बिषय पर विचार कर करा है ।

(घ) जी हां, । इस विषय में केन्द्रीय सरकार ने अभी निर्णय नहीं दिया है ।

पन बिजली परियोजनाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक ऋण

3335. श्री के० मालन्ना : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पन बिजली परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य ऋण प्राप्त करने का है ; और

(ख) क्या सरकार द्वारा उन परियोजनाओं का पता लगा लिया गया है जिनके लिए जांच कार्य करने और ऐसी परियोजनाओं के शीघ्र पूरा होने के लिए विदेशों से परामर्श की आवश्वकता है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बिक्रम सिंह महाजन) (क) और (ख) : जल विद्युत सेक्टर के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए कनाडा की सरकार से एक विस्तृत वित्तीय पैकेज का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । उदार शर्तों पर ऋण, निर्यात विकास निगम द्वारा धन व्यवस्था तथा वाणिज्यिक बैंकों से धन मिलने की संभावनाएं, इस प्रस्ताव हैं । इस संबंध में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है ।

झरिया में दमूदा कोककर कोयला के दोहन के लिये रूस की सहायत

3336. श्री के० मालन्ना : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार झरिया कोयला क्षेत्रों से विस्तृत दमूदा कोककर कोयला भंडारों के दोहन में सहायता करने के लिये सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते संबधी ब्यौरा क्या है और क्या इस क्षेत्र में भारत की सहायता करने के लिये कोई तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) : सोवियत संघ झरिया क्षेत्र दामुदा कोककर कोयला भंडारों के उपयोग के लिए विस्तृत साध्यता रिपोर्ट तैयार करने पर सहमत हो गया है। सोवियत विशेषज्ञों के अक्टूबर/नवम्बर, 1981 के आस-पास भारत आने की आशा है।

बुल्गारिया द्वारा डाई स्पीड डीजल की सप्लाई

3337. श्री रामावतार शास्त्री क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुल्गारिया ने भारत को हाई स्पीड डीजल की सप्लाई की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या बुल्गारिया डीजल सप्लाई करने के लिए भारत के साथ लम्बी अवधि का करार करने में इच्छुक है ;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) 1981-82 के दौरान, बुल्गारिया ने भारत को 0.5 मि० मी० टन एच० एस० डी० की सप्लाई करने की पेशकश की है। इस सम्बन्ध में और अधिक ब्यौरे देना जन-हित में नहीं होगा।

(ग) और (घ) चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त एच० एस० डी० की आयात के लिए हम कोई परिकल्पना नहीं करते हैं और अत; इस समय बुल्गारिया के साथ कोई अतिरिक्त दीघ्रकालीन समझौता करने का प्रश्न नहीं उठता।

सिंदरी उर्वरक संयंत्र में उर्वरकों की भारी मात्रा

3338. श्री रामावतार शास्त्री : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जून, 1981 के इकोनामिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार शीर्षक सिन्दरी फर्टीलाइजर यूनिट फेज आउट की तरफ आकर्षित किया क्या है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसे हटाने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले ;

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : जैसा कि रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है, 2 लाख टन उर्वरकों का जवाब नहीं था । रेलवे वैगनों की अपर्याप्त अनुपलब्धता के कारण अप्रैल-मई, 1981 के दौरान वस्तु सूचि अधिक थी । वैगन प्राप्त करने के विशेष प्रयास किए गए थे और जून के अन्त तक लगभग 22,000 टन स्टाक कम हो गया था । यह स्तर असामान्य नहीं माना जाता ।

ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत आस्ट्रेलिया समझौता

3339. श्री रामावतार शास्त्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और आस्ट्रेलिया के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इससे भारत को क्या लाभ होगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) : विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए भारत सरकार तथा आस्ट्रेलिया सरकार के बीच 1975 में हस्ताक्षर किए गए समझौते में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचना का तथा वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान की, ऊर्जा सहित कुछ क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाएं हाथ में लेने आदि की व्यवस्था है । तदन्तर आस्ट्रेलिया के विभिन्न दलों के साथ विचार विमर्श किए गए तथा ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास परियोजना को संयुक्त रूप से हाथ में लेने के लिए कोयला, सौर ऊर्जा तथा गोबर गैस से संबंधित कुछ अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का पता लगाया गया है ।

(ग) यह आशा की जाती है कि ऊर्जा विकास के क्षेत्र में इन संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं से, कोयले तथा ऊर्जा के अन्य अतिक्ति स्रोतों के विकास के लिए देश में लिए जा रहे अनुसंधान प्रयासों की अनुपूति होगी तथा इन प्रयासों को बल मिलेगा ।

बाटा इण्डिया लिमिटेड के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया जा रहा पारिश्रमिक

3340. श्री सनत कुमार मंडल : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बाटा इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता के ऐसे कितने कार्यकारी अधिकारी हैं जिनकी (वेतन, भत्ते, परिलब्धि, आदिसहित) 5,000 रु० तथा इसके अधिक मासिक परिश्रमिक प्राप्त हो रही है; और

(ख) उनमें से किसानों को भारतीय राष्ट्रिकता प्राप्त नहीं है और भारत में उनके कार्य-काल की अवधि क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) ऐसी धारणा है कि माननीय सदस्य मैं० बाटा इण्डिया लिमिटेड के ऐसे कार्यकारियों की संख्या पर (सदस्य नहीं) सूचना प्राप्त करने के इच्छुक हैं, जो 5,000 रु० तथा इससे अधिक मासिक पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं। कंपनी द्वारा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अन्तर्गत अपनी 1980 की वार्षिक रिपोर्ट में भेजी गयी सूचना के अनुसार, इस श्रेणी में 54 कर्मचारी थे।

(ख) वर्तमान में ऐसे चार कर्मचारी हैं, जिनको भारत की राष्ट्रीयता प्राप्त नहीं है, एवं उनके धारणाधिकार निम्न प्रकार हैं :—

1. श्री डा० एम० मर्चेन्ट	1.5.1979 से पांच वर्ष
2. श्री पी० टी० जे० कनापेन	1.1.1981 से पांच वर्ष
3. श्री टी० ए० कैप्स	3.6.1979 से तीन वर्ष
4. डा० जैड कोटासिक	17.6.1979 से तीन वर्ष

उड़ीसा की मंजूरशुदा विद्युत परियोजनाएं

3341. श्री हरिहर सोरन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान उड़ीसा की कितनी विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से मंजूरी दे दी गई है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा की कितनी विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से मन्जूरी दी जानी है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान हीराकुण्ड-तीन तथा अपर कोलाब विस्तार जल-विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है बशर्ते इनके लिए पर्यावरण संबंधी अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में इस समय निम्नलिखित तीन विद्युत उत्पादन स्कीमों की तकनीकी आर्थिक दृष्टि से जांच की जा रही है :—

1. बलिमेला चरण-दो जल विद्युत परियोजना।
2. रेंगाली चरण-दो जल विद्युत परियोजना
3. भौमकुण्ड बहुउद्देश्यीय परियोजना

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1980-81 के दौरान के० वि० प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा :

(क) परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपये में)	क्षमता
जल-विद्युत : हीराकुण्ड तीन	15.97	37.5
अपर कोलाब	18.62	80.0
विस्तार		

उन परियोजनाओं का ब्यौरा, जिनकी के० वि० प्रा० में फिलहाल तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से जांच की जा रही है

(ख) परियोजना का नाम	कुल प्रतिष्ठापित क्षमता	अनुमानित लागत लाख रुपये में
बलिमेला चरण-दो	2×60=120	2021
रेंगाली चरण-दो	3×50=150	2713
भीमकुण्ड बहुद्देश्यीय परियोजना	6×15+ 3×16=738	30410

पर्वतीय क्षेत्रों में गांवों को बिजली देने में प्राथमिकता

3342. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में पर्वतीय क्षेत्रों में स्थिति गांवों का बिजली देने में उच्च प्राथमिकता देने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना विधि के दौरान बिजली देने के लिए उड़ीसा के क्योंझर जिले में पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे कितने गांवों का निर्धारण किया गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने तथा पहाड़ी क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों में ग्राम विद्युतिकरण संबंधी गतिविधियों को

बढ़ावा देने की दृष्टि से राज्यों के साधनों की अनुपूर्ति करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरु किया गया है। ग्राम विद्युतीकरण निगम अविकसित क्षेत्रों में, जिनमें पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल हैं, परियोजनाओं के लिए रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(ख) और (ग) उड़ीसा के क्योंझर जिले में 2009 गांव हैं जिनमें से मार्च, 1981 के अन्त तक 771 गांव विद्युतीकृत कर दिए गए हैं। छठी अवधि, 1985 के दौरान समस्त उड़ीसा राज्य के लिए 13, 179 गाँवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले 4,386 गाँव भी शामिल हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम ने जुलाई, 1981 के अन्त तक क्योंझर जिले की 14 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। प्रत्येक योजना के पूरी होने के लिए जो अवधि परिकल्पित है उस अवधि में इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर 1,017 गांवों को बिजली दे दिए जाने की व्यवस्था है, जिनमें से 277 गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के अन्तर्गत शेष 740 गांव छठी योजना अवधि के दौरान विद्युतीकृत हो जाने की आशा है। इसके अरिक्त, छठी अवधि के दौरान क्योंझर जिले में और अतिरिक्त गांवों के विद्युतीकरण के लिए उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा जो परियोजनाएं तैयार की जाएगी और भेजी जाएंगी, ग्राम विद्युतीकरण निगम स्वीकृति हेतु उन पर विचार करेगा।

क्योंझर जिले में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई परियोजना का ब्योरा विवरण में संलग्न है।

विवरण

उड़ीसा के क्योंझर जिले में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा जुलाई, 1981 के अन्त तक स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं का ब्योरा

क्र०सं०	स्कीम का नाम (ब्लाक/तहसील)	ऋण राशि (लाभ रु० में)	शामिल किए गए गांवों की संख्या	31.3.1981 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकरण गांवों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	हताडीही	40.690	88	67
2.	बरिहा पटना	28.417	54	54
3.	बंसपाल	31.917	50	32

1	2	3	4	5
4.	तलकोइ	37.925	67	33
5.	हरीश चन्द्रपुर	35.509	87	65
6.	सदर झुमपारा	78.895	141	—
7.	शहरपाड़ा	36.048	114	26
8.	चटगांव	65.972	85	—
9.	जोड़ा	76.931	110	—
10.	क्योंझर	12.256	—	—
11.	जोडा झुमपारा	33.765	58	—
12.	क्योंझर	145.220	—	—
13.	आनन्दपुर	37.148	90	—
14.	धासी पारा	30.296	73	—
		690.889	1017	227

टाटा बन्धुओं द्वारा गैस आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना की पेशकश

3343. **श्री बी० पी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा बंधुओं ने राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में बम्बई हाई गैस पर आधारित उन उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने के लिए आवेदन किया है जो सरकार छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या टाटा बंधुओं ने उत्तर प्रदेश आदि में संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकार को कोई ठोस प्रस्ताव पेश किए हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उन्हें इसकी अनुमति देने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके लिये अन्य किन पार्टियों ने आवेदन किया है ;

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हलबोर सिंह) : (क)

म० टाटा कैमिकल्स लि० ने उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने में रुचि दिखाई है।

(ख) और (घ) गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए टाटा सहित किसी भी पार्टी से तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट के साथ कोई ठोस प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उटता।

औषध फर्मों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

3344. **श्री वी० पी० देसाई :** क्या पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों के संकटग्रस्त क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट प्रयास में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए लम्बित आवेदन पत्रों की शीघ्रता से निपटाया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि मई, 1981 के अन्त तक बहुत से आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और जून, 1981 तक केवल 10 आवेदन पत्र निपटाये गए थे ; और

(ग) इस विलम्ब के प्रमुख कारण क्या हैं और अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और जुलाई 1981 तक प्राप्त हुए सभी आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं। जनवरी से मई, 1981 की अवधि के दौरान औषध मदों के निर्माण के लिये औद्योगिक लाइसेंस हेतु 25 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे 130 जून, 1981 को उन आवेदन-पत्रों के निपटान की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(1) उपयुक्त अनुमोदन समिति द्वारा विचार किये गये और निर्णय लिए गये आवेदन-पत्र —19

(2) इस मन्त्रालय द्वारा आवेदन पत्रों पर किया गया विचार और औद्योगिक अनुमोदनों (औद्योगिक विकास विभाग) के सचिवालय को भेजी गई टिप्पणी किन्तु उन पर सम्बन्धित अनुमोदन समिति द्वारा विचार किया जाना था। —4

(3) कार्यवाही के विभिन्न स्तरों पर लम्बित आवेदन पत्र —2

उपरोक्त (2) और (3) पर उल्लिखित 6 आवेदन पत्रों में से 5 पर टिप्पणी एस० आई० ए० को भेज दी गई है और अब उचित अनुमोदन समितियों ने उन पर निर्णय ले लिया है।

(ग) जून और जुलाई 1981 के दौरान 13 और औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पत्र

प्राप्त हुए हैं और इनमें से 10 पर पहले ही कार्यवाही हो गई है और अनुमोदन समितियों के समक्ष रखने के लिए एस० आई० ए० को टिप्पणी भेज दी गई है। समिति ने इन आवेदन पत्रों में से 9 पर विचार कर लिया है। शेष तीन आवेदन पत्र इस मन्त्रालय में कार्यवाही के विभिन्न चरणों में हैं।

जहां आवेदन पत्र की जांच के लिए आवश्यक सूचना पार्टी द्वारा प्रस्तुत की गई है, वहां जांच पूरी करने और प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्धारित समय में एस० आई० ए० को टिप्पणी भेजने के लिए कदम उठाए गए हैं। सामान्यता निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आवेदन पत्रों को निपटाया जाता है।

टेलीफोन उपकरण उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम जर्मनी और इटली द्वारा प्रस्ताव

3345. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी और इटली ने टेलीफोन उपकरण उपलब्ध कराने के लिए टेलीफोन उद्योग के समक्ष प्रस्ताव रखे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में दोनों देशों से कोई अन्तिम निर्णय मिल गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है और दोनों देशों द्वारा सहमत मूल्य क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नैनी और बंगलौर स्थित दो कारखानों में भारतीय संचार तंत्र में प्रयोग के लिए उपयुक्त उपकरण बनाने के लिए इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आई० टी० आई०) द्वारा जारी टेण्डर सूचना के उत्तर में, आधुनिक डिजाइन के टेलीफोन उपकरण बनाने की प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए मैसर्स फेस (एफ० ए० सी० ई०) स्टेण्डर्ड आफ इटली तथा जर्मन संघीय गणराज्य के मैसर्स सीमेन्स ने टेण्डर दिए हैं।

(ख) सहयोगी का अन्तिम चयन जल्दी ही होना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

उत्तर पश्चिमी सर्कल में टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

3346. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पश्चिमी सर्कस में (राज्यवार) उन टेलीफोन एक्सचेंजों के क्या नाम है जिन्हें चालू वित्त वर्ष 1980-81 के दौरान 15 अगस्त, 1981 तक मंजूर दी गई है ;

(ख) इस सर्कल के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक राज्य में खोले गए टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम क्या हैं ;

(ग) उनके नाम क्या हैं जो खोले तो जाने हैं मगर स्टोर । कर्मचारियों की कमी के कारण नही खोले गए हैं (प्रत्येक श्रेणी का ब्यौरा दें) ; और

(घ) प्रत्येक एक्सचेंज सम्भवत: कब तक खोल दिया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 1980-81 के लिए भी सूचना देने से सम्बन्धित प्रश्न का शुद्धि-पत्र देर से प्राप्त हुआ है । अतिरिक्त सूचना एकत्र करके सभा पटल पर रख दी जाएगी । इस प्रश्न का उत्तर केवल 1981-82 (15-8-1981 तक) अवधि से सम्बन्धित है ।

हरियाणा :	1. माथेरी
हिमाचल प्रदेश :	2. मसाना
	2. सूक्ष्म
पंजाब	1. भगासार
	2. मुधीर
	3. सट्टियाला
	4. विरक
	5. नागर
	6. तारागढ़
	7. खालूवान

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए एक्सचेंजों में से अभी एक एक्सचेंज नहीं खोला गया है।

(ग) पहले ही मंजूर दिए गए एक्सचेंज जिन्हें भंडार की कमी के कारण अभी नहीं खोला गया है।

हरियाणा :	1. शून्य
हिमाचल प्रदेश :	1. बल्दवारा
	2. शाहू
	3. कारा
	4. लहरी सरिल
	5. जगिथनगर

6. चिरगांव
7. चिरमान्ड
8. सायरी

पंजाब : 1. जोगिआना
2. यूरंग
3. तालेवाल
4. बाबेरा
5. दकाला
6. गंगूवाल
7. गुलजारपुर
8. हूथर
9. काला अफगाना
10. पारांवाल
11. जयतोशाराब
12. चडाला डंगर
13. कच्चा पक्का
14. शाह बाजपुर

(घ) प्रस्ताव को मंजूरी तथा एक्सचेंज खोलने के बीच 24 महीने का समय लगता है। इन एक्सचेंजों की सप्लाई आई० टी० आई० बंगलौर द्वारा की जानी है और इन्हें मार्च, 1983 तक उत्तरोत्तर खोला जाएगा बशर्ते कि भंडार प्राप्त हो सके।

बचत बैंक काम के लिए डाकघरों को दिया गया परिश्रमिक

3347. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अल्प बचत के संग्रह के सम्बन्ध में बचत बैंक कार्य करने के लिए डाकघरों को सरकार से कोईपरिश्रमिक प्राप्त हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो डाकघरों द्वारा प्राप्त परिश्रमिक का स्वरूप क्या है ;

(ग) समान राशि की वसूली के लिए बैंकों द्वारा बढ़ाई गई लागत की तुलना में यह राशि क्या है ;

(घ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के समान एक-एक जैसा कार्य करने के लिए

बैंक तथा डाकघरों के कर्मचारियों को परिश्रमिक को समान राशि मिले, प्रस्ताव है ; और

(ड़) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां !

(ख) यह लाभ बचत बैंक तथा बचत पत्रों के प्रति विनिमय औसत दर के रूप में डाकतार विभाग द्वारा दिए गए खर्चे की प्रति पूर्ति के माध्यम से होता है ।

(ग) बैंक की प्रति विनिमय लागत की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) और (ड़) अन्य कार्य के साथ बचत बैंक कार्य भी डाकघरों द्वारा सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है । उनका वेतन निर्धारण सुरक्षा केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है । बचत बैंक कार्य वेथन निर्धारण के उद्देश्य से अलग नहीं किया जा सकता । अतः बैंक कार्य कर रहे कर्मचारियों को वेतन के साथ डाकघरो में बचत बैंक कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन के साथ तुलना करने की गुंजाइश नहीं है ।

सरीन समितियों की रिपार्ट

3348. **प्रो० नारायण चन्द परशर :**

श्री मूल चन्द डागा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर-संचार सेवाओं में खराबी की जांच करन के लिए सरकार द्वारा गठित की गई समिति ने कोई अन्तिम रिपोर्ट दे दी है अथवा इन सेवाओं में सुधार के लिए सरकार से कोई शिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है तथा उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट किस तिथि तक दिए जाने की सम्भावना है तथा इसे कब तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है ; और

(घ) समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इनकी कितनी बैठकें हुई हैं ये बैठकें किन-किन स्थानों पर हुई और इन पर कितना व्यय हुआ ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) जी हां । समिति ने दो अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

(ख) पहली अन्तरिम रिपोर्ट में दूरसंचार सेवाओं के सुधार हेतु उठाए जाने वाले कदमों से सम्बन्धित शिफारिशें शामिल हैं, जबकि दूसरी अन्तिम रिपोर्ट इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज उपस्करों के उत्पादन के बारे में शिफारिश की गई है ।

दोनों अन्तरिम रिपोर्ट में उल्लिखित सिशारिशों के प्रत्येक सार की प्रतिलिपि को लीक सभा के डायरी संख्या 5252 के उत्तर में 1-9-1981 को सभा पटग पर रखा गया था ।

(ग) समिति की कार्य अवधि 30 नवम्बर 1981 तक बढ़ा दी गई है।

(घ) समिति के सदस्य

(1) श्री एच० सी० सरीन	अध्यक्ष
(2) एस० एम० अग्रवाल	सदस्य
(3) श्री रवी मवाई	सदस्य
(4) डा० पी० पी० गुप्ता	सदस्य
(5) डा० मनमोहन सिंह	सदस्य
(6) श्री सी० एस० स्वामीनाथद	सदस्य
(7) श्री सी० पी० वासुदेवन	सदस्य
(8) श्री एम० एम० किनि	सदस्य-सचिव

बैठकें	दिनांक	स्थान
पहली	29/30-5-81	दिल्ली
दूसरी	8/9-6-81	दिल्ली
तीसरी	9/10-7-81	दिल्ली
चौथी	15-7-81	कलकत्ता
पांचवीं	6-8-81	अहमदाबाद
छठी	19-8-81	बंगलौर

उपरोक्त बैठकों पर लगभग किया गया व्यय 43,000/—रुपये (तैंतालिस हजार केवल)।

नाथपा झाकरी पन-बिजली परियोजना के संबंध में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मध्य द्विपक्षीय समझौता

3349. **श्री चतुर्भुज** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने नाथपा झाकरी पन-बिजली परियोजना के बारे में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते को मान्यता प्राप्त कर दी है ;

(ख) क्या उपर्युक्त बिजली परियोजना में अपने हिस्से के लिए राजस्थान सरकार ने समय-समय पर भारत सरकार से अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस विवाद का कब तक समाधान हो जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिक्रम महाजन) : (क) से (ल) : नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना से सम्बन्धित निवेश और लाभों के हिस्सों के सम्बन्ध में हिमाचल सरकार हरियाणा सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच एक विस्तृत त्रिपक्षीय करार हो गया है। योजना आयोग ने इस करार को स्वीकृति दे दी है। तथापि, केन्द्रीय सरकार के शेयर के सम्बन्ध में विशेष सम्बन्धी औपचारिक स्वीकृति कार्य शुरू किए जाने से पहले प्राप्त कर ली जाएगी। इस परियोजना के विद्युत सम्बन्धी लाभों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी हिस्सा देने का निर्णय किया गया है।

छठी योजनावधि के दौरान स्थापित किए जाने वाले विद्युत संयंत्र

3350. प्रो० एस० बी० सिदनाल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

देश में छठी योजनावधि के दौरान स्थापित किए जाने वाले तापीय विद्युत संयंत्रों का ब्योरा क्या है और उसकी अनुमानित लागत क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिक्रम महाजन) : छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू किए जाने के लिए प्रस्तावित विभिन्न ताप विद्युत परियोजनाओं को तथा उनकी मूल और संशोधित अनुमानित लागत को दिखाने वाला वितरण संलग्न है।

विवरण

छठी योजना 1980-85 की अवधि के दौरान चालू की जाने वाली विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं०	स्कीम का नाम	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत		अभ्युक्ति
			मूल	अद्यतन संशोधित (लाख रुपये में)	
1	2	3	4	5	6
	ए—उत्तरी क्षेत्र—3660 मेगावाट				
1.	हरियाणा				
	1. फरीदाबाद विस्तार यूनिट—3	06	1830	3146	1-4-1981 को चालू किया गय
	2. पानीपत चरण-दो यूनिट 3 और 4	2×110	7293	उपलब्ध नहीं	

1	2	3	4	5	6
2.	पंजाब				
	रोपड़ यूनिट-1	210	16000	20700	इसमें यूनिट-2की लागत भी शामिल है
3.	राजस्थान				
	1. कोटा यूनिट 1 और 2	2×210	8100	14000	
4.	उत्तर प्रदेश				
	1. ओबरा चरण-3 यूनिट 12 और 13	2×200	15790	37440	3×200मेगावाट के चरण-2 की लागत सहित यूनिट-12-28-3-8 को चालू की गई।
	2. अंपारा यूनिट 1, 2 और 3	3×210	22710	34483	
	3. परिछा यूनिट 1 और 2	2×210	8372	12556	
	4. टांडा यूनिट 1,2,3 और 4	4×110	15925	21209	
5.	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम				
	1. बदरपुर चरण-3 चरण-5	210	6386	8822	
	2. सिंगरौली चरण—1 यूनिट 1, 2 और 3	210	6386	8822	
	3. सिंगरौली चरण—2 यूनिट 4 और 5	2×210	49437	49531	यूनिट 6 तथा

1	2	3	4	5	6
					7 की लागत सहित
	बी—पश्चिमी क्षेत्र—5480 मेगावाट				
1.	गुजरात				
	1. उकई यूनिट—5	210	6683	8000	
	2. वोकबोरी यूनिट 1, 2, और 3	3×210	17214	22820	
	3, बांकबोरी यूनिट-4	210	20679	27000	यूनिट 5 और 6 लागत सहित
2.	मध्य प्रदेश :				
	1. सतपुड़ा विस्तार यूनिट 8 और 9	2×210	12968	16558	
	2. कोरबा पश्चिम यूनिट 1 और 2	2×210	15099	20400	
	3. कोरबा पश्चिम बिस्तार यूनिट 3 और 4	2×210	12904	17295	
	4. कोरबा पूर्व चरण-4	120	3420	4640	5.4.1981 को चालू की गई
3.	महाराष्ट्र :				
	1. कोरडी चरण-3 यूनिट 6 और 7	2×210	11240	23341	पहले चालू की जा चुकी यूनिट-5 की लागत सहित
	2. भसवाव चरण-यूनिट-3	210	6437	6762	
	3. चन्द्रपुर चरण-2 यूनिट 1 सौर 2	2×210	14003	20113	

1	2	3	4	5	6
	4. चन्द्रपुर चरण-2 यूनिट-3	210	12856	19000	यूनिट 4 की लागत सहित
	5. नासिक यूनिट-5	210	13302	14300	7/80 को पहले चालू की जा चुकी यूनिट-4 की लागत सहित यूनिट-5 30.1.81 को चालू की गई
	6. पारली यूनिट-3	210	7209	10639	10.10.80 को चालू की गई।
	7. ट्राम्बे विस्तार यूनिट-5	500	17500	18000	
	8. उरण गैस टरबाइन यूनिट-1, 2, 3 और 4	4×60	6037	9884	
4.	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम				
	कोरबा सु०ता०वि० केन्द्रयू०-1, 2, और 3	3×210	45080	53097	यूनिट 4 की लागत सहित
सी—	दक्षिण क्षेत्र—1890 मेगावाट				
1.	आन्ध्र प्रदेश				
	विजयवाड़ा यूनिट-2	210	7686	19400	1.11.79 को चालू यूनिट-1 की लागत सहित यूनिट-2, 10.1080 को चालू की गई
2.	कर्नाटक :				
1.	रायपुर यूनिट-1 और 2	2×210	15925	22027	
3.	तमिलनाडु :				
	तुतीकोरिन यूनिट-3	210	7121	8500	

1	2	3	4	5	6
4.	एन० एल० सी०				
	नेवेली दूसरा माइन कट 1 और 2	2×210	21398	39644	यूनिट-3 की लागत सहित
5.	राष्ट्रीय ताप विद्युत कारपोरेशन				
	रामागुण्डम यूनिट-1, 2 और 3	3×210	45914	67120	यूनिट-4 की लागत सहित
डी—पूर्वी क्षेत्र—2820 मेगावाट					
1.	बिहार				
1.	पतरातू चरण-4				
	यूनिट 9 और 10	2×210	4200	11500	
2.	बरौनी यूनिट-6	110	2000)	9820	
3.	बरौनी यूनिट-7	110	3764)		
4.	मुजफ्फरपुर				
	यूनिट 1और 2	2×110	8435	14602	
2.	उड़ीसा				
	तलचेर विस्तार				
	यूनिट 5 और 6	2×110	3840	8500	
3.	पश्चिमी बंगाल				
1.	बंदेल विस्तार				
	यूनिट-5	210	3331	8343	
2.	कोलाघाट यूनिट 1,2 और 3	3×510	11559	28205	
3.	संयालडीह यूनिट 4	120	7558	10323	यूनिट 1, और 3 की लागत सहित
4.	सी० ई० एस०सी०				
	टीटागढ़				
	यूनिट 1,2,3 और 4	4×60	9576	उपलब्ध नहीं	

1	2	3	4	5	6
5.	डी० वी०० सी०-210				
	दुर्गापुर यूनिट-4	210	3780	7514	
	बोकारो विस्तार	210	6976	8700	
6.	डी० पी० एल० दुर्गापुर				
	यूनिट-6	110	4842	5014	वर्ष 1076-80 की वार्षिक योजना में दिए अनुसार
7.	एन० टी० पी० सी०				
	फरक्का यूनिट-1	210	29060	34970	यूनिट 2और 3 की लागत सहित
	ई. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
	358 मेगावाट				
I.	असम				
1.	बोगाईगांव यूनिट 1 और 2	2×60	4702	8368	यूनिट 11-3-81 को चालू की गई
2.	बोगाईगांव विवस्तार				
	यूनिट 3 और 4	2×60	4716	5383	
3.	नामरूप अपशेष ऊर्जा				
	उष्मा संयन्त्र	22	902	1489	
4.	चन्द्रपुर विस्तार	30	1292	2210	
5.	लकवा गैस टरवाइन				
	यूनिट 1, 2 और 3	3×15	1564	1550	
6.	मोबाइल गैस टरबाइन	3×3	548		
7.	अतिरिक्त मोबाइल गैस टरबाइन	4×3	764	1998	

डाक जीवन बीमा योजना में सुधार

3351. **श्री आर० के० महालगी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार महानिर्देशक, नई दिल्ली को बम्बई डाक जीवन बीमा के कुछ विकास अधिकारियों की ओर से 14 अप्रैल, 1981 का कोई अध्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें डाक जीवन बीमा योजना में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) डाक व तार प्रशासन ने इस बारे में क्या कार्रवाही की है अथवा करने का विचार है तथा कब ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) सुझावों के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन क्षेत्र शामिल थे, अर्थात ।

(1) विभिन्न राज्यों के पोस्ट मास्टर जनरलों के कार्यालयों में कार्य करने वाले डाक जीवन बीमा कर्मचारियों अर्थात विकास अधिकारी । अपर श्रेणी लिपिक/अबर श्रेणी लिपिक को नियंत्रित करने वाली सेवा शर्तों में संशोधन किया जाए ताकि वे अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकें ।

(2) डाक जीवन बीमा के क्षेत्र का विकास करके राष्ट्रीयकृत बैंक । सरकार उद्यम एवं आम जनता को शामिल किया जाए ।

(3) विभाग द्वारा विकास अधिकारियों का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जाए ।

(ग) जहां तक उपरोक्त (ख) के (1) का प्रश्न है डाक जीवन बीमा कर्मचारियों की सेवा शर्तें एवं बर्तमान आदि तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किए गए थे और तत्पश्चात सरकार द्वारा स्वीकार किए गए थे । फिर भी सुझाव प्राप्त होने पर उनकी योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है, तथा उस संबंध में लिए गए निर्णय से संबंधित व्यक्ति को अवगत कराया जाता है । गत समय में भी कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे परन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सका । डाक जीवन बीमा अनुभाग प्रचालन अनुभाग है तथा पदों का सृजन दर्जा बढ़ाना जब भी आचित्यपूर्ण पाया जाता है, विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के के अनुसार किया जाता है । फिर भी डाक जीवन बीमा कर्ण की महत्वपूर्णता को मद्देनजर रखते हुए लिपिक वर्गीय पदों के संशोधित मानदंड विचाराधीन हैं ।

(1) शीघ्र ही डाक जीवन बीमा के कार्य क्षेत्र में विस्तार करके सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की उप शाखाओं एवं निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों को शामिल किया जा रहा है :

(1) भारतीय औद्योगिक क्रेडिट एवं निवेश निगम

(2) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

(3) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम

(4) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा

(5) भारतीय यूनिट ट्रस्ट

डाक जीवन बीमा एक कल्याण योजना है जिसका गठन मूल रूप से सरकारी कर्मचारियों को बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। इस योजना में शामिल किए जाने वाले कर्मचारियों की श्रेणियों, प्रदान किए जाने वाले बीमे की किस्में आदि के सम्बन्ध में योजना के कार्य क्षेत्र के पर्याप्त विकास से वे केवल विभिन्न जीवन बीमा जोखिम पद्धतियों के गुणों का विकास होगा अपितु अतिरिक्त प्रशासनिक समस्याएं भी उत्पन्न होंगी जिनको एक साथ निपटाने के लिए विभागीय उद्यम सक्षम नहीं है। इनको मद्देनजर रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों आदि के कर्मचारीयों हेतु डाक जीवन बीमा का सामान्य विस्तार इस समय व्यवहारिक नहीं समझा जाता है।

(3) विकास अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन बचत के उपायों के कारण नहीं बुलाया गया परन्तु जब भी कोई निरीक्षण किया जाता है तो स्थानीय विकास अधिकारियों के साथ बैठक की जाती है। इस प्रकार विकास अधिकारी अपने विचार प्रकट करने तथा सुझाव देने में समर्थ हो जाते हैं।

औरंगाबाद में डाक कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वाटर

3352. **श्री आर० के० महालगी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 की अवधि के दौरान औरंगाबाद, महाराष्ट्र में डाक कर्मचारियों के लिए निर्मित किये जाने वाले स्टाक क्वार्टर मंजूर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए प्राक्कलित राशि कितनी है ;

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत कितने क्वार्टर निर्मित किये जायेंगे ;

(घ) इस बारे में अब तक हुई प्रगति क्या है ;

(ड.) अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(च) ये सभी निर्धारित स्टाक क्वार्टर कब तक पूरे हो जाने की संभावना हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु मंजूरी 1980-81 के दौरान जारी कर दी गई है ;

(ख) 34,69,300 रु०

(ग) 61 ये क्वार्टर विभाग की डाक एवं दूर संचार शाखाओं में बाटे जाएंगे ;

(घ) निविदाएं आमंत्रित की गई है जिनको 16-9-1981 को खोला जाएगा ।

(ङ.) शून्य ।

(च) इन स्टाफ क्वार्टरों को 1983-84 में बनाकर तैयार हो जाने की संभावना है।

मोदी रबड़ इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, मोदीपुरम के विरुद्ध शिकायतें

3353. **श्री निहाल सिह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मोदी रबड़ इन्डस्ट्रीज मोदीपुरम के विरुद्ध इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि वह कम्पनी नियमों का उल्लंघन कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्रवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर): (क) हां, श्रीमान जी ।

(ख) कम्पनी अधिनियम को धारा 209क के अन्तर्गत कम्पनी की लेखा बहियों के निरीक्षण का आदेश दिया गया था । निरीक्षण रिपोर्ट से प्रथम दृश्या कम्पनी अधिनियम की अनुसूचि 4 के साथ पठित धारा 211, 297, 226, 198/309 और 269 के धाराओं के कतिपय उल्लंघन प्रकट हुए हैं । उक्त अधिनियम की धारा 198/ 309 और 269 के उल्लंघनों से सम्बन्धित विषयों को कम्पनी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात रद्द कर दिया गया है । तथापि, अन्य मामलों पर अभी भी पत्राचार हो रहा है और उपयुक्त समय पर उचित कार्यवाही की जाएगी ।

नीति निदेशक तत्वों का पृथक विधान द्वारा कार्यान्वयन

3354. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित नीति निदेशक तत्व के अनुरूप समान सिविल संहिता बनाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है अथवा निकट भविष्य में करने का विचार रखती है ।

विधि और न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : विशेष विवाह अधिनियम, 1954, विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969, हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 और हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, 1956 के संबंध में यह माना जा सकता है कि वे संविधान के अनुच्छेद 44 में अधिकाधिक निदेशक तत्वों में परिकल्पित समान सिविल संहिता बनाने के लिए अभी तक किए गये प्रारम्भिक उपाय है ।

समान सिविल संहिता बनाने के साथ अल्प संख्यक समुदायों की स्वीय विधियों में परिवर्तन करने की बात भी आवश्यक रूप से जुड़ी हुई है। सरकार की नीति यह है कि अल्पसख्यक समुदायों की विधियों में तब तक कोई परिवर्तन न किया जाए जब तक कि उसके लिए उन समुदायों की ओर से ही पहल न की जाए। जब ऐसी पहल की जाएगी तब ही समान सिविल संहिता बनाने की दिशा में कार्रवाही करना संभव होगा।

मैसर्स फाइजर, सायनामाइड, आदि के विरुद्ध दायर कानूनी मुकदमों का वापस ले लिया जाना

3355. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाड़तोखिया जिला न्यायालय में भारी लागत पर मैसर्स फाईजर, सायनामाईड आदि के विरुद्ध क्वैक्सटन अधिनियम के अधीन दायर किया गया एन्टोबायोटिक एन्टी-ड्रम मामला वापस लेना पड़ा था।

(ख) क्या वर्ष 1953 से 1969 की अवधि के बारे में भारत सरकार को देय लाखों अमेरीकी डालरों का यह दावा भारत सरकार की अकर्मण्यता के कारण जो केवल 1974 में सचेत हुई वापस लेना पड़ा था

(ग) क्या यह भी सच है कि अमरीका के उच्चतम न्यायालय का यह विचार है कि कलैक्सटन अधिनियम के अनुसार भारत सरकार मुआवजे के दावे के लिये मुकदमा दायर कर सकती है,

(घ) क्या यह भी सच है कि भारत सामने इस बारे में निश्चित रूप से प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है क्योंकि भारत में उस प्रकार के ट्रस्ट विरोधी कानून नहीं है, और

(ङ) उपरोक्त अवधि चूंकि इस कानून के बनाये जाने से पहले की है इसलिए भारत सरकार मुआवजे को वसूल करने के लिये फिर से कोशिश करेगी,

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) (क) भारत सरकार द्वारा दायर किये गये एन्टी-ट्रस्ट मामले का निपटारा न्यायालय से बहार कर लिया गया है।

(ख) : जी नहीं। यू० एस० ए० में स्थित भारतीय दूतावास से यह सलाह प्राप्त होने पर कि यू० एस० न्यायालय में मामला दायर करने के लिये एक विदेशी सरकार के अधिकार क्षेत्र के बारे में कोई अनिश्चिता नही है भारत सरकार ने निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले ही दिनांक 11. 10. 1679 को मुकदमा दायर कर दिया था।

(ग) :जी हां।

(घ) एन्टी-ट्रस्ट कानून (क्लेटोन अधिनियम) में संशोधन करने के लिये जो बिल पहले विचाराधीन था और बाद में दिनांक 9 जुलाई 1981 को यू० एस० सीनेट द्वारा पास किया गया था, वह बिल एन्टी-ट्रस्ट कानूनों के अर्न्तगत यू० एस० न्यायालय में मुकदमा करने के लिये विदेशी सरकारों पर कुछ पावन्दिया लगाना है एक पाबन्दी यह है कि यू० एस० न्यायालय में कोई मामला दायर करने से पहले यू० एस० ए० की किसी भी पार्टी द्वारा एन्टी-ट्रस्ट कानूनों के कथित उल्लंघन की अवधि के दौरान विदेशी सरकारों के अपने देश में भी उसी प्रकार के कानून होने चाहिये। वर्ष 1953-69 के दौरान भारत में ऐसे कानून लागू नहीं थे।

(ङ) यू० एस० ए० एन्टो-ट्रस्ट कानूनों को संशोधित करने के लिये बिल में एक पूर्व प्रभावी धारा भी सम्मिलित है जिसके परिणाम स्वरूप यू० एस० न्यायालयों में लम्बित उन समस्त मामलों को, जिसके बारे में अन्तिम निर्णय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि न्यायालय से बहार निपटारा पूर्णरूप से जांच के बाद किया गया है मुआवजे को वसूल करने के लिये फिर से कोशिश करने का प्रश्न नही उठता।

उड़ीसा के कालाहांडी जिले के लिए अलग डाक प्रभाग

3356. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा ने कालाहांडी जिले में अलग डाक प्रभाव बनाने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यायाधीशों के रूप में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या

3357. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) देश में इस समय न्यायाधीशों के रूप में कार्य कर रहे व्यक्तियों की राज्यवार संख्या के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनमें ऐसे न्यायाधीशों की संख्या कितनी है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के हैं ; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या उनके आरक्षित कोटे के अनुरूप है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में तारीख 1-6.1981 को जो व्यक्ति न्यायाधीशों के रूप में कार्य कर रहे थे उनकी संख्या विवरण में बताई गई है। उनमें से उन न्यायाधीशों की संख्याएं भी इस विवरण में बताई गई हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडी जातियों के हैं अथवा जो महिलाएं हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के सुसंगत उपबन्धों के अनुसार की जाती है और इन उपबंधों में जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों के बारे में आपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और संबंधित उच्च न्यायालयों से इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र० सं०	उच्च न्यायालय	तारीख 1-6-81 को कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या	स्तम्भ (3) में उल्लिखित न्यायाधीशों में से उन न्यायाधीशों की संख्या जो निम्नलिखित हैं :			
			अ० जा०	अ० ज०जा०	अ० पि० ज०	महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7
1.	इलाहाबाद	49	—	—	1	—
2.	आंध्र प्रदेश	17	1	—	2	1
3.	मुम्बई	37	—	—	—	1
4.	कलकत्ता	33	1	—	—	4
5.	दिल्ली	23	—	—	—	1
6.	गोहाटी	7	—	—	1	—
7.	गुजरात	14	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	4	—	—	—	—
9.	जम्मू-कश्मीर	4	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	19	1	—	4	—

1 2	3	4	5	6	7
11. केरल	14	—	—	2	1
12. मध्य प्रदेश	22	—	—	1	—
13. मद्रास	22	1	उ० न०	उ० न०	—
14. उड़ीसा	5	—	—	—	—
15. पटना	24	—	—	—	—
16. पंजाब और हरियाणा	19	—	—	—	—
17. राजस्थान	13	—	—	—	1
18. सिक्किम	2	—	—	—	—
कुल	328	4	—	12	9

टिप्पण : अ० जा० अनुसूचित जाति
अ० ज० जा० अनुसूचित जनजाति
अ० पि० जा० अन्य पिछड़ा जाति
उ० न० उपलब्ध नहीं

भारतीय बिस्फोट अधिनियम के अधीन एल० पी० जी० सिलेन्डर की स्थिति

3358. **श्री हन्नान मोल्लाह** : पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि जब किसी गैस को धातु के सिलिन्डर में संपीडित अथवा तरल स्थिति में रखा जाता है तो भारतीय विस्फोट अधिनियम, 1884 के तरल उसे "विस्फोटक" घोषित किया जाता है जिसके उल्लंघन के लिए दण्ड का विधान है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या एल० पी० जी० सिलिन्डर का इस्तेमाल करना एक अपराध है;

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां।

(ख) सिलेंडरों में तरलीकृत पैट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०) का भरा जाना गैस सिलेंडर नियमों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो कि भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अन्तर्गत तैयार किए गए हैं। तेल कंपनियों द्वारा खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के विपणन के लिए प्रयोग किये जाने वाले सभी सलेंडरों का निर्माण भारतीय मानक संस्थान की

अंकन योजना (मार्किंग स्कीम) के प्रमाणीकरण के अन्तर्गत किया जाता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के सिलेंडरों को गैस सिलेंडर नियमों के प्रावधानों के अनुरूप भरा जाता है। इस कारण, तेल कंपनियों द्वारा सिलेंडरों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के इस्तेमाल से भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

विभिन्न राज्यों में बिजली का उत्पादन

3359. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अगस्त, 1980 से 31 जुलाई, के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में महीनेवार बिजली का उत्पादन क्या है; और

(ख) उक्त अवधि में राज्य-वार बिजली के बंटवारे का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 1 अगस्त, 1980 से 31 जुलाई, 1981 तक की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में हुआ महीनेवार विद्युत उत्पादन दिखाने वाला राज्यवार संक्षिप्त विवरण उपाबंध-II में संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2792/81]

राजस्थान में बारां शहर में डाकघर की इमारत का निर्माण

3360. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बारां शहर में डाक घर की इमारत बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक हो जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा आरम्भ की गई विद्युत परियोजनाएं

3361. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**

श्री सूरज भान : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा चालू की गई उत्पादन परियोजनाओं के नाम तथा उनकी क्षमता कितनी है और प्रत्येक पर कितनी है और प्रत्येक पर कितनी धनराशि खर्च हुई तथा इस समय प्रत्येक का वास्तविक विद्युत उत्पादन कितना है; और

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो 'कारपोरेशत के विचाराधीन हैं और प्रत्येक पर आने वाला प्राक्कलित व्यय कितना हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सिंगरौली, कोरबा, रामागुन्डम तथा फरुक्का में पिट हैड सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र का 200 मेगावाट का पहला यूनिट फरवरी, 1982 तक चालू हो जाने की संभावना है।

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा हाथ में ली जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए वर्तमान पंचवर्षीय योजना में प्रावधान रखा गया है। निगम ने वैधान, कलहगांव, तलचेर तथा पेंच में नए पिट हैड, ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लेखा विभाग में तीन सर्वोच्च व्यक्ति

3362. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**

श्री सूरज भान : ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लेखा विभाग के तीन सर्वोच्च व्यक्तियों की शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष उन्होंने कितनी राशि के वार्षिक लेखों का हिसाब-किताब किया ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) निगम के केन्द्रीय कार्यालय में तथा परियोजनाओं में वित्त और लेखा विभागों की देख-रेख उप महाप्रबंधक और मुख्य वित्त प्रबंधक करते हैं जो परियोजना महाप्रबंधकों/निदेशक (वित्त) के अधीन होते हैं। इनमें से तीन चार्टर्ड एकाउन्टेंट हैं, 2 कास्ट एकाउन्टेंट हैं तथा 2 केन्द्रीय लेखा सेवा के श्रेणी-I के अधिकारी हैं। सभी अधिकारियों को लेखा और वित्तीय प्रबंध में 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय निम्नानुसार हैं :—

	(करोड़ रू० में)
1978-79	70,25
1979-80	161.87
1980-81	247.31

1980-81 के दौरान गैस कनेक्शनों का आबंटन

3363. **श्री जैनुल बशर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि 1980-81 के दौरान महीने-वार खाना बनाने की गैस के कितने कनेक्शन उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये गये;

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : वर्ष 1980-81

(मई के अन्त तक) के दौरान राज्य/संघ शासित प्रदेशों में जारी किए गए एल० पी० जी (खाना पकाने की गैस) कनेक्शनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है :—

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	36107
2. महाराष्ट्र	73020
3. कर्नाटक	36364
4. उड़ीसा	4077
5. मध्य प्रदेश	8358
6. गुजरात	9095
7. राजस्थान	3129
8. जम्मू तथा कश्मीर	1700
9. हरियाणा	1261
10. असम*	5228
11. बिहार	6337
12. हिमाचल प्रदेश	1613
13. केरल	925
14. पंजाब	919
15. सिक्किम	219
16. तमिलनाडु	28226
17. उत्तर प्रदेश	17022
18. पश्चिमी बंगाल	18207
19. चण्डीगढ़	730
20. पाण्डिचेरी	163
21. गोवा	330
	योग : 2,57,030

* मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड त्रिपुरा सम्मिलित हैं।

उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों के साथ सीधा टेलीफोन सम्पर्क न होने वाले तहसील मुख्यालय

3364. **श्री जैनूल बशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने और कौन से तहसील मुख्यालय हैं जिनका जिला मुख्यालय के साथ सीधा टेलीफोन सम्पर्क नहीं है, और

(ख) उन्हें सीधा टेलीफोन लाइनों से कब तक जोड़ दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : उत्तर प्रदेश में बावन तहसील मुख्यालय ऐसे है जिनका उनके जिला मुख्यालय के साथ सीध टेलीफोन संबंध नहीं हैं । इनके नाम विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) जिन तहसील मुख्यालयों पर जिला मुख्यालयों हेतु परियात की दृष्टि से औचित्य बनता है और जो इंजीनियर की दृष्टि से भी व्यवहार्य होते हैं उन्हें जिला मुख्यालय के साथ जोड़ा जा रहा है । इस संबंध में निरंतर निगरानी रखी जा रही है । यह बताना मुश्किल है कि किस विशिष्ठ समय तक सभी तहसील मुख्यालयों को उनके अपने जिला मुख्यालयों के साथ सीधी लाइन द्वारा जोड़ दिया जाएगा ।

विवरण

क्र० सं०	जिले का नाम	उन तहसील मुख्यालयों के नाम जो सीधी टेलीफोन सेवा द्वारा अपने जिला मुख्यालयों से जुड़े हुए नहीं हैं ।
1.	आगरा	किरवाली, अहतमदपुर
2.	अलीगढ़	इगलास
3.	इलाहाबाद	सिराथू, वारा
4.	आजमगढ़	मोहमदाबाद, गोहाना, सगड़ी-बोषी
5.	बदायू	सहसवान, गुन्नार
6.	बांदा	मऊ, बावेरू, नारैनी
7.	बाराबंकी	हैदरगढ़
8.	बिजनौर	धामपुर, नगीना
9.	बुलन्दशहर	अनुपशहर

1	2	3
10.	एटा	अलीगंज, जालेसर
11.	इटावा	विधूना
12.	फतेहपुर	बिंदकी, खागा (दोनों फतेहपुर जिले से जुड़े हुए हैं)
13.	गाजियाबाद	दादरी, गढ़-मुक्तेश्वर
14.	गाजीपुर	मुहम्मदाबाद, जमानिया
15.	हमीरपुर	माहुवा, चरखड़ी, राठ
16.	झांसी	गरौथा
17.	कानपुर	देरापुर
18.	खीरी-लखीमपुर	निघासन, मोहम्मदी
19.	मैनपुरी	जसराना
20.	मथुरा	छहाटा, माट, साहवाद
21.	मिर्जापुर	दुधी
22.	मेरठ	सरधना
23.	मुरादाबाद	हस्सनपुर, धाल्कुर द्वारा
24.	मुजफ्फरनगर	कैराना, जनसंघ
25.	नैनीताल	खतिमा, सितारगंज
26.	पिथौरागढ़	मुनसारी, धारफ्यूला, चंपायत
27.	रायबरेली	दलमऊ
28.	रामपुर	शाहवाद
29.	टिहरी गढ़वाल	देवप्रयाग
30.	वाराणसी	ग्यानपुर

52 तहसील मुख्यालय

समाचार पत्रों में विज्ञापनों की मात्रा की वैधानिक सीमा

3365. **श्री वी० वी० देसाई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एंड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी ने सूचना और प्रसारण मन्त्री के इस वक्तव्य पर घोर आपत्ति की है कि समाचार पत्रों में बिज्ञापनों की मात्रा पर एक वैधानिक सीमा होनी चाहिए और 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा में विज्ञापन देने वाले समाचार पत्रों को प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स अधिनियम के दायरे से निकाल देना चाहिए ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या संघ सरकार के इस कदम पर इण्डियन और ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी ने बहुत रोष व्यक्त किया है ;

(ग) क्या इसके विरोध को देखते हुए सरकार ने प्रस्ताव त्याग दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) इन्डियन एंड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी द्वारा जारी किए गए प्रेस वक्तव्य को सरकार ने देखा है।

(ग) और (घ) इस मामले पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

"इंसेट" का उपयोग किया जाना

3366. **श्री पी० नामग्यल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री दूरदराज क्षेत्रों के लिए उपग्रह दूरदर्शन रिले प्रणाली के विस्तार के प्रस्ताव के बारे में 18 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 251 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इंसेट' के जरिए अन्तर्विभागीय दूरदर्शन प्रसारण कार्यकारी दल ने 'इन्सेट' के उपयोग पर विचार-विमर्श करने के लिये बैठक की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्यकारी दल की सिफारिशें क्या थीं ; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस परियोजना के लिए कुल कितनी राशि प्रस्तावित है और इस परियोजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी राशि आवंटित की गई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हाँ।

(ख) कार्य दल की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(1) 'इनसेट' का उपयोग उन नौ राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) जो देश में उपग्रह सेवा

के लिए अर्हता रखते हैं, में से छः राज्यों में प्रत्यक्ष उपग्रह सेवा प्रदान करने के लिए किया जाए।

(2) सभी टी० वी० ट्रांसमीटरों को उपग्रह के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों को प्राप्त करने और पुनः प्रसारित करने के लिए उपग्रह रिले सुविधाएं प्रदान की जानी चाहियें। नियमित डाक-तार भू-केन्द्रों से अप-लिंक सुविधाएं प्रदान करने के अलावा, देश की किसी भी जगह से उपग्रह के माध्यम से कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए ट्रांसपोर्टेबल भू-केन्द्रों की भी व्यवस्था की जाए।

(3) 'इनसेट' सेवा को आवश्यक रूप से ग्रामीण आधारित, तथा शहर उन्मुखी कार्यक्रमों से भिन्न होना चाहिए। लक्ष्य दर्शकों के अधिक अनुरूप विकेन्द्रीकृत कार्यक्रम ढांचा विकसित किया जाना चाहिए। जबकि प्रत्येक केन्द्र के लिए एक घन्टे का सायं-काल का प्रेषण सामान्य सेवा के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए, शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए लगभग 45 मिनट का प्रातः कालीन प्रेषण भी उपलब्ध किया जाना चाहिए।

(4) अनुसंधान और मूल्यांकन को कार्यक्रम का अंग बनाया जाए।

(5) भाग लेने वाले सभी मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण पुनर्निर्माण, आदि, को दूरदर्शन के साथ कार्यक्रम निर्माण में शामिल होना चाहिए।

(6) ग्रामीण दर्शकों के लिए तैयार किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों की योजना बनाने, तैयार करने, समन्वय करने, वितरण करने और मिनीटर करने के लिए दूरदर्शन में एक अलग विंग होना चाहिए।

(7) इस स्कीम के कार्यान्वयन की देख-रेख करने के लिए एक केन्द्रीय समन्वय समिति और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य स्तर पर समन्वय समितियां होंगी। सामुदायिक अवलोकन सेटों के अनुरक्षण का कार्य अन्ततः राज्य इलैक्ट्रोनिकी उद्यमों जहां कहीं भी वे विद्यमान हैं, की सहायता से राज्यों द्वारा किया जाएगा।

(ग) छठी योजना के दौरान दूरदर्शन इनसेट' सेवा के लिए स्वीकृत कुल परिव्यय 36.34 करोड़ रुपए है। इस राशि में से, 12.50 करोड़ रुपये की राशि की छठी योजना में व्यवस्था की गई है और शेष राशि आकाशवाणी और दूरदर्शन (विज्ञापन सेवा राजस्व) अव्ययगमनीय निधि से पूरी की जाएगी। 1981-82 के लिए परियोजना के लिए स्वीकृत बजट अनुदान 3.52 करोड़ रुपये है।

ध्वनि प्रसारण और दूरदर्शन सेवायें सुदृढ़ बनाना

3367. श्री पी० नामग्याल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ध्वनि प्रसारण और दूरदर्शन सेवायें सुदृढ़ करने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश के किन-किन क्षेत्रों को प्राथमिकता सूची में रखा गया है ;

(ख) क्या सरकार ने तथाकथित आजाद काश्मीर केन्द्र के शार्टवेव ट्रांसमीटर पर बाल्ती/लद्याखी भाषा में प्रसारित किये जा रहे जोरदार प्रचार को देखते हुए प्रस्तावित 50 किलोवाट के शार्टवेव ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए आकाशवाणी के 'लेह' केन्द्र को प्राथमिकता सूची में रखा है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो तथाकथित आजाद कश्मीर केन्द्र के बढ़ते हुए प्रचार का मुकाबला करने के लिए सरकार का विचार लेह शार्टवेव ट्रांसमीटर परियोजना को प्राथमिकता सूची में रखने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण लेह में 50 कि० वा० का शार्टवेव ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल करना सम्भव नहीं हुआ है । उत्तरवर्ती योजना में कार्यान्वयन के लिए स्कीम का शामिल किया जाना प्राथमिकताओं और उसके लिये निश्चित किये जाने वाले वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा ।

विवरण

आकाशवाणी के नये केन्द्रों और ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने से सम्बन्धित स्कीमों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(क) आकाशवाणी के नये केन्द्र

	स्थान	प्रेषक क्षमता	राज्य का नाम
1.	ईटानगर	100 कि० वा० मी० वे०	अरुणाचल प्रदेश
2.	तुरा	20 कि० वा० मी० वे०	मेघालय
3.	गंगटोक	20 कि० वा० मी० वे०	सिक्किम
4.	मदुरै	10 कि० वा० मी० वे०	तमिलनाडु
5.	आगरा	10 कि० वा० मी० वे०	उत्तर प्रदेश
6.	जमशेदतुर	1 कि० वा० मि० वे०	बिहार

प्रत्येक केन्द्र में 1 कि० वा० मि० वे० के ट्रांसमीटर के साथ स्थानीय रेडियो प्रसारण सेवा ।

	स्थान	राज्य का नाम
1,	कोटा	राजस्थान
2.	दीफू	असम
3.	क्योंझर	उड़ीसा
4.	शोलापुर	महाराष्ट्र
5.	आदिलाबाद	आंध्र प्रदेश
6.	नगरकोल	तमिलनाडु

(ग) समर्पित राष्ट्रीय प्रसारण सेवा

	स्थान	प्रेषण क्षमता	राज्य का नाम
1.	नागरपुर	1000 कि० वा० मी० वे०	महाराष्ट्र

(घ) निम्नलिखित स्थानों के मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने का प्रस्ताव है जैसा कि प्रत्येक के आगे दर्शाई गई है ।

1.	डिब्बूगढ़	300 कि० वा०
2.	लखनऊ	300 कि० वा०
3.	राजकोट	300 कि० वा०
4.	अजमेर	2×100 कि० वा०
5.	रांची	2×100 कि० वा०
6.	धारवाड़	2×100 कि० वा०
7.	रायपुर	100 कि० वा०
8.	पुणे	100 कि० वा०
9.	मद्रास	2×100 कि० वा०
10	सिलीगुड़ी	2×100 कि० वा०
11	कुडप्पाह	100 कि० वा०

(ङ) विदेश सेवाओं को समेकित सौर सुदृढ़ करना ।

1. बंगलौर में 2×500 कि० वा० शार्टवेव ट्रांसमीटर ।
2. अलीगढ़ में 2×250 कि० वा० शार्टवेव ट्रांसमीटर ।

(च) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए शिलांग में 50 कि० वा० शार्टवेव ट्रांसमीटर के साथ नई एकीकृत सेवा ।

(छ) निम्नलिखित 7 स्थानों के सहायक केन्द्रो का दर्जा बढ़ाना ।

1. भाखलपुर
2. कुडप्पा
3. गुलबर्गा
4. सांगली
5. तिरूनेलवेली
6. जबलपुर
7. भद्रावती/शमोगा

दूरदर्शन

क—नए दूरदर्शन केन्द्र

1. बंगलौर (कर्नाटक)
2. अहमदाबाद (गुजरात)
3. त्रिवेन्द्रम (केरल)
4. गोहाटी (असम)

(ख)--नए दूरदर्शन रिले केन्द्र

1. आसानसोल
2. कटक
3. वाराणसी
4. विजयवाड़ा
5. पणजी
6. मदुरै (कोडैकनाल)
7. कसौली
8. मुर्शिदाबाद

दिल्ली के दूरदर्शन ट्रांसमीटर की शक्ति 10 कि० वा० से बढ़ाकर 20 कि वा० की जायेगी ।

"इनसैट"

"इनसैट योजना के अन्तर्गत आकाशवाणी के पास सभी आकाशवाणी केन्द्रों और प्रेषण केन्द्रों जिनकी संख्या 94 है, की नेटवर्किंग होगी । मद्रास, बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता में अपलिंकिंग सुविधाएं उपलब्ध की जायेंगी ।

जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, कार्यक्रम प्रौडक्शन केन्द्रों और 10 कि० वा० के ट्रांसमीटर रांची, राजकोट,नागपुर और गोरखपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव है। हैदराबाद और कटक में वर्तमान कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।

आकाशवाणी के लेह केन्द्र को सुविधाएं

3368. **श्री पी० नामग्याल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री आकाशवाणी के लेह केन्द्र के स्टूडियो के बारे में मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2045 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1981 से आकाशवाणी के लेह केन्द्र को कितने अतिरिक्त स्टूडियो, कार्यालयों, आवासीय तथा अन्य तकनीकी सुविधायें प्रदान की गई हैं; और

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो सदन में दिए गए आश्वासनों को क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) : लेह में कार्य का मौसम सीमित है। इसके अलावा, तकनीकी कार्यों की राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा सिविल निर्माण कार्य को मुकम्मल कर लिए जाने के बाद हाथ में लिया जाना है।

एक अलग प्रेषण बूथ और नियंत्रण कक्ष मंजूर कर दिया गया है। उनको चालू करने के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग ने आवश्यक भवन आपरिवर्तन कार्य शुरु कर दिया है।

अन्य जिन तकनीकी और गैर-तकनीकी सुविधाओं की योजना बनाई गई है उनमें अतिरिक्त वार्ता और उद्घोषक स्टूडियो, रिकार्डिंग, डबिंग और रीड-ओवर कक्षों, 40 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण, 150 वर्ग-मीटर का अतिरिक्त कार्यालय भवन और एक डीजल जनरेटर भी शामिल है।

लेह/कार्गिल तथा देश के शेष भाग के बीच वायरलैस तार सेवा का निलम्बन

3369. **श्री नामग्याल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष अर्थात 1 अगस्त, 1981 से 31 जुलाई 1981 तक के दौरान डब्ल्यू० टी० सेट में खराबी के कारण लेह/कार्गिल तथा देश के शेष भाग के बीच वायरलैस तार सेवा कितने दिन तक निलंबित रही;

(ख) बार-बार ब्रेक डाउन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या लेह और कार्गिल में अतिरिक्त (स्टेण्डबाई) डब्ल्यू० टी० सेटों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या यह सच है कि अधिकांश तारों को डाक द्वारा भेजा जाता है जबकि जनता से तार की पूरी लागत वसूल की जाती है; और

(ङ) यदि उपर्युक्त (घ) का उत्तर नकारात्मक है तो उन कुल तारों की संख्या क्या है तथा उन तारों का कुल मूल्य क्या है, जिन्हें डाक द्वारा भेजा गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 1-8-80 से 31-7-81 तक की अवधि के दौरान कारगिल में 150 दिन और लेह में 20 दिन तक वायरलेस टेलीग्राफ सेवा निलंबित रही।

(ख) इन स्थानों पर, विशेषकर कारगिल में, सिविल पावर सप्लाई अत्याधिक कम और सीसित है जिसके कारण बैटरियां पूर्णतया चार्च नहीं हो पाती। इन दूरवर्ती इलाकों में कर्मचारियों की कमी भी एक समस्या है।

(ग) जी हां, लेह वायरलेस स्टेशन पर उच्चतर शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताय है।

(घ) जी नहीं, लाइन में व्यवधानों के कारण कभी कभी तार डाक द्वारा भेजे जाते हैं। ऐसे मामलों में तार प्रभार को लौटाने की व्यवस्था हैं।

(ङ.) 1-8-80 से 31-7-81 तक की अवधि के दौरान लेह 4009 और कारगिल से 1077 तारों को डाक द्वारा भेजा गया। इनका तार प्रभाव क्रमशः 11,610 रुपए तथा 3,231 रूपए बनता है।

दूर संचार विभाग की बकाया राशियां

3370. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, दूरसंचार विभाग की बकाया राशियां क्या हैं;

(ख) किन-किन व्यक्तियों और फर्मों की ओर 10,000/- रुपये से अधिक की बकाया राशियां हैं और इस राशि की वसूली के लिए उनके खिलाफ क्या कार्यवाई की गई है।

(ग) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

(घ) क्या यह सच है कि व्यक्तियों तथा व्यक्ति पर दूरसंचार विभाग का लगभग एक लाख रुपये बकाया है; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों और अथवा व्यक्ति पर यह राशि बकाया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) पिछले तीन वर्षों में 30 नवम्बर को महीना पुराना/बकाया टेलीफोन राजस्व निम्न प्रकार है :

वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
1978-79	1212

1979-80	1668
1980-81	1645

(ख) से (ङ) फील्ड यूनिटों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

दूरदर्शन पर योग

3371. श्री आर० एन० राकेश : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर "योग" के बारे में भाषण देने तथा प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में विशेषज्ञों को आमंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) इस विषय के लिए सप्ताह में कितनी बार का समय नियत किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि "योग" के बारे में भाषण देने के लिए दूरदर्शन पर हर बार एक व्यक्ति (स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी) को ही आमंत्रित किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार योग तथा वेदान्त के बारे में भाषण देने के लिए रामकृष्ण मिशन अथवा अन्य संस्थानों से भी कुछ अन्य विशेषज्ञों को आमंत्रित करने का है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) दूरदर्शन पर योगाभ्यास पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किए जाने वाले विशेषज्ञों का चयन योग में उनकी विशेषज्ञता और दर्शकों को प्रभावी ढंग से समझाने की उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है।

(ख) योग के कार्यक्रम विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से निम्नानुसार टेलीकास्ट किए जा रहे हैं :—

केन्द्र	आवर्ती	अवधि (वर्षों में)
दिल्ली	साप्ताहिक	20
बम्बई	मास का तीसरा और पांचवा रविवार	20
मद्रास	साप्ताहिक	15
लखनऊ	पाक्षिक	20
जलन्धर	पाक्षिक	20
श्रीनगर	कभी कभी	—

1	2	3
कलकत्ता	कभी कभी	—
जयपुर	साप्ताहिक	20
मुजफ्फरपुर	साप्ताहिक	20
रायपुर	साप्ताहिक	20
सम्बलपुर	पाक्षिक	15
हैदराबाद	कभी कभी	—

(ग) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र से प्रस्तुत किया जाने वाला कार्यक्रम एक कार्यक्रम शृंखला है, जिसमें स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, विश्वायतन योगाश्रम, दिल्ली, जो सरकारी सहायता प्राप्त योग संस्थान है, के निदेशक हैं, द्वारा प्रकल्पित और प्रस्तुत किया जाता है।

(घ) अन्य योग विशेषज्ञ मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, सम्बलपुर, और हैदराबाद जैसे अनेक दूरदर्शन केन्द्रों से दूरदर्शन कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।

कोयले में मिलावट के कारण तापीय संयंत्रों में कम विद्युत उत्पादन

3372. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तापीय विद्युत जनन संयंत्रों में कम उत्पादन के लिए उत्तरदायी मुख्य कारणों में से एक कारण 40 प्रतिशत कोयले में मिलावट होना है;

(ख) क्या इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम उठाया गया है और यदि हां तो, गत वर्षों के दौरान कितनी बार; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों पर मुकद्मा चलाया गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कुछ विद्युत केन्द्रों ने सूचित किया है कि उनको सप्लाई किया जाने वाला कोयला कभी-कभी घटिया गुण वाला होता है जिसमें गोला पत्थर आदि जैसे विजातीय पदार्थ होते हैं और यूनिटों के कार्य-निष्पादन पर इसका प्रभाव पड़ता है। परन्तु इस समय गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।

(ख) स्थिति में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। कोयले कम्पनियों को सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो सके विजातीय पदार्थों को कम कर दें। कोयला कंपनियों ने खानों में कोयला हैंडलिंग संयंत्रों की प्रतिष्ठापना का कार्य भी तात्कालिकता के आधार पर हाथ में लिया है, जिनमें कोयले को अपेक्षित साइज में तोड़ने और छानने की तथा विजातीय

पदार्थों को हाथ से निकालने की सुविधा है। इसके अतिरिक्त, विद्युत उत्पादन हेतु नान-कोकिंग कोयले का परिष्कार करने की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अगरतला के लिए स्वचल एक्सचेंज

3374. **श्री बाजूबन रियान :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला में स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) 2100 लाइनों के एक एक्सचेंज की 1983 के दौरान चालू हो जाने की संभावना है जिसमें और 300 लाइनों का विस्तार 1984 के दौरान किया जाएगा।

(ग) उपयुक्त (क) और (ख) के उत्तरों को मद्देनजर रखते हुए (ग) का प्रश्न ही नहीं उठता।

संसद द्वारा पारित किंतु प्रवृत्त न किए गए अधिनियम

3374. **श्री चित्त बसु :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1952 से गत वर्ष तक अधिनियम केन्द्रीय अधिनियमों की कुल संख्या 1873 के लगभग है जिनमें से अनेक केवल कागज पर हैं और प्रवृत्त नहीं किए गए हैं अथवा उन्हें प्रवृत्त नहीं किया जा सका ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनका पुनर्विलोका करने और अपनी सिफारिशों सहित संसद को रिपोर्ट देने के लिए एक विशेष तंत्र स्थापित करने का है।

विधि, और न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं। वर्ष 195 से 1980 तक पारित किए गए 1870 केन्द्रीय अधिनियमों में से (जिनके अन्तर्गत 44 संविधान संशोधन अधिनियम भी हैं केवल कुछ अधिनियम जिनकी संख्या 20 से कम हैं, अभी तक प्रवृत्त नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक संयंत्रों की पूर्ण क्षयता का उपयोग न किया जाना।

3375. **श्री चित्त बसु :** क्या पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 के दौरान देश में उर्वरक संयंत्रों की क्षमता का मुश्किल से 53 प्रतिशत उपयोग हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है, और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं,

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 के दौरान उर्वरक संयंत्रों का क्षमता उपयोग नाइट्रोजन और पी 2 ओ 5 के मामले में क्रमश: 52-8 प्रतिशत और 65.9 प्रतिशत था । उत्पादन में गिरावट मुख्य रूप से कच्चे माल की कमी, असम आन्दोलन के कारण फीडस्टाक की अपर्याप्त उपबन्धता पावर समस्या और पावर कटौती, उपकरण समस्या और श्रमिक समस्या के कारण थी ।

(ग) कच्चे माल और विदेशों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाये गये हैं उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये पावर प्रतिवन्धों को दूर किया गया है और संयंत्र संचालन सुधार कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं । इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 1981-82 की प्रथम तिमाही में नाइट्रोजन और पी 2 ओ 5 का उत्पादन गत वर्ष की तदनुरुपी अवधि के उत्पानन की तुलना में क्रमश: 65.3 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत अधिक था ।

आल इन्डिया रेडियो, बम्बई के कार्यक्रमों में पंजाबी कार्यक्रमों की मांग

3376. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इन्डिया रेडियो, बम्बई से पंजाबी कार्यक्रमों का प्रसारण नही होता ;

(ख) क्या यह सच है कि वम्बई क्षेत्र में रह रहे पंजाबी लोगों की ओर से पंजाबी कार्यक्रमों के लिए बड़ी मांग है ; और

(न) यदि हां, तो पंजाबी में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । मन्त्रालय को इस प्रकार की कोई मांगे प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

समाचार देने के बारे में सरकार और पी० टी० आई०/यू० एन० आई०/हिन्दुस्तान समाचार के बीच करार की समाप्ति ।

3377. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पी० टी० आई०, यू० एन० आई०, हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती के नोटिस दिए हैं जिनमें उनके और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के बीच इन दो संगठनों को समाचार देने के करार समाप्त किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) (क) जी हां ।

(ख) एक और दो बैंड वाले रेडियो सेटों पर लाइसेंस फीस समाप्त करने के सरकार के नीति निर्णय के परिणामस्वरूप, आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा समाचार एजेंसियों को दिए जाने वाले शुल्क के भुगतान को विनियमित करने वाले फार्मूले में संशोधन करना जरूरी हो गया है । वर्तमान फार्मूले में किसी भी पक्ष द्वारा छः महीने का नोटिस देकर समझौते को समाप्त कर कर दिए जाने की व्यवस्था है । आकाशवाणी और दूरदर्शन को समाचारों की सप्लाई सम्बन्धी समझौते में संशोधन करने की दृष्टि से आकाशवाणी ने समाचार संविदा को समाप्त करने के लिये समाचार एजेंसियों को छः महीने का नोटिस दिया है ।

मांग पर टेलीफोन लगाना

3378. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मांग पर टेलीफोन लगाने के बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ; और

(ख) इस प्रकार की मांग कब तक पूरी हो सकेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) विभाग निम्नलिखित फैक्टरियों को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है :

(2) रायबरेली में दो लाख लाइनों की एक क्रासबार फैक्टरी

(1) प्रतिवर्ष पांच लाख लाइनों को क्षमता की दो इलैक्ट्रानिक फैक्टरियां

(3) यदि कोई कमी रही तो आयात किया जाएगा ।

(ख) सातवीं योजना के अंत तक अर्थात 1990 तक ।

एफ० ए० टी० कोचीन और अलवाई प्रभागों में पूंजी निवेश

3379. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैक्ट के केरल में कोचीन प्रभाव और अलवाई प्रभाव में अब तक कितनी धनराशि लगाई गई है ;

(ख) पूंजी निवेश के स्वरूप का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस समय से फैक्टरियां चल रही हैं ; और

(घ) इन फैक्टरियों के लाभ या हानि का ब्यौरा क्या है;

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 31 मार्च, 1981 तक फर्टिलाइजर्स एन्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट) में अंश पूंजी के रूप में कुल निवेशित धनराशि रु० 125,46 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त सरकार ने भी विभिन्न परियोजनाओं की वित्तीय सहायता और राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए फैक्ट में ऋण के रूप में धन का निवेश किया है 31 मार्च, 1981 को बकाया ऋण 74.88 करोड़ रु० था।

(1) भारत सरकार का साम्यपूंजी निवेश रु० 122,00 करोड़

(2) राज्य सरकारों और गैर सरकारी व्यक्तियों की साम्य पूंजी। रु० 3,46 करोड़

उर्वरकों प्लांटों के संचालन के लिये अपेक्षित भूमि, भवनों सड़कों, प्लांट और मशीनरी तथा अन्य सुविधाओं में धन का निवेश किया गया है।

(ग) फैक्ट के कोचीन और उद्योग मंडल के कारखानों का उत्पादन कार्य निष्पादन निम्न प्रकार है :

(1000 मी० टन में)

	वार्षिक क्षमता	1980-81		अप्रैल जून, 1981	
		उत्पादन क्षमता उपयोग की प्रतिशतता		उत्पादन क्षमता की प्रतिशतता	
उद्योग मंडल					
नाइट्रोजन	82.0	42.0	51·2	6.3	30.7
फास्फेट ($पी_2$ $ओ_5$)	44.0	21.3	48.4	2.7	24.5
कोचीन					
नाइट्रोजन	152.0	113.2	74.5	8.3	21.8
कोचीन-II					
नाइट्रोजन	40.0	15.1	38.7	1.3	13.0

1	2	3	4	5	6
फास्फेट					
($पी_2$ $ओ_5$)	114.0	49.5	34.4	3.6	12.6

(घ) फैक्ट ने वर्ष 1978-79 में 55 लाख रु० की हानि की तुलना में वर्ष 1879-80 में 65 लाख रु० का शुद्ध लाभ कमाया गया है। वर्ष 1980-81 के दौरान 160 लाख रुपये (अस्थाई) का शुद्ध लाभ दर्शाया गया है। कोचीन प्रभाग ने लाभ कमाया जबकि उद्योग मंडल प्रभाग को घाटा हुआ।

पेट्रो कैमिकल्स परियोजनाओं की संख्या

3380. **श्री ए० लीलालोहिथादसन नाडार** : क्या पेट्रोलियम,रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितनी पेट्रो-कैमिकल परियोजनायें कार्यरत हैं, उनकी राज्य-वार सूची क्या है और उनके द्वारा उत्पादित ऊर्जा का ब्यौरा क्या है ;

(ख) भारत सरकार के पास पेट्रों-कैमिकल परियोजनाओं के कितने प्रस्ताव मंजूरी के लिए विचाराधीन हैं, उनकी राज्य-वार सूची क्या है और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ; विस्तार से बतायें ?

पेट्रोलियम, और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ख) और (ग) : जब तक लम्बित पड़े आवेदनों पर निर्णय नहीं लिया जाता है उनके ब्यौरे प्रकाशित नहीं किये जाते हैं।

बिजली संयंत्रों द्वारा कोयले की कमी की शिकायत

3381. **श्री तारीक अनवर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने बिजली-घरों के गत तीन वर्षों के दौरान कोयले की कमी की शिकायत की है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिमाह, बिजली संयंत्रों को कोयले के कितने वैगन मिले ;

(ग) मासिक आवश्यकता की तुलना में ये वैगन कितते कम थे ;

(घ) इस कमी को दूर करन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ.) बिजली क्षेत्र को कोयले के वैगनों की एक बंधी हुई सप्लाई के संबंध में कोयला विभाग द्वारा क्या कारण बताए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोयले पर निर्भर ताप विद्युत केन्द्रों में से छः विद्युत केन्द्रों को छोड़कर, बाकी के केन्द्रों ने गत तीन वर्षों के दौरान कभी न कभी कोयले की कमी की शिकायत की है। लेकिन जब स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान प्रतिमास ताप विद्युत केन्द्रों के लिए आवश्यक वैगनों की औसत संख्या, प्राप्त हुए वैगनों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) विद्युत केन्द्रों को कम वैगन सप्लाई किये जाने की स्थिति को दूर करने के लिए कई कदम, उठाए गये हैं। इन कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए रेलवे से कहा गया है।

(2) ताप विद्युत केन्द्रों को रेल द्वारा कोयले की ढुलाई की मानीटिंग करने के लिए विद्युत विभाग तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा रेल मन्त्रालय के साथ घनिष्ट संपर्क रखा जा रहा है। विद्युत केन्द्रों को वैगनों की सप्लाई की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय अन्तः मंत्रालयीय बैठकें भी समय-समय पर की जाती हैं तथा सावधानीपूर्वक मानीटरिंग की जाती है।

(3) वैगनों को रोके रखने की अवधि को कम करने के लिए विद्युत केन्द्रों से कहा गया है ताकि वैगनों के आने जाने की अवधि कम हो सके जिसके परिणाम स्वरूप वैगनों की उपलब्धता में वृद्धि हो।

(4) कोयला कम्पनियों को भी सलाह दी गई है कि ताप विद्युत केन्द्रों को बड़े साइज का कोयला सप्लाई न करें क्योंकि इसका सीधा प्रभाव बिजलीघरों द्वारा वैगनों को शीघ्र छोड़े जाने पर पड़ता है। बड़े साइज का कोयला सप्लाई करने वाली कोयला खानों का पता लगाया जाता है और उपचारी उपाए किए जाते हैं।

(ङ.) कोयले की वैगनों की सप्लाई कम होने के मुख्य कारणों में से एक कारण रहा है, ताप विद्युत उत्पादन में वृद्धि होने के परिणाम स्वरुप कोयले की बढ़ती हुई आवश्थयता के अनुरुप ही ताप विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले की ढुलाई के लिए वैगनें उपलब्ध न होना।

विवरण

1978-79 से 1980-81 की अवधि के दोरान ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा प्रतिमाह प्राप्त किए गए वैगनों की औसतन संख्या

वर्ष	प्राप्त	प्रतिशत कमी
	(वैगनों की प्रतिमाह औसत संख्या)	
1978-79	73,117	33 प्रतिशत
1979-80	83,897	29 प्रतिशत
1980-81	93,595	29 प्रतिशत

बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा औषध उद्योग में सम्भावित क्षेत्रों का पता लगाना

3382. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़े औद्योगिक गृह अब औषध सम्बन्धी क्षेत्र में सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं, यदि हां, तो ऐसे गृह कौन-कौन से हैं और किस-किस क्षेत्र का उन्होंने निर्धारण किया है अथवा उनके लिए लाइसेंसों का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या सरकार ने यह निर्णय लेने के लिए इसलिए विवश हो गई है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो न केवल इन उपक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के किए, बल्कि नई मदों के लाइसेंस देकर उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या सकारात्मक उपाय किए हैं ;

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां । कुछ औद्योगिक घरानों ने जो अब औषध निर्माण के क्षेत्र में नहीं है, अब औषधों और भेषजों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन किया है। इस सम्बन्ध में ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) और (ग) जी नहीं । चार सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों यानी आई० डी० पी० एल०, एच० ए० एल०, एस० एस० पी० एल०, और बी० सी० पी० एल० का कुल उत्पादन निम्न प्रकार है :—

	रु० करोड़
1978-79	87.75
1979-80	104.96
1980-81	120.87

सरकारी क्षेत्री कम्पनियां अपना उत्पादन और विक्री बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही हैं। सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों से सम्बन्धित उत्पादन और अन्य समस्याओं की सरकार द्वारा लगातार देख रेख की जाती है और समय समय पर उचित कदम उठाये जाते हैं।

वर्ष 1978-79 से 1980-81 के दौरान सरकार ने सरकारी क्षेत्रीय निवेश के लिए 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं। अगामी वर्षों में चालू योजनाओं और आर्थिक दृष्टि से ठोस नई योजनाओं पर आगामी निवेश के लिए सहायता जारी रहेगी जो मांग, उपलब्ध क्षमता और उनके तकनीकी-आर्थिक पहलुओं पर निर्भर करते हैं।

विवरण

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	एकाधिकार घरानों का नाम	उत्पादन की मद और क्षमता/
1.	2.	3.	4.
1.	मै० हिन्दुस्तान लिवर लि०	हिन्दुस्तान लिवर ग्रुह	(1) 3-4-5 ट्राइमेथोक्सी बेन्जलडी होइड 50 टन प्रतिवर्ष
			(2) 5-नाइट्रो-2-फरफुराइलडाइएसीटेट 50 टन प्रतिशत
2.	मैसर्स न्यूकेम प्लास्टिक्स लि.	न्यूकेम प्लास्टिक लि. यूरिया-फार्मलडिहाइड माडलिंडग पाउडर के क्षेत्र में एक अग्रणी उपक्रम है।	आक्सीफेन बुटाजौन 24 टन प्रतिवर्ष
3.	मैसर्स लक्मे लि.	टाटा ग्रुप कम्पनी	(क) बुनियादी औशधें
			(1) क्लोरोक्वीन फास्फेट /अमोडियाक्वीन 60 टन प्रतिवर्ष
			(2) इथाम्बटोल एच. सी. एल. 25 टन प्रतिवर्ष
			(3) सिट्रामाइड 40 टन प्रतिवर्ष
			(ख) औषध मध्यवर्ती
			(1) 4.7-डाइक्योरोक्वी-नोलाइन 40 टन प्रतिवर्ष

		(2) इथेक्सी मेलोनिक स्टर	मिथाइलीन 70 टन प्रतिवर्ष
		(3) नोवलडियामाइन	40 टन प्रतिवर्ष
		(ग) औषध फार्मूलेशन	
		28 फार्मूलेशन	
4. मैसर्स स्टैन्डर्ड केमिकल डिविजन	अल्कली एंड कम्पनी	मुफतलाल ग्रुप की	इथाम्बुटोल और इसके फार्मूलेशन 50 टन प्रतिवर्ष

सिंगरौली तापीय बिजली घर के लिए आवंटित राशि

3383. **श्री भीकू राम जैन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरौली तापीय बिजली घर के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ;

(ख) उससे कितनी बिजली प्राप्त करने की सम्भावना है ; और

(ग) सिंगरौली बिजली घर के प्रथम एकक को कब चालू किए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र 995.17 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जा रहा है ।

(ख) इस केन्द्र की प्रतिष्ठापित क्षमता इस समय 200 मेगावाट होगी ।

(ग) इस विद्युत केन्द्र के 200 मेगावाट के प्रथम यूनिट को फरवरी, 1982 तक चालू किए जाने की आशा है ।

राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण की समीक्षा

3384. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण की समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) (1) राज्य बिजली बोर्डों में से प्रत्येक की और अनुमानतः कुल कितना संचित ऋण बकाया है (2) प्रत्येक राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कितनी बकाया राशि वसूल की जानी है ;

(घ) क्या सरकार ने राजाध्यक्ष समिति की यह सिफारिशें मान ली हैं कि बोर्ड के सदस्यों और अध्यक्ष का दयन एक स्वतंत्र एजेंसी को सौंप कर सुधार का कार्य ऊपर से शुरू किया जाए ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राज्य बिजली बोर्डों के कार्य-निष्पादन का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है। राज्य बिजली बोर्डों के समग्र कार्य-निष्पादन में सुधार करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण की समीक्षा लगातार करती रही है। 17 जुलाई, 1981 को हुए राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों तथा अन्य विशिष्ट अधिकारियों के सम्मेलन में इनके कार्य-निष्पादन की समीक्षा अभी हाल ही में की गई थी और राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण में सुधार लानेके लिए विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अन्य बातों के साथ-साथ, सयंत्र और उपस्कर में सुधाक करके तथा क्षमता समुप्रयोजन में अभिवृद्धि करके, टैरिफ ढांचे को युक्ति-संगत बनाकर, श्रमशक्ति तथा सामग्री का नियंत्रण करके तथा उत्तम परियोजना प्रबंध करके राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार करना शामिल है।

(ग) 1 अप्रैल, 1979 की स्थिति के अनुसार, परीक्षित लेखों के आधार पर राज्य बिजली बोर्डों पर बकाया ऋण तथा उन पर बकाया देय राशि को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) विद्युत समिति ने राज्य बिजली बोर्डों के तथा विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण में लगे केन्द्रीय संगठनों के कार्यकरण की जाँच की है। इस समिति ने इनके समग्र कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए विभिन्न सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य बिजली बोर्डों का संगठनात्मक स्वरूप तथा उनके अध्यक्ष और सदस्यों को चयन करने की प्रणाली सदस्यों की चयन करने की प्रणाली भी शामिल है। राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इन सिफारिशों पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

राज्य बिजली बोर्ड	1978-79 के अन्त में बकाय ऋण करोड़ रुपए	सितम्बर, 80 के अन्त में बकाया देनदारियां लाख रुपए
उत्तर प्रदेश	1,600	8,367.1
महाराष्ट्र	783	2,861.4
पंजाब	567	उपलब्ध नहीं
मध्य प्रदेश	499	1,804.6
आंध्र प्रदेश	459	उपलब्ध नहीं
तमिलनाडु	398	उपलब्ध नहीं
गुजरात	358	1,044.1

1	2	3
हरियाणा	330	609.9
बिहार	303	7,132-0
राजस्थान	284	3,501.2
पश्चिमी बंगाल	234	उपलब्ध नहीं
केरल	179	उपलब्ध नहीं
उड़ीसा	146	उपलब्ध नहीं
कर्नाटक	116	2,125.5
हिमाचल प्रदेश	70	उपलब्ध नहीं
जोड़	6,323	

शेष तीन राज्य बिजली बोर्डों नामशः असम,मेघालय जम्मू तथा कश्मीर के वर्ष 1978-79 के लेखे उपलब्ध नहीं हुए हैं।

उत्तरी बिहार में बिजली की अत्याधिक कमी

3385. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जनवरी, 1980 से जुलाई, 1981 की अवधि में उत्तरी बिहार में बिजली की अत्याधिक कमी रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : बिहार की कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 955 मेघावाट है। इसमें 805 मेघावाट ताप विद्युत तथा 150 मेघावाट जल विद्युत क्षमता है। ताप विद्युत क्षमता में से, 145 मेघावाट की क्षमता का बैरोनी ताप विद्युत केन्द्र उत्तरी बिहार में स्थिति है तथा प्रणाली के अन्य यूनिटों के साथ यह समानातर प्रचलित हो रहा है। जब कभी थी बैरोनी के यूनिटों की बन्दी होती है, उत्तरी बिहार में विद्युत सप्लाई की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दक्षिणी बिहार के कमी बाले क्षेत्रों को विद्युत सप्लाई करने वाले पतरातू ताप विद्युत केन्द्र से विद्युत का व्यपवर्तन करना सामान्यतः मुश्किल हो जाता है। विद्युत की कोई सांविधिक कटौतियां नहीं हैं तथा दिन-प्रतिदिन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, लोड-शैडिंग करके कमियों को पूरा किया जाता है। उत्तरी बिहार की मांग, उपलब्धता का अलग से ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, जनवरी, 1980 से जुलाई, 1981 के दौरान बिहार में ऊर्जा की मांग तथा उपलब्धता को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

जनवरी, 1980 से जुलाई, 1981 के दौरान बिहार में ऊर्जा की मांग, उपलब्धता को दिखाने वाला विवरण

	मांग (गेगावाट आवर में)	सप्लाई (गेगावाट आवर में)	कमी (गेगावाट आवर में)	कमी प्रतिशत
जनवरी	310	183	127	41.0
फरवरी	290	198	92	31.7
मार्च	380	202	178	46.8
अप्रैल	302	179	105	34.8
मई	312	162	105	48.6
जून	311	160	151	48.6
जुलाई ए	290	192	98	33.8
अगस्त	289	185	104	36.0
सितम्बर	281	160	121	43.1
अक्तूबर	315	173	142	45.1
नवम्बर	330	193	137	41.5
दिसम्बर	342	214	128	37.4
जनवरी	315	200	115	36.5
फरवरी	288	182	106	36.8
मार्च	346	217	129	37.3
अप्रैल	336	203	133	39.6
मई	356	184	172	48.3
जून	345	205	140	40.6
जुलाई	321	216	105	32.7

दुलियाजन, असम में एल० पी० जी० संयंत्र का अधिग्रहण

3386. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या पेट्रोलियम और रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दुलियाजन, असम में एल० पी० जी संयंत्र के अधिग्रहण का है ;

(ख) यदि हां, तो संयन्त्र की एल० पी० जी और प्राकृतिक गैसोलियन की अनुमानित क्षमता कितनी है ; और

(ग) संयंत्र को कब तक चालू किया जाने की संभावना है और संयंत्र के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) से (ग) आयल आयल इन्डिया लिमिटेड भारत सरकार और वर्मा आयल कम्पनी (वी० ओ० सी०) की एक 50:50 संयुक्त उद्यम है। संसद के इस अधिवेशन के दौरान वी० ओ० जी० के स्वामित्व में 50 शेयर का अधिग्रहण के पश्चात् आयल इण्डिया लिमिटेड का तरल पेट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०) संयंत्र सरकार के स्वामित्व में होगा। संयंत्र के अप्रैल 1982 के आस-पास चालू किए जाने की सम्भावना है और प्रारम्भ में एल० पी० जी० का उत्पादन प्रतिवर्ष 20,000 मी० टन की दर पर और धीरे धीरे 1984-85 तक इसके प्रतिवर्ष 60,000 मी० टन तक बढ़ जाने की आशा है। कन्डेंसेट्स (जो प्राकृतिक गैसोलीन के सन्दर्भ में है) का उत्पादन प्रतिवर्ष 12,000 मी० टन की दर से होगा। परियोजना की अनुमोदित लागत 13.50 करोड़ रुपये हैं।

अल्कोहल उत्पादन के लिए शीरे का उपयोग

3387. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी फैक्टरियां तथा निजी खाण्डसारी यूनिटों की वैक्यूम कडाइयों से मिलने वाले शीरे को अल्कोहल में बदले जाने पर तरल ईन्धन के मिलने और इससे विदेशी मुद्रा की बचत होने की अच्छी संभावना है,

(ख) क्या उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार का चीनी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शीरे से अल्कोहल का आसवन करने के लिए शीरा नियंत्रण आदेश जारी करने का प्रस्ताव है,

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वैकम पान

चीनी मिलों और मुक्त पान खांडसारी यूनिटों द्वारा निर्मित शीरे का उपयोग अल्कोहल के निर्माण के लिए किया जा सकता है और किया जाता है। इसे मोटर स्पिरिट के सम्मिश्रण के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है।

(ख) वैकम पान चीनी मिलों और मुक्त पान खांडसारी यूनिटों द्वारा निर्मित शीरा पहले से ही आंध्र प्रदेश, असम गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में शीरा नियन्त्रण आदेश, 1961 के अन्तर्गत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल और हरियाणा राज्यों के अपने शीरा नियंत्रण आदेश हैं। अभी तक ये आदेश मुक्त पान खांडसारी यूनिटों द्वारा निर्मित शीरे के लिए लागू नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) एक अन्तर विभागीय समिति ने मोटर स्पिरिट के सम्मिश्रण ने अल्कोहल के प्रयोग के प्रश्न की जांच की और इसकी रिपोर्ट की जांच सरकार द्वारा की गई। यद्यपि ऐसे सम्मिश्रण की तकनीकी व्यवहार्यता तय हो गई है फिर भी फिलहाल सम्मिश्रण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना अल्कोहल की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण संभव नहीं है।

दामोदर घाटी निगम का उत्पादन लक्ष्य तथा उत्पादन

3388 **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) दामोदर घाटी निगम में छः महीने के दौरान बिजली का दैनिक उत्पादन क्या रहा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दामोदर घाटी निगम का किचार और अधिक सुपर तापीय विजछी परियोजनाओं की स्थापना की संभाव्यता का पता लगाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो वे कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) पिछले छः महीनों के लिए निर्धारित किए गए विद्युत उत्पादन लक्ष्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

	मासिक यक्ष्य
मार्च, 81	428 मिलियन यूनिट
अप्रैल, 81	477 "
मई, 81	478 "
जून, 81	444 "
जुलाई, 81	504 "
अगस्त, 81	489 "

पिछले दो वर्षों की तुलना में ये सामान्यत: बहुत अधिक है ।

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान दामोदर घाटी में विद्युत का दैनिक औसत उत्पादन नीचे दिए गए अनुसार है :—

मार्च, 81	17.3 मिलियन यूनिट
अप्रैल, 81	17.1 "
मई, 81	16.1 "
जून, 81	14.9 "
जुलाई, 81	16.0 "
अगस्त, 81	17.2 "

(ग) और (घ) दामोदर घाटी निगम ने एक मैथोन में 1050-1050 मेगावाट क्षमता के दो ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, जिनमें मुगमा और सालनपुर कोयला क्षेत्रों के कोयले का उपयोग किया जाएगा । इस स्कीम की परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

कोरापुट जिला (उड़ीसा) में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

3389. **श्री के० प्रधानी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरापुट जिला (उड़ीसा) और उड़ीसा के अन्य जिलों में चालूवर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र मन्जूर किए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा अपनाये गये मानदण्डों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) सूचना विवरण में प्रस्तुत है ।

(ख) जनजातीय क्षेत्रों के लिए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन पर उपलब्ध कराने के लिए मानकों को उदार बना दिया है ।

(ग) ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में दूरसंचार की व्यवस्था के लिए मानकों को उदार बनाने के अतिरिक्त, जनजातीय क्षेत्र का केन्द्रीय ग्राम में भी दूरसंचार सुविधा प्रदान की जा सकती हैं यदि 10 कि० मी० को आरीय दूरी में पड़ने वाले ग्राम समूह की कुल जनसंख्या 25,00 हो जाती है परन्तु इस आधार पर 10 कि० मी० की अरीय दूरी में लम्बी दूरी के दो सार्वजनिक टेलीफोन घर नहीं खोले जायेंगे ।

विवरण

उड़ीसा में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत सार्वजनिक टेलीफोन घरों की जिलावार संख्या प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र

जिले का नाम	स्वीकृत सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या
1. कोरापुट	2
2. बालाशोर	14
3. कटक	1
4. धेनकनाल	7
5. गंजम	1
6. कालाहैन्डी	2
7. क्यूंझार	4
8. मयूरमन्ज	3
9. पूलबनी	5
10. पूरी	2
11. सम्बलपुर	2
12. सुन्दरगढ़	—
13. बोलांगोर	—

1981-82 के दौरान गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य

3390. श्री आर० के० महलगी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यथा संभव अधीन गांवों को बिजली सप्लाई करने की सरकार की नीति है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 में इसके लिए क्या लक्ष्य है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत में दूरस्थ स्थानों तक बिजली पहुंचाने के कारण यहां बिजली का क्षय बहुत अधिक मात्रा में होता है ;

(घ) क्या बिजली की इस बर्बादी को रोकने के लिए सरकार पवनचक्कियों के प्रयोग द्वारा बिजली पैदा करने की योजना बना रही है; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ङ) क्या 10 किलोवाट तक की बिजली की क्षमता वाली अनेक पवन-चक्कियां स्थापित करने से अधिक बचत होगी; और

(च) क्या पवन शक्ति का ऐसा प्रयोग शुरू करने और अधिक महत्व पूर्ण क्षेत्रों के लिए दुलर्भ बिजली की बचत करने के लिए तकनीकी जानकारी हमें मिल गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) जी, हां। यथा संभव अधिक से अधिक गाँवों को विद्युतीकृत करने के कार्यक्रम को सरकार इस कार्य के लिए उपलब्ध साधनों के के अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता दे रही है।

(ख) वर्ष 1981-82 के लिए 25.786 गांवों को विद्युतीकृत करने तथा 4.22.466 सिंचाई पम्पसेटों को अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) जी, हां। तथापि पारेषण में होने वाली हांनियों को कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पारेषण तथा वितरण प्रणालियों में आवश्यक सुधार/नवीकरण किए जा रहे हैं।

(घ) । के डब्ल्यू० ई० खड़ी धुरी वाले पवन जनरेटर के किकास की इस समय केवल एक ही प्रयोगात्मक परियोजना है जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि० हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप में स्थापित की गई है। इस कार्य के लिए तैयार किए डिजाइन पर आधारित मशीन की लागत लगभग 20.000 रुपये होगी।

(ङ) पवन चक्कियों के जरिए बिजली का उत्पादन करना, ऊर्जा के अन्य परम्परागत स्रोतों के जरिए बिजली का उत्पादन करने से ज्यादा महंगा होगा। चूंकि अभी तक केवल एक ही प्रयोगात्मक परियोजना स्थापित की गई है अत: इस स्थित में परियोजना की आर्थिक जीवन क्षमता पर टिप्पणी करना कठिन है।

(च) जैसा कि उपरोक्त (घ) में कहा गया है। के० डब्ल्यू० ई० खडी धुरी वाले पवन जेनरेटर का विकास करने के लिए इस समय केवल एक ही प्रयोगात्मक परियोजना है। इसके अतिरिक्त, सिंचाइ कार्यों के लिए पम्प से पानी निकालने के लिए पवन ऊर्जा को काम में लाने के अनुसंधान और विकास कार्य भी किया जा रहा है। पवन ऊर्जा के उपयोग किये जाने के क्षेत्र में प्रयास अभी अनुसंधान और विकास की अवस्था में ही है। तथापि, प्रोटोटाइप पवन चक्कियां स्थापित की गई हैं और इस समय इनका मूल्यांकन और अध्यन किया जा रहा है। इस समय अनुसंधान और विकास प्रयासों का मुख्य उद्देश्य है पवन चिक्कयों को लागत की दृष्टि से उपयोगी बनाना तथा विशिष्ट स्थलों पर वायु की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि संबंधी दुरुपयोग के लिए अनुकूल बनाना।

बिहार में कुकिंग गैस एजेन्सियां खोलना

3391. **श्री कुंवर राम** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के उन शहरों के नाम क्या हैं जहाँ अभी हाल ही में कुकिंग गैस की एजेंसियाँ खोली गई है ; और

(ख) उन शहरों के नाम क्या हैं जहां 1982 के अन्त तक कुकिंग गैस एजेंसियां खोली जाएंगी ।

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) इस समय बिहार में खाना पकाने की किसी भी गैस की एजेंसी के कार्य आरंभ करने की कोई सूचना नहीं है

(क) तेल कम्पनियों द्वारा वर्ष 1982 के लिए बिहार में खाना पकाने की गैस की निम्न लिखित 26 एजेंसियां खोले जाने की आशा है :—

पटना (3)
रांची (3)
सिन्दरी
धनबाद
जमशेदपुर
दानापुर
बैटिहा
गया
सहरसा
सीतामाढ़ी
गोपालगंज
मधुबनी
दुमका
लाहेरियासराय
गिरीधी
सासाराम
सिवान
हाजीपुर
बोकारो
नावदा
औरंगाबाद
डाल्टनगंज

फिल्म स्केण्डल (परिवाद)

3392. श्री मूलचन्द डागा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इरादा फिल्म स्कैण्डल फैलाने वाली पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या फिल्मी सितारों ने इस प्रकार का परिवाद फैलाने के लिए पत्रकार समुदाय के प्रित अपना रोष प्रकट किया है और उनका वहिष्कार किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए सरकार की वचनवद्धता के अनुरुप किसी भी पत्रिका के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाने का हमारा विचार नहीं है। तथापि, सरकार को यह आशा है कि प्रेस और पत्रकार अपने कार्यों के निर्वाह में पत्रकारिता आचार संहिता के स्वीकृत मानकों का पालन करेंगे।

(ख) इस आशय की कुछ प्रेस रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं।

कस्बों में खाना पकाने की गैस की उपलब्धता के लिए योजना

3293. श्री के० मालन्ना : क्या पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 30,000 या इससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी कस्बों में खाना पकाने की गैस उपलब्ध कराने के कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं अथवा योजना बनाई है।

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्य-वार ऐसे कौन-कौन से कस्बे है, जहाँ आजकल खाना पकाने की गैस सप्लाई की जा रही है ; और

(घ) देश में राज्यवार खाना पकाने की गैस की कुल मांग क्या है और वर्तमान सप्लाई से कितने प्रतिशत माँग की पूर्ति हो पा रही है।

पेट्रोलियम, और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) और (ख) तेल उद्योग ने 1981-82 के अन्त तक उन सभी अरिक्षिन जिला मुख्यालयों में तथा कस्बों में जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर है गैस एजेंसियाँ खोलने के लिए योजना तैयार की है। उत्पादन की उपलब्धता, उपभोक्ताओं की सम्भावित संख्या तथा प्रचालन व्यवहार्यता को देखते हुए उन कस्बों में जिनकी जनसंख्या 30,000 से ऊपर है तथा अन्य कस्बों में तरलीकृत पैट्रोलियम गैस की सुविधाएं तब प्रदान की जायेंगी जब 50,000 तक जनसंख्या वाले कस्बों को यह सुविधाएं प्रदान कर दी जायेंगी।

(ग) देश भर में कुल 500 कस्बों को खाना पकाने की गैस की सुविधाएं प्रदान की गयी है । तथापि, स्थलों के बारे में पूरा ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(घ) देश में खाना पकाने की गैस (एल०पी०जी०) के विद्यमान उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर तरलीकृत पैट्रोलियम गैस की कुल माँग 4,10,000 मी० टन प्रतिवर्ष के लगभग है । संभार तंत्र की कठिनाइयों के कारण कुछ स्थानों को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर इस माँग को पूरा किया जा रहा है । तथापि तरलीकृत पैट्रोलियम गैस की माँग तथा तेल कम्पनियों द्वारा की गयी वास्तविक सप्लाई के राज्यवार ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के बंगलौर तथा नैनी एककों में उत्पादन में हानि

3394. **श्री के० मालन्ना** : क्या क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के बंगलौर तथा नैनी स्थित एककों में तालाबन्दी बिजली की कमी, काम बन्द किए जाने तथा श्रमिक अशांति के कारण 1980-81 के दौरान उत्पादन में कोई हानि हुई थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी हानि हुई और इन एककों में काम बन्द किए जाने और श्रमिक अशाँति के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ ।

(ख) हुई हानि और काम रुकने व श्रमिक अशांति का विवरण नीचे लिखे अनुसार है :

(क)	बंगलौर कारखाना समूह	कारण
(एक)	हड़ताल/तालाबन्दी	कर्नाटक राज्य अनिवार्य सेवा विधेयक
	18.8.80	के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए हड़ताल
	हड़ताल	अनुग्रह राशि/बोनस के विवाद पर हड़ताल
	30.9.80 से 8.10.80 तक	और बाद में तालाबन्दी ।
	हड़ताल	मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड
	26.12.80 से 15.3.81 तक	(भैल) के साथ वेतन में समानता की माँग को लेकर ।
	कार्य दिवस की हानि	15,95,383 लगभग
	उत्पादन की हानि	4016,59 लाख
(दो)	बिजली की कमी	बिजली 100% कटौती व बिजली आपूर्ति
	17-4-80 और 30.4.40 को	में कमी के कारण कर्मचारियों को जबरन छूट्टी दी गयी है ।

कार्य दिवस की हानि	32.419 लगभग
उत्पादन की हानि	20.70 लाख रूपए लगभग
नैनी कारखाना	
हड़ताल	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड
12.2.81 से 7.3.81	के साथ वेतन में समानता।
कार्य दिवस की हानि	63.350 लगभग
उत्पादन में हानि	264 लाख रुपए लगभग

'एपल' उपग्रह के माध्यम से अण्डमान में संचार प्रणाली में सुधार

3395. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के संघशोसित क्षेत्र में विद्यमान असन्तोषजनक दूर संचार प्रणाली की जानकारी है तथा पोर्ट ब्लेयर और कार-निकोबार को अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रह दूर संचार प्रणाली से जोड़े जाने से केवल इन दो ल्टेशनों में सुधार हुआ है किंतु अन्य द्वीप समूह अभी भी पहुंच से परे है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को सुधार के लिए कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को प्रस्ताव स्वदेशी की प्रणाली में सुधार करने के लिए अपने निजी उपग्रह 'एपल' के माध्यम से दूर दराज के बीच समूहों तथा पहुंच से परे क्षेत्रों को संचार प्रणाली से जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। वायरलेस संचार सुविधा मायाबंदर, रंजात, कारनिकोबार और कैंपबेल खाड़ी में उपलब्ध है। नानकोरी, लौंग द्वीप तथा दिलगीपुर में भी वायरलेस स्टेशन खोले जाने की योजना है। डाक तार के पास पुलिस वायरलेस के साथ अनेक स्थानों पर जिसमें छोटा अण्डमान द्वीप समूह भी शामिल हैं, यह व्यवस्था हैं।

(ग) "एपल" उपग्रह के जरिए दूरवर्ती द्वीपों के लिए संचार व्यवस्था उपलब्ध करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रसारण ट्रांसमिशन केन्द्रों का बर्जा बढ़ाया जाना

3396. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजनावधि के दौरान कुछ प्रसारण ट्रांसमिशन केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी हां ।

(ख) छठी योजना में जो प्रस्ताव शामिल हैं उनमें कुल मिलाकर 11 राज्यों में 7, सहायक केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर मूल रूप से कार्यक्रम प्रसारित करने वाले केन्द्रों का करने और 11 केन्द्रों के ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने की व्यवस्था है ।

ब्यौरा इस प्रकार है :—

(क) **सहायक केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना ।**

स्थान	राज्य का नाम
1. भागलपुर	बिहार
2. कुडप्पा	आंध्र प्रदेश
3. जबलपुर	मध्यप्रदेश
4. सांगली	महाराष्ट्र
5. तिरुनलवेली	तमिलनाडु
6. शिमोगा/भद्रावती	कर्नाटक
7. गुलवर्गा	कर्नाटक

(ख) **ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाना :**

स्थान	वर्तमान शक्ति	प्रस्तावित शक्ति	राज्य का नाम
1. डिब्रूगढ़	100 कि० वा०	300कि० वा०	असम
2. लखनऊ	50 कि० वा०	300 कि० वा०	उत्तर प्रदेश
3. राजकोट	20 कि० वा०	300 कि० वा०	गुजरात
4. रांची	10 कि० वा०	200 कि० वा०	बिहार
5. धारवाड़	10 कि० वा०	200 कि० वा०	कर्नाटक
6. मद्रास	20 कि० वा०	200 कि० वा०	तमिलनाडु

1	2	3	4
7. सिलिगुड़ी	20 कि० वा०	200 कि० वा०	पश्चिमी बंगाल
8. अजमेर	20 कि० वा०	100 कि० वा०	राजस्थान
9. पूर्ण	20 कि० वा०	100 कि० वा०	महाराष्ट्र
10. रायपुर	20 कि० वा०	100 कि० वा०	मध्यप्रदेश
11. कुडप्पा	20 कि० वा०	100 कि० वा०	आन्ध्र प्रदेश

तापीय संयंत्रों की संयंत्र भार क्षमता में सुधार लाने के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी

3397. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय विद्यमान तापीय केन्द्रों के संयंत्र भार क्षमता में सुधार लाने के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी आमंत्रित करने पर विचार कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए ब्रिटेन के अतिरिक्त कौन से देश से आग्रह किया जा रहा है और इस पर कितना पूंजी परिव्यय सम्बद्ध है; और

(घ) तापीय केन्द्रों में प्रयुक्त वर्तमान प्रौद्योगिकी में संशोधन के फलस्वरूप संयंत्र भार क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (घ) अभिज्ञात किए गए ताप विद्युत केन्द्रों में से कुछ केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए कुछ विदेशी विशेषज्ञों की सहायता ली जा रही है। विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों और हमारे ताप विद्युत इंजीनियरों के बीच परस्पर सहकार की यह एक सतत प्रक्रिया है। विदेशी विशेषज्ञों के कुछ दलों ने देश के कुछ विद्युत केन्द्रों का दौरा किया था, वे ये हैं; पश्चिमी जर्मनी बी० जी० बी०, यू० के० के ब्रिटिश इलेक्ट्रिसिटी इण्टरनेशनल और सैन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटि जनरेशन बोर्ड तथा सोवियत विशेषज्ञ। वर्तमान विद्युत संयंत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने की दृष्टि से विदेशी विशेषज्ञों की सहायता ली है। तथापि, सुधार किस मात्रा तक किया जा सकेगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि संशोधन या परिशोधन किस सीमा तक किए जाते हैं।

जगन्नाथ कोयला खान में आग लगने की दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान

3398. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा तालचेर के निकट जगन्नाथ कोयला खान में हाल में हुए विस्फोटों की जानकारी है;

(ख) प्रत्येक घायल व्यक्ति को मुआवजे की कितनी राशि दी गई है और प्रत्येक मृत क परिवारों के सदस्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) उड़ीसा की उक्त कोयला खानों में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कौन से विशिष्ट उपाय किए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हाँ।

(ख) मृत कामगारों के निकटतम रिश्तेदारों को मुआवजा देने के लिए प्रत्येक मृत कामगार के लिए रु० 16,800/- की दर से कारीगरों के मुआवजा आयुक्त के पास जमा करा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मृत के अंतिम संस्कार के लिए रु० 500/- भी दिए गए थे। प्रबन्ध मंडल प्रत्येक मृत कामगार के एक-एक आश्रित को काम देने के लिए सहमत हो गये हैं। प्रत्येक घायल व्यक्ति को रु० 2000/- की अनुग्रह राशि दी गई है।

जो मृत कामगार किसी कोयला कंपनी का नियमित कर्मचारी हो उसके निकटतम रिश्तेदार को विभिन्न योजनाओं, संविधियों, आदि के अधीन देय होने वाला कुल लाभ लगभग रु० 40,000/- से रु० 60,000/- तक रहता है।

(ग) कोयला कंपनी द्वारा गठित एक उच्चाधिकार समिति द्वारा की गई जांच से पता चलता है कि संबधित व्यक्तियों को गर्म ऐश मैटीरियल के बादल जैसे रूप से जलन की चोटें आईं जो अचानक ही ऊंचाई से उनपर गिर पड़ा। यह बात ओपेनकास्ट खान के अन्दर लगभग असम्भव परिस्थितियों का ऐसा संयोग थी जिसकी पहले से कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को बचाने की दृष्टि से समिति ने कुछ खनन प्रतिक्रियाओं को अपनाने की शिफारिश की है। यह प्रतिक्रियाएं लागू की जाएंगी।

वर्ष 1980-81 के लिए कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा निर्धारित लक्ष्य

3399. श्री डी० पी० जदेजा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड ने वर्ष 1981-82 के लिए उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1980-81 के लिए निर्धारित किया गया उत्पादन लक्ष्य क्या था;

(घ) वर्ष के दौरान उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि यह लक्ष्य से कम था तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) भविष्य में लक्ष्य पूरा करने के लिए इन बाधाओं को दूर करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) वर्ष 1981-82 के लिए कोल इण्डिया लिमिटेड का कोयला उत्पादन लक्ष्य 106.20 मिलियन टन निर्धारित किया गया था और अब इसे बढ़ाकर 180.70 मिलियन टन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) वर्ष 1980;81 के लिए को इण्डिया का कोयला उत्पादन लक्ष्य 99.00 मिलियन टन था जबकि वास्तविक उत्पादन 100.95 मिलियन टन हुआ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) कोयला उत्पादन में सुधार के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपाय है—अनुपस्थिति की प्रवृति पर नियंत्रण, आधारभूत सुविधाओं में सुधार, नई खानों को स्वीकृत करना, बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों में बिजली पैदा करने की ग्रहीत क्षमता की स्थापना, संबन्धित राज्य सरकारों से विमर्श करके कोयला खनन उद्देश्यों के लिए भूमि-अधिग्रहण में शीघ्रता करना।

आल इण्डिया हिन्दुस्तान लीवर एम्पलाईज फेडरेशन की ओर से ज्ञापन

3400. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को जून' 1981 के दौरान आल इंडिया हिन्दुस्तान लीवर एम्पलाइज फेडरेशन के अध्यक्ष की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) हाँ श्रीमान् जी।

(ख) ऊपरकथित पत्र में वर्णित मुख्य आरोप, साबुन तथा वनस्पति के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के स्टाक की बाबत तुलन-पत्र में स्पष्ट न किए गए अन्तरों एवं तैयार ट्रीच्ली सैराइड्स की बाबत लेखाओं में छल साधन से सम्बन्धित है। ये आरोप डी०जी०टी०डी० तथा अन्य सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों के परामर्श से परीक्षान्तर्गत है। यथा आवश्यक समुचित कार्यवाही यथा समय की जायेगी।

———

विशेषाधिकार प्रश्न आदि के बारे में

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष जी जिस प्रकार से दिल्ली के महारानी बाग क्षेत्र में एक टेनेंट से मकान खाली कराने के लिये **(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीस (व्यवधान) वह जो कुछ कह रहे है, मेरी अनुमति के बिना कह रहे हैं। मैंने श्री जार्ज फर्नान्डीस को अनुमति दी है। (व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी आप एक-एक को सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई सुनने तो दे। मैंने तो अलाऊ किया था अगर आप नहीं सुनने देते तो आपकी इच्छा है।

माननीय जार्ज फर्नान्डीस, आपका प्रस्ताव मेरे पास आ गया है।

यह मेरे विचाराधीन हुए हैं। यह मेरे पास आ गया है। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मैंने विशेषाधिकार भंग करने का प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोनय : यह मेरे विचाराधीन है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्रीमान प्रश्न यह है कि श्री शोरी का व्यक्तव्य*

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर विचार करने दीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उसका व्यक्तव्य पांच दिन पहले आया था। उसने वित्त मंत्री को एक तुच्छ झूठा व्यक्ति कहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। **(व्यवधान)** यह मेरे विचाराधीन है।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : कृपा हमें बतायें कि यह क्या···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। कुछ नहीं। **(व्यवधान)** यह मेरे विचाराधीन है। मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपने कल विनिर्णय दिया है कि वित्त मन्त्री महोदय के विरुद्ध हमारे प्रस्ताव मान्य नहीं हैं। निश्चय है कि आपने अपने विनिर्णय का स्पष्टीकरण भी दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंन कहा था, कि यह मेरे विचाराधोन है।

*कार्य वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : ···यह कहते हुए कि हम नये प्रस्ताव दे सकते हैं। फिलहाल···

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : तब श्री अरुण शोरी के विरुद्ध मेरा प्रस्ताव समिति के पास जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी यह कहा है, यह मेरे विचाराधीन है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह अवश्य ही समिति के पास जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसमें मुझे कुछ ज्यादा समय लगेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्रीमान कितना।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे वायदा नहीं करवा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे खेद है, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें आप हमारे साथ चाल खेल रहे हैं। मुझे खेद है ···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं,

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप इसमें अपना ज्यादा समय नहीं लगा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : तब किसका समय।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह सभा की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यह सभा के सदस्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उसने उन्हें तुच्छ झुठा व्यक्ति कहा है। श्रीमान मुझे खेद है मैं इस सम्बन्ध में आप की स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता हूं जब आप यह कहते है कि मैं इस पर विचार करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपको मेरी बात स्वीकार करनी पड़ेगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह व्यक्तिगत मामला नहीं है। यह वह मामला है जिसका सम्बन्ध सभा की प्रतिष्ठा से है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। (व्यवधान) मैं इसे देखूंगा।

श्री जार्ज फार्नान्डीस : श्रीमान, आप नहीं देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे खेद है कि आप अपना समय नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपने अपना विनिर्णय दे दिया है। कल का आपका विनिर्णय यह था कि वित्त मन्त्री महोदय के विरुद्ध हमारे प्रस्ताव मान्य नहीं हैं तो मेरा श्री अरुण शोरी के विरुद्ध प्रस्ताव बरकरार रहता रहता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूगा । मुझे इसे देखना पड़ेगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्रीमान, आप इसे कब देखेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे शीघ्रातिशीघ्र देखूंगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप यह कह नहीं सकते हैं कि आप अपना समय लेंगे । (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : विशेषाधिकार प्रस्तावों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी ।

अध्यक्ष महोदय : अभी से में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता । (व्यवधान) यदि मैं यह कहता हूं कि मैं इस सम्बन्ध में विनिर्णय देना चाहता हूं तो आप कहते हैं "अभी बहुत जल्दी है । यदि मैं यह कहता हूं कि मुझे इसमें समय लगेगा" तो आप कहते हैं 'नहीं' आप इतना समय ले सकते हैं। यह तरीका नहीं है । श्री राजदा इसकी अनुमति नहीं है (व्यवधान) असंगतमें (व्यवधान) किसी बात का वचन नहीं दे रहा हूं । मैं इसे देखूंगा और पता लगाऊंगा । (व्यवधान) आप मुझ पर दवाब नहीं डाल सकते हैं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप पर दवाव डालने का कोई प्रश्न नहीं है । यह इस सभा के विशेषाधिकार का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है । यह बेढ़ंगी बात है । (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या बेढ़ंगी बात है ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी जिद,

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरी जिद बढ़ेगी और सच यह है ···

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ नहीं लिया जायेगा (व्यवधान) * श्री राजदा

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : मुझे दो निवेदन करने हैं । हमें आज के समाचार पत्रों से मालुम हुआ है कि वित्त मन्त्री महोदय ··· (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री फर्नान्डीज मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं । (व्यवधान) *

श्री रतन सिंह राजदा : हमें आज के समाचार पत्रों से पता लगता है कि वित्त मन्त्री महोदय सभा को विश्वास में लेने को तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजदा इसकी अनुमति नहीं है । (व्यवधान)*

श्री रतन सिंह राजदा : कृपया मेरी बात सुनिये । वित्त मन्त्री महोदय को अपना वक्तव्य देने दीजिए ।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समाचार पत्रों की रिपोर्ट को नहीं ले रहा हूं **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। आप कोई दूसरा प्रस्ताव दें। आप इस प्रकार नहीं आ सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय कल हम लोग आपके चेम्बर में में मिले थे और हमने आग्रह किया था कि प्रिविलेज मोशन पर आप कंसीडर कीजिए और आपने कहा था कि यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा की अनुमति नहीं है। आप मेरे चेम्बर में आकर इस पर मेरे नाथ चर्चा कर लें इसकी अनुमति नहीं है। **(व्यवधान)***

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आवंना) दिल्ली : आकर अकालियों का कहना था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। प्रसंगत **(व्यवधान)*** रिकार्ड में कुछ नहीं जायेगा। **(व्यवधान)***

श्री इन्द्रजीत गुप्त (वसीरहाट) : इस राजधानी शहर में कानून और व्यवस्था का संरक्षक पुलिस आयुक्त श्री भिडर होना चाहिये मैंने आपको डकैती के बारे में नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को कल के लिए अनुमति दे रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक अन्य प्रस्ताव जो मैंने आपको दिया था और उसके बारे में आपने हमें कहा था कि आप एणियाई परियोजना के श्रमिकों के साथ व्यवहार के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम विचार करेंगे। मैं यहां ध्यानाकर्षण पर चर्चा नहीं कर सकता हूं। आप मेरे पास आयें और मुझे बतायें ··· श्री हरिकेश

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब कभी हड़ताल होती है और यह मुख्य प्रश्न बन जाता है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दूसरी सभा ने इस पर चर्चा की अनुमति दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे रद्द नहीं किया है। यह मेरे विचाराधीन है। हम इसके लिए समय निकालेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह दूसरे दर्जे की सभा नहीं है। हमें समान अवसर मिलने चाहिए।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुप्त आप सभी विषयों को एक समय में ही नहीं ले सकते हैं। आपको उन्हें एक-एक करके लेना पड़ेगा··· श्री हरिकेश।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि इसे पहले रखा जाता तो अच्छा रहता।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं तो मैं इसे कल ले सकता हूं। तब मैं दूसरा प्रस्ताव लूंगा ··· समाप्त।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया इसे गम्भीरता से लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं गम्भीरता से विचार करता हूं। मैं किसी बात पर गैर-गम्भीता से विचार नहीं करता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं आधा मिनट लेना चाहूंहगा। जब वित्त मन्त्री महोदय के विरुद्ध कोई विशेषाधिकार के हनन का मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। (**व्यवधान**) इसकी अनुमति नहीं है असंगत। (**व्यवधान**)*

श्री हरिकेश बहादुर : दूसरा प्रश्न डकैती के बारे में है। स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कल आप कुछ और कहेंगे। (**व्यवधान**)* इसकी अनुमति नहीं है··· श्री यादव।

श्री आर० पी० यादव (मधेपुरा) : मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है ···श्री देव।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : मैंने दिल्ली क्लाथ मिल्स मजदूरों प्रबंधक तथा दिल्ली पुलिश के बारे में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है ··· श्री रामावतार शास्त्री (**व्यवधान**)* रिकार्ड में नहीं लिया जायेगा (**व्यवधान**)* इसकी अनुपति नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, बिहार गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एस० ओ० एस० भेजा है कि 1 लाख टन के हमारे गेहूं के कोटे को काट कर 12 हजार टन कर दिया गया है ···(**व्यवधान**)*

यह सिस्टम ही फेल कर रहा है ···

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। असंगत

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह रू. 377 में आयेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ लिख कर तो दिया नहीं है। वह कैसे रूल 377 में आ जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : आपको बता देंगे।...(व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि दिल्ली में कानून का राज्य नहीं है, बल्कि जंगल का कानून है। महारानी बाग में...

अध्यक्ष महोदय : असंगतः मैं हर बात की अनुमति नहीं दे सकता हू...(व्यवधान) यह उसी में आ जायेगा।... (व्यवधान)

श्री नीरेन घोष (दमदम) : इस मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ही पर्याप्त नहीं है। इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में वर्षा न होने से...

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे। मैंने पहले ही इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी है। हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि 14 तारीख से 18 तारीख तक प्रान्तों में कचहरियों अनशन होगा। हमें आज सूचना मिली है कि...

अध्यक्ष महोदय : असंगत, इसकी अनुमति नहीं है। वह जो कुछ दिखा रहे है वह सब असंसदीय है। असंगत, इसकी अनुमति नहीं है। पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

विभाजन अधिनियम के बारे में विधि आयोग का 86वां प्रतिवेदन

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं, विभाजन अधिनियम 1873 के संबंध में विधि आयोग के छियासी वें प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2773/81]

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 177 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 7 सितम्बर, 1981 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 17 फरवरी, 1981 को पारित किए गए विक्टोरिया मेमोरियल (संशोधन) विधेयक, 1981 से बिना किसी संशोधन सहमत हुई।"

लोक लेखा समिति

56वां प्रतिवेदन

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं सीमा शुल्क प्राप्तियों पर लोक लेखा समिति का 132 वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर समिति का 56वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अधीनस्त विधान सम्बन्धी प्रतिवेदन

सातवां प्रतिवेदन

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ कह रहे हैं मेरी अनुमति के बिना कह रहे हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

राजनयिकों की नियुक्त के प्रश्न पर भारत और अमरीका के बीच कथित मतभेद

श्री एस०एस० कृष्ण (माण्डया) : श्रीमान, मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

भारत और अमरीका के बीच क्रमशः भारत और वाशिंगटन में राजनयिकों की नियुक्त पर मतभेद के समाचार की ओर विदेश मंत्री का ध्यान दिलाता हूं।...(**व्यवधान**)*

विदेश मन्त्री (**श्री पी० पी० नरसिंह राव**) : कुछ मास पूर्व भारत सरकार को अमरीका के विदेश विभाग के इस इरादे का पता चला कि नई दिल्ली स्थित अमरीकी राजदूतावास में

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

राजनीतिक परामर्शदाता के रूप में श्री जार्ज ग्रिफिन को नियुक्त किया जा रहा है। श्री ग्रिफिन हाल तक काबुल स्थित अमरीकी राजदूतावास में मिशन उप-प्रमुख थे।

2. श्री ग्रिफिन को भारत में इससे पहले की नियुक्त के दौरान उनके क्रिया-कलापों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने के बाद भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका से यह अनुरोध किया कि उन्हें किसी अन्य पद पर नियुक्त किया जाय। सरकार का इरादा यह था कि संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में संघर्ष से बचा जाए क्योंकि हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को महत्वपूर्ण मानते हैं और हमेशा इसे मजबूत बनाने की कोशिश करते रहे हैं।

3. संयुक्त राज्य अमरीका ने उक्त सूचना मिलने पर हम से अनुरोध किया कि हम अपने निर्णय पर फिर से विचार करें और नई दिल्ली स्थिति अमरीकी राजदूतावास में ग्रिफिन को अपना कार्यभार संभालने की अनुमति दें।

4. अमरीकी प्राधिकारियों ने हमें यह भी सूचित किया कि यदि श्री ग्रिफिन के मामले में हम अपना निर्णय नहीं बदल सकते, तो संयुक्त राज्य अमरीका भी हम से यह कहेगा कि विदेश सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री टी० प्रभाकर मेनन की प्रस्तावित नियुक्ति वापस ले ली जाय। हमने संयुक्त राज्य अमरीका को सूचित किया कि बदले की भावना से प्रेरित उनकी इस अभूतपूर्व कार्रवाई को हम अवांछित और अनुचित समझेंगे।

5. संयुक्य राज्य अमरीका के विदेश विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि "यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जबकि ग्रिफिन को सोवियत संघ के दुष्प्रचार अभियान का निशाना बनाया गया है और इसलिए यह विशेष रूप से खेदजनक है।" इस पर हमारे सरकारी प्रवक्ता ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की कि "यह कहना गलत है कि किसी दूसरे देश के विचार, सूचना और उसकी घोषणा भारत के निर्णय में कोई भूमिका अदा करती है। भारत सरकार इस प्रकार के किसी भी निष्कर्ष अथवा आक्षेप का विरोध करती है।"

श्री एस० एम० कृष्ण : श्रीमान, अमरीका और हमारे सम्बन्ध पहले से ही ढीले पड़ते जा रहे हैं और अब उनमें वैमनस्य का एक नया तत्व जुड़ गया है। परेशानी का एक और कारण पैदा हो गया है। आश्चर्य राजनयिक को अस्वीकार किया अथवा अमरीका के बदले में हमारे एक वरिष्ठ राजनयिक को अस्वीकार किया बल्कि आश्चर्य उस रवैये और उस तीव्रता जिसके साथ अमरीका के विदेश विभाग ने इस सब बात पर प्रतिक्रिया की अथवा आगे बढ़कर प्रतिक्रिया की।

भारत और अमरीका के सम्बन्धों में दरारें उस समय सामने आई हैं जब तारापुर के मामले में उन्होंने एक पक्षीय तौर पर समझौते का उल्लघन करने की धमकी दी। और इसके बाद अमरीका ने यह निर्माण किया है कि वह पाकिस्तान को सर्वाधिक आधुनिक हथियार देगा और इसके बाद अब राजनयिकों के मामले में झगड़ा उठ खड़ा हुआ है। सारा विश्व जानता है और मुझे विश्वास है कि अमरीका को भी इस बात का पता है—कि भारत में सी० आई० ए० जैसी

कोई संस्था नहीं है जो विश्व के प्रत्येक कोने में फैली हुई है। हमारे पास गुप्त सूचनाएं एकत्र करने वाला कोई बड़ा तन्त्र नहीं हैं और अमरीका के लिए श्री प्रभाकर मेनन को किन्हीं उपयुक्त कारणों के बिना अस्वीकार कर देना बड़ा उपहासास्पद लगता है। अब दे दिये कि श्री ग्रिफिन 1969 से इस उप महाद्वीप में क्या-क्या करते रहे हैं। मैं इसके लिए भारतीय सूत्रों से उदाहरण नहीं दूंगा। अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से तत्कालीन विदेश-सचिव डा० हैनरी किसिंगर के संस्मरणों में से उदाहरण देना चाहूंगा जिससे उन्होंने श्री ग्रिफिन की भूमिका के बारे में जिक्र किया है। मैं डा० हैनरी किसिंगर का उदाहरण देता हूं।

"अपने संस्करण में डा० हैनरी किसिंगर ने इस बात को स्वीकार किया है कि अमरीका और बंगलादेश के निवासियों के बीच 'सीधा सम्पर्क' कलकत्ता में 1971 में हुआ। उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है 'राजनीतिक आधार पर मेल मिलाप के लिए तीन महीने तक बेकार यत्न किया गया जिसमें से, यदि भारत और बंगला देश चाहते तो, कुछ तत्व निकल सकते थे' हालांकि डा० किसिंगर ने राजनयिक का नाम नहीं लिया है। परन्तु उनका संकेत उन गुप्त बैठकों से है जो 'कलकत्ता में हमारे वाणिज्य दूत ने'....."

उस समय श्री ग्रिफिन कलकत्ता में अमरीका के वाणिज्य दूत थे।

एक और लेखक हैं जिनका नाम बोलने में कुछ टेढ़ा है—श्री लारेंस लिफशुल्ज—इनकी पुस्तक है "बंगलादेश, दि अनफिनिण्ड रिवोल्यूशन"। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी इसके बारे में जानते हैं...

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं उन्हें भी जानता हूं।

श्री एम० एम० कृष्णा : इसमें हमें कोई संदेह नहीं है कि आप उन्हें जानते हैं।

इन महाशय ने अपनी पुस्तक में श्री ग्रिफिन द्वारा 1971, 1974 और 1980-81 में निभायी गई भूमिका के बारे में कई रुचिकर बातें कहीं हैं। क्या मैं इनकी पुस्तक से एक पैराग्राफ उद्धृत कर सकता हूं।

"स्टेट विभाग अब इस बात से मना नहीं करता कि अमरीकी अधिकारियों और आवामी लीग के प्रतिनिधियों के बीच 1971 में कलकत्ता में गुप्त बैठकें हुई थीं, न ही वे अब इस तथ्य को अस्वीकार करते हैं कि श्री ग्रिफिन स्टेट विभाग की ओर से इस काम के लिए जिम्मेदार थे। बल्कि, अब तो इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि एक कैरियर अफसर होने के रूप में उन्होंने अनुदेशों का पालन किया और इसमें कोई अनुचित बात नहीं थी।"

वह श्री हेरल्ड सौन्डर्स, जो बहुत वरिष्ट सी० आई० ए० कार्यकर्त्ता हैं, के अधीन सी० आई० ए० के अनुसंधान तथा विश्लेषण विंग से बहुत महत्वपूर्ण ढंग से जुड़े हुए थे।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री ग्रिफिन जब काबुल में स्थित थे त समय-समय पर भारत नई दिल्ली आए थे। मैं माननीय विदेश मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि श्री ग्रिफिन को, जबकि उनका पूर्ववृत्त इस प्रकार का था, काबुल से भारत आने के लिए बार-बार प्रवेश करने के लिए, वीणा क्यों दिया गया था ? जब वह दिल्ली में थे तब उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में भारत में प्रेस से विस्तृत बातचीत की थी और ऐसा कार्य करने के लिए दिल्ली को आधार स्थल बनाया था जिससे सोवियत रूस और अफगानिस्तान जैसे हमारे मित्र देशों के विपरीत था।

एक माननीय सदस्य : कोई प्रश्न नहीं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उन्होंने एक प्रश्न किया है। शेष सब पुस्तकों के उद्धरण हैं। इन्होंने काफी सूचना एकत्र की हैं जो सूचना उन्होने दी हैं उसके बारे में मुझे कोई टिपप्णी नहीं करनी हैं। मैं तो केवल यह कहूंगा कि हमें तो इस सूचना को देखना था जो ग्रिफिन के कार्य-कलापों के बारे में हमारे पास थी। अतः इस पर कोई मतभेद नहीं हैं। माननीय सदस्य ने केवल यह प्रश्न पूछा है कि उन्हें वीसा क्यों मिला। मेरे विचार से उनका परिवार—पत्नी तथा बच्चा—यहीं था। इसके अतिरिक्त वीसा देने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। लेकिन जब इन्हें हमारे देश में ही तैनात करने की बात आती है तो मामला भिन्न हो जाता है। बस मुझे यही कहना है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, प्रश्न एक राजदूत का नहीं है। राजदूत की नियुक्ति तो एक मिसाल है कि हमारे रिलेशन्स अमरीका के साथ कितने बिगड़े हैं और कितने अच्छे हैं। प्रश्न है अमरीका के साथ भारत का सम्बन्ध कैसा है। आज के अखवार में निकला है कि भारत ने यूरेनियम एग्रीमेंट को रद्द कर है, यह तो मन्त्री महोदय ही बतलायेंगे या प्रधान मन्त्री जी बतलायेंगी, कि क्या कारण है कि भारत द्वारा वह रद्द किया गया है।

अभी मेरे साथी ने ठीक ही कहा है कि भारत और अमरीका का संबंध ऐसा लग रहा है कि दोनों दो किनारों पर पहुंच चुके हैं। अभी हम चार दिन पहले युवा लोकदल की तरफ से अमरीकन एम्बेसी पर प्रदर्शन करने के लिए गये थे। जिस ढंग से पाकिस्तान को आर्म सप्लाई हो रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के संबंध एक दूसरे से टूट चुके हैं। श्रीमती कर्कपेट्रीक भारत आई थीं और गाली देकर चली गई, लेकिन फिर भी आप दो मिलियन टन गेहूं के लिए अमरीका के पास जा रहे हैं। आई० एम० एफ० से पैसा निकालना होगा तो फिर आपको वहां जाना पड़ेगा। आपकी नीति कितनी गर्म है और कितनी नरम है। मैं जानना चाहता हूं कि आप किसी एक नीति पर खड़े रहेंगे या नहीं ? इस बारे में समय ही बतलाएगा या आप अपने जबाव में बतलायेंगे।

यह पढ़कर बड़ा दुःख हुआ कि प्रधान मन्त्री ने कहा भारत का कोई गुप्तचर विभाग नहीं है। हमारा कैसे गुप्तचर विभाग नहीं है ? गुप्तचर विभाग है। वह हमारी लांवी अमरीका में काम कर रही है या दूसरे मुल्कों में काम कर रही है। आप कहते है कि हम किसी भी सी०आई०

ए० के एजेंट को यहां वर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्या आप बतलायेंगे कि जो नया राजदूत आ रहा है, जैसी कि हमें जानकारी मिली है, उनका भी गुप्तचर विभाग से संबंध है, तो आप फिर क्यों राजदूत बनाने की अनुमति दे रहे हैं ? हमारा गुप्तचर विभाग है, चाहे उनका लिंक-अप जर्मनी से हो या लिंक-अप सी० आई० ए० है, तो इस तरीके से एक दूसरे से आपका मामला मिला-जुला हुआ है।

दूसरे मैं यह पूछना चाहता हूं कि यहां हिन्दुस्तान के अखबार में निकला है कि हिन्दुस्तान के एक मन्त्री हैं जिनका सम्बन्ध सी० आई० ए० से है, तो वह कौन मन्त्री हैं ?

मैं मोयनिहान द्वारा लिखित 'एडेंजरस प्लेस' पुस्तक से उद्धरण दे रहा हूं : (पृ० 41)

"नई दिल्ली में मैंने दूतावास पर दबाव डाला था कि वह भारत में हमारे 25 वर्ष के कार्य को देखें ताकि हमारा उद्देश्य सफल हो जाय। अंततः मैं इस बात से संतुष्ट हुआ था कि हमें कुछ सफलता मिली थी। हमने केवल दो बार राजनैतिक दल को धन देकर हस्तक्षेप किया था। दोनों बार, राज्य चुनावों में कम्युनिष्टों की संभावित जीत को ध्यन में रखकर ऐसा किया गया था।"

"एक बार केरल में तथा एक बार पश्चिम बंगाल में, जहां कलकत्ता है। दोनों बार धन कांग्रेस पार्टी को दिया गया था जिसने इसकी मांग की थी। यह श्रीमती गांधी को ही दिया गया था···" (व्यवधान)

यह व्यक्ति लिखता है जो भारत में अमरीका का राजदूत था···"

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे इस पर आपत्ति है। वह कहां से उद्धृत कर रहे हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : क्या आप सी० आई० ए० एजेंट का पक्ष ले रहे है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। श्री पासवान अपना प्रश्न कीजिए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर, दूसरा प्रश्न कर्ता केवल तीन मिनट का समय ले सकता है। वह तो कई बातें उद्धृत कर रहे हैं। कृपया अपने प्रश्न कीजिए। आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में चर्चा या उद्धृत नहीं कर सकते। आप प्रश्नों के रूप में ऐसा कर सकते हैं।

श्री रामविलास पासवान : अंत में श्रीमान···

उपाध्यक्ष महोदय : यह चर्चा नहीं हो रही है। आप केवल प्रश्न कीजिए। यह उचित नही है। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मैंने आपको पूर्व सूचना दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह ठीक है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रश्न करने की अनुज्ञा दूंगा। यह चर्चा नहीं हो रही है।

श्री रामविलास पासवान : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस व्यक्ति मोयनिहान ने, जो इस वक्त भी सीमेटर है और उस समय भारत में अमरीका का राजदूत था, यह किताब लिखी थी, जो आपकी लाइब्रेरी में भी है—क्या आपने कभी जांच करवाई कि उसके लिखे हुए वाक्य सही हैं या गलत हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं है। यह बिल्कुल असंगत है। मन्त्री को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत असंगत है; इसका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आप इसे असंगत कैसे कह रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से बिल्कुल असंगत है। मैं इसकी अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं। उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। श्री पासवान, अपने प्रश्न पूछिए !

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : क्या प्रधान मन्त्री का नाम असंगत हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका ध्यानाकर्षण से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं पढ़कर सुनाता हूं ? मैं भारत और अमरीका के बीच क्रमशः भारत और वाशिंगटन में राजनयिकों की नियुक्ति पर मतभेद के समाचार की ओर विदेश मन्त्री को ध्यान दिलाता हूं। यह बिल्कुल असंगत है। आप केवल प्रश्न पूछें। मैं किसी और को अनुमति नहीं दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : वह प्रश्न पूछ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कृपया असम्बद्ध बातें न लाएं। ऐसी बातों का मन्त्री से आपको उत्तर नहीं मिलेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं आपसे इस प्रस्ताव की शब्दावली के अनुसार 'हमारे देश में राजनयिकों विशेषकर अमरीकी राजनयिकों की गतिविधियां' पूछ रहा हूं, यह कैसे असंगत है ? यह भूतपूर्व राजदूत द्वारा लिखित पुस्तक है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। शब्दावली यह है --राजनयिकों की क्रमशः भारत तथा वाशिंगटन में तैनाती। इसका ध्यानाकर्षण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : क्यों नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने विशिष्ट प्रश्न पूछिए। आपको तीन मिनट का समय मिलेगा। आपका उत्तर भी दिया जाएगा। कृपया प्रश्न पूछिए। यह सामान्य चर्चा नहीं है। मैं आपकी हिन्दी समझ रहा हूं। मुझे कार्यवाही चलानी है। मुझे यह निर्णय करना होता है कि अपने जो चाहते हैं वह संगत है या असंगत।

श्री रामावतार शास्त्री : यह पूर्णतः संगत है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले का सम्बन्ध ध्यानाकर्षण से कतई नहीं है। आप केवल प्रश्न पूछिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : श्रीमान, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय कोई ऐसा सदस्य नहीं बोल सकता जिसका नाम यहां नहीं लिखा गया है। आपको मेरी अनुमति अवश्य लेनी चाहिए।

मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं व्यवस्था के प्रश्न की भी अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप यूं ही खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते। श्री पासवान के प्रश्नों के सिवाय कुछ भी सभा की कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। **(व्यवधान)***

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस किताब को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यदि उसको पढ़ा है, तो उसके बारे में उनकी फाइंडिंग क्या है? अभी जो मैंने पढ़कर सुनाया है, उसके सम्बन्ध में मन्त्री जी को क्या कहना है। मन्त्री जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने क्या यह जानकारी हासिल की है कि आपका मन्त्री, आपको प्रधान मन्त्री और आपकी पूरी पार्टी सी० आई० ए० के साथ इनवोल्व्ड है?

मेरा दूसरा प्रश्न है जैसा मैंने पहले कहा है कि अमेरीका के प्रति आपकी क्या ठोस नीति है? एक तरफ आप उस सैमिक्षा मानेंगे और दूसरी तरफ आप उस पर बिल्ली की तरह गुरिएंगे।

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि सरकार विदेश नीति को क्या दलील नीति बनाना चाहती हैं। कांग्रेस (आई) की जो विदेश नीति है, वह क्या सारे हिन्दुस्तान की विदेश नीति हो गई है? क्या इस विदेश नीति के सम्बन्ध में आप जितने पालीटीकल पार्टीज के लोग हैं, अपोजीशन के लोग हैं और ट्रेजरी वेचेज के लोग हैं, सबके साथ बैठकर कोई विदेश नीति तय करेंगे और जैसा मैंने पहले कहा कि जो वर्तमान राजदूत हैं, जिसके लिए आपने अनुमति दी है, क्या उसका भी सम्बन्ध गुप्तचर विभाग से है और यदि है, तो किस आधार पर आपने यहां पर उनको अनुमति दी है?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जैसा मैंने कहा, न एस० एम० कृष्ण जी की पढ़ी हुई किताब पर मैंने टिप्पणी की है और न आपकी पढ़ी हुई किताब पर मैं कोई टिप्पणी करूंगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जो जानकारी हमारे पास है, उसके आधार पर यह फैसला लिया गया और यह जो प्रश्न है, यह एक फैसले के बारे में हैं। आप आमतौर पर प्रश्न पूछना चाहेंगे,

तो वह इसमें समाएगा नहीं इसलिए कि वह इस संदर्भ में नहीं होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम अपनी जानकारी के आधार पर फैसले करते हैं और यह फैसला भी उसी तरह से हमारे पास जो जानकारी है, उसके आधार पर किया गया है। किसी और के कहने पर नहीं, किसी के वक्तव्य पर नहीं, किसी की तुस्तक पर नहीं और किसी और की किसी बात के आधार पर हमने यह फैसला नहीं किया है। यह फैसला हमारा है, जानकारी हमारी है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी···

श्री हरीश कुमार गंगवार : उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप श्रीमती गीता मुखर्जी हैं ? विज्ञान इतनी उन्नति कर चुका है हो सकता है आप श्रीमती गीता मुखर्जी बन गए हों।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आपको क्या लगता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप श्रीमती गीता मुखर्जी हैं ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : आपको जैसा लगता है, वैसा ही मेरा नाम है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : श्रीमान, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण से यह देखा गया है कि श्री ग्रिफिन को नियुक्त न करने के लिए अमरीका को अनुरोध करने का फैसला भारत सरकार ने 'श्री ग्रिफिन की गतिविधियों का ध्यान पूर्वक मूल्यांकन करने के बाद' किया था।

श्रीमान, माननीय श्री कृष्ण ने ग्रिफिन की गतिविधियों के बारे में कुछ रिपोर्टों का उल्लेख किया है जिसके विषय में माननीय मन्त्री ने कहा था कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। अब श्रीमान, इस बात को देखते हुए कि उन्हें कुछ नहीं कहना था···

उपाध्यक्ष महोदय : जो उन्होंने पुस्तक से उद्धृत किया था उसके बारे में मन्त्री महोदय ने कुछ न कहने के लिए कहा था···

श्रीमती गीता मुखर्जी : उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो उन्होंने उद्धृत किया था उस विषय के बारे में ?

अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता श्री डीन फिशर से 2 सितम्बर को प्रेस के साथ बात-चीत के दौरान पूछा गया था :

"क्या आप यह कहेंगे कि उन्हें आसूचना संबंधी कोई कार्य नहीं सौंपा गया था ?"

उन्होंने कहा था :

"मैं ऐसा ही समझता हूं।"

फिर, उसी प्रवक्ता से उसी दिन पूछा गया था :

"क्या भारत सरकार ने वास्तव में यह कहा था कि श्री ग्रिफिन खुफिया एजेंट हैं।"

इसके उत्तर में प्रवक्ता ने कहा था :

"उन्होंने हमें वे कारण कभी भी पूरी तरह से नहीं बताये जिनकी वजह से उन्होंने ऐसा निर्णय किया था।"

श्रीमान, इस मामले में भारत के विरुद्ध अमरीका के इस प्रकार के स्पष्ट प्रचार को देखते हुए क्या माननीय मन्त्री अब उन वास्तविक तथ्यों का उल्लेख करेंगे जिनका भारत सरकार द्वारा 'ध्यानापूर्वक मूल्यांकन' किया गया था,—विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि हमारी प्रधानमन्त्री ने भुवनेश्वर में एक वक्तव्य दिया था (जो प्रैस में छपा है) जिसमें उन्होंने कहा था :

"हमें यह सूचना मिली थी कि वह व्यक्ति अमरीका की आसूचना सेवा से सम्बद्ध था।"

अमरीका द्वारा दी गई चुनौती को देखते हुए क्या माननीय मन्त्री सभा के इस मामले के तथ्यों से अवगत करायेंगे। श्रीमान, हमें यह जानने का अधिकार है : उन्हें अमरीकी एजेंटों द्वारा हमारे देश में किये जाने वाले जघन्य कार्यों के बारे में बताना चाहिए। मैं चाहती हूं कि उन तथ्यों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय यह भाग (क) है।

भाग (ख) के बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने ग्रिफिन की नियुक्ति के संबंध में इस प्रकार बताया है :—

"सरकार की आशय यह थी कि अमरीका से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में होने वाले किसी भी प्रकार के टकराव पैदा होने की सम्भावना को टाला जा सके।"

अब महोदय, क्या यह प्रश्न टकराव को टालने का था या यह प्रश्न उन गतिविधियों को समाप्त करने का था जो हमारे राष्ट्रीय हित के लिए की जाती थी। मैं इस बारे में मन्त्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहती हूं।

एक और प्रश्न है। (एक माननीत सदस्य : के० जी० बी०) मैं उसे बाद में पूछूंगी। एक दूसरा प्रश्न यह है कि अमरीका ने हमारे भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ कार्यकारी श्री टी० प्रभाकर मेनन को अमरीका में प्रवेश की अनुमति देने से इन्कार किया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या किसी कार्यकर्ता को उसके विरुद्ध बिना किसी आरोप के अस्वीकार कर देने की कोई सामान्य राजनीतिक परम्परा है? मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या अमरीकी सरकार ने श्री मेनन पर कोई जासूसी करने अथवा अन्य गतिविधियों से संबंधित होने का कोई आरोप लगाया है। यदि नहीं, तो में यह जानना चाहती हूं कि क्या यह कदम अमरीकी सरकार का स्पष्ट तथा अमैत्रीपूर्ण कार्य नहीं कहलायेगा। और मेरा अन्तिम प्रश्न तथा कथित सोवियत रूस संबंधी गलत सूचना के बारे में है। अमरीका द्वारा दी गई सूचना को डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी जैसे कुछ मेरे

अन्य माननीय सहयोगियों द्वारा हमेशा ही सही माना जाता है। महोदय वह सोचते हैं कि जो भी जानकारी सोवियत रूस से प्राप्त हो रही है, वह जानकारी गलत है। क्या यह एक अमरीकी शब्दावली नहीं है। अब महोदय, इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार को सही तथ्यों की जानकारी है और अमरीकी संवाददाता त्रि० लारेंस त्रीफशल्ज और अन्य स्रोतों से प्राप्त अन्य अनेक सूचनाओं के प्रकाश में, मैं यह जान सकती हूं कि क्या सोवियत रूस के संचार माध्यम से दी गई पिछली सूचनाओं की पुष्टि की गई है। ये मेरे तीन प्रश्न हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह रांव : महोदय, यह अनिवार्यत: तैनाती से एक सम्बन्धित एक सिमित सवाल हैं हमें पता लगा था कि किसी कार्य की तैनाती की जा रही थी। जैसे ही हमें इसका पता लगा—हमें कुछ संदेह हुआ और हमने जांच की।कुछ ऐसी बाते हमें मालूम हुई जिससे हमें यह विश्वास हो गया कि यदि हम इस तैनाती को स्वीकार कर लें तो उन गतिविधियों के कारण जैसा कि इस व्यक्ति ने विगत में की थी। हमारे संबंधों में और भी कटुता पैदा हो सकती है (व्यवधान) इसलिए हमनें उनसे कहा कि बेहतर आपसी संबंधों के हितों में हम इस कार्य की यहां पर तैनाती न तो ठीक ही समझते हैं और न ही इसकी तैनाती अच्छे आपसी संबंधों में सहायक हो सकती है। हमने कहा, "कृपया, आप इन्हें कहीं और भेज दीजिए। यह बिल्कुल साधारण सी बात थी। यह सच है कि इसके परिणामस्वरूप, हमारे सम्बन्धों में कटुता का एक अस्थाई दौर आया है। भविष्य में और भी अधिक अस्वीकार्य एवं अवां छत परिस्थिति तक पैदा न होने पाये, इसीलिए हमने इसे स्वीकार किया है। यह परम्परा भी नहीं है और न ही यह बात मेरे लिए उचित है कि मैं उन सभी गतिविधियों का यहां ब्योरा दूं जिसमें वह व्यक्ति लगा हुआ था। यह ठीक नहीं होगा, न ही यह देश के हित में होगा और न ही सरकार के हित में। इसीलिए मैं यहां केवल उस व्यक्ति के कार्यों का केवल "गतिविधियां" ही कहूंगा जिनमें वह सम्बन्धित था प्रश्न यह नहीं है कि वह किस संगठन से जुड़ा हुआ था। वह क्या कर रहा था यह बात महत्वपूर्ण है और इससे हमने कुछ निस्कर्ष निकाला है।

जहां तक श्री मेनन का सम्बन्ध है, रिकार्ड स्वयं इसका साक्षी है। उन्हें कभी भी अमरीका में तैनात नहीं किया गया था। वह जहाँ भी तैनात किए गए थे, उनका सम्बन्ध अमरीका से बिल्कुल नहीं था। जब वह यहां मुख्यालय में थे लगभग छः वर्ष तक उन्होंने कभी भी अमरीका से सम्बन्धित मामलों का कार्य नहीं किया। इसलिए इससे अधिक सन्देह रहित बात सोची भी नहीं जा सकती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह तो एक दम जबावी रुख है।

श्री पी० वी० नरसिंह रांव : यह तो एक जवाबी रुख था। इससे अधिक कुछ नहीं इसलिए हमने कहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह न्याय संगत नहीं हैं और न ही ऐसा किया जाना चाहिए। क्या यह अमित्रता पूर्ण कार्य नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ कहना चाहते हैं ।मन्त्री-महोदय से उसे मत कहलाइये ॥

श्रीमती गीता मुखर्जी : आप मेरे किसी प्रश्न का उत्तर नही दे रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया अतिराजनितिज्ञ की तरह मत बात कीजिये । इस सदन को भी विशवास में लिजिए । यह भारत की सर्व मौन संसद है । क्या उनका रवैया अमित्रता पूर्ण था या नही ?

श्री पी० वी० नरसिह रांव : प्रश्न यह है कि मैं आपसी सम्बन्धों को अमित्रता पूर्ण न होने देने के लिए कोशिश कर रहा हूं । मैं उसे अमित्रतापूर्ण कार्य किस प्रकार कर सकता हूं । महोदय, (व्यवधान)

जहां तक टकराव की बात है, मैंने बताया है कि हमने भविष्य में और अधिक टकराव को टालने का प्रयास किया है और इसीलिए हमने जो कुछ भी किया है, वह हमारे आपसी सम्बन्धों के हित में है । स्वाभाविक है कि ये सम्बन्ध दोनों ही पक्षों के रवैये पर निर्भर करते हैं ॥ यह एक तरफा प्रयास का प्रश्न नहीं है । हम तो यह आशा करते है कि हकने समय रहते ही उचित उठाया है और इसे सही प्रतिपेक्ष्य में ही समझा जाना चाहिए ।

अब जहां तक श्री मेनन का सम्बन्ध है, मैं बता चुका हूं कि यह एक पूर्णतः जवाबी रुख था । सोवियत रुस की गलत जानकारी के बारे में मैंने बताया है कि हमने किताबों से, समाचार-पत्रों से अथवा कोई दूसरा देश क्या कहता है, इससे प्रभावित नहीं होते । इसीलिए, दूसरों ने क्या कहा है मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है । में कह चुका हूं कि हमने उसी जानकारी के आधार पर कार्य किया है जो कुछ उस व्यक्ति के बारे में हमारे अपने पास थी, और इसीलिए हमने अपना निर्णय उन तथ्यों के आधार पर किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बी० वी० देसाई (व्यवधान) कोई प्रश्न नहीं । आप बी० वी० देसाई नही हैं । मैंने वी० वी० देसाई का नाम पुकारा है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैंने एक स्पष्टीकरण मांगा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मन्त्री महोदय से किसी उत्तर की आशा नहीं हो तो आप कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते । (व्यवधान)* यह रिकार्ड नहीं दिया जाएगा । कृपया इसे मत रिकार्ड कीजिए । कृपा करके ध्यानाकर्षण से सम्बन्धित नियमों को पढ़िए । यदि आपको मालूम है तो कृपया आप बैठ जाइए । ध्यानाकर्षण में कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता । अब कोई सदस्य जिसका नाम यहां नहीं है, ध्यानाकर्षण पर नहीं बोल सकता । आप इस बारे में कुछ नहीं पूछ सकते । यह आम बहस नहीं है ।

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण का विषय जैसा कि अभी बताया गया है, बहुत सीधा सा है । यदि इसमें कथित भारत-अमरीका मतभेदों के परिणाम स्वरूप पैदा होने वाली स्थिति को उठाया गया होता तो इसका विषय कुछ थोड़ा सा व्यापक हो गया

होता। यहाँ तक कि यह बात भी इसमें शामिल नहीं की गई है। इसलिए, यह प्रश्न राजनयिकों की तैनाती के सम्बन्ध में मतभेद बहुत सीधा सा प्रश्न है। परन्तु महोदय, यह कोई महत्व की बात नहीं है। हमारे सम्बन्ध अमरीका से इस हद तक बिगड़ गए हैं कि छोटी से छोटी बात तक भी उन्हें बड़ी कड़वी लगती है जैसे कि हमारे अमरीका से इस न्यायोचित अनुरोध पर किसी विशेष कार्य को किसी विशेष पद पर न तैनात किया जाये, उन्होंने हमारे राजनयिक को अमरीका में आने से ही रोक दिया है। माननीय मन्त्री महोदय के अनुसार उनका अमरीका से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं था। इसलिए यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। माननीय मन्त्री महोदय ने बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया है और उनका वक्तव्य बहुत सम्मानजनक एवं ठोस है अर्थात यह कहना ठीक नहीं है कि किसी अन्य देश के विचारों, द्वारा दी गई जानकारी और उसके द्वारा की गई घोषणा ने इस निर्णय में कोई भूमिका निभाई है। भारत सरकार द्वारा ऐसे किसी भी निष्कर्ष अथवा निर्णय का विरोध किया जाता है। जी, हाँ हम इसका विरोध करते हैं। परन्तु, मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस अमित्रतापूर्ण कार्य को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि इसका कहीं तो अंत होना ही चाहिए। इसलिए इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों में सुधार लाने के लिए भारत सरकार कौन-कौन से कदम उठा रही है। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि इस दिशा में रीगन प्रशासन में हमें कहाँ तक सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि हमें इसी राजनीतिक दल का विगत का भी अनुभव है जब श्री निक्सन राष्ट्रपति थे। इस सबके बावजूद हम अमरीका या किसी भी अन्य देश के प्रति विरोधी रुख नहीं अपना सकते।

यह भारत के हित में नहीं है। इसलिए इस मामले को राजनैतिक दृष्टि से समीक्षा करनी होगी और इसे राजनैतिक तरीके से ही निपटाना होगा। यद्यपि यह राजदूत की नियुक्ति का विषय है। इस समय अत्यन्त गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस मामले को राजनैतिक ढंग से निपटाना होगा। अतः मैं पूछना चाहूंगा कि क्या मन्त्री जी ने कोई तरीका निकाला है जिससे खराब होती स्थिति को इसी समय रोका जा सके ?

श्री पी० वी० नर्रासिह राव : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है यह अत्यन्त सामान्य किस्म का है। मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि यह एक सीमित विषय है। मुझे आशा है कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के पश्चात, यह मामला समाप्त हो जाएगा। वास्तव में इस मामले से दूसरे मामले पैदा नहीं किए जाने चाहिए।

नियुक्तियाँ की जाती हैं। कभी-कभी नियुक्तियों का विरोध भी होता है। इस मामले में हमारे विचार से, प्रतिपक्ष की आपत्ति का कोई औचित्य नहीं है। इसके लिए, में कारण पहले ही बता चुका हूं हमारी आपत्ति के पीछे कुछ आधार थे, जो हमारे विचार से, न केवल पर्याप्त हैं, बल्कि महत्त्वपूर्ण हैं। अतः यह मामला है अपने निर्णय को लागू करने का। मै आशा करता हूं कि यह कोई गम्भीर मामला नहीं है। यह केवल एक व्यक्ति विशेष की नियुक्ति का ही प्रश्न है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति (कनकपुरा) : मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि दूसरे मित्रों ने लगभग सभी बातों का उल्लेख कर दिया है।

जैसा कि हम जानते हैं कि जब कार्टर अमरीका के राष्ट्रपति थे उस समय भारत-अमरीका सम्बन्ध में सुधार हुआ था। परन्तु अब रीगन प्रशासन के कारण हमारे सम्बन्धों में कटुता आती जा रही है। हालांकि भारत को उनकी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अमरीका में रीगन प्रशासन के आते ही दुर्भाग्यवश दोनों देशों के सम्बन्धों में कुछ कटुता आई है। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है कि पाकिस्तान को एफ—16 जैसे परिस्कृत शस्त्र सप्लाई किए जा रहे हैं तथा परमाणु बम बनाने में उसकी सहायता की जा रही है। जबकि वह पूरी तरह से जानते हैं कि ये अस्त्र-शस्त्र हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल में लाये जायेंगे। वे दियागो गार्सिया में अपने अड्डे मजबूत कर रहे हैं। और हमारे तारापुर संयंत्र के लिए परमाणु ईंधन देने में असाधारण विलम्ब किया जा रहा है। हमें इस निष्कर्ष पर पहुचने को बाध्य किया जा रहा है कि अमरीकी प्रशासन हमारे साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध जारी नहीं रखना चाहता।

इस बात को देखते हुए मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उनसे राजनैयिक सम्बन्ध समाप्त करने जैसे निर्णय लेने के लिए बाध्य है और क्या सरकार का विचार राजनैयिकों के सम्बन्ध में निश्चय जानकारी प्राप्त करने के लिये विदेश मन्त्रालय में कोई सतर्कता अनुमान बनाने का है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टतयः नहीं है। हमने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है। आशा है कि हम ऐसा निर्णय लेगें भी नहीं क्योंकि देशों और सरकारों के बीच संबंधों का मामला अत्यन्त जटिल है। इन संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें इन परिस्थियों में रहना पड़ता है। इसलिए जो कुछ भी हुआ है उसके संबंध में कोई कठोर कदम उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है कि यह एक छोटा मामला है। हम इसे इसी रूप में स्वीकार करेंगे।

———

आयकर (दूसरा संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधि संबंधी कार्य को लिया जाये। श्री वेंकटरामन

वित्त मंत्री श्री आर० वेंकटरामन : मैं आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीस इस विधेयक का विरोध करना चहाते थे। वे इस समय उपस्थित नहीं है। इसलिये प्रश्न यह है

"कि आयकर अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले धिधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री जी,

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं विधेयक पुर : स्थापित करता हूं।

आयकर (संशोधन) 1981 अध्यादेश के बारे में वक्तव्त

मैं आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1981 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी) सभा पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थिगित होती है ।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थिगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 5 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

(एक) मथुरा शहर को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने, यमुना नदी का प्रदूषण रोकने तथा विद्युत और जल आदि की कमी को दूर करने की आवश्यकता

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मथुरा नगर उत्तर प्रदेश और भारत में ही महत्वपूर्ण नहीं, किन्तु दुनिया में महत्वपूर्ण नगर है। हमारे देश के प्राचीन नक्शे में से एक है। प्रमुख तीर्थ स्थान है। मथुरा के आस-पास जितने तीर्थ स्थान हैं, उतने कहीं नहीं । जितनी रेलगाड़ियां मथुरा होकर जाती हैं, उतनी अन्य किसी स्थान पर होकर नहीं जातीं। भगवान् कृष्ण की जन्म भूमि और क्रीड़ास्थली होने के कारण भी आकर्षण का केन्द्र है। भारतीय संस्कृति का जीता-जागता प्रतिरूप है।

मथुरा में जन्मे कृष्ण की गीता ने संसार के एक लम्बे समय से सर्वाधिक पढ़े जाने वाले ग्रंथों से स्थान प्राप्त किया है। गोपियों का प्रेम, सुदामा की मित्रता भी अद्वितीय है।

मथुरा की संस्कृति साम्प्रदायिकता के ऊपर है। कृष्ण जन्म भूमि पर मंदिर और मस्जिद साथ साथ बने हैं। मथुरा में हिन्दू मुसलमान कभी आपस में नहीं लड़े। होली और ईद पर

आपस में प्रेम से मिलते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल-शोधक कारखाना भी मथुरा में ही में लगा हुआ है ।

वही मथुरा केन्द्रीय सरकार की दृष्टि में उपेक्षित हैं उसका नाम तीर्थ-स्थानों की सूची में नहीं। मथुरा और वृन्दावन के किनारों के घाटों की स्थिति बहुत खराब है। पुराने घाट भी टूटते जाते हैं। सड़क खराब है, गली खराब है, छपाई के कारखाने और नालों के गंदे पानी के कारण यमुना का पानी गंदा हो जाता है। बिजली और पीने के पानी की कमी है। गंदा पानी कई महत्वपूर्ण स्थानों पन स्थायी तौर पर भरा रहता है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर ने उद्योग बस्ती बना कर और उसके गंदे पानी के निकास को नगर की ओर करके एक समस्या और खड़ी कर दी है। उत्तर प्रदेश आवास एंव विकास परिषद भी मकान बनाकर गंदे पानी को नगर की ओर कर रही है। मथुरा में सरकार का कोई सर्किट हाउस नहीं। टूरिस्ट विभाग का होटल आदि नहीं। रेडियो स्टेशन बहुत कम शक्ति का है। यहाँ की महत्वपूर्ण संस्कृति पर डाकुमेंटरी फिल्म नहीं बनाई जाती। चौरासी मील की यात्रा में प्रति-वर्ष पैनल परिक्रमा को हजारों लोग आते हैं। उसके मार्ग भी खराब हैं।

केन्द्रीय सरकार से मेरी प्रार्थना है। कि मथुरा के लिए आधिक से अधिक सहायता दे कर सड़क ठीक कराए और पानी तथा बिजली की कमी पूरी करें। टूरिस्ट विभाग अपनी सूची में सम्मिलित करें, वह तीर्थ-स्थान घोषित हो। गंदा पानी यमुना के नहाने के घाटों पर न पहुंचे। रेडियो स्टेशन की क्षमता बढ़ाए। वृन्दावन और शेरगढ़ पर यमुना का पुल बनाए। औद्योगिक बस्ती और आवास एवं विकास परिषद् के मकानों का गंदा पानी मथुरा नगर में न जाए। सर्किट हाउस और टूरिस्ट होटल बने। बृज की संस्कृति की डाकुमेंटरी फिल्म बने आदि आदि।

आशा है कि केन्द्रीय सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी।

(दो) कन्याकुमारी जिले के अरब सागर तट पर मत्स्य बन्दरगाह की आवश्यकता

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत सार्वजनिक महत्व का निम्नलिखत अविलम्बनीय मामला उठाता हूं।

कन्याकुमारी जिले में अरब की खाडी के तट पर मछली पकड़ने के लिए बन्दरगाह (मत्स्य ग्रहण बन्दरगाह) बनाने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही है। इस जिले के लोग इसके लिए लगातार मांग करते रहे हैं। इस जिले के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। तमिलनाडु जिले में सबसे अधिक मछुवे इसी जिले में हैं। देश में समुद्री मछली सप्लाई करने वाले क्षेत्रों में से यह क्षेत्र एक है। यहाँ मछली पकड़ने के व्यवसाय को बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश एवं अवसर हैं। परन्तु इस क्षेत्र की विशेषता और समुद्री मछली पकड़ने के क्षेत्र में भारी योगदान के बावजूद, बड़े दुख की बात है कि तमिलनाडू में अरब की खाड़ी के तट पर कोई मत्स्य ग्रहण बन्दरगाह नहीं है। चिन्नामुत्तम में मत्स्य ग्रहण बन्दरगाह बनाने का प्रस्ताव है।

परन्तु यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। कोलेयल अथवा तमिलनाडू के साथ करने वाले अरब सागर के तट पर किसी दूसरे स्थान पर मत्स्य ग्रहण बन्दरगाह बनाने से न केवल हिन्दमहासागर में उपलब्ध अत्यधिक मछली पकड़ने के संसाधनों का उपयोग उठाया जा सकेगा बल्कि अरब सागर के स्रोतों का उपयोग करने में भी सरलता होगी। इससे समुद्री मछली पकड़ने की मात्रा में भारी वृद्धि होगी। जिसका इस्तेमाल स्वदेश में भी किया जा सकेगा तथा निर्यात भी किया जा सकेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह तमिलनाडू के साथ लगने वाले अरबसागर तट पर मत्स्य ग्रहण बन्दरगाह स्थापित किए जाने की अत्यन्त एवं अविलम्बनीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वहां ऐसा बन्दरगाह बनाने का आदेश जारी करें।

(तीन) असम के नवगोंग जिलों में डाक व तार विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता :

श्री मुकंद मंडल (मथुरापुर) : महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत सार्वजनिक महत्व का अविलम्बनीय मामला उठा रहा हूं।

डाक तार विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों, विशेष तौर पर असम में नवगोंग जिले में, की स्थिति इतनी दयनीय है कि वे भूखों मरने की हालत में है। 4-6 घण्टे प्रतिदिन काम करने के बदले उन्हें प्रतिमाह 108 रु० दिए जाते हैं। उन्हें डाक बांटने के लिए दूर-दराज के गांवों और छोटे कस्बों में जाना पड़ता है। इस कार्य में उनका दिन भर का समय लग जाता है। इसके अतिरिक्त, केवल 108 रु० प्रति माह पर ही उन्हें महीना भर काम करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें दैनिक भत्ता, डाक्टरी सुविधा, छुट्टी, वर्दी, वोनस और यहां तक की घनी धूप और वर्षा के दिनों में छाता भी नहीं दिया जाता। महोदय, प्रतिमाह 108 रु० देकर डाक-तार विभाग के गरीब अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों का खून चूसने का कोई औचित्य नहीं है। कोई व्यक्ति इतनी कम आय में किस प्रकार निर्वाह कर सकता है ? इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले में सहानुभूति पूर्वक ध्यान दिया जाए ताकि डाक तार विभाग के अति-विभागीय कर्मचारियों के साथ न्याय हो।

(चार) राजस्थान को कडाना बांध से पानी उपलब्ध कराने हेतु गुजरात और राजस्थान के बीच हुए 1966 के समझौते को कार्यान्वित कराने की आवश्यकता :

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 77 के तहत निम्नलिखित विषय की ओर आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आर्पित करना चाहता हूं :

माही नदी के जल उपयोग के बारे में राजस्थान एवं गुजरात सरकार के दरमियान सन् 1966 में एक समझौता हुआ था, जिसके अन्तर्गत कडाना बांध 419 फीट की ऊंचाई पर गुजरात प्रान्त में बना जो बांध बनकर तैयार हुआ और उक्त बांध से माही नदी का पानी गुजरात प्रान्त खेड़े जिलों को सिंचित करने के लिए किया गया था। उक्त समझौते में यह शर्त थी कि नर्वदा के बारे में न्यायधिकरण द्वारा फैसला करने के बाद मैं खेड़ा जिला नर्वदा से सिंचित किया

जाएगा और माही का पानी कडाना नहर से गुजरात के ऊपरी इलाके में तथा राजस्थान के सबसे सूखे इलाके बाड़मेर एवं जालौर में काम आयेगा।

गुजरात में सन् 1980 में बनाई गई योजना में उक्त समझौता की अवहेलना करके खेड़ जिले को नर्मदा से सिंचित न करके माही से ही सिंचित करना प्रस्तावित किया है। यदि गुजरात की यह योजना स्वीकृत हो जाती है तो माही का जल राजस्थान के सूखे इलाकों में उपलब्ध नहीं हो सकेगा।

राजस्थान के रेगिस्थानी क्षेत्र बाड़मेर एवं जालौर जिलों को सिंचित करने को माही ही एक मात्र कम खर्च में पहुंचाने का उपाय है। परन्तु गुजरात द्वारा समझौते को न मानने के कारण जो स्थिति पैदा हुई है उससे राजस्थान प्रान्त के और विशेष, बाड़मेर एवं जालौर जिलों में घोर असंतोष है। गुजरात प्रान्त का यह कहना कि न्यायाधिकरण के नर्मदा में उन्हें अधिक हिस्सा नहीं दिया है। अतः वह माही, के पानी का उपयोग करेगा, यह तर्क न्यायसंगत नहीं है।

राजस्थान प्रान्त को भी नर्मदा में माकूल हिस्सा नहीं मिला है, जो राजस्थान सरकार ने मांग की थी, सिर्फ उनका चौथाई हिस्सा मिला है।

माही नदी का पानी रेगिस्तानी थार क्षेत्रों बाड़मेर एवं जालौर में पानी पहुंचाने के लिए ही राजस्थान सरकार ने 419 फीट की ऊंचाई पर कडाना बांध बनाने की गुजरात सरकार को स्वीकृति दी थी और अपने क्षेत्र का काफी हिस्सा डूब में डालकर हजारों आदिवासियों को उखाड़ फैंका था और उन्हें बेघरबार किया था।

उक्त समझौते को क्रियान्वित करने में गुजरात सरकार द्वारा विलम्ब करके राजस्थान सरकार के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है।

ऐसे अन्तर्राज्यीय समझौते का पालन करना आवश्यक है। क्योंकि समझौते करने वाली राज्य सरकारें समझौते के करार से मुकर जाए तो ऐसे समझौते की कोई वेल्यू नहीं रहेगी। अतः केन्द्र सरकार इस बात का प्रबन्ध करे कि अन्तर्राज्यीय समझौता का पूर्ण पालन हो सके।

अतः प्रधान मन्त्री जी एवं केन्द्रीय सरकार के सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन है कि वे गुजरात सरकार को वाध्य करे कि सन् 1966 में किए हुए करार को क्रियान्वित करके कडाना बांध के पानी को राजस्थान प्रान्त के सूखे और अकालग्रस्त इलाके बाड़मेर एवं जालौर में सिंचाई के लिए सुलभ करावे।

(पांच) उत्तर पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय के कार्यकरण में सुधार लाने की आवश्यकता

श्री चिगंयांग कोनयक (नागालैंड): उत्तक पूर्व के पर्वतीय क्षेत्र, बिशेष तौर पर मेघालय एवं नागालैंड और संघराज्य मिजोरम की विशेषता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लगभग दस वर्ष पूर्व नार्थ इस्टर्न युनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अपेक्षाकृत छोटा क्षेत्र है और कम ही कालेज इससे सम्बन्ध हैं। निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने के लिये अब तक इस विश्वविद्यालय का विकास एक उच्च स्तरीय एवं कुशल संस्था

के रुप में हो जाना चाहिये था। परन्तु दुर्भाग्यवंश, विश्वविद्यालय के अधिकारियों के कुप्रबन्ध के कारण इसे स्थापित करने के उद्देश्य को हो ताक पर रख दिया गया है। खराब प्रशासन के कारण, विश्वविद्यालय में हर स्तर पर भृष्टाचार व्याप्त है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर भाई भतीजावाद, पक्षपात करने और भृष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं। नार्थ इस्टर्न युनिवर्सिटी की कार्यकारिणी परिषद ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें विश्वविद्यालय के मामलों की जांच करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किये जाने की सिफारिश की गई है। विद्यार्थी वर्ग भी गुटों में बटा हुआ है। एक गुट दूसरे का विरोधी है। इसके लिए अनाश्वयक एवं फिजूल पैसा खराब किया जा रहा है। शक्ति एवं संसाधनों का शिक्षा की उन्नति के लिए प्रयोग न करके, दूसरे गुट को नीचा दिखाने में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरुप स्थिति बदतर होती जा रही है तथा शिक्षा का वास्तविक और प्रमुख उद्देश्य ही समाप्त हो गया है। पिछले लगभग एक साल से विश्वविद्यालय में कोई कुलपति ही नहीं है। कुलपति की नियुक्ति में विलम्ब होने के कारण, विश्वविद्यालय के प्रशासन में और अधिक गिरावट आई है और साम्प्रदायिक तनाव और विद्यार्थियों में शत्रुता की भावना को प्रोत्साहित दिया गया है। नार्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी (एन० ई० एच० यू०) अधिनियम में इन दोनों राज्यों तथा संघराज्य मिजोरम में कैम्पस बनाये जाने का उपबन्ध है। कुछ वर्ष पूर्व कोहिमा (नागालैंड) में विश्वविद्यालय के कैम्पस की आधार शिला रखी गई थी परन्तु, अब तक इस दिशा में और आगे प्रगति नहीं हुई है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि निम्नलिखित मामलों पर तुरन्त कार्यवाही की जायें :

(1) कुलपति की नियुक्ति तुरन्त की जानी चाहिये।

(2) विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद की मांग के अनुसार एक जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिये।

(3) कोहिमा स्थित नागालैंड कैम्पस के लिए तुरन्त एक प्रत्युक्त कुलपति (प्रो०वाईस चांसलर की नियुक्ति की जानी चाहिये।

(4) नागालैंड कैम्पस के निर्माणों के लिये पर्याप्त संख्या में अनुमति अध्यापक नियुक्त किये जायें।

(5) कोहिमा में नागालैंड कैम्पस के तेजी से विकास के लिए तुरन्त कार्य शुरु किया जाना चाहिए।

श्री जगपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, रूल 377 के अन्तर्गत मेरा नोटिस पेण्डिंग है···

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है।

श्री जगपाल सिंह : आप मेरी बात सुन लीजिये···

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं,

श्री जगपाल सिंह : स्पीकर साहब ने सैकेटरी साहब को बुलाकर वाकायदा कहा था। आप मुझे एक बात बतलाइये, स्पीकर का कहना चलेगा या किसी और का चलेगा···

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इस मामले को इस प्रकार नहीं उठाना चाहिये।

श्री जगपाल सिंह : आपको इस बात को सीरियसली लेना चाहिये। स्पीकर ने बुलाकर बाकायदा कहा है···

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाये।

श्री जगपाल सिंह :*

(छ:) बिहार में फूलवारी शरीफ में बिहार काटन मिल्स लिमिटेड में तालाबन्दी समाप्ति के उपाय

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक दृष्टि से पटना एक अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ शहर है। वहां कोई भी बड़ा उद्योग धंधा नहीं है। उसके निकट ही फुलवारी शरीफ नामक एक प्रसिद्ध कस्बा है। वहां बिहार काटन मिल्स लि० नामक एक निजी कारखाना है, जो वर्षों से सूत तैयार करने का काम कर रहा है। पहले वहां मोटा कपड़ा भी बनता था परन्तु उसके मालिकों ने मुनाफे के लालच में कपड़े का उत्पादन बंद कर केवल सूत का उत्पादन शुरू किया।

बिहार काटन मिल्स लि० में काम करने वाले मजदूरों की संख्या लगभग एक हजार है। अपनी एकता और संघर्ष के बल पर पिछले वर्षों में उन लोगों ने बहुत सारी मांगें हासिल की हैं। कमर-तोड़ महंगाई के खरते हुए मजदूरों एवं उनके संगठनों से पिछले दिनों करखाने के मालिकों के सामने वेतन एवं अन्य सुविधओं के पुनर्निर्धारण की मांग उठाई परन्तु दुःख है कि मालिकों ने मजदूरों एवं उनके संगठनों के साथ वार्ता कर समझौते का रास्ता निकालने के बजाय कारखाने में गत 24 जुलाई को तालाबंदी की घोषणा कर दी। तालाबंदी आज भी जारी है, जिसकी अवधि डेढ़ माह की हो चुकी है। फलस्वरूप उसमें काम करते वाले मजदूर एवं उन पर निर्भर उनके परिवार के हजारों व्यक्ति आज भीषण महंगाई में भुखमरी के शिकार हैं।

ठीक बिहार सरकार की नाक के नीचे तालाबंदी की गैर-कानूनी कार्यवाही चल रही है, फिर भी अब कारखाने के मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बिहार सरकार का श्रम विभाग भी अब तक मालिकों को ठीक रास्ते पर नहीं ला सका है। मालिकों के साथ इस प्रकार की हमदर्दी क्यों ?

तालाबंदी के विरोध में अभी हाल में फुलवारी शरीफ सूती मिल मजदूर यूनियन ने धरना का कार्यक्रम चलाया था।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह कारखाने के मालिकों के कारखाना खोलने के आदेश दे,

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तालाबन्दी के लिए उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करे, मजदूरों को बन्दी के दिनों की मजदूरी का भुगतान करवायें, उनकी मजदूरी आदि में वृद्धि करे, मजदूरों पर चलाये गये मुकदमे वापस करवायें और पटना शहर के अगल-बगल में बड़े कारखाने खोलने की योजना चालू करे।

(सात) **पश्चिम रेल के अहमदाबाद पटना सेक्शन पर बन्द रेलगाड़ियों को फिर से चलाने की आवश्यकता**

श्री मोती भाई आर० चौधरी (मेहसाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय को उठाना चाहता हूं :

वेस्टर्न रेलवे के मेहसाना डिवीजन में कोयले की कमी के कारण बहुत समय से कई ट्रेनें बन्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रीओं को बहुत परेशानी रही है, खास करके जो ट्रेन में हर रोज सारा कालेजों में आ-जा करते हैं। विद्यार्थियों को, आफिस में आते-जाते रहने वाले कर्मचारियों को और कल-कारखानों में मजदूरों के लिये आते-जाते रहते मजदूर लोगों को बहुत परेशानी हो रही है मजदूर लोग अपनी रोजगारी गवां रहे हैं। बहुत समय बन्द होने के कारण से अब यात्री लोग तंग आ गये हैं और एक-दो बहुत उपयोगी ट्रेनें अगर चालू नहीं कर दी गई तो दंगा होने की पूरी सम्भावना है। मैं अभी-अभी वहां से आया हूं और मुझसे भी यह पैसेंजर एसोशियेशन के लोगों ने निवेदन दिया है जिसमें बताया गया है कि अगर यह ट्रेनें 15 दिन मे चालू नहीं कर दी जायेंगी तो सत्याग्रह करने में आयेगा। अतः मेरी रेल मन्त्री जी से प्रार्थना है कि इस विभाग में बहुत बम्बे समय से नीचे की जो दो ट्रेनें बन्द हैं, उनको जल्दी से चालू कर दिया जाये, जिससे विद्यार्थियों, मजदूरों और कर्मचारियों को राहत हो। ये दो ट्रेनों नीचे मुताबिक हैं:

1. अहमदाबाद पाटण के बीच चलने वाली 120 टाउन गाड़ी।

2. 115-16 अप-डाउन गाड़ी, जो अहमदाबाद पाटण के बीच वाया रगुज, चानसभा, बहुचराजी, कटोशन, कड़ी और कलोहल होकर जाती हैं।

उपर्युक्त दो ट्रेनों को चल्दी से चालू करके हर रोज के यात्रियों को सुविधा दें और इस तरह से अपनी बढ़ती हुई रेल मूवमेंट की प्रतीती करायें।

(आठ) **बिहार के उन जन स्वास्थ्य कर्मचारियों को फिर से रोजगार देने की आवश्यकता जिनकी सेवाएं, सितम्बर को समाप्त कर दी गई थी।**

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का आपके द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 2 अक्तूबर, 1977 से देश भर में चालू "जनस्वास्थ्य रक्षक" योजना को 1 सितम्बर, 1980 से बिहार में समाप्त कर दिया गया है।

पूर्वांचल राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने कलकत्ते में बैठक लेकर एक प्रस्ताव पारित किया कि यह योजना जोरदार ढंग से चालू की जाए और अभी तक चलाया जा रहा है। यह योजना जनहित में बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है।

बिहार में 7 हजार जन-स्वास्थ्य रक्षकों की सेवाएं समाप्त होने से नियोजित युवकों में भारी आक्रोश पैदा हो रहा है। बिहार में बेरोज-गारियां सब से अधिक हैं और सरकार राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम की घोषणा कर नियोजित युवकों को बेकारीग्रस्त करने की अजीब स्थिति पैदा कर रही है। यह केवल बिहार में हुआ है जो सोतेला व्यवहार कहा जा सकता है।

अतः भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय इस दिशा में समानता के आधार पर अन्य राज्यों में कार्यरत जन-स्वास्थ्य रक्षकों की तरह बिहार में भी सात हजार नवयुवकों को जन-स्वास्थ्य रक्षक की सेवा में पुनः नियोजित करे तथा उन्हें न्याय प्रदान करे।

(नौ) उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में प्रस्तावित किसान सहकारी चीनी मिल लिमिडेड मेहमूदाबाद, को चालू करने की आवश्यकता

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा से नियम 377 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न उठता को चाहता हूं।

26-3-74 को किसान सहकारी चीनी मिल लि० महमूदाबाद जिला सीमापुर, उत्तरप्रदेश की निर्माण योंजना स्वीकृत हुई। इस मिल के निर्माण हेतु कुल चौरासी एकड़ भूमि क्रय में 5.07 लाखरुपया व्यय किया जा चुका है। किसानों के बिभिन्न समुदायों व संस्थाओं ने लगभग 22 लाख रुपया अंश पूंजी भी जमा किया है। तत्कालीन उत्तरप्रदेश सरकार ने भी इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए 90 लाख रुपये का अंशदान दिया था।

जब से इस मिल के बनने की बातचीत चली है क्षेत्र की जनता किसान मजदूर आशा लगाये हैं। छः साल से अधिक समय बीत गया है केवल उद्घाटन का पत्थर ही लग सका है।

मिल का निर्माण कार्य प्रारंभ होना है। मशीनरी आदि का आर्डर दिया जाना है। सम्पत्ति कमेटी के मुताबिक योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की गई है। क्योंकि इस योजना के आधार पर सहकारी क्षेत्र में लगने वाली, अनेक चीनी मिलों को, सहायता व ऋण प्रदान किये जाते रहे हैं।

उक्त प्रोत्साहन योजना सन् 1975 में घोषित की गयी थी। अगस्त सन् 1978 से स्थगित कर दी गई। सरकार ने इस प्रोत्साहन योजना की समीक्षा और उसका पुर्ननिरीक्षण करने के लिए फरवरी, सन् 1980 को अन्तर मंत्रालय ग्रुप का गठन किया था। ज्ञात हुआ है कि इस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया है। केन्द्रीय सरकार मंत्रिमंडल को इस योजना के बारे में निर्णय लेना है।

महमदाबाद में किसान सहकारी चीनी मिल का बनना इस क्षेत्र के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। पड़ोसी दो जनपदों जैसे लखनऊ, बाराबंकी के लिए सीमावर्ती जिलों के किसान भी उन योजनाओं से लाभ उठा सकेंगे। सरकार इस मिल के निर्माण कार्य के प्रारंभ किए जाने में प्रारंभ से ही उपेक्षा कर रही है। क्षेत्र के किसान मजदूर दुखी हैं। कृषि पर आधारित इस उद्योग के लगने से इस पिछड़े क्षेत्र में सर्वसाधारण के चहुंमुखी विकास के द्वार खुलेंगे।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि अविलंब मंत्रिमंडल द्वारा जो प्रोत्साहन योजना की घोषणा की जावे और भारत के औद्योगिक वित्त निगम अथवा अन्य वितीय संस्थाओं से इस मिल के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता अविलंब प्रदान करायी जावे।

(दस) रेलगाड़ियों के देरी से चलना रोकने तथा गोहाटी मेल, दुधुक मेल आदि कुछ रेल गाड़ियों की सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा वर्मा (खेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय सदन में उठाना चाहती हूं।

मेरे लोक सभा के क्षेत्र में रेलवे का बहुत ही कम फैलाव है। हालांकि यह क्षेत्र फसल आदि में काफी अच्छा है, आवागमन एवं मालवाहन के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। जो भी रेलवे के साधन हैं वे न तो पर्याप्त ही हैं और न रेले समय से चलती हैं। गोहाटी मेल करीब करीब रोजाना ही 6-8 घंण्टे देर से चलती है। यह सेवा अभी तक भी बरेली तक उपलब्ध नहीं हो पायी है। इस बारे में मैंने पहले भी रेलवे मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया था। ऐसा लगता है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जनता बहुत परेशान है। मेरी यह भी दरख्वास्त है कि दुधुवा मेल, जो स्वर्गीय बाल गोविन्द वर्मा जी के प्रयासों से चलाई गई थी, दुधुवा तक न जाकर मिलानी तक ही जाती है। यह सेवा शीघ्र ही दुधुवा तक उपलब्ध होनी चाहिए।

इसके अलावा एक रेल सेवा जो फरूखाबाद से शाहजांहपुर को चलती है वो मोहम्मदी होती हुई गोला गोरखनाथ लखीमपुर खीरी क्षेत्र को भी उपलब्ध होनी चाहिए।

क्योंकि मैं बार-बार इस बारे में रेल मंत्रालय का ध्यान दिला चुकी हूं और अभी तक इस बारे में कोइ व्यवस्था नहीं हुई है, ये विषय मुझे सदन में उठाने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिससे कि इस पर तुरन्त कार्यवाही हो सके।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1981-82 जारी

अध्यक्ष महोदय : हम अगली मद को लेते है—1981-82 के बजट (रेलवे) से संबंधित अनुपूरक अनुदानों को मांगों के बारे में और आगे चर्चा तथा मतदान।

डा० राय बोल रहे थे। उन्होंने 12 मिनट का समय लिया था। इसके लिए कुल दो घण्टे का समय नियत किया गया है। इसलिए, वह अब अपना भाषण समाप्त करेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : ढाई घण्टे का समय नियत किया गया था। यह कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निश्चत किया गया था।

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : मुझे छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए

अनुरोध करना है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि कई छोटी लाइनों को, जिनका संचालन रेलवे कर रही है, राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। विधेयक पेश किए जा रहे हैं। आसाम में छोटी लाइनों का राष्ट्रीयकरण किया जाना है।

पश्चिम बंगाल में अहमदपुर-कटवा, बांकुरा-दामोदर, छोटी लाइनों का भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। हमारे राज्य में तीन छोटी रेलवे लाइनें हैं, अर्थात अहमदपुर-कटवा, बर्दवान-कटवा बांकुरा-दामोदर रिंग रेलवे और उन्हें बड़ी लाइनों में बदला जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया और कोई पूंजी निवेश नहीं किया गया तो सेवा में और अधिक गिरावट आएगी। रेल डिब्बे बहुत पुराने हैं। उन्हें बदला नहीं जा रहा है, हालांकि मैंने पत्र लिखे हैं और और कई बार बातचीत की है। इन रेल-डिब्बों की हालत सबसे खराब है। यदि इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया और समुचित कदम नहीं उठाये गये तो यात्रियों के लिए कठिनाई हो जायेगी मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि पुरुलिया-कटिशिला, छोटी लाइन, बड़ी लाइन में बदली जाएगी। किन्तु इसके लिए पर्याप्त धन नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। मेरा अनुरोध है कि इसके लिए पर्याप्त धन दिया जाय ताकि कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके।

पुरुलिया बहुत पिछड़ा जिला है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कई पत्र लिखे हैं कि हावड़ा से पुरुलिया के लिए सीधी गाड़ी चलाई जाये और पुरुलिया में टर्मिनल सुविधाएं प्रदान की जाये। यदि वहां टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था हो जाये तो कलकत्ता से हावड़ा तक तथा पुरुलिया तक एक्सप्रेस गाड़िया चलाई जा सकती हैं।

वहां दो पुरानी लाइनें हैं—हावड़ा आमता और हावड़ा-शेखअली। 1972 के चुनाव के समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आश्वासन दिया था कि इसे बड़ी लाइन में बदला जाएगा। केवल हावड़ा आमता लाइन को बदलने का कार्य आरंभ किया गया है। लेकिन उसे बड़ी लाइन में बदलने के लिए पर्याप्त धन नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ये केवल अनुपूरक अनुदानों की मांगें हैं। इसके लिए नियत समय केवल दो घन्टे हैं। आप पहले ही 15 मिनट ले चुके हैं। प्रत्येक सदस्य यह सोचता है कि केवल वह बोले और उसके दल वाले बोलें। यह ठीक बात नहीं है। हरेक सदस्य को बोलना चाहिए और वाद-विवाद में भाग लेना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अधिक समय लूं और अन्य सदस्य कम समय लें।

डा० सरदीश राय : मैं केवल तीन बातों का उल्लेख करूंगा। हावड़ा-शेखल्ला सेक्शन के लिए तीन वर्ष पहले कुछ धन आवंटित किया गया था। लेकिन उस धन को किन्हीं अन्य प्रयोजनों पर खर्च कर दिया गया है। हावड़ा आमता रेलवे लाइन बहुत अच्छी सेवा देगी। ट्रांसलिंक से दीघा तक नयी रेल लाइन का निर्माण किया जाए। उत्तर बंगाल-जलपाइगुड़ी: विभाजन से पूर्व कलकत्ता से जलपाइगुड़ी तक दो तेज रफ्तार की गाड़ी चलती थीं। स्वाधीनता के 34 वर्ष बाद वहां केवल एक तेज रफ्तार की गाड़ी चलती है। इसलिए हम हावड़ा और जलपाइगुड़ी के

के बीच तक एक और तेज रफ्तार की गाड़ी चलाने की मांग करते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहां से दार्जिलिंग, जलपाइगुड़ी, सिक्कम और भूटान को रेल सेवाएं हैं। इसलिए एक तेज रफ्तार की गाड़ी चलाई जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डा० सरदीश राय : इसके अतिरिक्त, वहां एक डीजल इंजन की मरम्मत करने का शेड था। इसे जैलपाइगुड़ी से हटाकर अजमेर ले जाया गया है।...

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अगले सदस्य का नाम पुकारना पड़ेगा। श्री जमीलुर्रहमान मुझे सब सदस्यों के साथ न्याय करना चाहिए। मैं केवल आपके साथ ही न्याय नहीं कर सकता।

डा० सरदीश राय : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको आगे बोलने की इजाजत नहीं है। यह देखना मेरा काम है कि हरेक सदस्य को बोलने का अवसर मिले। आप पहले ही 16 मिनट तक बोल चुके हैं। कृपया अब अपनी सीट पर बैठ जाइये।

डा० सरदीश राय : केवल एक मिनट और बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आगे बोलने की अनुमति मैं नहीं दूंगा। मैं दूसरे सदस्य का नाम पुकार चुका हूं। श्री जमीलुर्रहमान। (व्यवधान)

यदि आप सभा का समय बर्बाद करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि मैं कड़ा रुख नहीं अपनाता हूं तो लोग अन्त में बोल नहीं पायेंगे। उन्होंने इस बारे में शिकायत की है। यह कोई तरीका नहीं है। मुझे कार्यवाही को अच्छे तरीके से चलाना पड़ता है। हरेक सदस्य को समय का पालन करना होता है। अन्यथा, मैं अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। जब मैं अनुरोध करता हूं तो आपको मेरा अनुरोध मानना चाहिए और अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिए। यही सबसे अच्छा संसदीय तरीका है। मैंने आपसे बैठ जाने का अनुरोध किया था। अब मैं आपको और बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। इस प्रकार की जबरदस्ती से कोई भला नहीं होगा ; यह असंसदीय तरीका है।

डा० सरदीश राय : कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उनका भाषण कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। आप पहले ही 16 मिनट का समय ले चुके हैं। 30 सदस्यों को इस विषय पर बोलना है। मुझे उन्हें भी अवसर देना है। हरेक सदस्य 5-7 मिनट से अधिक का समय नहीं लेगा। श्री जमीलुर्रहमान। बैठे हुए सदस्य द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, आप भी बैठे हुए हैं, क्या आपकी बात भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जमीलुर्रहमान ।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : मुहतरिश डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्र गुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

हम प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री केदार पांडे, श्री जाफर शरीफ और श्री मल्लिकार्जुन के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतने कम समय में रेलवे टाइम टेबल को उर्दू में निकलवाया है और इससे उर्दू जानने वालों को बहुत सुविधा होगी । इससे उर्दू लैंग्वेज की भी तरक्की होगी ।

दूसरी एक बात में कहना चाहता हूं । पूर्णिया के मुसलमान और कटिहार के मुसलमान पांडे जी, जाफर शरीफ जी और श्री मल्लिकार्जुन रेलवे के अफसरान के एक बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं । उन्होंने वहां कटिहार रेलवे कालोनी और कब्रिस्तान के बीच में अभी तक दीवार न होने की वजह से जो रीऐक्शनरी फार्सेज को फिरकेवाराना बातें पैदा करने का मौका मिलता था वह अब खत्म हो गया है क्योंकि रेलवे बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि बीच में दीवार बना दी जाय । इस फैसले से सारी अकलियत के लोगों पर अच्छा असर पड़ा है और हिन्दुस्तान में सैक्यूलरिज्म की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं ।

अब मैं मांगों पर आता हूं । मांग बहुत कम है वक्त की अहमियत को देखते हुए और लोगों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए और बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए । इतना ही नहीं जो यातायात में सुविधाएं बढ़ाने के लिए रेलों की जितनी जरूरत है उसके मुताबिक कुछ कम नजर आ रही हैं । जो सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स की किताब मिली है इसके अन्दर 12 आइटम्स पर खर्च दिखाया गया है । तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने एन० एफ० रेलवे को जो छोड़ दिया है यह अफसोस की बात है, और कोई वजह नजर नहीं आ रही है । क्या मैं यह समझूं कि यह नेगलेक्टेड फ्रन्टियर रेलवे है ? और अगर ऐसा नहीं है तो उसको बढ़ाने के लिए अब तक आपने कोई खास योजना सदन में क्यों नहीं रखी ? अगर आप योजना रखते तो हम अपने सजेस्चन्स देते कि क्या-क्या सुधार होना चाहिए । मैं तो ऐसा समझता हूं कि नौर्दर्न रेलवे का हैड-क्वाटर दिल्ली में है, मन्त्रालय भी यहीं हैं और रेलवे बोर्ड भी दिल्ली में है इसलिए अगर नौर्दर्न रेलवे के अगर मामलाजात ठीक रहें तो समझा जाता है कि सब जगह के मामलाजात ठीक है । तो ऐसी बात नहीं है । अगर नौर्दर्न रेलवे में बढ़ौत्तरी हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा दूसरी रेलवेज की कौस्ट पर नहीं होना चाहिए । अभी तो ऐसा मालूम होता है कि एन० एफ० रेलवे में खटमलों का राज है, चोरी, गन्दगी, बेटिकट सफर करने वालों और इन्डिसिप्लिन का राज है । और वहां ऐसे अफसर भेजे जाते हैं जो डिसक्रेडिटेड होते हैं । वह लोग इस रेलवे को पुराने जमाने का कालापानी समझते हैं और अपना टाइम पूरा करके चले जाते हैं । कोई तरक्की वहां नहीं होती ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो चुका है । अन्य सदस्यों ने भी अभी बोलना

है । मैं आपके केवल दो मिनट का समय और देता हूं । आप जल्दी समाप्त कर लें । यह केवल अनुपूरक अनुमान की मांगें हैं । अभी ही सब कुछ न कहें आगे के लिए भी रखलें ।

श्री जमीलुर्रहमान : लोग सोचते हैं कि हमको कोई ट्रांसफर करने वाला नहीं है । मेरी गुजारिश है कि इस रूल को आप बदल दें ।

एक बात और है ईस्टर्न जोन बहुत सेंसिटिव जगह है जहाँ आपका खास ध्यान जाना चाहिए । अभी खास तवज्जह न देने की वजह से मुल्क को काफी नुकसान हुआ है, तवारीख इस बात की शाहिद है । अब फिर हालात नाजुक होते जा रहे हैं । इसलिए इस पर खास तवज्जह दी जानी चाहिए ।

यही सही है कि ऐक्सीडेंस हुए हैं । लेकिन ऐसे ऐक्सीडेंटस हुए हैं जो बीयौन्ड ह्यूमन कंट्रोल थे । मसलन पुल पर गाड़ी का पलट जाना हवा की वजह से । तो हवा पर, आँधी पर तो रेल मन्त्री जी का कोई जोर नहीं है । और इतना ही नहीं अभी तमिलनाडु की बात आयी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए । यह केवल अनुपूरक अनुदान की माँगें हैं । इन बातों को सामान्य रेलवे बजट पर चर्चा तक के लिए रखलें । आप तो अभी सब कुछ कहे जा रहे हैं ।

श्री जमीलुर्रहमान : मैं समाप्त करने जा रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस समय आपके पास कहने को कुछ नहीं रहेगा ।

श्री जमीलुर्रहमान : 800 किलोमीटर ट्रेन बहुत अच्छी ढंग से आई और एक पर्टीकुलर छोटे से स्टेशन पर ट्रेन उलट गई । यह रिपोर्ट है. कहा जाता है कि एक सज्जन जो हमारे हाउस के सदस्य हैं वह इस ऐक्सीडेंट से तीन दिन पहले वहाँ गए थे जिनका दावा ऐसा है कि उन्होंने 52 ट्रेनें उलटवायी हैं और वह खुद फिख्र सहसूस करते हैं इस बात में कि उन्होंने ट्रेन्स उलटवायी हैं । तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसमें कोई तथ्य है कि वह वहाँ गए थे । अगर तथ्य है तो आपने ऐसी बातों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

एक बात में यह कहूं कि मैंने आपकी सप्लीमेंट्री डिमांड के पेज 4 में जो लिखा है उसे पढ़ा । उसमें आपने यह लिखा है :

> "वर्ष 1981-82 के लिए रेलवे बजट तैयार करने के बाद ही उन निर्माण कार्यों को इस वर्ष करने का निर्णय लिया गया है सुन्दरवन क्षेत्र को रेल से जोड़कर उसे उपलब्ध कराना आवश्यक है क्योंकि इससे आवश्यकताओंके पूरा होने के साथ-साथ इस क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय सीमा की बहतर निगरानी के लिए सरलता से पहुंचा जा सकेगा"

यह आप की रीजनिंग है तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि जोगबनी कौन से इन्टरनेशनल

वार्डर पर नहीं है ? जोगवनी तो बिल्कुल नैपाल के वार्डर पर है और नैपाल बिल्कुल लैंड लाक्ड एरिया है। तो जोगवनी से कटिहार तथा आप ब्राडगेज में कन्वर्ट कीजिए। नंगल तलवाड़ा रेलवे लाइन जो 100 माइल्स की है उसके लिए बात कही जाती है, वह बने, और जल्दी बने, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जोगवनी से कटिहार ब्राडगेज लाइन बनाना निहायता आवश्यक है। क्योंकि वह इन्टरनेशनल वार्डर पर पड़ता है और उसके लिए आपने खुद रीजर्निंग दी है इसलिए मेरी आपसे मुजारिश है कि इस काम को आप करें।

डाल्टन गंज से पटना कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है। आप जानते हैं कि वह मिनरल्स का इलाका है और वहां के लोगों को उसके बिना कितनी दिक्कत है। किस जमाने से इसकी मांग चल रही है। तो आप आज कमिट कीजिए कि डाल्टन गंज से पटना एक एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी ताकि वहां के जो मिनरल फिल्ड में काम करने वाले लोग हैं उनकी बहुत दिनों से चली आ रही डिमांड पूरी हो।

एक बात एम्पलायमैंट के मुताल्लिक कहना चाहूंगा। इस सदन में इस समय श्री एस०एन० मिश्र नहीं हैं, वह जब फारेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक इन्टरव्यू में कहा था कि मुसलमान इस देश में सदर हो सकता है, वाइस प्रेसीडेंट हो सकता है, एयर चीफ हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता है, तो एक प्यून नहीं हो सकता है, क्लास थ्री का एम्पलायी नहीं हो सकता है। क्लास फोर का नहीं हो सकता है, एक खलासी नहीं हो सकता है। मैं स्पष्ट तरीके से जानना चाहता हूं कि 1979-80 और 1980-81 में एन० ई० आर० और एम० एन० आर० में टोटल कितनी बहालियां आपने की हैं और उसमें कितने मुसलमान हैं, कितने हरिजन हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने बैकवर्ड के लोग हैं। यह जो आजकल हवा चली है उस पर मैं ज्यादा रोशनी नहीं डालूंगा, लेकिन यह कहूंगा कि यह बात हमारे मैनिफैस्टो में है कि हिन्दुस्तान के सारे लोग बराबर हैं और सबको बराबर का मौका मिलेगा। सबको बराबर अपनी रोजी कमाने का हक हासिल है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि इन प्रांतों को आप रखिए। ललित बाबू ने कमिट किया था इस हाउस के अन्दर मैं उस वर्ष इस हाउस का मेम्बर था, कि मैं जोनल कमेटी बनाऊंगा और उसमें आफिसर्स होंगे जो इस बात की रिपोर्ट करेंगे कि क्लास थ्री, क्लास फोर में कितने मुसलमान, कितने हरिजन और कितने आदिवासी बहाल हुए, और उन्होंने कहा था कि पार्लियामैंट में हर छः महीने में मैं उसकी रिपोर्ट रखूंगा। इसलिए आप इस चीज को रखिए।

आप ने सेंटर का एक टाइम-टेबल हिन्दी में निकाला है। मैं चाहूंगा कि और रेलवेज के टाइमटेबल भी आप उर्दू में निकालिए ताकि उर्दू का तबका उससे फायदा उठा सके। यह आपका निहायत अच्छा कदम है :

इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अन्त में माननीय उपाध्यक्ष महोदय का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी बातें रखने का मौका मुझे दिया।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, तो सबसे पहले मैं यह गुजारिश करूंगी कि आप जरा महिला सदस्यों की ओर विशेष ध्यान दीजिए और उन्हें अपनी बात कहने के लिए समय दीजिए।

मैं रेल विभाग के तीनों मन्त्री महोदयों को धन्यपाद देती हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पहले रेलवे को मुनाफा नहीं हुआ था। अब पहले-पहल उसको इतना मुनाफा हुआ है। अप्रैल, 1981 से लेकर जून, 1981 तक आर्निंग्ज 52.08 करोड़ रुपये हुई,जो कि बजट प्रोपोर्शन से अधिक है। लोडिंग का काम 69.02 मिलियम टन हुआ है, जो कि पिछले साल से 9.44 मिलियन टनअधिक है। इसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं। 5 लाख वैगनों में से 40,000 वैगन बेकार पड़े हुए थे, उन्हें दुरुपयोग किया गया है। और माल ढुलाई का काम मुस्तैदी से हुआ है इसके अतिरिक्त एसेंशल कामोडिटीज को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाया गया है, जिसकी आज सख्त जरूरत है। 10,000 टन कोयला, और दूसरा कच्चा माल, प्रतिदिन एक जगह से दूसरी जगह पहुचाया जा रहा है। यदि हमारे देश में सामान की ढुलाई नहीं होगी कच्चा माल, सीमेंट और चूना आदि जगह-जगह नहीं पहुंचाया जायेगा, तो औद्योगिक विकास नहीं होगा। अगर खेतिहर किसानों के पास सामान न पहुंचे, तो वे कैसे खेती करेंगे ? मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहती हूं कि देश का इनफ्रा-स्ट्रक्चर रेलवे पर निर्भर करता है।

रेलवे की आमदनी सवारी गाड़ियों से कम होती है तकरीबन 25, 30 प्रतिशत होती है, जबकि 75 प्रतिशत आमदनी माल ढुलाई से होती है। लेकिन जो घाटा है, वह उससे तो पाटा नहीं जा सकता। पिछले तीस वर्षों में हमारी आबादी बढ़ी है, लोगों की आकांक्षाएं और उम्मीदें बढ़ी हैं। लोग ज्यादा यात्रा करना पसंद करने लगे हैं, चाहे वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए हो या आर्थिक विकास के लिए हो। बिना यातायात के उनका काम नहीं चलता है। लेकिन जिस अनुपात में हमारी आबादी बढ़ी है, उस अनुपात में रेलों का विकास नहीं हुआ है। 128 वर्ष पहले अंग्रेजों ने रेलवे की स्थापना की। वे हमारे देश में 62,000 किलोमीटर रेलवे लाइन छोड़ कर गए। तब से आज तक केवल 8,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बनी है। इस कारण हम लोगों कोठिनाइयां उठानी पड़ती है। रेल राष्ट्रीय यातायात का स्नायु तंत्र है। चाहे शिक्षा का प्रचार हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो या राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना हो, उसके लिये रेलों का बहुत महत्व है लेकिन हमारा रेलवे का बजट बहुत कम है। उसमें और रुपया देना चाहिए, ताकि रेल विभाग में अधिक काम हो सके।

मैं कहना चाहती हूं कि रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, जनता भी इसको महसूस करती है, लेकिन जनता को इस बात से तकलीफ होती है। कि रेल-दुर्घटनाओं की संख्या कुछ बढ़ी है। मन्त्री महोदय को उस पर कुछ ध्यान देना चाहिए। रेल विभाग में जो 17 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनको अनुशासन में बांधने की जरूरत है, उनको सही रास्ते पर लाने की जरूरत है, ताकि रेल-दुर्घटनाएं न हों।

हमारे यहां रेल की पटरियां पुरानी हो चुकी हैं। उनकी मैंनटेनेंस बहुत आवश्यक है,

जो नहीं हो रही है। स्लीपर्ज पुराने हो गए हैं, डिब्बे पुराने ही गए हैं, माल-गाड़ियों के वैगन्ज पुराने हो गए है। इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। इसलिये रेलवे विभाग की ये मांगें बिल्कुल जायज हैं।

रेल दुर्घटनाओं के जो कारण हैं, उनकी जड़ में जाना चाहिए और उनकी रोकथाम होनी चाहिग। तकनीकी विशेषज्ञ जांच करने के बाद कहते हैं कि रेल की पटरियां काम के लायक नहीं हैं, उनपर रेल गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए। इसके अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि जिस जमीन पर पटरिया बिछी हैं, वह खोखली और कमजोर होती जा रही है। इन सब बातों की विशेष रूप से छान-बीन करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की जिन्दगी की कीचत बहुत है. दुनिया में इन्सान की जिन्दगी से ऊपर कोई चीज नहीं है।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, इसके बाद मैं माननीय मन्त्री महोदय से आग्रह करना चाहती है कि इन सब कामों के बावजूत भी हम लोगों के क्षेत्र में विकास का काम होना चाहिए। जिसकी कि गति थोड़ी मन्दी हो गई है। मैंने पहले भी अनुरोध किया है और मैं अभी भी कह रही हू कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन्स ऐसे हैं, जिनका कुछ विकास होना चाहिए। जहाँ पर रेल गाड़ियां जाती हैं, वहां पर पैसेंजर्स के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और वे जहां उतरते हैं, वहां पर कोई शेड भी नहीं है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि रेलवे स्टेशन्स का विकास होना चाहिए।

दूसरी बात मैंटेनेंस के बारे में हैं। हम गाड़ियों में अमुमन देखते हैं कि कभी बाथ-रूम से पानी आ जाता है, जहां पर यात्री बैठे होते हैं और बहुत से डिब्बे तो पुराने हो चुके हैं, कारण हम लोगों को तकलीफ होती है। दूसरी बात रेल गाड़ियों के समय पर चलने की है, जिसकी वजह से पैसेजर्स को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है वे इस पर विचार करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए मन्त्री महोदय से कहना चाहती हूं कि वे रेल दुर्घटनाओं पर भी विशेष ध्यात देगें, ताकि इतनी दुर्घटनायें न हों। सभापति जी को भी धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा (आरा) : सभापति महोदय, रेल बजट के संबंध में अनुदानों की पूरक मांगे, नई लाइनों, सड़क पुलों, माल डिब्बों, ब्रेकयानों, दो मंजिलों डिब्बों के निमाण तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए "रेल यात्रा पैकेज योजना" का विदेशों में प्रचार करने के लिए खर्चों की हैं।

इनकी मांगों का विरोध मैं इसलिए कर रहा हूं चूंकि इन्होंने अधिकांश कार्य, जो बहुत आवश्यक है, छोड़ दिया है। इन्हें दूसरों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए थी। सबसे आवश्यक यह है। कि हमारी 6000 किलो मीटर रेल लाइन बहुत पुरानी हो गई है। इसके पुननिर्माण

को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। ये लाइनें रेल चलाने योग्य नहीं हैं। तेज बहुत तेज और फिर दो मंजिले रेल डिब्बे इन लाइनों पर नहीं चलाए जा सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है। कि सबसे पहले इन लाइनों को ठीक किया जाए।

आए दिन रेल दुर्घटनाएँ हो रही है। भारतीय रेलों का कार्यभार बहुत बढ़ता चला जा रहा है। अधिकांश रेल दुर्घटनाएँ रेल फाटकों पर हो रही हैं, वहां कोई कर्मचारी देखभाल के लिए नहीं है। वहाँ का फाटक खुला रहने के कारण जब वहां कोई गाड़ी पहुंचती है तो दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। यह आपको अपने आंकड़ों से पता लगेगा। हर बजट सत्र में मैंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। ड्राइवरों को 18-18 घण्टे काम करना पड़ रहा है, जबकि 8-10 घण्टे से अधिक काम नहीं लेना चाहिए।

आरा सासाराम लाइट रेलवे को बड़ी लाइन में परिणत होना आवश्यक है। इसमें देर करने से काफी क्षति हो रही। जिन छोटी लाइनों को बड़ी लाईन में परिणत किया गया है, वे उतनी आवश्यक नहीं थी जितनी कि आरा-सासाराम लाइट रेलवे आवश्यक है।

इसी प्रकार दानापुर मंडल में फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेलवे जिसे एक प्राइवेट कम्पनी चला रही है, का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। सरकार इस कम्पनी को न जाने क्यों हर वर्ष 10-12 लाख रु० देती है, जबकि यह रेलवे लाइन बन्द है, चलती नहीं है। मजदूरों को पांच पांच, छः छः माह तक वेतन नहीं मिलता है। मन्त्री जी इसने मुझे आश्वासन भी दिया है, लेकिन सब बेकार है। मन्त्री जी इस सम्बन्ध में बहुत बोलते हैं, लेकिन करते बहुत कम है। पटना में राजेन्द्र नगर.....

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : एक्सीडेंट तो करते हैं।

सभापति महोदय : आश्वासन की पूर्ति हो सके, इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर से बातें कर रहे हैं।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : पटरा में राजेन्द्र नगर के पास सड़क पुल का निर्माण बहुत आवश्यक है।

राजेन्द्र नगर के पास एक सड़क पुल का निर्माण आवश्यक है। मन्त्री जी ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि इसकी स्वीकृति मिल गई है, लेकिन मैं देखता हूं कि इस पूरक बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।

आरा से छपरा और बिहटा से अनुग्रह नारायण रोड वाया पालीगंज के लिए एक नई रेलवे लाइन का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन इस पूरक बजट में इसकी जांच का जिक्र भी नहीं है। इनकी शीघ्र जांच करानी चाहिये।

दानापुर मंडल के बिहटा और आरा में सड़क पुल के निर्माण की आवश्यकता है। इनकी स्वीकृति भी मिली हुई है लेकिन पता नहीं इस पूरक बजट में इनको क्यों नहीं लाया गया है।

20 लाख रुपये की राशि रेलवे सुधार समिति के कार्यालय की स्थापना के लिये रखी गई है लेकिन कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि इस समित का काम क्या होगा। क्या यह खाने और डकारने वाली समिति होगी ? स्पष्ट रूप से यह बतलाइये कि इतना पैसा कहां खर्च होगा और,इस समिति का क्या काम होगा ?

रेल यात्रा पैकेज योजना में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये प्रचार पर विदेशों में 25 लाख रुपये खर्च होंगे। इसकी कौनसी आवश्यकता है। देश भर में रेलों में आये दिन रेल दुर्घटनायें, चोरी, डकैती, लूट, हत्यायें हो रही हैं। यात्री आंतकित हैं, रेल चढ़ने पर डर लगता है कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। पता नहीं आप विदेशों में क्या प्रचार करेंगे, उनके लिये क्या आकर्षण का केन्द्र होगा ?

सभापति महोदय, एक बहुत ही आश्चर्य की बात रेलवे में होने लगी है। वह बात यह है आप हर बड़े स्टेशन पर चले जाएं, आपने देखा होगा, आपने पटना में कभी गाड़ियों का इन्तजार किया होगा वहां माइक से एनाउन्समेन्ट होता है कि सिगनल डाउन है, ड्राइवर चले आवें और गाड़ी जल्दी खोलें। इस तरह से गार्ड के लिये भी किया जाता है। यह सब क्या तमासा है ?

आचार्य भगवान देव : यह सब आप लोगों का तमाशा है।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : इसको बन्द करवाइये और स्पष्ट रुप से आदेश दीजिए कि गाड़ियां समय से खुलेंगी, ड्राइवर और गार्ड पहले से पहुंच जायें।

सभापति जी, यह सब बड़े दुखद विषय हैं। हमारे पांडे जी बहुत ही अच्छे और नेकदिल व्यक्ति हैं, बातों को आसानी से सुन लेते हैं, समझते भी हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन पता नहीं वह बातें क्यों नहीं हो पातीं। हमको ऐसा लगता है···

सभापति महोदय : जरूरत से ज्यादा रहमदिल हैं।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : आपने, सभापति महोदय, ठीक ही कहा है—जरूरत से ज्यादा रहमदिल हैं। इन सब बातों में सुधार की आवश्यकता है और इन्हें आप करा सकते हैं, बहुत आसानी से करा सकते हैं। गंगा नदी पर रेल के पुल के काम के लिये पिछले दिनों आपने सदन में बतलाया था कि उसकी स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इन सब बातों के बारे में स्पष्ट रुप से इस सदन में कह दें कि आप क्या करना चाहते हैं—

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : थोड़ा तारीफ कीजिए, बिहार के हैं।

सभापति महोदय : लेबर प्राबलम के बारे में कह दें।

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : सभापति जी, आप भी जानते होंगे कि पटना से कलकत्ता

जाने में कितनी कठिनाई होती है। कोई भी तेज और सीधी गाड़ी नहीं है, जिसके कारण यह कठिनाई बढ़ती जा रही है। पटना से रोज हजारों यात्री हावड़ा के लिये आते जाते हैं।

सभापति महोदय : बोलने वाले बहुत हैं, इसलिए अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मुलचन्द डागा (पाली) : हम लोगों को भी थोड़ा समय दीजिए। बिहार के मन्त्री जो हैं और सभा पति जी, आप भी बिहार के हैं।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : बिहार भी आपके देश में ही है। आप तो बिहार के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहते। बिहार की हालत बहुत खराब है और उस पर ध्यान नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

मैं यह कह रहा था कि इन लाइनों की वहां बहुत आवश्यकता है और मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि आरा से छपरा तक नई लाइन बिछाई जाए क्योंकि उसकी बहुत आवश्यकता है। सिन्हा घाट के पास गंगा नदी पर पुल बनाने की योजना होनी चाहिए। उससे, सभापति महोदय, आप अपने इलाके में आसानी से जा सकते हैं। इससे यह भी होगा कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार आपस में जुड़ जाएंगे। दक्षिण बिहार में इन्डस्ट्रियल बेल्ट है और उत्तर बिहार में उपजाऊ भूमि है। इन दोनों में जुड़ जाने से लोगों को बहुत लाभ होगा। इस पर माननीय मन्त्री जी ध्यान दें।

इतना रहकर में अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं माननीय रेल मन्त्री जी द्वारा इस सभा में प्रस्तुत की गई अनुपूरक अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। यह उन ग्यारह राज्यों के लिये बहुत हर्ष की बात है जिन राज्यों की मांगों को इस सूची में स्वीकार कर लिया गया है। सात नई लाइनों का प्रस्ताव है। मैं रेल मन्त्री, श्री पांडे, रेल राज्य मन्त्री तथा उपमन्त्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तथा सदस्यों का हार्दिक धन्यबाद करता हूं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में सात वर्ष पूर्व स्वर्गीय एल० एन० मिश्र द्वारा उद्घाटित नांगल तलवाड़ा रेल लाइन को अनुपूरक मांगों की सूची में सम्मिलित करके हिमाचल प्रदेश की बहुत पुरानी मांग को स्वीकार कर लिया। मैं श्री एन० डी० तिवाड़ी का भी धन्यवाद करता हूं जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए योजना आयोग से इस लाईन की स्वीकृति दिलवाई थी।

इसी प्रकार कुछ अन्य मांगे भी सम्मिलित की गई हैं, जो कि इन राज्यों के लोगों के लिए बहुत सन्तोष की बात है।

महोदय, मैं विशेषरूप से इस बात के लिए आभारी हूं कि रेलवे साइडिंग को तलवाड़ा से भुकेरियां में परिवर्तित करने के उल्लेख की व्यवस्था की गई है ताकि यह रेल लाइन पूरी हो सके तथा चण्डीगढ़ से पठानकोट तथा भुकेरियां होते हुए अम्बाला के लिए एक वैकल्प रेल लाईन से जालंधर तथा लुधियाना होते हुए अम्बाला तथा पठानकोट रेलों के वर्तमान अत्यधिक यातायात को आवश्यक राहत मिलेगी। चण्डीगढ़ भटिण्डा से जोड़ने का प्रस्ताव भी स्वागत योग्य है क्योंकि

इससे जनता को पंजाब से होकर जाने के लिए एक अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होगा तथा चण्डीगढ़ को जोड़ने हुए पठानकोट तथा भटिण्डा के लिए एक अतिरिक्त रेल लाइन भी उपलब्ध होगी। यह रक्षा की दृष्टि से तैयार रहने के लिए भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है क्योंकि सैनिक तैयारी का यह सिद्धांत है कि यातायात का मार्ग दूसरे देश की सीमा पर लम्बवत होना चाहिये। हमारी सीमा के दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीमा है तथा यह रेल लाइन अमृतसर तथा पठानकोट से बिल्कुल लम्बवत है। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर का ही विकास होगा बल्कि उनके महत्वपूर्ण अवसरों पर इस रेल लाइन द्वारा चण्डीगढ़, शिमला, अम्बाला की ओर सबसे शीघ्र तथा छोटे रास्ते की भी व्यवस्था हो सकेगी क्योंकि इससे भुकेरिया तथा चण्डीगढ़ के बीच 40 से 50 किलोमीटर का फासला कम हो जायेगा। इसी प्रकार यदि भुकेरियां को कादिया तथा अमृतसर से जोड़ दिया जाता है तो इससे हमें न केवल अमृतसर बल्कि अन्य शहरों के लिए भी एक सीधा मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। सैनिक तैयारी की दृष्टि से अनुपूरक सूची में वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है तथा इसके लिए मैं माननीय रेल मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं।

महोदय, इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 33 करोड़ रु० की कुल लागत में से राज्य के योगदान के रूप में 8 करोड़ रु० की व्यवस्था की है। मेरे द्वारा 3 सितम्बर, 1981 को लोक सभा में पूछे गये प्रश्न संख्या 276 के उत्तर में माननीय मन्त्री ने हमें अन्य राज्यों में 4 और नई रेल लाइनों की सूची सहित इन नई रेल लाइनों की एक सूची दी है जिसमें योजना के दौरान उनके द्वारा प्रस्तावित धनराशि का भी उल्लेख किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में नाँगल-तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 22.50 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है तथा इसके अतिरिक्त इस अनुपूरक योग में 1 करोड़ रु० का प्रावधान है। इस संबन्ध में मुझे याद आता है कि इस रेल लाइन का उद्घाटन दिसम्बर 1974 में स्वर्गीय श्री एस० एन० मिश्र द्वारा किया गया था। इस रेल लाइन को बिछवाने के लिए हम प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बहुत आभारी हैं।

यह एक स्वागत योग्य कार्य है, तथा मेरा यह सुझाव है कि इन नई लाइनों की अनुमानित कुल लागत 357.61 करोड़ रु० को देखते हुए यह स्पष्ट है कि हम इस कार्य को छठी योजना में पूरा नहीं कर पायेंगे। अनुपूरक मांगों में केवल नाममात्र का प्रावधान किया गया है। छठी योजना में केवल 226.22 करोड़ रु० उपलब्ध कराये जाने हैं। इसका अर्थ यह है कि छठी योजना के दौरान इन लाइनों को बिछाने का कार्य पूरा नहीं किया जा सकेगा तथा इसे अगली योजना में पूरा किया जायेगा। और अधिक धनराशि को प्राप्त करने के लिये माननीय मन्त्री जी को इस प्रश्न के सम्बन्ध में वित्त मन्त्री के साथ बातचीत करनी चाहिये। इस सभा को नई रेल लाइनों के लिये रेल मन्त्रालय की और अधिक धन की मांगों को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि केवल इससे ही पिछड़े इलाकों का विकास किया जा सकता है। रेल लाइनों के नवीनकरण तथा वैगनों की स्थिति में सुधार करने की भी बहुत आवश्यकता है। ये कार्य बहुत आवश्यक हैं। परन्तु जब तक रेल मन्त्रालय को धन नहीं दिया जाता, तब तक कुछ भी कार्य नहीं किया जा सकता है। अतएव मेरा सुझाव है कि जब योजना आयोग रेलवे को निधि के आबंटन के विशेषकर नई रेल

लाइनों को बिछाने तथा वर्तमान रेल लाइनों को बदलने को बदलने के प्रश्न पर, विचार करे तो उसे अधिक उदारता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिये ।

एक अन्य महत्वपूर्ण विषय, जिसमें हमारे मन्त्री जी ने अपनी निपुणता दिर्शायी है, वह माल यातायात है जिससे उन्होंने अधिक धन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है । आज तक रेल अर्थ व्यवस्था के इस क्षेत्र की अपेक्षा की गई है तथा इस पर अधिक नहीं ध्यान दिया गया है । मुझे यह जानकर खुशी हुई हैकि इन महीनों के दौरान कार्य निष्पादन बहुत अच्छा रहा है । मुझे यह भी विश्वास है कि इस सभा में अगला बजट पेश किये जाने के समय 2150 लाख टन के पिछले आंकड़ों में बढ़ोत्तरी हो जायेगी तथा रेल मन्त्री सभी घाटों को समाप्त करने में सफल होंगे तथा फायदे का बजट प्रस्तुत कर सकेंगे तथा अन्ततोगत्वा इससे देश को ही लाभ होगा ।

इस अवसर पर मैं मन्त्री जी के ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि फिलहाल रेल अभिसमय समिति राज्य सरकारों तथा जनता प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए विभिन्न राज्यों में रेल लाइनों के विस्तार कार्यक्रम की जांच कर रही है । समिति हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर और पंजाब के एक भाग को पहले ही दौरा कर चुकी है । अब समिति बिहार तथा अन्य राज्यों का दौरा करेगी । ज्यों ज्यों हम विभिन्न राज्यों का दौरा करेंगे,ह में और अधिक मांगें प्रस्तुत की जायेंगी । केवल हिमाचल प्रदेश की ओर से ही 12 नई रेल लाइनों की मांग की गई है । अन्य राज्यों की मांगें भी इतनी ही महत्वतूर्ण है । हिराचल प्रदेश की मांग में कालका-परावानू बड़ी लाइन के विस्तार की मांग भी शामिल हैं । हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए यह हमारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है तथा केवल 6 अथवा 8 किलोमीटर लम्बे मार्ग को ही परिवर्तित करना है । इसी प्रकार, नगाधरी तथा पाओन्टा साहिब के बीच एक नई बड़ी लाइन तथा इसके देहरादून तक विस्तार की एक अत्यावश्यक मांग भी है । यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा—इन तीन राज्यों को जोड़ेगी । बड़ी लाईन को होशियारपुर से अम्ब तक तथा फिर नादौन तक और बाद में हमीरपुर तक तथा फिर मण्डी तक बढ़ाने की भी आवश्यकता है ।

मैं मन्त्री जी से एक और बात कहना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि मन्त्री महोदय बहुत नरम दिल हैं तथा यात्रियों की सुरक्षा के बारे में बहुत चिन्तित हैं । कई बार उनके बस से बाहर की बात होती है । परन्तु जैसे इन्होंने माल यातायात से अधिक धन अर्जित किया है । मुझे विश्वास है कि यदि ये इस ओर भी अपना ध्यान केन्द्रित करें—यात्रियों की सुरक्षा की ओर— तो दुर्घटाएं भी समाप्त हो जायेंगी ।

मैं उनसे बिहार में एक रेल लाइन के सम्बन्ध में अनुरोध करूंगा, क्योंकि वहाँ राजगीर नामक एक तीर्थ यात्रियों का केन्द्र है । दूसरा केन्द्र गया है तथा रास्ते में नालन्दा पड़ता है । यदि राजगीर को गया से जोड़ दिया जाए तो इससे बिहार में संमानित पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी तथा इससे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के तीर्थ यात्रियों को, जो कि मुख्यत: बौद्ध धर्मावलम्बी हैं, भी सुविधाएं प्राप्त होगीं ।

मै श्री जमीलुर्रहमान के सुझाव का भी उल्लेख करुंगा जिसमें उन्होंने जोगबनी से कटिहार तक के लिए रेल लाइन की बात की है, तथा ऐसी सम्पर्क रेल लाइनों को बिछाने के प्रावधान से रेलों के मूलभूत ढांचे को देश की अर्थव्यवस्था के विकास में एक लाभदायक साधन बना सकते हैं।

मैं जम्मू तथा कश्मीर के लोगों की ओर से रेल मन्त्री श्री पांडे का धन्यवाद करता हूं क्योंकि इन्होंने जम्मू से ऊधमपुर के बीच रेल सम्पर्क उपलब्ध कराया है जो कि हमारी उत्तरी कमांड का मुख्यालय है। हमारी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय शिमला में है। इस प्रकार, आप ने केवल हमारे देश के विकास में योगदान कर रहे हैं अपितु किसी भी हमले के लिए रक्षा तैयारियों में भी सहयोग दे रहा हूं। आप इन क्षेत्रों के समुचित आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं तथा अब तक इन उपेक्षित क्षेत्रों में आशा की किरण दिखा रहे हैं।

इस अवसर पर मैं श्री एल० एन० मिश्रा के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने 22 दिसम्बर, 1974 को हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में इस रेल लाइन के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया था। इन सब कार्यों में प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का आशीर्वाद सदैव रहा है। इसके बाद श्री कमलापति त्रिपाठी ने भी अपने मन्त्री पद के दौरान हमारी सहायता की थी। अब चूंकि यह योजना बजट में शामिल कर ली गई है, मैं हिमाचल प्रदेश की 40 लाख जनता की ओर से अनुपूरक बजट में इस रेल लाइन को शामिल करने के लिए पुन: श्री पांडे का सुक्रिया अदा करता हूं।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : सभापति महोदय, अभी हाल ही में दक्षिण में 31 अगस्त, 1981 को तमिलनाडू एक्प्रेस के साथ हुए अभूतपूर्व दुर्घटना घटित हुई थी। मैं माननीय मन्त्री श्री केदार पांडे से जानना चाहता हूं कि वास्तव में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी ? मैं इनके अधिकारियों से वास्तविक आंकड़ों की जानकारी चाहता हूं, न कि बोगस या गलत अथवा गढे हुए या नकली आंकड़े नहीं चाहता हूं।

मैं उन दो संसद सदस्यों को जानता हूं जो उसी गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। वे सैकड़ों लोगों की मृत्यु के प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। अभी तक हमें मरने वालों का कोई सरकारी विवरण तथ्य या आँकड़े नहीं मिले हैं। अपने स्तर के दो प्रत्यक्ष दर्शी गवाहों से मैं जो युक्तियुक्त जानकारी प्राप्त कर सका हूं, उसके अनुसार 100 से भी अधिक लोगों की मौतें हुई है। इसके अतिरिक्त, यह बताया गया है कि 200 से भी अधिक लोग घायल हुए थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि कुल कितने लोग घायल हुए थे। तीसरी बात मैं जानना चाहता हूं वह यह है कि इस दुर्घटना के लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप इस दुर्घटना के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं हैं, आप गाड़ियों को नहीं चलाते, आप इनकी जांच नहीं करते। ये हमारा कर्तव्य भी नहीं है। यह सम्बन्धित अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे सेन्ट्रल मद्रास स्टेशन से गाड़ी के चलने से पहले तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने तक जांच करें।

हमें यह नहीं पता कि दुर्घटना में कितने सवारी डिब्बों को बुरी तरह से क्षति हुई, जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार रेलगाड़ी में 21 डिब्बे थे। दुर्घटना के बाद केवल 4 डिब्बे ही इंजन के साथ जुड़े हुए पाये गए थे, शेष 17 डिब्बे इंजन से अलग होकर पटरी से उतर गये थे। राज्य सभा के सदस्यों ने लगभग दस मिनट पहले मुझे बताया था कि 17 डिब्बों में से एक डिब्बा, जिसमें महिलाओं तथा बच्चों सहित 72 व्यक्ति यात्रा कर रहे थे, किसी चीज से टकराकर कीचड़ में गिर गया।

किसी चीज से टकराई और कीचड़ में जा गिरी और वह डिब्बा ढूंढा नहीं जा सका। उस डिब्बे में कुचले गए व्यक्तियों का दूसरे दिन तक भी पता नहीं चल सका।

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : राज्य सभा के इन्हीं सदस्य ने मुझ से भी बात की है। यह सही है कि वे डिब्बे में फंसे रहे किन्तु उन्हें हटाने के लिए प्रयत्न किए गए थे। उनमें से कोई मरा नहीं। वे सभी जीवित हैं।

श्री के० मायातेवर : इन्हीं सदस्य ने मुझे बताया था कि दूसरे दिन तक भी उनका पता नहीं लग सका।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जब सभी जीवित हैं तो शवों के पता लगने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री के० मायातेवर : इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ विवाद है। आप सरकारी जानकारी के आधार पर बता रहे हैं। मैं राजनीतिक जानकारी कुछ संसद सदस्यों की जानकारी के आधार पर बोल रहा हूं। इसलिए हम परस्पर वेरोधी बातें कह रहे हैं। तथ्यों और आंकड़ों में कुछ विरोध है। इसलिए विभागीय जांच में मेरा कोई विश्वास नहीं है। क्या सच्ची बात का पता लगाना संभव नहीं है ? क्या आप मद्रास उच्च न्यायालय या हैदराबाद उच्च न्यायालय या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश को मामले की जांच के लिए तथा सत्य का पता लगाने और इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी वास्तविक अपराधी का पता लगाने के लिए नियुक्त नहीं कर सकती। क्या आप ऐसा कर सकते हैं ? क्योंकि आप विभागीय जांच से सच्चाई का पता नहीं लगा सकते हैं। हम यह बात अपने काफी लम्बे आधार पर कह रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह एक न्यायिक जांच कराये ताकि सच्चाई का पता चल सके क्योंकि अन्यथा हम सच्चाई का पता नहीं लगा पायेंगे।

इसके अलावा आप गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों और मृतकों के परिवारों को क्षतिपूर्ति के रूप में क्या दे रहे हैं ? मुझे पता लगा है कि अब तक जो क्षतिपूर्ति की राशि दी गई है, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह अधिक क्षतिपूर्ति करें और मृतकों की अर्जन क्षमता के अनुपात में होनी चाहिए ताकि उनके कानूनी वारिसों के हितों की रक्षा हो सके।

मुझे बताया गया है कि तमिलनाडु एक्सप्रैस की सैंट्रल स्टेशन मद्रास की रवानगी के समय ठीक से जांच नहीं की गई थी। यह समाचार "हिन्दू" और "इन्डियन एक्सप्रैस" सहित सभी दक्षिण भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्रों में छपा है। यह पता लगा है कि डिब्बे तथा रेलपथ दोनों ही खराब थे। मुझे कुछ रेल कर्मचारियों ने बताया है कि मौके पर काम कर रहे और खराबियों का पता लगा रहे तथा उनकी मरम्मत कर रहे कुछ रेल कर्मचारियों ने मरम्मत के लिए कहा था किन्तु दक्षिण रेलवे के उच्चाधिकारियों ने इन निम्न कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया था। किन्तु उनकी ओर विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया।

इसके अलावा मुझे बताया गया है कि गाड़ी का चालक पीछे छूटे हुए डिब्बों की ओर देखे बिना 6-7 किलोमीटर तक गाड़ी चलाता गया (व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्हें पूरा करने दीजिए।

श्री के० मायातेवर : मुझे नहीं पता। मैं यात्रा नहीं कर रहा था। मुझे यात्रा कर रहे एक सदस्य ने बताया है।

सभापति महोदय : आप उन्हें सम्बोधित न कीजिए। पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित कीजिए।

श्री के० मायातेवर : इसलिए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं—मैं जानता हूं कि सभी मन्त्री बहुत ही योग्य और कुशल हैं···कि वह मामले की जांच करें। उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना में करूर डिंडीगुल लाइन को शामिल करके तमिलनाडू की सहायता की है। इसके अलावा मैं मन्त्री महोदय से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें—इस बड़ी दुर्घटना के लिए, जिसके कारण इतनी मौतें हुई, कड़ा दंड दिया जाना चाहिए।

मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमन्त्री के आदेशों पर छठी पंचवर्षीय योजना में करूर डिंडीगुल बड़ी लाइन शामिल की गई है और भारत सरकार इसे क्रियान्वित कर रही है किन्तु मुझे अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों में यह देखकर बहुत खेद हुआ है कि उन्होंने इस वित्तीय वर्ष में खर्च के लिए केवल 50 लाख रुपये की व्यवस्था की है। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि खर्च पूरा करने के लिए वे कम से कम कुछ करोड़ रुपये की स्वीकृति दें।

दूसरी बात यह है कि करूर डिंडीगुल बड़ी लाइन पर काम करूर-डिंडीगुल की ओर से शुरु किया जाना चाहिए। मुझे बताया गया है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केन्द्र को गलत तथ्य प्रस्तुत करके यह कहा है कि काम तूतीकोरिन से तिरुनेल्लवेली बरास्ता त्रिवेन्द्रम शुरु किया जाना चाहिए। यह उचित नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मामले पर पुनः विचार करें और तमिलनाडू सरकार के मुख्यमन्त्री द्वारा जो गलत लक्ष्य पेश किए गए हैं उससे

गुमराह न हो तथा न्यायपूर्ण ढंग से करूर डिंडीगुल-मधुरई और तूतीकोरिन दिशा में काम शुरु किया जाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ में अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और मंत्रियों द्वारा किये गए अच्छे काम की सराहना करता हूं किन्तु मैं रेल मत्रालय में जो मंत्री हैं, उन पर यह आरोप लगाता हूं कि उन्होने तमिलनाडु एक्सप्रेस के दुर्घटना स्थल का दौरा नहीं किया है । तीन मन्त्री हैं किन्तु एक ने भी दुर्घटना स्थल का दौरा नहीं किया । मैं जानता हूं कि श्री जाफर शरीफ बहुत योग्य आदमी हैं और वह ऐसे स्थानों पर विमान द्वारा पहुच जाया करते हैं । किन्तु केवल इसी दुर्घटना के मामले में वह यहां फंस गये और दुर्घटना स्थल का दौरा नहीं किया ।

सभापति महोदय : अब आपका भाषण सुनकर वह वहां पर जल्दी जायेंगे ।

श्री के० मायातेवर : उन्हें भविष्य में ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : माननीय सदस्य के सूचनार्थ में यह बता दूं कि एक सप्ताह पहले ही मैंने और प्रो० रंगा ने इसी गाड़ी से यात्रा की थी ।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : सभापति जी, में 1981-82 की रेलवे की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं । इन मांगों में जो कि 7.29 करोड़ की हैं 7 नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए पैसा मांगा गया है और साथ ही बंगलोर में वर्तमान मिलर्स रोड लेविल क्रोसिंग की जगह एक नए रोड अन्दर ब्रिज के निर्माण के लिए अनुमति चाही है । इसी तरह अहमदाबाद मे इन्लैंड कंटेनर डिपो और 250 बी० ओ० ऐक्स० सी० वैगन्स की माँग है तथा 50 दो मंजिले सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए भी पैसा मांगा गया है । इसके अलावा 20 लाख रु० रेलवे रिफौर्म्स कमेटी सैटअप करने के लिए और 25 लाख रु० विदेशी पर्यटनों को आकर्षित करने के लिए माँग गया है । मैं इन माँगों के लिए मन्त्री जी का आभार मानता हूं । परन्तु कहना चाहता हूं कि जिस गति से हमारे देश में नई रेलवे लाइनों की माँग है और पुल बनाने की माँग हैं, रेलों की व्यवस्था सुधारने की माँग है उसके अनुपात में जो सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स में आपने राशि मांगी है वह बहुत कम है । मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी, प्लानिंग कमीशन से निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे को और अधिक वित्तीय सहायता दें जिसके कि आज जो देश के लोगों की मांग है उसकी पूर्ति की जा सके ।

सभापति जी, बहुत दिनों से हमारे सदन में 15 साल से यह माँग उठायी जा रही है कि खंडवा से दोहद और खंडवा से आमला को नई रेलवे लाइन डाली जाय । अभी बहुत से बिहार के माननीय सदस्यों ने माँग की है कि डाल्टनगंज से पटना के लिए रेलवे लाइन होनी चाहिए । मैं चाहूंगा कि छठी पंचवर्षीय योजना में इन तीनों नई रेलवे लाइनों के लिए ध्यान रखा जाय और हमारी माँग को आप पूरी करें ।

सभापति जी, हमारे डरहानपुर से 14 करोड़ रु० का केला जो किसान पैदा करते हैं

दिल्ली और यू० पी० को भेजा जाता है । यह एक पैरिशेबिल आइटम है, कभी-कभी रेलवे वैगन्स न मिलने की समस्या आ जाती है । मैं चाहूंगा कि किसानों को अपना केला जल्दी भेजने के लिए आप वैगन्स उपलब्ध करायें ताकि उनको नुकसान न हो । साथ ही अभी दो, तीन महीने से बहुत ही गम्भीर शिकायत किसानों की तरफ से आ रही है कि जो रेलवे वैगन्स केला लेकर चलते हैं वह दिल्ली काफी देर से पहुंचते हैं जिससे उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है । इसकी आप जांच करें और आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दें ताकि किसानों को नुकसान न हो ।

सभापति जी, मैं यह मांग करता हूं कि निबौला रेलवे क्रौसिंग जो खंडवा-बुरहानपुर सैक्शन में आता है वहां पर औबर ब्रिज बनाया जाय क्योंकि सहकारिता क्षेत्र में वहां पर एक नवल सिंह चीनी का कारखाना खुलने जा रहा है जिससे यातायात काफी बढ़ जाएगा और जो किसान अपना गन्ना लेकर फैक्ट्री को जायेंगे तो जो स्टेट हाई वे है खंडवा और डरहानपुर का उस पर काफी ट्रैफिक बढ़ जाएगा । इस ब्रिज का बनाया जाना बहुत आवश्यक है । इसके अलावा खंडवा शहर में जो औवरब्रिज है, वह बहुत छोटा पड़ता है और आंवला तथा भोपाल आने-जाने वाला ट्रैफिक उससे प्रभावित होता है । उस ब्रिज को चौड़ा किया जाए ।

अजमेर-काचीगुड़ा ट्रेन जो चलती है, उसमें सुखाईगुड़ा स्टेशन पर टिकट नहीं दिए जाते हैं । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्टेशन पर यात्रियों को टिकट इस्यु किए जायें ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि श्री केदार पांडे एक बहुत ही लायक, बहुत ही योग्य और ईमादार मन्त्री हमें मन्त्री के रूप में मिले हैं । मैं उनसे निवेदन करना करना चाहता हूं कि पहले जो यात्री काशी एक्सप्रेस से बम्बई से बरहानपुर आते थे इटारसी से, उन्हें दिल्ली आने के लिए जी टी एक्सप्रेस मिलती थी । परन्तु उस टाइम-टेबल को बदल दिया गया है और अब उन यात्रियों को जी टी एक्सप्रेस नहीं मिलती है और जो सुविधा उन्हें पहले से उपलब्ध थी, वह खत्म हो गई है । मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे ।

मेरी यह भी मांग है कि जेहलम एक्सप्रेस, जो जम्मू-तवी से चलती है, और महानगरी एक्सप्रेस, जो बम्बई से वाराणसी आती है, उनका हाल्ट स्टेशन बरहारपुर में बनाया जाए । इसके अलावा हरपुर में बम्बई-लखनऊ एक्सप्रेस का हाल्ट दिया जाए ।

जेहलम एक्सप्रेस को बरहानपुर में रोकने की मांग बहुत समय से चल रही है । माननीय श्री केदार पांडे ने इस बारे में आश्वस्त भी किया था मैं चाहूंगा कि इस बहस का उत्तर देते समय वह घोषणा करें कि जेहलम एक्सप्रेस और महानगरी एक्सप्रेस को बुरहानपुर में रोका जाएगा ।

बहुत दिनों से बुरहानपुर में रेलवे रिजर्वेशन की मांग की जा रही है । मैं प्रार्थना करता हूं कि बुरहानपुर में रेलवे रिजर्वेषन-कम-एन वायरी आफिस बनाया जाए, ताकि यात्रियों को बुरहानपुर से तीन मील दूर रेलवे स्टेशन तक आने-जाने में जो कठिनाई होती है, वह न हो ।

रेल मन्त्री जी ने रेलवे की इनकम को बढ़ाया है, माल-ढुलाई में बहुत वृद्धि की है, जो

बहुत से डिब्बे टूट-फूट की स्थिति में पड़े थे, उनको सुधारा है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। हमें उनसे और भी अपेक्षाएं हैं। मन्त्री महोदय ने जो सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स रखी हैं, उनका हार्दिक समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में रेल-सुविधाओं की जो मांग बढ़ रही है, उसके अनुरूप रेलवे का और ज्यादा विकास किया जाए और जनता की मांग की पूर्ति की जाए।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, जिस प्रकार जिन्दगी का सफर जरूरी है, उसी प्रकार रेल का सफर भी जरूरी है। यह एक अनिवार्यता है, किन्तु यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, और वहां पहुंचने से पहले उसे कोई दूसरा मंजर न देखना पड़े, इसकी गारन्टी रेल विभाग को देनी चाहिए। जो व्यक्ति जिन्दगी से निराश हो, वह रेल के नीचे सफर करके अपनी जन्दगी का सफर समाप्त कर सकता है। लेकिन जो रेलगाड़ी के अन्दर बैठकर जाता है, यदि हम उसकी सुरक्षा की गारंटी न दे सकें, तो वह ठीक नहीं होगा। रेल में बैठकर वह इस लोक से परलोक सिधार जाता है। तीसरी किस्म का यात्री रेल-डिब्बे की छत पर बैठकर लावारिस की तरह यात्रा करता है। उसके बारे में कोई चिन्ता करने वाला नहीं है कि वह कब गिर जाएगा, कब कट जाएगा।

इससे प्रकट होता है कि आज रेल-गाड़ियों में बहुत भीड़ होती है और जितना स्थान हमें जुटाना चाहिए, वह हम नहीं जुटा पाए हैं। मैं रेल मन्त्री से कहना चाहूंगा कि वह इन आवश्यकताओं को देखते हुए उचित व्यवस्था करें।

नीमच-चित्तौड़गढ़-कोटा ब्राडगेज रेलवे लाइन के सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है, यह खुशी की बात है। लेकिन इस काम में जितनी तेजी आनी चाहिए, वह नजर नहीं आती। नीमच-चित्तौड़गढ़-कोटा क्षेत्र में सीमेंट के बहुत से कारखाने हैं। नया गांव में सी. सी. आई. का सीमेंट का कारखाना है। निम्बाहेड़ा और चित्तौड़गढ़ में भी सीमेंट के कारखाने हैं। इस सारी बैल्ट में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने की बहुत सम्भावना है। इसलिए इस लाइन के काम को यथासम्भव शीघ्र 'एक्सपिडाइट' किया जाए। नीमच और चित्तौड़गढ़ के बीच में इस समय मीटरगेज है। चित्तौड़गढ़ और कोटा के बीच ब्राडगे लाइन के साथ-साथ नीमच और चित्तौड़गढ़ को ब्राडगेज लाइन से भी जोड़ना होगा। इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर देना चाहिए।

इन्दौर से उज्जैन, आगर सुसनेर, झालावाड़ और रामगंज मन्डी होकर कोटा के साथ जोड़ने की मांग की जा रही है। पहले उज्जैन और आगर के बीच में नैरोगेज लाइन थी। उस लाइन को डिसमैंटल कर दिया गया। इस स्थिति में उस क्षेत्र के विकास की कोई सम्भावना नहीं है। मैंने मन्त्री महोदय से आग्रह किया था कि इन्दौर से उज्जैन, आगरा, सुसनेर, झालावाड़ और रामगंजमन्डी होकर कोटा तक 213 किलोमीटर का जो टुकड़ा है, यदि उसका सर्वेक्षण कराके काम शुरू कर दिया जाए, तो, उस पूरे इलाके को, जिसमें सोंधवाड़ का इलाका भी है, विकाश के लिए काफी अवसर मिलेंगे। उस क्षेत्र में नदियां हैं और उद्योग स्थापित करने की काफी सम्भावना है, उसमें वृद्धि हो सकेगी।

इसी प्रकार से आज-रेल गाड़ियों की जो स्थिति है, वह बहुत ही खराब है। मथुरा बड़ौदा लोकल गाड़ी बन्द है। यह गाड़ी उत्तर प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात प्रदेशों को जोड़ती है, काफी लम्बे समय से बन्द है। छोटे-छोटे स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यात्रा का क्या साधन हो सकेगा, इस पर मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए।

इसी प्रकार एक गाड़ी वह चित्तौड़गढ़ जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती है, यह गाड़ी भी कोयले की कमी के कारण बन्द है। ऊर्जा मन्त्रालय की तरफ से कहा जाता है, कोयला काफी है और रेल मन्त्री भी कहते हैं, कि ढुलाई के लिए रेल के डिब्बे काफी हैं, तो रेलगाड़ियां बन्द क्यों हो जाती हैं ? इसलिए मैं रेल मन्त्री जी से आग्रह करुंगा कि जनता की सुविधा के लिए ज्यादा से ज्यादा रेल गाड़ियां चलाई जानी चाहिए और जो गाडियां बन्द कर दी जाती हैं उनके बारे में मन्त्री महोदय को विचार करना चाहिए। इसी प्रकार से अजमेर काचीगुड़ा की एक लम्बी दूरी की ट्रेन है, जो कि जनता की सुविधा के लिए चलाई है और बहुत अच्छी ट्रेन है। लेकिन वह भी कोयले की कमी के कारण बन्द कर दी गई है। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से कहना है कि वह गाड़ी उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाली गाड़ी है तथा अन्य गाड़ियों से जो छोटे-छोटे स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्री हैं, उन गाड़ियों को कोयले की कमी के कारण बन्द न करिए, क्योंकि इसके कारण लोगों को काफी मुश्किल हो जाती है।

इसी प्रकार एक गाड़ी सर्वोदय एक्सप्रेस है। बहुत अच्छा नाम है सर्वोदय। उज्जैन से जो यात्री यात्रा करना चाहता है उसमें 20 सीटों का आरक्षण है और दो सीटें सेकेन्ड क्लास में ए० सी० की है, इस प्रकार से कुल 22 सीटें हैं। लेकिन यदि किसी यात्री को यात्रा करना हो तो वह गाड़ी नागदा जंक्शन पर रुकती नहीं है। मैंने मंत्री जी से निवेदन भी किया था और उन्होंने इस बात को सिद्धान्त रूप में स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन सर्वोदय एक्सप्रेस हमारे यहां नहीं रुका। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सर्वोदय एक्सप्रेस को दो मिनट के लिए नागदा स्टेशन पर रोका जाए जिन यात्रियों को रतलाम होकर जाना पड़ता है उसमें समय और धन बर्बाद होता है। रुकने पर वहां की जनता को काफी सुविधा हो सकेगी।

सभापति, इसी प्रकार मैं इन्दौर और उज्जैन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इन्दौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर और औद्योगिक क्षेत्र है, वहां व्यवसाय और शिक्षा की सारी गतिविधियां हैं, विश्वविद्यालय है, उज्जैन एक सांस्कृतिक नगर है, इन्दौर हाई कोर्ट के काम के लिए भी उज्जैन से जाना होता है। उज्जैन इन्दौर के बीच में एक फास्ट ट्रेन चलाई जाए, ताकि डेढ़ घंटे में 63 किलोमीटर का सफर किया जा सके। फास्ट ट्रेन चलायेंगे तो वहां की जनता को काफी सुविधा पहुंच सकेगी। इस समस्या से मैं चिन्तित हूं और मन्त्री जी को भी इस बारे में अवकग कराया , लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। यदि वह गाड़ी चलाई जाएगी तो इन्दौर से उज्जैन जाने वाले यात्रियों को जो ज्यादा किराया देना पड़ता है। और बसों में सफर करना पड़ता है, कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। एक्सप्रेस गाड़ी चलने से जनता को काफी सुविधा हो सकेगी। इसी प्रकार से इन्दौर को दिल्ली, बम्बई से जोड़ना काफी

जरूरी है। बीच में हमने सुना था कि आप कोई गाड़ी दिल्ली से भोपाल के बीच में शुरू कर रहे हैं, इस पर भी आपको शीघ्र विचार करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि एक नई गाड़ी इन्दौर से दिल्ली और उज्जैन से बम्बई के लिए चलनी चाहिए। एक गाड़ी अहमदाबाद से हावड़ा के बीच में चलने वाली थी। यह गाड़ी रतलाम या उज्जैन से होकर भोपाल होकर जाने वाली थी, लेकिन पता नहीं वह बाहर ही बाहर चली गई, उसने मध्य प्रदेश को नहीं छुआ। मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी गाड़ी जनता के लिए उपलब्ध करायें, इससे अहमदाबाद, बड़ौदा, रतलाम, उज्जैन' इन्दौर के सारे लोगों को उसका लाभ मिल सके और वे आसानी से यात्रा कर सकें। महिदपुर राड पर रेलवे-फुट-ओवर-ब्रिज बनाने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कहा यह जाता है कि सामान नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा है—इस तरफ तुरन्त ध्यान दीजिए।

नागदा मंडी को विड़ला ग्राम से जोड़ने के लिये ओवर ब्रिज की जरूरत है। आप जानते हैं। विड़ला ग्राम एक औद्योगिक बस्ती है, ओवर-ब्रिज न होने से अक्सर वहां एक्सीडेन्टस होते रहते हैं, लोग रेलवे लाइन को क्रास करते हुए मर जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यह प्रस्ताव आपके पास है, इस पर तुरन्त स्वीकृति दीजिये ताकि यह ओवर-ब्रिज बनाया जा सके।

नीमच महूरोड़ विशेष मार्ग है। रतलाम जंकशन पर रेलवे क्रासिंग होने के कारण गाड़ियों को बहुत समय तक रुकना पड़ता है जिससे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। वहां पर ओवर ब्रिज बनाने के बारे में बहुत पुराना प्रस्ताव है, मेरा अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द बनवाने की कृपा करें।

इन्दौर-भोपाल के बीच में जो हाई वे है, इसमें दो स्थानों पर, सिहोर और बैरागढ़ के बीच में, रेलवे क्रासिंग है। वहां पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं और चालू हालत में गाड़ियों के खड़ा रहने से काफी डीजल जल जाता है। इन दोनों स्थानों पर ओवर ब्रिज बनाने से काफी सुविधा होगी।

'इकानामी ड्राइव' का मतलब यह नही है कि मेन्टेनेन्स के काम को ही बन्द कर दिया जाए। मेरा अनुरोध है कि मेन्टेनेन्स को पूरी तरह से चालू रखा जाए। जहां तक रेल कर्मचारियों का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि उनके लिये एक अलेहदा वेतन आयोग गठित किया जाए। उनके बोनस के सवाल को सही तरीके से हल कीजिये। रेलवे में शान्ति बनाये रखने के लिये, सभी रेल कर्मचारियों के साथ बात करने के लिये अवसर उपलब्ध कराने के लिये तथा तमाम रजिस्टर्ड यूनियन्ज के साथ बात करके आम सहमति के आधार पर औद्योगिक शान्ति बनाये रखने का प्रयास किया जाना चाहिये, जिससे कि सब लोग रेलवे प्रशासन की मदद करें और रेलों में आप जो गति लाना चाहते हैं, उसे आप प्राप्त कर सके।

डा० कृपासिंधु भाई : (संबलपुर) माननीय सभापति महोदय, मैं अपने माननीय रेल मंत्री श्री केदार पांडे द्वारा सभा पटल पर रखी गई अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

महोदय, मेरे अनेक साथियों में विस्तार से भारत में विद्यमान प्रणाली के बारे में बताया है। हम कह सकते हैं कि यही एक ऐसी परिवहन प्रणाली है जिसके कारण हमारे देश में सामाजिक आर्थिक विकाश हुआ है। यह भारत में सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम हैं और मुझे इस बारे में बिस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। कुछ दिन पहले प्रो० मधुदडवते ने भारत में रेल प्रणाली को और अधिक व्यवहार्य तरीके से चलाने और इसमें सुव्यवस्था लाने के लिए विस्तार सुझाव दिए थे। अतः मुझे पूरे ब्यौरे को फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं किन्तु मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह समितियों के विभिन्न प्रतिवेदनों का अध्ययन करें। यहां तक मेरे विचारों का सम्बन्ध है, हालांकि मंत्री महोदय सामाजिक दायित्वों संबंधी समिति, जिसका गठन आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों की सहायता के लिए पिछड़े क्षेत्रों की सहायता के लिए पहले किया गया है, द्वारा बताई गई समस्याओं को हल करने के लिए काफी इच्छुक है, फिर भी मंत्री महोदय की राजनीतिक इच्छा और विभागीय रवैये में अन्तराल है।

दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय परिवहन समिति जिसका पहले गठन किया गया था, ने विभिन्न श्रेणियों के लिए सरकार को कई सिफारिशें की थी किन्तु मुझे आश्चर्य है और मध्यप्रदेश, उड़ीसा तथा अन्य पिछड़े राज्यों को भी आश्चर्य है कि उन क्षेत्रों की अभी भी अवहेलना की जा रही है। प्रधानमत्री ने बार-बार राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार से आन्तरिक संसाधनों का कैसे उपयोग किया जा सकता है।' हमारे प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया जाना चाहिए। और उनका उपयोग किया जाना चाहिए। तैयार माल का निर्यात किया जाना चाहिए। जब तक इन महत्वपूर्ण सेक्टाओं को देश के भीतरी भागों के साथ जोड़ा नही जाता, तब तक राज्य के आन्तरिक संसाधनों का उपयोग कर पाना असंभव और अव्यवहार्य होगा। अतः इस संबंध में मैं मंत्री महोदय को यह याद दिलाना चाहता हूं कि अब संसद सदस्यों ने श्री कमलापति त्रिपाठी से मुलाकात की थी तो उन्होंने यह वायदा किया था कि वह रेलवे लाइन उपलब्ध करायेंगे और जब सम्बलपुर और तालची के बीच रेलवे लाइन उपलब्ध हो जाने पर और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में जो भावनात्मक विभाजन बना हुआ है, वह समाप्त हो जायेगा इससे न केवल भावनात्मक एकता पैदा होगी बल्कि इससे छत्तीसगढ़ का औद्योगिक भीतरी प्रदेश जो कि मध्यप्रदेश का एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पाराद्वीप बन्दरगाह से जुड़ जायेगा जिसके कारण औद्योगिक उत्पाद और निर्यात वाली वस्तुएं, प्राकृतिक सम्पदा, जिसका विकास किया जा सकता था, निर्यात की जा सकेंगी।

श्री बी० डी० पांडे समिति, जिसका उल्लेख मैं पहले कर रहा था, में माननीय आधार पर और सामाजिक आधार पर एक लाइन बनाने की सिफारिश की थी। मुझे बार-बार उसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। तत्कालीन रेल मन्त्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने भी वचन दिया था और श्री केदार पांडे ने भी अनेक बार वचन दिया है। हमें यह आश्वासन दिया था कि इसे अनुपूरक बजट और मुख्य बजट में शामिल किया जायेगा। हम उनसे स्वयं मिले थे और मुख्य मन्त्री ने भी कई बार अनुरोध किया था किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला है। रेल इन्जीनियरी विभाग द्वारा किये गये तकनीकी सर्वेक्षण से पता चलता है कि लाभ 5.61 होगा। यह घोड़े के

आगे गाड़ी जोतने वाली बात है। आपको बुनियादी ढांचे में सुधार लाना है। आप उड़ीसा में जह भी जायेंगे वहीं खनिज पदार्थ पायेंगे। इस्पात और खान विभाग द्वारा की गई पुनरीक्षा में बताया गया है कि यह ग्रामीण भारत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उड़ीसा में अधिकांश लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी, उड़ीसा की परियोजना के प्रति काफी सहानुभूति रखती हैं। 'नेलको' पहले ही दिया जा चुका है। वह एक और सयंत्र दे रही हैं। यह बिल्कुल ठीक है किन्तु जब तक बुनियादी सुविधाओं में बृद्धि नहीं की जाती, राज्य का कुल मिलाकर विकास नहीं हो सकता। यदि आप प्रतिशतता देखें और यह देखें कि कितनी किलोमीटर रेलवे लाइन बिछी हुई है तो आप पायेंगे कि वहां विशेष कुछ नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जैसा कि उन्होंने पुनः सर्वेक्षण के लिए अनुरोध किया है, हो सकता है कि वह 10 प्रतिशत तक न हो। किन्तु उड़ीसा के लोगों के प्रति उनके कुछ दायित्व हैं। इसे जल्दी बनाया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि·····

सभापति महोदय : इस बात के साथ ही आप कृपया समाप्त कीजिए।

डा० कृपा सिंधु भोई : मैं केवल मोटी-मोटी बातें कर रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं यथा सम्भव अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर देने का प्रयत्न कर रहा हूं।

डा० कृपासिंधु भोई : मैं दो तीन मिन्टों में समाप्त कर दूगा।

दक्षिण पूर्व के कार्यचालन का जहां तक संबंध है, वह रेल विभाग को अधिकतम लाभ दे रहा है। लेकिन यदि आप तुलना करें तो उड़ीसा के लोगों को न्यूनतम सुविधाएं मिल रही हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे पूरे उड़ीसा में चलती है। अन्य राज्यों के कुछ भागों से ही यह गुजरती हैं। पहले यह मांग उठाई गई थी कि दक्षिण पूर्व मुख्यालय को कलकत्ता से बदलकर उड़ीसा तक लाया जाए। जब तक इसे उड़ीसा में स्थापित नहीं किया जाता, हम इस बात को दोहराते रहेंगे। ये माननीय मन्त्री जी से यह आग्रह करता हूं कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि मुख्यालय उड़ीसा में स्थापित करने का निर्णय लिया जाए।

इसके साथ ही, मेरा मन्त्री महोदय से यह भी अनुरोध है कि नौकरियों के मामले में उड़ीसा के लोगों के साथ न्याय किया जाए। दक्षिण पूर्व उड़ीसा केन्द्र 3/4 भाग से गुजरती है। दक्षिण पूर्व उड़ीसा के लोगों की नौकरियां की प्रतिशतता केवल 4-5 है। अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि किसी अन्य समिति पर निर्णय छोड़ने से पहले वह रेलवे सेवा आयोग को उड़ीसा में लायें।

मैं दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय को कुछ छोटे-छोटे अनुरोधों की जांच करने के लिए कहा है जो दिन प्रतिदिन के कार्यों के सम्बन्ध में बहुत आवश्यक है किन्तु वे लोग हमेशा यही उत्तर देते हैं कि आर्थिक पाबंदियों के कारण तथा अर्थक्षम न होने के कारण वे तो उसे स्वीकार नहीं

करा रहे हैं। अतः में इन छोटे-छोटे अनुरोधों को मन्त्री महोदय के सामने यहां फिर से रख रहा हूं।

दक्षिण पूर्व रलवे में 7 डिवीजनें हैं। उड़ीसा में केवल एक रेलवे डिवीजन है। एक अन्य रेलवे डिवीजन, जिसके लिए राज्य सरकार ने अनुरोध किया है, के बारे में मनानीय मन्त्री महोदय को स्वीकृति दे देनी चाहिए।

इसके अलावा हावड़ा-रुरकेला एक्सप्रेस को टीटलागढ़ तक बढ़ाया जाये और हटिया-झारसगुडा पैसेन्जर गाड़ी को टीटलागढ़ तक बढ़ाया जाये। इसके अलावा कलिंग एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन चलाकर इसकी आवृति को बढ़ाया जाना चाहिए। कलिंग एक्सप्रेस, और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में कोई भी लक्जरी कोच नहीं है। इन गाड़ियों में कम से कम 2- टायर कोच लगाये जाने चाहिए, जिससे उड़ीसा के लोग इन सभी गाड़ियों द्वारा आराम से यात्रा कर सके।

माननीय मन्त्री महोदय से जब हम मिले थे, तो उन्होंने बहुत अधिक सहानुभूति दिखाई थी। उन्होंने हमारी बात बड़े ध्यान से सुनी थी। मुझे आशा है कि वह अपने वायदे को पूरा करेंगे। इन अनुपूरक मांगों से हमें बहुत अधिक निराशा हुई है। अगले बर्ष मुझे आशा है कि उड़ीसा के लोगों की मांगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे करके पूरा किया जायेगा क्योंकि वहां के लोग बहुत अधिक अनुशासित हैं-- वे शोर नहीं मचाते और न किसी तरह की समस्या ही उत्पन्न कर रहे हैं। उनकी मांगों को पूरा करने से उड़ीसा के लोगों को संकट से बचाया जा सकेगा और इसके साथ ही संसाधनों को देश के अन्दर ही जुटाने के लिए रेल विभाग उड़ीसा और मध्यप्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों के विकास को प्रोत्साहन देगा।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सदर साहब, मुझे केदार पांडे जी से कोई द्वेष नहीं है। ये अच्छे और भले आदमी हैं। लेकिन सबाल देश का है। आज रेल गांधी की रेल नहीं है। यह रेल साहब, बीबी और गुलाम की है। कहीं एयर कंडीसंड है तो कहीं फस्ट क्लास है। आज गांधी की रेल नहीं है।

आज रेलों में जो दुर्घटनाएं होती हैं, चोरियां होती हैं उनसे कोई रक्षा नहीं है। रेलों की पटरियों की चोरियां हो जाती हैं। उनकी कोई रक्षा नहीं है। इतना बड़ा देश है। यहां पर इतने कर्मचारी नहीं हैं जो उनकी रक्षा कर सकें। रेलों में जो डकैतियां होती हैं और बहनों की इज्जत लूटी जाती है और रेलों में कत्ल होते हैं, इन सब चीजों के बचाव के लिए फोर्स की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। नौकरियों में न्यूनतम और अधिकतम के बीच का फर्क कम होना चाहिए, अन्तर में कमी आनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह बात कहे बगैर भी नहीं रहूंगा कि केदार पांडे जी बड़े लायक मन्त्री हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वरिष्ठ सदस्य श्री कमलापति जी और मधु दण्डवते जी की भी कभी-कभी सलाह ले लेनी चाहिए, इससे उन्हें कुछ मार्गदर्शन ही मिलेगा।

एक बात और है, आज देश में सत्ता की भूख कितनी बढ़ गई है, इसके लिए पार्टियां की अदला-बदली भी होती है। कुछ भी हो, लेकिन कमलापति जी जैसे वरिष्ठ नेता की गद्दी पर केदार पाण्डे जी को नहीं बैठना चाहिए था और कोई महकमा ले लेते। कमलापति जी भी बनारस के हैं, वे भी बनारस के हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि कमलापति जी को मन्त्रालय की भूख है, लेकिन वे बुजुर्ग हैं और संत श्रेणी के आदमी हैं, इसलिए कम से कम उनकी गद्दी पर उन्हें नहीं बैठना चाहिए था।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि दुर्घटना में जब 25, 20, 15 या और कोई मरने वालों की एक सीमा आप बांध लीजिए कि अगर इतने लोगों की दुर्घटना में मृत्यु होगी तो लोक-सभा कम से कम खड़ी होकर उनके प्रति शोक प्रस्ताव पास करेगी। हजार-हजार आदमी मर जाए और यहां पर शोक-प्रस्ताव भी पास न हो। इससे रेल दुर्घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम मन्त्रियों पर यह पाबन्दी लगा दी जानी चाहिए कि वे हवाई-जहाज में यात्रा न करके रेल में यात्रा करेंगे। इससे एक काम हो जाएगा, या तो दुर्घटनाएं आधी हो जाएंगो और या आधे मन्त्री खत्म हो जाएंगे। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरूचेन्डूर) : सभापति महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री पांडे जी द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का और इस मांग का हार्दिक समर्थन करता हूं।

सबसे पहले तमिलनाडु की जनता और मैं स्वयं माननीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा जी को और रेल मन्त्री श्री केदार पांडे जी के आभारी हैं कि उन्होने करूर-डिंडिगल-तिरूनेलवेली बड़ी लाइन की व्यवस्था की है। आप मुझसे इस बात में सहमत होंगे कि 2 करोड़ रुपये की रकम बहुत थोड़ी है और अधिक धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मेरा एक अन्य सुझाव यह है कि तूतीकोरन से मनीआची होते हुए तिरुनेलवेली तक निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये और इसके साथ ही साथ करूर-डिंडिगुल पर भी निर्माण कार्य जारी रहना चाहिए।

अभी हाल में तमिलनाडू एक्सप्रेस की दुर्घटना हो गई थी मैं यह समझता हूं कि नयी दिल्ली से मद्रास तक के रेल मार्ग पर नवीकरण का कार्य, जो दो हजार किलोमीटर से भी अधिक लम्बा है-अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया। गाड़ियों की एक नियत अवधि के बाद जांच नहीं की जाती है। चाहे वह मानवीय भूल हो या तकनीकी खराबी हो, इसकी जांच की जानी चाहिए। रेल मार्ग का नवीकरण कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप मुझसे सहमत होंगे कि गाड़ियों के पटरी से उतरने का यह एक प्रमुख कारण है। मैं यह सुझाव देता हूं कि भविष्य में प्रत्येक डिब्बे पर फिटनैस सर्टिफिकेट चिपकाया जाना चाहिए। सम्बन्धित व्यक्तियों को गाड़ियों की जांच करनी चाहिए और प्रमाण पत्र चिपकाना चाहिए। श्रीमान जी हम यात्रियों को तो मुआवजा दे

रहे हैं, लेकिन भोजन यान में जिन व्यक्तियों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ा है, उनके बारे में आपने क्या कार्यवाही की है। उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता। वे रसोइये और बैरे होते हैं और बहुत ही गरीब आदमी होते हैं। इन लोगों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए।

श्रीमान जी, प्रत्येक छोटे-बड़े उद्योग में सरकार इस बात पर बल देती है कि वहां प्राथमिक चिकित्सा पेटी की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि रेल विभाग प्राथमिक चिकित्सा पेटियों की भी व्यवस्था नहीं करता। न्यूनतम प्राथमिक चिकित्सा के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। प्राथमिक चिकित्सा पेटियों की तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्रीमान जी, मद्रास में द्रुत परिवहन प्रणाली की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। माननीय मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि बीच से लूज तक वह परिवहन प्रणाली की व्यवस्था करेंगे। मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस मांग पर विचार करें।

श्रीमान जी, जब स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र रेल मन्त्री थे, उस समय उन्होंने मनिआची रेलवे स्टेशन पर स्वाधीनता सेनानी श्री वांची अय्यर की प्रतिमा लगाने के लिए अनुमति दी थी जिन्होंने एक यूरोपीय कलक्टर को गोली से उड़ा दिया था, जो लोगों को सताया करता था। बाद में श्री वांची अय्यर ने इसी रेलवे स्टेशन पर स्वयं को गोली मार ली थी। जब वर्ष 1973 में श्री एल० एन० मिश्रा ने अनुमति दे दी थी, तो मेरी समझ में नहीं आता कि रेल अधिकारी अब क्यों संकोच कर रहे हैं। कृपया अपने अधिकारियों को प्रतिमा की स्थापना करने में, जो लगभग पूरी हो चुकी है, सभी सहायता देने के लिए आदेश दीजिए।

श्री मनीराम बागड़ी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एनैक्सी की छत से एक आदमी गिरकर मर गया है। उसकी लाश नहीं उठाई गई है। एनैक्सी पार्लिमेंट हाउस का हिस्सा है। केदार नाथ नाम का कोई चौकीदार छत पर से छलांग मार कर मर गया है उसकी लाश को उठवाने का प्रबन्ध किया जाए।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : उसने खुदकुशी क्यों की है, इसकी भी इनक्वायरी की जाए।

श्री के० टी० कोसलराम : श्रीमान जी, मदुरै के लोग मदुरै रेलवे स्टेशन के सामने अपने महान् नेता, पंडित जी की प्रतिमा लगाना चाहते थे। दो बरस से अधिक समय से यह मामला आपके विचाराधीन है। कृपया यह सुनिश्चित कीजिए कि इसके लिए अनुमति दे दी जाये।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमान जी, माननीय मंत्री महोदय ने 2 मांगे प्रस्तुत की हैं। मांग संख्या 2 में 45 लाख रुपये की मांग की गई है, जिसका उपयोग रेल सुधार समिति का गठन करने और विदेशों में प्रचार पर व्यय करने के लिए किया जायेगा। और मांग संख्या 16 में 7.29 करोड़ रु० की मांग की गई है, जिसका उपयोग मुख्यत: 7 रेलवे लाइनों के निर्माण और चल स्टाक का निर्माण करने के लिए किया जायेगा। सामान्यत: ऐसी मांगें जब सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जाती, तो उन मांगों का समर्थन करने से कोई भी मना नहीं करता। परन्तु यदि

कोई यह देखता है कि वित्त का उचित ढंग से प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है और रेलवे में जनशक्ति और सामग्री के प्रबन्ध को सुदृढ़ नहीं किया गया है, तो जो मांग प्रस्तुत की गई है उसका समर्थन करने से पहले प्रत्येक सदस्य को 2 बार सोचना होगा। मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत मुख्य बजट में अगर पहले ही धनराशि का नियतन किया जा चुका है और यदि उनका समुचित रूप से उपयोग किया जाता और उनको ठीक प्रकार से खर्च किया जाता, यदि कोई फिजूलखर्ची नहीं होती तो मांगों को समर्थन देने में किसी को भी संकोच नहीं होता। श्रीमन जी मेरा निवेदन यह है कि ऐसा नहीं किया गया है। माँग संख्या 2 एक नयी रेल सुधार समिति का गठन करने से संबंधित है। मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि ऐसी रेल सुधार समिति का पहले गठन किया गया था और उन्होंने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और एक नयी समिति का आपके द्वारा गठन किए जाने से एक ही काम को दो बार करना होगा। दुर्घटनाओं संबंधी सीकरी समिति ने विभिन्न पहलुओं के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और यह एक व्यापक प्रतिवेदन था। वर्तमान समिति के सभापति, श्री पांडे एक अन्य समिति के भी अध्यक्ष थे, जिस समिति का नाम "राष्ट्रीय परिवहन समिति" था। श्रीमान जी उन्होंने परिवहन के विभिन्न साधनों के विभिन्न साधनों के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया और उन उपायों का सुझाव दिया जिनके अपनाने से प्रशासन को सुदृढ़ किया जा सकता है और परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच समन्वय भी किया जा सकता है। सीकरी समिति के प्रतिवेदन और इस समिति के प्रतिवेदन के बाद हम यह देखते हैं कि उन्होंने एक अन्य समिति का गठन किया है। उन्हें पांडे समिति अर्थात राष्ट्रीय परिवहन समिति का गठन किया है। उन्हें पांडे समिति द्वारा पहले की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करना चाहिए था। ऐसा करने के बजाय, अब जो वह करने जा रहे हैं, उससे काम को दोदो बार करना होगा। और जब इस समिति का पृथक रूप से गठन किया गया है, तो उन्होंने 45 लाख रुपये की एक नयी मांग प्रस्तुत की है, जिससे बचा जा सकता है। इसलिए मैं नैतिक रूप से इसे उचित नहीं समझा कि 45 लाख रुपये की इस फिजूल खर्ची वाली मांग को मैं अपना समर्थन दूं।

माननीय मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में रेलवे में एक पृथक पर्यटन निदेशालय का गठन करने संबधी सरकार के निर्णय की घोषणा की थी। मेरा यह विनम्र निवेदन है कि पर्यटन तथा नागर विमानन विभाग का यह मूल कार्य है, जिसे पर्यटन संबंधी कार्य है, जिसे पर्यटन संबंधी कार्यो की देखभाल करनी चाहिए। पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करना भारतीय रेलवे का काम नहीं है। पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके पास पर्यटन और नागर विमानन का एक पूरा और पृथक विभाग है। उनके पास ऐसे अधिकारी हैं, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है। वे जानते हैं कि कितने पर्यटक अधिक संख्या में आने वाले हैं और विदेशी पर्यटकों की जरूरतों को किस प्रकार पूरा किया जाये। वे इन सभी पहलुओं के बारे में जानते हैं और वे तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित होते हैं। इसलिए, विशेष निदेशालय जिसका गठन किया जा रहा है, वह एक ही काम को दो-दो बार करना होगा। इस निदेशालय का गठन करके अनावश्यक व्यय किया जा रहा है।

एक अन्य उदाहरण है "पैलेस औन व्हीलस" यह रेल द्वारा प्रस्तावित एक नयी योजना है। आप समाजवादी समाज में "पैलेस औन व्हीलस' की व्यवस्था करना चाहते हैं। महलों को दफना दिया गया है। महाराज मर चुके हैं और खत्म हो चुके हैं। अब रेल मंत्री 'गतिशील—शासन के युग में शाही युग को पुनः जीवित करना चाहते हैं। केवल संपन्न वर्ग के कुछ लोगों की आवश्यकताओं को पूर करने के लिए हम क्यों व्यवस्था करें ? हमें मध्यवर्ग, निम्न मध्यवर्ग और समाज के निर्धन वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। पर्यटकों के समूह इस देश में आते हैं, तीर्थ यात्री इस देश में आते हैं। देश भर में किसान यात्राओं का आयोजन किया जा सकता है। विद्यार्थियों के समूह इस देश भर में यात्रा करते हैं। देश में अनुसंधान वैज्ञानिकों के समूह यात्रा करते है। "पैलेस आन व्हील्स" की नयी योजना बनाने की बजाय उनके लिए पृथक आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। श्रीमान् जी महलों को तो सुपर फास्ट गाड़ियों के पहियों पर पहले ही लगा दिया गया था, जो उन्हें दूर ले गये। अब हम इस नये युग में उन्हें क्या वापस लाया जाये। और एक राजसी ठाठबाट पैदा किया जाये ? इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि इस विशेष विभाग पर जो व्यय किया जा रहा है, वह धन की बरबादी है। मैं इसे एक ऐसा व्यय समझता हूं जिससे बचा जा सकता है। वस्तुतः तीन या चार मुद्दों पर सदन और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही मैंने बहस में हस्तक्षेप किया है।

अब मेरा अन्तिम मुद्दा यह है। हम विश्व बैंक से एक बड़ा ऋण अर्थात 70 करोड़ डालर प्राप्त करने जा रहे हैं। ऐसा समझा जाता है कि विश्व बैंक ने बड़ी अपमानजनक शर्तें लगाई हैं और एक समाचारपत्र में जो शर्तें प्रतिशित हो चुकी हैं उनका उल्लेख करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं यह मानकर नहीं चलता कि समाचारपत्रों में जो कुछ प्रकाशित होता है, वह सब सही है, परन्तु प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि समाचारपत्रों के किसी महत्वपूर्ण वर्ग में जब कभी कोई महत्वपूर्ण समाचारपत्र में प्रकाशित होता है और यदि वह सही नहीं है तो जनता में कोई भी सदेह पैदा होने से पहले ही उसका तत्काल खडन किया जाये। अब 1 सितम्बर, 1981 के कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले "बिजनेस स्टेंडर्ड" समाचारपत्र में मुख पृष्ठ पर एक बड़ी कहानी प्रकाशित की गई है, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि विश्व बैंक भारत पर किस प्रकार अपमानजनक शर्तें थोप रहा है। यदि इन शर्तों को भारतीय रेलवे द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो रेलवे का संपूर्ण ढांचा, रेलवे की सारी गतिविधियां, रेलवे का भाड़ा ढांचा, और वस्तुतः रेलवे का सम्पूर्ण ढाँचा, पूरी तरह बदलना होगा। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि मैं जिन मुद्दों को उठा रहा हूं रेल मंत्री या तो उनकी पुष्टि करें या उनका खंडन करें। यदि समाचार गलत साबित होता है तो मुझे सबसे अधिक खुशी होगी। राष्ट्र के प्रति मेरी देशभक्ति की भावना कभी यह स्वीकार नहीं करेगी कि भारत पर अपमानजनक शर्तें थोपी जायें। यदि माननीय रेल मंत्री इस समाचार का खंडन करें तो मुझे सबसे अधिक खुशी होगी। इसलिए मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार के बारे में वह एक स्पष्ट वक्तव्य दें। मैं भारत पर लादी गई शर्तों को पढ़ना चाहूंगा।

"विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे को 70 करोड़ डालर का ऋण देने के लिए अनेक शर्तें

निर्धारित की हैं शर्तों की एक पूरी सूची नीचे दी गई है —

1. आई. पी. एम. अथवा आई. बी. एम. के स्तर के कम्प्यूटरों और आधुनिक उपकरणों की विदेशों से खरीद ।

2. भाड़े की दरों में वार्षिक वृद्धि ।

3. दूसरी श्रेणी के किरायों सहित यात्री किरायों में तीव्र वृद्धि जिससे इन सेवाओं की पूरी लागत को वसूल किया जा सके ।

4. उननगरीय सीजन टिकटों का अधिक मूल्य ।

5. रेलवे के निगमित ढ़ाँचे में संसोधन किया जाये ।

6. रेलवे के जोनल और डिवीजनल ढांचे में परिवर्तन किया जाये और नये ढांचे को बनाने के मानदंड का उल्लेख किया जाये।

7. रेलवे संचालन के वाणिज्यिक पहलू को अधिक महत्व दिया जाये ।

8. रेलवे बोर्ड में सदस्य (वाणिज्यिक) के नये पद का सृजन किया जाये ।

9. प्रत्येक रेलवे सेवा को प्रभारित पूंजी के लिए अदा किये जाने वाले लाभांश सहित प्रत्यक्ष लागत पूरी करनी चाहिए ।

10. रेलवे बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों की लंबी पदावधि होनी चाहिए ।

11. सभी भाड़ों का पुर्नवर्गीकरण ।

12. आदानों की प्रमुख मदों को पूरा करने के लिए भाढ़े की टेरिफ में मूल्य संवर्धन खंड होना चाहिए । जिसका अर्थ यह हुआ कि भाड़े की दर में वृद्धि स्वत: होगी ।

13. टेरिफ उस स्तर पर होनी चाहिए जिससे पूंजी पर 10 प्रतिशत लाभ सुनिश्चित हो सके ।

14. रेलवे को अपने स्वयं के राजस्व से पूंजी विकास लागत के 40 प्रतिशत अंश का योगदान करना चाहिए ।

15. मूल ह्रास की आस्तियों के मूल्य के 4.7 प्रतिशत के आधार पर गणना की जानी चाहिए ।

16. विकास आरक्षण निधि के लिए और अधिक नियतन किया जाना चाहिए ।

17. लागत जानकारी का और अधिक उपयोग किया जाना चाहिए । तथा लागत गणना के कार्य कुशलता का प्रबन्ध का विस्तार किया जाना चाहिए ।

18. रेलवे के द्वारा कार्य कुशलता का स्तर बढ़ाया जायेगा और उसे 1976-77 के बराबर किया जायेगा।

समाचार पत्रों में यह शर्तें प्रकाशित हुई हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय रेल मंत्री इस बात की पुष्टि करें अथवा इस बात का स्पष्ट खंडन करें जिससे कि इस संबंध में सभी विवाद समाप्त हो जायें। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इन्हीं बातों के संबंध में माननीय रेल मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि इनका स्पष्टीकरण किया जायेगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, रेलवे प्रशासन आज इस दावे के बावजूद कि उन्होंने माल की ढुलाई में काफी बढ़ोत्री की है — रेलवे की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। मन्त्री जी ने दो तीन दिन पहले बताया कि इस वर्ष जुलाई तक 960.2 लाख टन माल की ढुलाई हुई। ठीक इन्हीं दिनों में पिछले वर्ष 595.7 लाख टन माल उठाया गया था यानी इस साल 364.5 लाख टन अधिक माल की ढुलाई की गई। अगर यह दावा रेल प्रशासन का है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि रेल मजदूरों को इस साल वे बोनस कितना देना चाहते हैं, और कब तक देना चाहते हैं और क्या यह सम्भव हो सकेगा कि 17 लाख मजदूरों को दुर्गा पूजा के पहले बोनस की अदायगी कर दी जाए ? जब आपके माल की ढुलाई बढ़ी है तो निश्चय ही रेल मजदूर इस बात की आशा करते हैं कि उन्हें इस साल ज्यादा से ज्यादा बोनस इस साल दिया जाए। इसी के साथ मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रेल मजदूरों को बोनस 1977-78 की कमाई के आधार पर दिया जाता है, तो 1979 में जो रेल मजदूर सेवा-निवृत हो गए, उन्होंने बोनस नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों ? इसलिए मैं कहूंगा कि जो लोग 1979 में रिटायर हुए और उनको बोनस मिलना चाहिए था, आप उनको बोनस देने की कृपा करें।

दूसरी बात, दन्डवते जी ने वर्ल्ड-बैंक की बात कही और 18 प्वाइंट्स का जिक्र किया। मैं कहना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके इन सब शर्तों को स्वीकार नहीं कीजिएगा, नहीं तो हमारा देश फिर गुलामी के चुंगल में फंस जाएगा और आप हमें इस वर्ल्ड बैंक के चुंगल से बचाइये।

तीसरी बात, रेल गाड़ियों के विलम्ब से चलने की है। बार-बार हम लोग कह चुके हैं, सदन के बाहर और भीतर हम लोग आपसे बात करते हैं, आप सजायें भी कर्मचारियों को देते हैं—मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या कभी आपने यह सोचा कि विलम्ब से गाड़ियों के चलने की जवाब देही रेलवे बोर्ड के किसी अधिकारी पर हो सकती है ? जैनरल मैनेजरों की हो सकती है डी० आर० एम० की हो सकती है, क्या उन लोगों को आपने कभी पकड़ने की कोशिश की है ? अगर नहीं की है, तो मेहरबानी करके पकड़ कर देखिए, फिर देखिये कि स्थिति में सुधार आता है या नहीं। केवल साधारण कर्मचारियों को दण्डित करने, उनसे ज्यादा से ज्यादा काम लेने, उन्हें सुविधायें न देने से काम नहीं चलेगा।

चौथी बात—मंत्री जी बिहार से आते हैं और पटना बिहार की राजधानी है। पटना में बहुत जगहों से हजारों कर्मचारी, सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए आते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उसको सबर्बन क्षेत्र घोषित करने और सबर्बन गाड़ियां चलाने में आपके सामने क्या कठिनाईयां हैं। ...

मंत्री जी, जरा मेरी बात सुनिये...

श्री केदार पांडे : आप की बात बराबर सुनता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं सबर्बन गाड़ियां चलाने के बारे में निवेदन कर रहा हूं। आप से बाहर भी बात हो चुकी है।

बिहार में कई ऐसे इलाके हैं — आरा से सासाराम फतुआ से स्लामपुर जहां बड़ी लाइन की जरूरत है। मेरे साथी श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा जी ने कई सुझाव इस सम्बन्ध में आपके सामने रखे हैं, मैं इन सब सुझावों का समर्थन करता हूं।

रेल दुर्घटनाओं की चर्चा हम यहां पर पहले ही विस्तार से कर चुके हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सीकरी समिति ने 1968 के बाद से जो लेखा-जोखा घटनाओं का लिया है और अपनी रिपोर्ट आपके सामने पेश की है, उनकी रिपोर्ट दो भागों में हैं। कुल मिलाकर 412 सिफारिशें उस समिति ने की हैं, जिनमें से 244 सिफारिशों को आपने स्वीकार किया है, बाकी सिफारिशों को स्वीकार करने में हीला-हवाला या ढिलाई क्यों बरती जा रही है। सीकरी समिति की रिपोर्ट पर बड़ी संजीदगी के साथ विचार करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो जो बड़ी-बड़ी दुर्घटनायें हो रही हैं और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनमें कमी आयेगी।

आखरी बात, रेल कर्मचारियों को दण्डित करने की नीति को छोड़ दीजिए। 10 हजार रनिंग स्टाक के लोग आज भी विभिन्न रुपों में दण्डित हैं। विभिन्न रुपों में आपने उनको नौकरियों से अलग कर रखा है। मेरा निवेदन है कि उनको बहाल कीजिए। इसी सिलसिले में साउथ-ईस्टर्न रेलवे वर्कर्ज यूनियन की बात कहना चाहता हूं। वह रिकगनाइन्ड यूनियन है, उसके प्रेसिडेंट श्री एन० सी० रायचौधरी हैं। आपका जो अनिवार्य सेवा रक्षा अध्यादेश निकला, उसका उन्होंने बयान देकर विरोध किया। जो रेल दुर्घटना हुई उसके लिए भी उन्होंने बयान दिया। इस आधार पर उनके पास चार्जशीट आया है, कोई ए० सेन, चीफ पर्सोनल आफिसर हैं जिन्होंने कहा है कि आपने अनिवार्य सेवा रक्षा अध्यादेश के खिलाफ मीटिंग क्यों की उसमें कैटेगरी यूनियन वाले क्यों गये और आपने एक्सीडेन्ट के बारे में बयान क्यों किया। इस तरह दो लैटर्स उनको दिये गये हैं। उन्होंने एक चिटठी उस यूनियन के जैनरल सैक्रेटरी को लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि आप इनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए, अन्यथा हम कार्यवाही करेंगे। क्या यह रेल मजदूरों का सहयोग लेने का तरीका है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मजदूरों का सहयोग हासिल कीजिए, आपमें जो त्रुटियां हैं उनको सुनिये। अभी आपने दो

रिकगनाइन्ड यूनियनों से बात की कि कैसे सुधार होगा, इसी तरह औरों से भी बात कीजिए। आपको बात करने से घबराना नहीं चाहिये। हमारी बात भी सुनिये।

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : सभापति जी, मैं रेल मंत्रालय के अनुदान की पूरक मांगों का समर्थन करती हूं, क्योंकि रेलवे हमारे देश के जीवन में हमारे भविष्य की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है और इसीलिये उसके सुधार के लिये, प्रगति के लिये, नई योजनायें बनाने के लिए जो कुछ भी योजनायें हमारे सामने आती उनके हम सब लोगों को समर्थन करना चाहिये।

फिर भी मैं एक-दो बातें आपके माध्यम से सदन के सामने उठाना चाहती हूं। हमारी लोकशाही, हमारे शासन की तरफ से जब कोई योजना या प्लान बनता है तो रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने की कोशिश उसमें जरूर होनी चाहिये। हर एक प्रान्त के बारे में, हर एक स्टेट के बारे में हमें सोचने की जरूरत है। हम अभी यह देखते हैं कि न सिर्फ रेल लाइनों के लिए बल्कि और सभी चीजों के लिए जगह-जगह से, देश के कौन-कौन से बहुत सारी मांगे आती हैं। रेलों के बारे में भी वही हालत है और कई जगहों से नई नई लाइनें बिछाने, नई रेलें चलाने, ज्यादा गाड़ियां बढ़ाने और गाड़ियों की रफतार तेज करने की मांगें होती हैं और हमारे महाराष्ट्र से भी आती है, लेकिन सभी मांगे आप पूरा नहीं कर सकते लेकिन मेरा कहना यह है कि फिर भी कुछ न कुछ हर स्टेट के लिए किया जाए, हर एक प्लान में और हर बजट में किया जाए, तो इससे सभी जगहों की कुछ समस्याओं का समाधान हो सकेगा और लोगों को कुछ राहत मिल सकेगी।

इसलिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूं। रेलवे वैगन के कारखाने के लिए एक योजना इसमें बनाई गई है अहमदाबाद में। मैं यह कहना चाहती हूं कि विदर्भ में भी एक रेलवे वैगन की फैक्टरी खोलने की बात आपको करना चाहिए। अभी अभी महाराष्ट्र गवर्नमैंट से श्री केदार पांडे की बात हुई है। और मुझे मालूम है क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से एक सर्कूलर निकलता है, जिसमें इन्होंने यह बताया है कि विदर्भ में एक रेलवे वैगन की फैक्टरी खोलने की बात हुई है लेकिन मुझे दुःख है, मुझे अफसोस है कि इस बजट में, इन अनुपूरक मांगों में कहीं उसका कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ एक वैगन फैक्टरी की बात नहीं है, महाराष्ट्र की और भी कई मांगें हैं, जैसे अमरावती से नरखेड़ा तक रेलवे लाइन बनाने की बात हम 22-23 साल से करते आ रहे हैं लेकिन वह अभी तक नहीं बनी है। संतरा हमारे देर से बाहर जाता है और हमारे शासन को बहुत काफी फारेन एक्सचेंज उससे प्राप्त होता है लेकिन वैगनों की कमी के कारण बहुत सा संतरा सड़ जाता है और इस तरह से करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि वहां पर एक वैगन फैक्टरी खोलने की बात को सोचनी चाहिए और अगर विदर्भ में वह फैक्टरी खुल जाती है, तो इससे वहां का औद्योगिक विकास भी काफी होगा।

एक बात और कहना चाहती हूं। दरियापुर से अचूरपुर तक जो रेलवे लाइन है, वह

अभी ईस्ट इन्डिया कम्पनी के कब्जे में है और उस पर ईस्ट इन्डिया कम्पनी की मिलकियत है। सैंकड़ों देहातों को वह रेलवे लाइन राहत देती है और उस पर गवर्नमेंट का कब्जा लेने के लिए कई सालों से मांग की जा रही है लेकिन अभी तक किसी बजट में हमारे मन्त्री महोदय ने उसको अपने हाथ में लेने के लिए कुछ नहीं किया है। हम लोग बार-बार उसको सरकार के हाथ में लेने की मांग करते जा रहे हैं।

इसके साथ-साथ ये जो अनुपूरक मांगें हैं, इस पुस्तिका में हमने देखा है कि बंगलौर में आपने एक ऊपरी पुल बनाने की बात मानी है। हमें इस बात की खुशी है कि वहां पर यह पुल बनेगा लेकिन हमारे यहां वड़नेरा में भी ऊपरी पुल की बहुत जरूरत है, उसके पुनर्निर्माण की बहुत जरूरत है क्योंकि वहां पर बहुत से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और ठीक तरह से वहां पर ट्रैफिक नहीं चल सकता। महाराष्ट्र शासन ने बहुत समय से यह मांग की है कि इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए और उसके लिए जो कुछ भी कन्ट्रीब्यूसन आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट से चाहेंगे, वह देने के लिए तैयार है, उसके लिए उसकी मंजूरी है। फिर भी इस बजट में, इस प्लान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं। इसलिए मुझे आज इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि इस बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी कुछ बातें कहूं। हमारे देश में रीजनल इम्बेलेंस को दूर करने के लिए आपको कुछ सोचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसने बहुत ऊंची आवाज में बोल दिया, वह अपना काम करवा ले।.....होना यह चाहिए कि जहां जरूरत ज्यादा है, जरूरत के मुताबिक रेलवे मन्त्री महोदय को काम करना चाहिए। मैं थोड़ा जोर से इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि हमारे यहां विदर्भ में एक रेलवे वैगन की फैक्टरी बने और वरनेड़ में, जो कामदारों का क्षेत्र है और जहां पर 30 हजार कामदार मिल बन्द होने के कारण बेकार बैठे हुए हैं, वहां रेलवे वैगन की फैक्टरी बने। उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कहा है और विदर्भ में खोलने की बात हमने कही है। खासकर मैंने वड़नेरा के लिए मन्त्री महोदय को लिखा भी है। इसलिए मैं याद दिलाना चाहतीं हूं।

आपने रेल सुधार के लिए जो प्रावधान किया है और जो राशि बढ़ायी है, उसका मैं समर्थन करती हूं।

एक बात मैं बोम्बे सबरबन रेलवे के बारे में कहना चाहती हूं। दण्डवते सहाब ने भी उसके बारे में कहा है। बोम्बे सबरबन रेलवे का एक कमेटी बनाकर सर्वे कराना चाहिए और उसके लिए कोई प्लान बनाना चाहिए। यह भी एक रेल सुधार का काम होगा। बोम्बे सबरबन रेलवे की तरफ मैं इसलिये आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि बोम्बे महाराष्ट्र की राजधानी ही नहीं है, बल्कि वहां पूरे देश से लोग आ रहे हैं। पूरी दुनिया से लोग वहां औद्योगिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक कामकाज के लिए आते है। इसलिए बोम्बे की हालत जो कि बहुत खराब है, सुधारना बहुत जरूरी है।

बोम्बे में जो मजदूर और कर्मचारी काम करते हैं उनकी आधी जिंदगी रेलवे में जाती है और आधी जिन्दगी अपने-अपने आफिसिज या घरों में जाती है। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं

कि अगर आर्थिक दृष्टि से हमारा शासन इतना सक्षम नहीं है कि एकदम से वहां सुधार ला सके तो भी इसका मतलब यह नहीं है कि हम वहां थोड़ा सा भी सुधार न ला सकें। जिसको ज्यादा भूख लगी हो उसको आप पूरा भोजन न दे सकें तो भी थोड़ा तो आपको देना चाहिए। वहां की रेलों में हर महीने मर्डर होते हैं। उनमें गुनहगारी बढ़ती जा रही है। वहां पर कम से कम चार-छः नयी रेल लाइनें बननी चाहिएं। एक लाइन अन्धेरी-घटकपार का मैं प्रस्ताव रखना चाहती हूं। बोम्बे इलाके के लिए दादर पर काफी लोड रहता है। इसलिए अन्धेरी घटकपार रेलवे लाइन जल्दी बननी चाहिये। यह रेल लाइन बहुत जरूरी है। मैं पैसा खर्च करने वाली बात नहीं कह रही हूं बल्कि सुधार के लिए कह रही हूं। यह वहां के लोगों की बहुत जरूरी मांग है।

इस तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाते हुए अनुपूरक मांगों का समर्थन करती हूं और अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : पिछली बार जब मैंने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये थे उस समय मैं श्री केदार पांडे के सुन्दर भाषण से बहुत प्रभावित था। उस समय मैंने यह कहा था कि उन्हें न केवल तीन महीने के सम्बन्ध में वरन् 12 महीने के सम्बन्ध में रिपोर्ट देनी चाहिए। उन्होंने सदन में जिन प्रश्नों के उत्तर दिये थे उनको भी मैंने सुना था। उनसे एक प्रश्न वैगनों की कमी के बारे में पूछा गया था तब उन्होंने बताया था कि इस समय 36 हजार वैगनों की कमी है और उसकी खरीद के आदेश दिए जा चुके है। मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है कि वे वैगन कब प्राप्त होंगे। उन्होंने यह भी दावा किया था कि वे भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। मैं इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस संबंध में राजर्रस के उद्धरणों में एक कहावत है जैसे-जैसे आप आयु में वृद्ध होते जाते हैं आपको अपनी सीमाओं का पता लगता जाता है। 'यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि माननीय मन्त्री महोदय ने इस पूरक मांग में नयी लाइन बिछाने के बारे में महाराष्ट्र राज्य की सर्वथा उपेक्षा कर दी है। मैंने इसमें महाराष्ट्र के लिए एक भी लाइन बिछाये जाने के बारे में नहीं पढ़ा है। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि हमने उनसे मनमाड परभणी पारलीवेजन्थ के संबंध में आग्रह किया था कि उसे मुतखेद से होकर आदिलाबाद और धुधत तक बढ़ा दिया जाए। इसके सर्वेक्षण का व्यय महाराष्ट्र राज्य ने वहन करना था। मैं आपसे एक ऐसी परियोजना के बारे में कह रहा हूं जो कि 5-6 वर्ष पुरानी है। प्रो० मधु-दंडवते मेरी इस बात की पुष्टि करेंगे। किन्तु मैंने देखा है कि इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : जब वे मन्त्री थे तब उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया था।

श्री उत्तम राठौर : जब महाराष्ट्र के निवासी यह अनुभव करते हैं कि हमारी अपेक्षा का जा रही है। एक नयी लाइन बिछाने के बारे में महाराष्ट्र के तीन संसद सदस्य विचार व्यक्त कर चुके हैं। मनमाड-औरंगाबाद-परभणी पारलीवैजन्थ लाइन के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी है पिछली बार मैंने कहा था कि इसके लिए केवल 1 हजार रुपया दिया गया है। यह

एक नाम मात्र की राशि है। अन्य संसद सदस्यों के साथ में श्री केदार पांडे से मिला था पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इसके लिए । करोड़ और रुपये की राशि और दी जायेगी। किन्तु अब इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं इस लाइन का बदल कर बड़ी लाइन में परिवर्तित की जाने की प्रगति के बारे में जानना चहाता हूं। यदि वे इस सम्बन्ध में कुछ आशाजनक आश्वासन दे सकें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। मनमाढ़ु पारली लाइन के लिए अनुमान है कि 1398 लाख रुपया व्यय होगा अप्रैल, 1980 तक इस पर 93 लाख रुपया व्यय किया गया था। पिछले वर्ष इसके लिए ।· हजार रुपये की व्यवस्था की गई थी और शेष इस पर 1304 लाख रुपये की और आवश्यकता होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि रेल मन्त्री श्री केदार पांडे यह बतायें कि वे इस कार्य को जल्दी से जल्दी कब तक पूरा हो जायेगा। यह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और हम यह चाहते हैं कि इस लाइन को जल्दी से जल्दी बदल कर बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया जाये। मुझे आशा है कि क्योंकि इसे श्री दंडवते ने जनता शासन के दौरान इसका उद्घाटन किया था उसकी उपेक्षा नहीं की जायेगी। पिछली बार जब मैंने सिरली, चौंधी पैदल पार पथ के बारे में कहा था तो श्री जाफर शरीफ ने कहा था "आप इसके लिए राशि क्यों नहीं दिलवाते हैं, । महोदय मेरे पास गांवों के सरपंच का एक पत्र है जिसमें कहा गया है कि परभाजी के एक्जूक्यिटिव इन्जीनियर (पी० डब्लू० डी०) ने 2000 रुपये की अदायगी कर दी है। उस चैक की संख्या 19877/993833 दिनांक 16-6;81 का है। किन्तु अभी तक यह पैदल पार पथ का निर्माण नहीं हुआ है। इसके लिए मुझे बहुत खेद है। यह सड़क 16 वर्ष पहले बनाई गई थी। पिछली बार जब मैंने इस बारे में कहा था तो श्री जाफर शरीफ ने कहा था "कि आप राशि की अदायगी कर दीजिए। हमने तीन महीने पहले ही धनराशि की अदायगी कर दी थी किन्तु अभी तक कुछ नही किया गया है। यह है हमारी कार्य-कुशलता।

रेल विभाग ने एक प्रकार से अपनी कार्यकुशलता सिद्ध कर दी है। जब भी कोई दुर्घटना होती है उस वक्त वे अपनी कार्यकुशलता अवश्य दिखाते हैं। मेरा विचार है कि उस समय उन्हें अपनी कार्यकुशलता दिखाने का पर्याप्त मौका मिल जाता है किन्तु यह तरीका ठीक नहीं है। लोगों को इस बारे में आशंका रहती है। वे पूछले हैं कि उन्हें इस गाड़ी से यात्रा करनी चाहिए अथवा नहीं। उनकी इस धारणा को दूर करने के लिए कुछ प्रयास कीजिए। अपनी जिम्मेबारी से भागिए मत। जब तमिलनाडु एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी तो दुर्घटनास्थल पर एक भी मन्त्री नहीं गया था। मैं समझता हूं कि श्री मल्लिकार्जुन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे हैं ऐसा क्यों है कि वहां कोई व्यक्ति नहीं गया। इससे जनता को बुरा लगता है आपको यह समझना चाहिए कि आपके वहां पहुचने से वहां काम में लगे हुए व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को राहत मिलती है। कृपया भविष्य में आप इस बात का अवश्य ध्यान रखिये। अपनी जिम्मेदारी से भागिए मत।

अन्त में मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय मराठवाडा क्षेत्र विशेष रूप से उस परियोजना जिसका कि हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बचन दिया था के विकास पर और अधिक ध्यान देगें तथा मनमाढ़ु-औरंगाबाद परमाणी पारली लाइन को

बदल कर बड़ी लाइन में करने के लिए और प्रयास किये जायेंगे। जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने कोई कसर नहीं उठा रखी है। उस पर अधिकांश कार्य पूरा किया जा चुका है उसके बावजूद आप उसे पूरा नहीं किया गया है। कृपया इस बात को ध्यान में रखें।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय द्वारा जो सप्लीमेंटरी डिमांड्स प्रस्तुत की गई हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं। समर्थन करने के साथ-साथ मैं रीजनल इंबेलेंसेस के दोष की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

कोटा, चित्तौड़, नीमच लाइन का कार्य इतनी धीमी गति से चल रहा है, जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, इन्दौर में, मंदसौर आदि में कोई सर्वे नहीं हुआ है। इस तरह से कैसे यह काम तीन साल में पूरा हो सकता है। 45 करोड़ आपने खर्च करना मंजूर किया है। इस लाइन पर अभी तक शायद 50 लाख भी खर्च नहीं किया गया है। बहुत ही धीमी गति से यह काम चल रहा है। कितने सालों में इस गति से यह रेलवे लाइन पूरी होगी, क्या आपने इसका अनुमान लगाया है? यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। कोटा बूंदी, भीलवाड़ा चित्तौड़ और मंदसौर के लिए यह लाइन लाभदायक सिद्ध हो सकती है। यहां पर लाइन स्टोन के विशाल भंडार मिले हैं। आने वाले पांच सालों में वहां कई सिमेंट फैक्ट्रियां लगेंगी। आपको चाहिये कि यहां रेलवे की सुविधा जल्दी से जल्दी प्रदान कर दें। भीलवाड़ा, चित्तौड़, मंदसौर जिलों में दो तीन महीनों में आप काम शुरु कीजिए ताकि तीन साल में यह जो योजना है यह पूरी हो जाए।

कोटा से देवग और डोडा से नाथद्वारा लाइन के सर्वे को मंजूरी दिए हुए छः महीने गुजर गए हैं। पचास लाख रुपया दोनों के लिए स्वीकृत भी हुआ था। लेकिन उसका नाम लेवा कोई नहीं है। उस पर आपने कोई तवज्जह नहीं दी है। आपके अधिकारीगण सर्वे के सम्बन्ध में उधर गए नहीं हैं। किन कारणों से यह काम रूका हुआ है पता नहीं। इसको भी जल्दी पूरा कराएं।

राजस्थान में बहुत ही कम रेलवे लाइनें हैं जिसकी वजह से उसकी प्रगति रुकी हुई है। इस वास्ते बार-बार मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं भौगोलिक दृष्टि से जो कुछ भी जांच पड़ताल करके सर्वे कार्यों के लिए अपनी मन्जूरी दी हैं, उनको आप जल्दी पूरा कराएं। कोटा से देवगढ और डोडा से नाथद्वारा इन दो लाइनों का सर्वे कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करें, अग्रिम स्वीकृति उसके लिए जल्दी से जल्दी देने की कृपा करें ताकि लोगों को लाभ मिल सके।

बड़ी छोटी पांच लाइनें आपने राजस्थान के लिए मन्जूर की हैं। लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आप अलवर जरूर गए हैं। लेकिन कोई सर्वे कार्य पूरा नहीं हो पाया है। जिन लाइनों के लिए आपने स्वीकृति दी है, उनका सर्वे कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो जाना चाहिये।

मीनाक्षी के सम्बन्ध में, मैं दो बर्ष से बराबर कह रहा हूं। जवाब आ जाता है उसको रोज नहीं चलाया जा सकता है। सप्ताह में दो ही दिन चलाया जा सकता है चूंकि ओवर क्राउटिंग बहुत है। अगर आप सप्ताह में उनको दो दिन चला सकते हैं तो रोज भी चला सकते हैं। एक ही वहां पर फास्ट ट्रेन है अजमेर से काचीगुड़ा तक।

सभापति महोदय : लाइन और कोई रह गई है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : बहुत से नाम नहीं बताए हैं क्योंकि अधिक टाइम लग जाता। मीनाक्षी को आप रोज चलाएं। उसमें पैंटरी कार नहीं हैं, उसकी भी एक बोगी लगाएं। अजमेर से चित्तौड़ और रतनाम से चित्तौड़ दो शटल चलती थीं। इनको आपने बन्द कर दिया है। इसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ है। उनकी इस तकलीफ को भी दूर करें और गाड़ियों को दुबारा शुरू करें।

गुलाबपुरा रायला स्टेशनों के बारे में आपसे कई बार निवेदन किया हैं लेकिन आपने कुछ नही किया है।

वेस्टर्न रेलवे का हैड क्वाटर जो है उसके बारे में भी हमने आपसे कई बार निवेदन किया है। अजमेर बीच में पड़ता है। बम्बई में आपने उसको रखा हुआ है। बम्बई विशाल समुद्र के समान हैं। अगर इसको वहां से हटा लिया जाता है तो बम्बई को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अजमेर इसके लिए उपयुक्त स्थान है।

जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर ऐसे स्थान हैं जहां जब रियासतें होती थीं तो वहां लोको शैड आदि हुआ करते थे। बड़े-बड़े कारखाने रेलों के लौ हुए थे। मेरा निवेदन है कि वहां पर डिब्बे बनाने का या कोई और कारखाना भी आप लगाने की व्यवस्था करें।

पुष्कर के काम को आपने स्वीकृति दी है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : माननीय राम लाल राही, आप 3 मिनट ल। माननीय दंडवते जी ने थोड़े में ही सब कुछ कह दिया।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : ज्यादा आदमी हैं हमारे दल में और बटवारा होगा सभी का तो 15 मिनट से कम हमारा नहीं पड़ेगा। नाम देता है ठिप्पा। मेरा समय कैसे कट जायेगा।

सभापति महोदय : चलिये आप 5 मिनट में बोल लीजिए।

श्री रामलाल राही : अधिष्ठाता महोदय, जी तो अनुपूरक मांग मन्त्री जी ने पेश की है उस सम्मेलन में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। कई माननीय सदस्यों ने इस अनुपूरक अनुदान के पेश किये जाने के सम्बन्ध में जो इसमें कार्य दिखलाये हैं कि अमुक-अमुक काम के

लिये पैसा मांग रहें हैं तो उससे हम अपना असंतोष जाहिर करते हैं। उसका कारण है। मैं भी महसूस करता हूं कि इस हाउस में जिसकी आवाज तेज होती है, या मन्त्री जी के सिर पर ज्यादा और जोर से बोल लेता है उसके यहां जा कर या कोई भारी भरकम सदस्य होता है तो उसके यहाँ काम हो जाता है, उसकी मांग स्वीकार हो जाती हैं। लेकिन जहाँ आवश्यकता है, कहाँ रेलवे लाइन बढ़ायी जाय, कहाँ बदली जाय, कहाँ सुधार किया जाय, उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं है और यही कारण है कि रेल सेवाओं में निरंतर गिरावट आ रही है क्योंकि इनके नियंत्रण में विभाग के कर्मचारी नहीं हैं। और कारण यह है कि जब एक मन्त्री स्वयं एक काम गलत ले लेगा किसी अधिकारी से तो फिर निश्चित रूप से वह सही काम उस अधिकारी से नहीं ले सकेगा। दबाव डालकर काम लेने की पद्धति ही गिरावट का कारण बनी है। यहां सदन में बहस हो जाती है, लेकिन परिणाम दूसरे दिन फिर ऐक्सीडेंट और डकैतियां शुरु हो जाती हैं। कोई गिरावट नहीं हो रही है। मैंने एक सुझाव दिया था, यह सुझाव मेरा 1977 से चला आ रहा है, हमारे यहाँ एक मीटर गेज लाइन है सीतापुर से गुड़वल। अगर इसको ब्रांड गेज में कर दिया जाय तो डायरेक्ट लाइन गुड़वल से लेकर शाहजहांपुर तक हो जाएगी। इससे पूरे पश्चिम और और पूर्वी भारत की दोनों ट्रेनें जो चलती हैं जो वाया लखनऊ निकलती हैं, वह यहाँ से निकलने लगेंगी। यह 70 किलोमीटर का बंच। लेकिन इस बैंच को अभी तक नहीं बदला जा सका है। मैं कई बार लिख चुका हूं जवाब में मिला कि इसको बदलने का काम शुरू किया जा रहा है, जांच हो रही है। सारी चीज फाइनल हो गई अतः यह तो होना है कि स्टेशन कहां पर बने। इसी झगड़े में वह लाइन नहीं बदली जा रही है। मुझे जवाब मिला कि गोहाटी और लखनऊ मार्ग जब ब्रौड गेज में परिवर्तित हो जाएगा तो दूसरी लाइनों पर काम शुरू होगा। वह भी हो गया, लेकिन अभी तक इस लाइन पर काम शुरू नहीं हुआ है। इसलिए मन्त्री जी ध्यान दें अर इस पैंच को ब्रांड गेज में बदल देते हैं तो सीधे कलकत्ते से लेकर गोरखपुर गोहाटी से गाड़ियों को सीधे दिल्ली, देहरादून और पश्चिम भारत को जाने के लिए सीधा रास्ता मिलेगा। इससे उत्तर भारत के लोगों को सुविधा मिल जायेगी।

दूसरे यह कि हमारे सीतापुर जनपद के पास ही बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर, हरदोई और शाहजहांपुर जिले हैं। बहराइच की दूरी करीब 220 किलोमीटर है। बहराइच से सीतापुर को डायरेक्ट नहीं जोड़ा है। बड़ा पिछड़ा इलाका है। माननीय दंडवते जी जब रेल मन्त्री थे तो मैंने दर्खास्त दी। आपने जांच पड़ताल करके जवाब दिया कि 25 करोड़ रुपये इस पर खर्च होगा क्योंकि पुरानी योजनायें खर्चीली हैं।

सभापति महोदय : पुरानी बात छोड़िये। नए मन्त्री जी से पूछिये। अभी हम इसको नहीं ले सकते। इसके बाद नई सरकार आई उनको भी मैंने लिखा, वही जबाब लेकिन मुझे मिला।

इतने बड़े देश की इ नी बड़ी सरकार, जहां सैकड़ों, करोड़ों रुपया खर्च होता है, वहां 25 करोड़ अगर खर्च कर दें तो यह पिछड़ा इलाका, जिसको गांजरी इलाका कहते हैं, जहां के लोगों ने अभी तक बस भी नहीं देखी है, वहां रेल यातायात की सुविधा उनको मिल सकती है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि रेल विभाग में जो हरिजन अधिकारी काम करते हैं, उनके साथ न्याय और तर्क संगत कार्यवाही नहीं की जाती। पदोन्नति में भी उनके साथ धांधली होती है और ट्रांस्फर वगैरह में भी बेहद धांधली और अन्याय होता है। मैं इसकी शिकायत करना चाहता हूं और एक मामला उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं। एक श्री पी०. एल० भृगु हैं जो कि डी० टी० आई० हैं लखनऊ में। अभी 1977 में उनकी पदोन्नति हुई और जब वह वहां गये तो उनको बंगला अलाट होना चाहिए था, क्यों के उनसे पहले के अधिकारी बंगले में कहते थे, लेकिन इनको बंगला नहीं दिया गया। 8 साल तक इन्हें परेशान किया गया, इनका करैक्टर रौल खराब कर दिया गया। 3 साल पहले तक तो उन्हें पुरस्कार मिले हैं।

सभापति महोदय : आपने यह केस लिखकर मन्त्री जी को भेजा क्या ?

श्री रामलाल राही : जी हां। 3 बार भेजा। 3 बार लिखकर मन्त्री जी को भेजा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, यही तो शिकायत मैं यहां पर कर रहा हूं कि हरिजन अधिकारी जो रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके साथ न्याय नहीं होता। जब मन्त्री जी को शिकायत की जाती है तो मन्त्री जी भी नहीं सुनते हैं। यह मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, इस तरह के सैकड़ो मामले हैं। मैं मन्त्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वह अपने विभाग में काम करने वाले हरिजन अधिकारियों के साथ न्याय करें, उनको सुरक्षा प्रदान करें, नहीं तो उनकी सेवाएं खतरे में हैं।

इस तरह से समन्तरों के बारे में, रेल क्रासिंग के बारे में अनेक बार मन्त्री जी को लिखा जाता है तो मन्त्री जी यह जवाब दे देते हैं कि आप अपने प्रदेश की सरकार से निवेदन करें। मैं कहना चाहूंगा कि जब हम मन्त्री जी को लिख देते हैं और वह जांच कराते हैं, तो हम क्यों प्रदेश की सरकार को लिखें, मन्त्री जी को चाहिए कि वह प्रदेश की सरकारों को लिखें कि यह सुझाव आये हैं, इसकी कार्यवाही करें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं इस चर्चा के दौरान मन्त्री महोदय का कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

महोदय, रेलवे बोर्ड अथवा रेल विभाग ने अपने देश में माल परिवहन के सम्बन्ध में बहुत अधिक मात्रा मे कम्प्यूटरीकरण करने का निर्माण किया है। और इस संबंध में एक यह शर्त जिसका कि विश्व बैंक ने सुझाव दिया है कि यदि इस प्रकार कम्प्यूटरीकरण नहीं किया जाता और ये कम्प्यूटर आई० बी० एम० जो कि एक अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी है, से कम्प्यूटर नहीं खरीदे जाते जो भारतीय रेल जो ऋण अथवा सहायता विश्व बैंक से लेना चाहती है वो उसे नहीं दी जायेगी। मेरी पहली बात यह है।

मैं उन बातों के जिनके बारे में श्री मधु दंडवते स्पष्ट कर चुके हैं और कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। किन्तु प्रश्न यह है कि कम्प्यूटरीकरण की आवश्यकता है अथवा नहीं इस पर भी रेल मन्त्रालय को चर्चा करनी चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है मन्त्रालय ने निर्णय कर लिया है कि इसके लिए कम्प्यूटरीकरण आवश्यक है। किन्तु इस संबंध में एक विवाद पैदा

हो गया है जिसके संबंध में मैं माननीय मन्त्री महोदय से उत्तर चाहता हूं। वो यह कि हमारी सरकार के इलैक्ट्रानिकी विभाग का यह विचार है कि यदि कम्प्यूटरीकरण किया जाना ही है तो यह एक विभिन्न प्रणाली के आधार पर जिसे वे विकेन्द्रीकृत प्रणाली कहते हैं कि आधार पर होना चाहिए। जबकि आई० बी० एम० में केन्द्रीकृत प्रणाली है।

डा० बी० एन० सेठना	—चेयरमैन, अणु ऊर्जा आयोग
डा० पी० पी० गुप्ता	—सचिव, अणु ऊर्जा आयोग
श्री अशोक पार्थसारथी	—इलैक्ट्रानिकी विभाग।

मैं सितम्बर, 1 के 'बिजनेस स्टेण्डर्ड' से उद्धरण देता हूं। उसमें यह विचार व्यक्त किया गया है :

(1) आयात के लिए जिस कम्प्यूटर प्रणाली का सुझाव दिया गया है वह 10 वर्ष पुरानी है और इसलिए उसमें निश्चित ही सुधार किया जा सकता है।

(2) अपनी आवश्यकता के अनुरूप एक नई प्रणाली का विकास करने की तुलना में विदेश से किसी विद्यमान प्रणाली को अपनाया जाना अधिक कठिन होता है।

(3) बम्बई हाई के लिए उत्तरी सागर में जो टाइटल प्रणाली का पुर्ण रूप में ही आयात कर लिया गया था। किन्तु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अनुभवों से पता चलता है कि विदेश से किसी प्रणाली का आयात करने में अपनी प्रणाली के विकास करने की तुलना में तीन गुना अधिक व्यय होता है।

इलैक्ट्रानिकी विभाग ने सुझाव दिया था कि यदि कम्प्यूटरीकरण करना आवश्यक ही हो तो हमें इस सम्बन्ध में अपनी प्रणाली का विकास करना चाहिए। किन्तु दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे बोर्ड इस सम्बन्ध में आई० बी० एम० कम्प्यूटर का आयात करने के बारे में वचनबद्ध है। जो कि हमारे देश के हितों के लिए हानिकर है। और विज्ञान और प्रोद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिये भी हानिकारक है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि वे इस बात को स्पष्ट करें और सदन को यह आश्वासन दें कि रेलवे बोर्ड द्वारा इस प्रकार का कोई करार नहीं किया जायेगा। और हमारी प्रतिष्ठा, सम्मान को और हमारे देश की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को बनाये रखा जायेगा और उसे पूरा किया जायेगा। इस सिद्धान्त का पालन किया जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, जब इस सदन में रेलवे पर चर्चा हुई, हमें केवल तरस आया मन्त्री महोदय पर—इसलिए नहीं कि गाड़ियां देर से चलती हैं, इस लिए भी नहीं कि प्रायः हर रोज दुर्घटनाएं होती हैं, बल्कि इसलिए कि ऐसा अच्छा मंत्री होने के बावजूद उन्हीं के समय में एक संसदीय परम्परा टूट रही है। मैं 1971 में इस सदन में चुन कर आया था। हमने देखा कि कोई मंत्री वहां पर जो कुछ भी घोषणा करता था, उसको इम्प्लीमेंट

किया जाता था । बदकिस्मती से मंत्री महोदय जो कुछ कहते है, ठीक उससे उलटा काम होता है । मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि शायद उसके पीछे कोई साजिश हो । आपको याद होगा कि इस सदन में मंत्री महोदय ने कहा था कि दो महीनों में गाड़ियां समय पर चलने लगेंगी । लेकिन आज भारतीय रेलवे की एक भी गाड़ी समय पर नहीं चलती हैं ।

इसी तरह मंत्री महोदय ने कहा कि हम एक्सीडेंट्स को रोकेंगे । लेकिन प्रायः हर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं । मैं चाहता हूं कि इन दोनों बातों के कारणों में जाया जाए और किस तरह से सुधार हो, इस तरफ ध्यान दिया जाए और केवल कहा ही न जाए, वास्तव में उसकी इम्प्लीमेंट किया जाए, मंत्री महोदय जी कुछ कहें, उसका अक्षरशः पालन हो । यह संसदीय परम्परा इस देश में कायम होनी चाहिए । (व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि आज मजदूरों में काफी असंतोष है । उसके भी कई कारण हो सकते हैं । अफसरों में बेतहाशा बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन कर्मचारियों में कोई बढ़ोतरी नहीं है । इस मुल्क में अघोषित आपात स्थिति लागू है । तीसरी बात है, रेल गाड़ियों में खराब कोयला दिया जाता है, और ऐसा सामान लगाया जाता है, जिसके चलते गाड़ियां समय पर नहीं चलती हैं ।

जहां तक रेल दुर्घटनाओं की बात है । हिन्दुस्तान में दुनिया···(व्यवधान)··दुनिया की सबसे बड़ी दुर्घटना 6 जून को हुई । जो गाड़ी बागमती नदी में गिरी, उसके कारण बहुत से बताए जाते हैं । कोई कहता है कि हवा के चलते और ब्रेक के खराब हो जाने की वजह से वह गाड़ी नदी में गिरी । मैं आप को बताना चाहता हूं कि वह एरिया नैगलैक्टेड है । वहां पर खराब डिब्बे दिये जाते हैं और ब्रेक ठीक नहीं होता है, जिसकी वजह से वह गाड़ी नीचे गई । मैं कहना चाहता हूं कि उस गाड़ी के आठ डिब्बे पानी में गिरे और उनमें से केवल एक डिब्बा निकाल पाए हैं और कहते हैं कि सारी लाशें निकाल ली हैं, लेकिन मैं साफ तौर पर आपसे पूछना च हता हूं कि जो नीचे डिब्बे गिरे हैं, आप उनको निकालना चाहते हैं या नहीं ?···(व्यवधान)···

सभापति जी, इस मुल्क में रेल यात्री असुरक्षित हैं । अभी रेल विभाग ने कहा कि बाहर से पर्यटकों को लाने के लिए पर्यटन विभाग खोला है । मैं पूछना चाहता हूं क्या बाहर के देशों से पर्यटकों को लाकर उनकी भी जानें लेंगे और जो प्रतिष्ठा हमारी भारतीय रेलों को प्राप्त है, वह सब समाप्त हो जाएगी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से एयर में सफर करने वालों का इन्शोरेंस किया जाए—क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे, ताकि वह कम से कम क्लेम तो कर सकें ? जिन्दगी में बराबरी का स्थान आप दीजिए । उपाध्यक्ष जी, केवल यही एक ऐसा मुल्क है जहां पर मरने के बाद एयर में अलग तरह का मुआवजा, रेल में अलग तरह का मुआवजा और रोड एक्सीडेंट में अलग तरह का मुआवजा दिया जाता है । मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कम से कम जिन्दगी में नहीं तो मरने के बाद लोगों को जान की बराबर कीमत दें मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि 1971 से दौरन मधेपुरा स्टेशन से सिंधेश्वरा जो कि 9 किलोमीटर है, लाइन को

अहमियत तो दी जाती है, लेकिन उसको नहीं बनाया जाता है। वहां पर लगे मेले का उद्घाटन मंत्री महोदय द्वारा किया गया था और सर्वे तथा एस्टीमेंट्स के कागज सब इनके पास पड़े हुए हैं, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि उस लाइन को मान लें और जल्दी से जल्दी उस ओर ध्यान दें।

अंत में सभापति जी, मैं एक्सीडेंट के बारे में कहना चाहता हूं। जो बागमती का और अभी तमिलनाडू एक्प्रेस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, क्या आप उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करायेंगे, क्योंकि इस देश की जनता को आपके इस डिपार्टमेंट की इन्क्वायरी पर भरोसा नहीं है ?

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर)। उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं तीन बातें कहना चाहता हूं। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री इस पर विचार करके अवश्य कार्यवाही करेंगे।

प्रथमतः मैं कहदा चाहना हूं कि हाल ही में पर्यटकों के लिए किराए बढ़ा दिए गए हैं। इससे हानि ही होगी। मेरा सुझाव है कि पुराने किराये जारी किए जायें। कृपया पर्यटकों के किराये में वृद्धि न करें।

दूसरे, लोको—रनिंग स्टाफ को पिछली हड़ताल के दौरान, यद्धपि कर्मचारी लोको रनिंग स्टाफ के नहीं थे, उन्हें न्यायालय में ले जाया गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया था। लेकिन रेलवे मुकदमा हार गई। हालांकि यह वचन दिया गया था कि यदि कर्मचारी न्यायालय में मुकदमा जीत जाते हैं तो उन्हें काम पर वापस बुला लिया जाएगा, फिर भी इन लोगों को वापस नहीं लिया गया है, वे हैं श्री तिलक राज, फिटर खलासी, श्री प्रीतम सिंह, लोहार और श्री गुजुरमल, खलासी जो सारे ही भटिण्डा लोकोशैड के हैं। मेरा अनुरोध हैं कि क्योंकि आश्वासन दिया था कि रेलवे न्यायालय में मामले को साबित नहीं कर सकता तो इन कर्मचारियों को काम पर वापस ले लिया जाएगा और क्योंकि रेलवे मुकदमा हार गई है इसलिए कर्मचारियों को तुरन्त काम पर वापस लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को आज बहुत समय पहले से उठा रहे हैं। मैंने पहले भी इस सम्बन्ध में सुना है।

श्री नारायण चौबे : अन्तिम बात यह है कि माननीय रेल मन्त्री तथा अन्य सभी दुर्घटनाओं में वृद्धि से चिन्तित हैं। मै किसी को दोष नहीं देता। दुर्घटनाऐं होने के कई कारण हैं। रेलवे को काफी धन, स्टाक तथा बोगियों की आवश्यकता है लेकिन रेलवे के पास धन की कमी है। समस्या धग की है इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि इस समय क्या किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सहयोग देना चाहिए।

श्री नारायण चौबे : हमारे माननीय मन्त्री केवल वाद-विवाद और चर्चा करने तथा अधिकारियों के साथ बैठकें करने में व्यस्त रहते हैं। वे कहते हैं कि उनका यही काम है।

यही तो मुस्किल है । मैं सुझाव देता हूं कि आप कामगारों के नेताओं के साथ बैठिए । आप उनकी बात सुनिए और उस समय रेल अधिकारियों को अपने साथ मत ले जाइए । रेल कर्मचारियों के साथ अलग से बात कीजिए । कर्मचारियों को खुलकर बात करने का अवसर दीजिए । वे जो कुछ कहते हैं उसे नोट करके फिर जांच करिये । रेल अधिकारियों की बातों पर ही एकतरफा विश्वास मत कीजिए समय आ गया है जब हमें रेलवे बोर्ड से 'विदा लेनी' चाहिए । आपने देखा ही है क्या हो रहा है । आप जिम्मेदार (व्यक्ति) हैं । श्री एस० के० पाटिल कहा करते थे "मनुष्य आते हैं और चले जाते हैं परन्तु रेलवे बोर्ड विद्यमान रहता है ।" मन्त्री आते हैं और चले जाते हैं लेकिन रेलवे बोर्ड सदैव के लिए बना रहता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं ।

श्री नारायण चौबे : इसकी मांग की गई थी कि रेलवे बोर्ड को समाप्त किया जाए । हमें इसे समाप्त कर देना चाहिए । कृपा करके कर्मचारियों की बात सुनिए यथाशीघ्र एक कार्यक्रम तैयार कीजिए और रेल कर्मचारियों से बातें करिए । यही मेरा सुझाव है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री उत्तर देंगे ।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : हमें और समय दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य को 5 मिनट मिले हैं । आप सहयोग दीजिए । मन्त्री महोदय को उत्तर देना है । अब वे उत्तर देंगे । आप सत्ता धारी दल के हैं । आप मन्त्री की बात भी तो सुनिए । मैं आपको किसी और अवसर पर समय दूंगा ।

श्री केदार पांडे : मान्यवर, अभी आज जो बहस हुई है, वह तो पुरानी सी ही मालूम हुई ··

श्री रामावतार शास्त्री : कुछ नई भी है ।

श्री केदार पांडे : क्योंकि पहले ही दिन एक्सीडेन्ट्स के बारे एडजर्नमेंन्ट मोसन पर बहस हुई और वह करीब साढे तीन घन्टे चली । जो बातें उस दिन कही गई थीं, उन्हीं को आज फिर रखा गया है, कोई नयी बात उसमें नहीं है और मैंने जो जवाब पहले दिया था, अब दूसरा जवाब क्या दूं ?

श्री नारायण चौबे : क्या मेरी बात नई नहीं है ?

श्री केदार पांडे : उसमें तो यह है ···

श्री के० मायातेवर : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । उस समय तमिलनाडु एक्सप्रेस दुर्घटना ग्रस्त नहीं हुई थी ।

श्री केदार पांडे : एक्सीडेंट्स की बात मैं कहता हूं । दो, तीन बड़े-बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं । एक बदलाघाट की बात है, जिसका जिक्र हुआ, दूसरा एक्सीडेंट्स हुआ है तमिलनाडु एक्स-

प्रेस का और तीसरा एक्सीडेंट्स अहमदाबाद के नजदीक हुआ। ये तीन बड़ी-बड़ी घटनाएं घटी और उस वक्त मैंने जवाब दिया था कि जहां तक बदलाघाट के एक्सीडेंट का सवाल है, वास्तव में यह अनप्रिसीडैंटेड है। मैंने इसको कबूल किया है और उसमें जो कमिश्नर, रेलवे (सेफटी) की रिपोर्ट आई है, उसके बारे में मैंने बताया कि वह रिपोर्ट है नेचुरल एण्ड ह्यूमन जोरों का अंधड़ आया, साइक्लोन आया और ब्रेक भी फैल हो गए। यही रिपोर्ट है कि उस में नेचूरल एण्ड ह्यूमन दोनों फैक्टर्स हैं, उसमें किसी का दोष नहीं है।

एक माननीय सदस्य : नेचूरल क्या है।

श्री केदार नाथ पांडे : नेचुरल के माइने हैं अंधड़ आया, साइक्लोन आया, जिस पर किसी का कन्ट्रोल नहीं था, न हमारा कन्ट्रोल था और न आपका। ·····(**व्यवधान**) भगवान, आप न कहिये, आप 'भगवान' कहते भी नहीं है। इसीलिए मैंने जानबूझ कर नेचुरल कहा ताकि उसमें कोई ऐसी बात न हो। इसलिए उस पर रेलवे विभाग के किसी मन्त्री का या किसी व्यक्ति का कन्ट्रोल नहीं था। इसी से उसको नेचुरल कहते हैं और यह भी मैंने कबूल किया है कि इससे तमाम लोगों को तकलीफ है लेकिन इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उसके कुछ ही दिनों बाद चीन में भी इसी तरह की घटना घटी और उसमें भी 216 आदमी मरे और इसमें 570 मरे लेकिन चीन में कोई एजोर्नमेंट मोशन नहीं हो सकता। मैंने इसीलिए जानबूझ कर कहा कि नेचर पर किसी का कन्ट्रोल नहीं और साइक्लोन पर किसी का कन्ट्रोल नहीं। यह मैंने बदलाघाट के बारे में कहा। दूसरी बात यह है कि दो डिब्बे निकाले जा सके थे और पांच डिब्बे नीचे नदी में चले गये थे, उन्होंने डाइवर्स के द्वारा काफी कोशिश की कि डिब्बे निकल सके लेकिन वे नहीं निकल सके लेकिन एक एपेरेटस से, जिसको फ्रोग कहते हैं, डिब्बों के भीतर देखा गया, तो उनमें कोई लाश नहीं पायी गई। बागमती का पानी 50 फीट नीचे था और कोशिश काफी की गई कि उनको निकाला जा सके। तो यह इस एक्सीडेंट के बारे में मैंने बताया।

दूसरी बात बदलाघाट एक्सीडेंट के बारे में यह कहना चहाता हूं कि वहां ट्रेक बिल्कुल ठीक था, वहां का पुल बिल्कुल सांउड पोजीशन में था, डिब्बे ठीक थे और इंजन भी ठीक था और रोलिंग स्टाक में भी कोई गड़बड़ी नहीं थी।···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए मन्त्री की बात सुनिए।

श्री केदार पांडे : मुझे कहने दीजिए। आप कहेगें कि मैंने जबाव नही दिया। अब तमिल नाडु एक्प्रेस की जो बात है, उसके लिए हम लोगों को, हम सबको अफसोस है। आपको भी अफसोस है और हमको भी है क्योंकि तमिलनाडू एक्सप्रेस एक प्रेसीर्जस ट्रेन है, 51 कोचेज वाली डवल-हैडैड प्रैसीर्जस ट्रेन है। कभी कोई दुर्घटना उसकी वहां पर नहीं हुई लेकिन यह दुर्घटना हो गई। मद्रास से गाड़ी चली और 800 किलोमीटर चलने के बाद एक पलींग स्टेशन के नजदीक वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय : पांडे जी, वास्तव में इसका उद्घाटन माननीय कमलापति त्रिपाठी ने किया था।

श्री केदार पांडे : हां, वह तो है ही । वे बधाई के पात्र हैं । उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है रेलवे में । वे हमारे बूजुर्ग नेता हैं । तो यह बात है । उसमें कभी कोई घटना नहीं घटी । आठ सौ किलोमीटर चलने के बाद 17 डिब्बे बीच में गिर गये बताते हैं । अभी जाँच हो रही है । इकवायरी चल रही है और इसीलिए हम किसी सही नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंच सके हैं ।

इसके ट्रक की जांच तीन दिन पहले हुई थी । जिस ट्रेक पर तमिलनाडु एक्सप्रेस चलती है, उसकी जांच तीन दिन पहले हुई थी । वह साउण्ड पोजिशन में था । डिब्बे अच्छे थे, इन्जिन अच्छे थे, ट्रेक अच्छा था । (व्यवधान) मैं भूल की बात नहीं कहता । हो सकता है कि वह हो । लेकिन अभी जांच हो रही है । वहां एक ऐसी आवाज हुई और ट्रेक के कोपलर में कुछ हो गया । 17 डिब्बे गिर गये । पेन्टरी कार की हालत बहुत बदतर है । यह सारी घटना अफसोस की बात है । लेकिन जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आये, मैं कुछ नहीं कह सकता । दो मेम्बर हमारे वहाँ गये थे, उन्होंने भी मुझे बताया कि हम अभी इस पोजिशन में नहीं हैं कि बता सकें कि इस दुर्घटना के पीछे क्या कारण हैं ।

लोग कहते हैं कि इसमें सैंकड़ों आदमी मारे गए । यह गलत है । अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक 16 आदमी मरे हैं । अभी तक जो रिपोर्ट आयी है उसके मुताबिक मैं कह रहा हूं कि 16 आदमी मरे हैं । गुजरात के नजदीक जो घटना घटी···(व्यवधान)

श्री के० मायातेदर : इसकी जांच उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा क्यों नहीं की जा सकती ? अब भी इन्होंने हमें सच्चाई नहीं बताई है, अधिकारियों से सच्चाई का पता नहीं चलेगा । (व्यवधान)

श्री केदार पांडे : रेलवे सेफटी कमीश्नर उसकी जाँच करेंगे । हाई कोर्ट के जज तक अभी हम नहीं गये हैं रेलवे सेफ्टी कमिश्नर सिविल एवियेशन और टरिज्म एक बहुत बड़े आफिशियल हैं, उन्हीं के द्वारा जाँच हो रही है । इसमें कोई छिपाने वाली बात हमें नहीं करनी है । रेलवे सेफ्टी कमिश्नर उसकी जांच कर रहे हैं ।

इस तरह से ये तीन घटनाएं हैं । पटना की घटना के बारे में शास्त्री जी कह सकते हैं कि वह मिकेनिकल डिफेक्ट की वजह से हुई, मेन्टीनेंश में फेल्योर की वजह से हुई । उसमें मैंने एक्शन लिया है । (व्यवधान) सही रिपोर्ट बाद में आयी तो पता चला कि मिकेनिकल डिफेक्ट था, ह्यूमत फेल्योर था । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो बात मुझे मालूम होगी वह सब कह दूंगा, उसमें कुछ छिपाऊंगा नहीं । जो बात सच्ची होगी वही कहूंगा । इसमें छिपाने की क्या बात है ? सदन के आगे सच्ची बात कहनी चाहिए, और सदन को कांफिडेंस में लेना चाहिए क्योंकि सदन सुप्रीम बाडी है । यहाँ पर कोई बात छिपानी नहीं है ।

यह तो मैंने एक्सीडेंट के बारे में कहा । दूसरी बात माननीय दंडवते जी ने कही । हमने रेलवे ट्रांसपोर्ट पालिसी कमेटी श्री बी० पी० पांडे की अध्यक्षता में बनायी है । यह हमने इसलिए बनायी है कि रेलवे का जो स्टेट आफ एक्सनरी है, उसमें सुधार होने चाहिए । क्योंकि इतने दिनों

और इतने वर्षों के बाद रेलवे में क्या-क्या सुधार होने चाहिए इस अवसर पर हमें फैसला लेना है। इसके बारे में हमें भिन्न-भिन्न पहलुओं से सोचना है। इसे अपटूडेट कैसे बनाया जा सकता है, इस पर भी हमें सोचना है, इसमें क्या-क्या डिफेक्ट्स हैं, इसका भी हमें पता लगाना है। अब जो इस कमेटी की टर्म्स आ रेफरेंस हैं वे बरुत कम्प्रीहेंसिव हैं। माननीय सदस्य शायद इनको जानते होंगे लेकिन में बताना चाहता हूं :—

(1) रेलवे में निदेश के लिए स्रोत तलाश करने की वर्तमान पद्धतियों की जाँच करना और नल लाइनें बिछाने, पुरानी लाइनों को मजबूत करने, अप-ग्रेडिंग विद्यमान सुविधाओं के आधुनिकीकरण और अतिरिक्त सुविधाएं जुटाने के काम में निदेश के लिए पर्याप्त अपेक्षित वित्तीय स्रोत जुटाने के लिए वर्तमान पद्धतियों में सुधारों का सुझाव देना था वैकल्पिक पद्धतियाँ सुझाना।

(2) रेलवे बोर्ड के शिखर निकाय सहित विभिन्न स्तरों पर प्रबंध के संगठनात्मक ढांचे की जाँच करना और आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देना।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह तो पहले ही प्रश्न काल के दौरान सभा में पढ़ा गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाण्डे, आप वाद-विवाद का उत्तर देने के लिए कितना समय लेंगे।

श्री केदार पांडे : मुझे 10 मिनट का समय लगेगा।

मैं जानता हूं कि सभी माननीय सदस्य इन बातों को जानते हैं।

यह जो नेशनल ट्रासपोर्ट पालसी कमेटी है, इसमें कंपीहेसिव रूप से विचार किया जायेगा और इसीलिए 20 लाख रुपया इसके लिए रखा गखा है, जो बिल्कुल जायज खर्चा है। आज के संदर्भ में इन्डियन रेलवे सिस्टम में क्या-क्या परिबर्तन होने चाहिए, कितने नए डिवीजन बनाए जाने चाहिए, कितने जोन बनाए जाने चाहिए ये सब बातें इस कमेटी में अध्ययन की जाएंगी। आप कहते हैं कि हमारे पास आफिस नहीं है, कोई कहता है उड़ीसा बहुत पिछड़ा हुआ है, ऐसी बहुत सी बातें हैं, जिन पर विचार किया जाएगा और इसके संबंध में सिफारशें दी जाएगी। इन्डियन रेलवे का क्वा स्ट्रक्चर हो, इसके बारे में कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट आनी चाहिए।

इस कमेटी के सम्बन्ध में हमारी कोशिश वह है कि इसकी दो-तीन इन्टिरिम रिपोर्टस भी आनी चाहिए, जिन पर साथ-साथ इंप्लीमेंट होता रहे। इस कमेटी का दो साल का समय है और हम चाहते हैं कि इसकी रिपोर्ट हर 6 या 9 महीने बाद आए और उसको लागू किया जाए। हमें यह जानकारी प्राप्त करनी है कि आज के संदर्भ में रेलवे इन्डियन रेलवे आर्गनाइजेशन कैसा होना चाहिए किस प्रकार विकेन्द्रीकरण होना चाहिए, क्या रेलवे कारपोरेशन अलग से बनाया जाना चाहिए, इस तरह की सभी बातों पर इस कमेटी में विचार किया जाएगा और जैसे-जैसे

इसकी रिपोर्ट आती जाएगी, वैसे-वैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। बड़ी हाई पावर कमेटी है, इसमें हाईकोर्ट जज भी है, इकनामिस्ट भी है, श्री वी० डी० पाण्डे जो कि बड़े मशहूर आदमी है। और जिनकी सेवाओं से आप सब परिचित हैं, वे भी इस कमेटी से हैं।

इसी प्रकार कई माननीय सदस्यों ने कहा कि रेल यात्रा पैकेज योजना के लिए 25 लाख रुपया क्यों रखा गया है। इसके अन्तर्गत हम एक आफीसर बहाल करके विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने के लिए विदेशों में रेलों में बढ़ाई जा रही सुविधाओं का प्रचार करना चाहाते हैं। डायरेक्टरेट आफ टूरिजम बनाकर हम इसको डेवलप करना चाहते हैं। हमें तो यह देखना है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे प्राप्त हो सकता है और फॉरेन एक्सचेंज हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अगर कुछ रुपया फॉरेन कन्ट्रीज में प्रचार पर खर्च होता है तो कोई गलत नहीं है। इन्डियन एयर लाइन्स का कोआर्डिनेशन रेलवे के साथ हो और हमारी टिकटें विदेशों में ज्यादा बिकें और वहां के लोग जानें कि हम रेलवे में क्या-क्या सुधार करने जा रहे हैं, यह सब प्रचार करके हम भारतीय रेलवे को अट्रेक्टिव बनाना चाहते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा हमें मिले। फारेन-टूरिस्टों को 2-3 दिन उसमें बिठाकर पूरे देश में घुमाया जाएगा, होटल में रहने के बजाए वे उसी में रहेंगे, इन सब बातों का का प्रचार किया जाएगा, जिससे हमारी आमदनी बढ़ सके। (व्यवधान)

पैलेस की बात सुनकर आप घबराते क्यों हैं, ऐसी बहुत सी चीजें बेकार पड़ी हैं जो कि हमको सस्ते में मिल जाएगी और बिजनेस प्वाइन्ट आफ,व्यू से इससे हमको फायदा होगा रेलवे तो व्यापारिक संस्था है और पैसा कमाएंगे नहीं तो लगाएंगे कहा से ? (व्यवधान)

एक आदमी की भी जान न जाए, लोग सुविधानुसार यात्रा कर सकें और कोई दुर्घटना न हो, यही हमारा प्रयत्न है। मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं यही चाहता हूं कि कोई एक्सीडेंट न हो।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : ट्रेड यूनियन से मिलें।

श्री केदार पांडे : मैं स्वयं ट्रेड यूनियनिस्ट हूं। यूनियंज को आफ रिप्रिजेंट करते हैं। आप से तो मिलता ही रहता हूं जब कहेंगे आपके इलाके में आप के साथ चल दूंगा।

बराबर शिकायत होती है कि हिल्ली एरियाज में रेल कम्युनिकेशन नही है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : डैजर्ट्स में भी नहीं है।

श्री केदार पांडे : हिल्ली एरियाज मैं कुछ तो किया है मैंने .। नंगल तलवाड़ा है। इधर हिमाचल की बराबर शिकायत थी।

अब आप देखें कि एक ट्रेन हम ले जाते हैं कालका से शिमला तक उस ट्रेन से हर साल एक करोड़ का घाटा होता है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : यदि दुर्घटनाएं हो तो बोनस नहीं दिया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सरकार का वक्तव्य नहीं है फिर आप चिन्ता क्यों करते हैं। यह दूसरे सदस्य की राय है सरकार का वक्तव्य नहीं है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : लेकिन यह सत्ताधारी दल के सदस्य ने कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हाल्दर आप श्री रामगोपाल रेड्डी से और क्या आशा कर सकते हैं ?

श्री केदार पांडे: जहां तक रेल कर्मचारियों का सम्बन्ध है उनको बोनस देने के बारे में हम ने तय कर दिया है। जो फार्मुला है उसके मुताबिक पीछले साल का बोनस इस साल पहली अक्तूबर के पहले 24 दिग का मिलेगा। पिछले साल 23 दिन का मिला था, इस साल 24 दिन का मिलेगा। यह प्रौडविटविटी लिंवड बोनस है, प्राफिट शेयरिंग बोनस नहीं है। जो फार्मुला है उसको आप जानते ही हैं। उसको हम स्ट्रिक्टली फालो करते हैं। आप समझ सकते हैं कि श्रमिक वर्ग के प्रति हमारे मन में कितनी हमदर्दी है, क्षोभ की भावना कतई नहीं है।

वर्ल्ड बैंक की बात मधु दंडवते जी ने कही है। बिजिनैस स्टैंडर्ड में यह सारी बात जो आई है उसमें रेलवे टैरिफ इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को प्राजैंविट किया गया है। यह कमेटी उन्होंने ही बताई थी जब वह रेल मंत्री थे। इसको वह भी जानते हैं। सब जानते हैं। इसके बारे में कोई कमिटमेंट हम लोगों का नहीं है। इस कमैटी की रिपोर्ट में जो कुछ है उसको ही वर्ल्ड बैंक ने प्राजैंट किया है और यह चीज बिजनैस स्टैंडर्ड में आई है। हम इसको एग्जैमिन कर रहें हैं।

प्रो० मधु दंडवते : 1 सितम्बर के इसमें वर्ल्ड बैंक ने जो शर्तें लगाई हैं और जो बिजिनैस स्टैंडर्ड में आया है, उस प्रकार का कोई खत आपके पास आया है, वह आप बताएं। मंजूर हैं, या नही हैं, यह सवाल नहीं है। शर्तें लगाई हैं या नहीं, इसका सीधा जवाब दीजिये।

श्री केदार पांडे : यह जितनी सिफारिशें हैं सब टैरिफ इनक्वायरी कमेटी की रिकनन्डेशंस हैं, जो बिजनेस स्टैन्डर्ड में दिया गया है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : बात तो सीधी सी है, विश्व बैंक ने भारतीय रेल के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए कुछ शर्तें लगाई हैं। वे शर्तें क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या है। यातायात समिति की सिफारशों का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री केदार नाथ पांडे : मैं यह कहना चाहता हूं कि "बिजनेस स्टैन्डर्ड" में वही चीज है यह जो टैरिफ कमेटी की रिपोर्ट है, उसकी जो सिफारिशें है उसी को इमप्लीमेंट करने के लिये बर्ल्ड बैंक ने शर्त लगायी है, जो "विजनेस स्टैन्डर्ड" में प्रोजेक्टेड है। उसको हम कंसीडर कर

रहे हैं।

श्री केदार पाण्डे : नहीं वर्ल्ड बैंक ने उसी बात को उसमें प्रोजेक्ट किया है और शर्त रखी है, जो कि टैरिफ इनक्वायरी कमेंटी की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक का अपना नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने ऐसा करने पर जोर दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसका आशय है कि विश्व बैंक में ऋण देते समय में शर्तें लगाई थी।

श्री केदार पांडे : इन्सिस्ट वह करते हैं, ठीक बात है। इसीलिये मैंने कहा इसकी हम जांच करेंगे। लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं है हमारा।

प्रो० मधु दण्डवते : रेल मन्त्री की घोषणा से यह बहुत स्पष्ट है कि विश्व बैंक का ऋण शर्त रहित नहीं है।

श्री केदार पाण्डे : आप इसकी व्याख्या जैसे चाहें कर सकते हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : एक स्पष्टीकरण चाहता हूं मन्त्री जी से।

श्री केदार पांडे : दूसरी बात आपने कही कमप्यूटराइजेशन के लिये.....

श्री हरीश कुमार गंगवार : 4, 5 दिन पहले अभी "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपा है कोई श्री शुल्क हैं जो रेलवे डिपार्टमेंट में जूनियर मेकेनिक हैं, उन्होंने ऐक्सीडेंट्स को समाप्त करने के लिये कोई आविष्कार किया है। और वह मांग रहे हैं। उसको प्रदर्शित करने की इजाजय जो आपका विभाग नहीं दे रहा है। क्या आप उनको प्रदर्शन के लिये इजाजत देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री सभी बातों का उत्तर देंगे।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : आपने कहा विदेशी टूरिस्ट्स आते हैं पुष्कर, और आप और माननीय जाफर शरीफ साह वहां हो आये हैं। तो विदेशी पर्यटकों की सुविधा का आप ध्यान रख रहे हैं। तो मैं जानता हूं कि अजमेर से पुष्कर तक की रेल लाइन के बारे में आप क्या कर रहे हैं ? और दूसरे डाल्टनगंज से पटना तक एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में भी आप कुछ कहें।

श्री केदार पांडे : पठना से डाल्टन ट्रेन चलेगी, संभवतः नवम्बर के महीने में एक एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी, वह हमने कमिटमेंट कर लिया है। मैं अजमेर गया था, अजमेर से पुष्कर 13 किलोमीटर है। वहां के लोगों की मांग रही है रेलवे लाइन की। 13 किलोमीटर का फासला है, और वह वर्थ कंसीडरेशन है। मैंने वहां पर कहा कि इसको कंसीडर करेंगे और उस पर 13 करोड़ रु० खर्च होगा। तो उसका इन्तजाम करना पड़ेगा। हालांकि वह सप्लीमेंटरी बजट में नहीं है, लेकिन जरूर हम सोच रहे हैं। काफी टूरिस्टस आते हैं वहां एक तरफ अजमेर और दूसरी तरफ पुष्कर। सेक्यूलरिज्म का वह एक जीता जागता नमूना है, इसलिए यहां पर इस तरह की ट्रेन चलानी श्रेयस्कर है। वह काम करना चाहिए।

कम्यूटरजेशन के बारे में आपने कहा, इसमें एक बात ठीक है कि वर्ल्ड बैंक ने हम लोगों से एश्योरेंस मांगा है कि कम्यूटर इजेशन कीजिए और आई० बी० एस० सिस्टम को लागू किया जाए। इसके कम्टयूराइजेशन की जरूरत है, हम इसको कबूल करते हैं। अगर इसका इन्तजाम नीयर फ्यूचर में नहीं होगा तो जैसे देश की पापूलेशन बढ़ती जा रही है वैसे ही रेल का इन्तजाम भी आगे बढ़ता जाएगा तो इसको आगे चलाना मुश्किल है। यह कम्पलैक्स सबजेक्ट हो रहा है। हमें यह डिसाइड करना है कि जो सिस्टम दुनिया में हैं सबको एग्जामिन करके हम सोचेंगे। यह भी डिसाइड करना है कि जो टैक्नोलाजी है, हार्ड वेयर है, सॉफ्ट वेयर है जो कन्ट्री में मौजूद है, उससे कहां तक काम कर सकते हैं और इसके बाद कोई जरूरी नहीं है कि आई० बी० एस० सिस्टम को हम लें, इसकी जगह और कोई सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया है। हम इस बात को महसूस करते हैं कि इन्डियन रेलवेज को कम्पूटराइजेशन करना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा।

एक माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र के बारे में जिक्र किया, मानमाड की जो स्कीम है, उसके लिए 1 करोड़ रुपये हमने पहले से ही बजट में रखा है, उसका इन्तजाम कर दिया है, इसलिए उसे सप्लीमेंटरी बजट में नहीं लिया है इसलिए महाराष्ट्र के लोगों को इससे कनफ्यूज नहीं होना चाहिए।

हर स्टेट की बात है, लेकिन हर स्टेट की बात करते-करते कन्ट्री एज ए होल की बात हम करते हैं। केवल बिहारी ही नहीं हैं, हम हिन्दुस्तानी हैं, इसका ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह से और भी तरह तरह के ख्याल हैं, सबका अलग-अलग जवाब दूं यह कैसे सभव हो सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मन्त्री का उत्तर समाप्त हो गया है।

श्री केदार पांडे : एक्सीडेंन्टस से बारे में लेटेस्ट आपको बता देता है कि तमिलनाडु एक्सप्रेस में कितने मरे और कितने जख्मी हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी तो तमिलनाडु गए थे।

श्री केदार पांडे : तमिलनाडु एक्सप्रेस के एक्सीडेंट में 16 आदमी मरे हैं और 84 इंजर्ड हुए हैं जिनमें 26 सीरियसली इंजर्ड हैं और 58 के सिम्पल इंजरी लगी हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह सप्लीमेंटरी बजट है, सब सदस्यों के प्वाइन्टस को मैंने लिखा है, सब का नोट हुआ है, सबका जवाब देना मुश्किल है। एक बात जैसे बिहार के बारे में लोगों ने कही। सबसे बड़ा काम है बिहार में गंगा पर पुल बनाने का, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर पुल बनेगा, इसमें कोई सदेह नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई स्पष्टीकरण मत मांगिए। यदि आप किसी बात का स्पष्टीकरण

चाहते हैं तो आप उनके चैम्बर में जाकर स्पष्ट कर सकते हैं। यदि सभा सहमत हो तो मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कई माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) 1981-82 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है : कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होन वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां भारत की संचित नीधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।

स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाती है

1	2	3
		रु०
2	विविध व्यय (सामान्य)	45,00,000
16	परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव अन्य	7,29,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विनियोग (रेल) संख्या 5 विधेयक, 1981

रेल मन्त्री (श्री केदार पांडे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1991 82 की सेवाओं के लिए भारत की संचित नीधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनयोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए भारत की संचित नीधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री केदार पांडे : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए भारत की संचित नीधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए भारत की संचित नीधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड पर विचार करेंगे, प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए—

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री केदार पांडे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किए जाएं ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1981-82

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर विचार विमर्श और मतदान करेंगे । माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों की नोटिस दिए हैं । जो सदस्य उन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं वे अब शुरू कर सकते है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि खाद्य विभाग के सम्बन्ध में 10,00,00,000 रू० से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[चीनी उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद चीनी के आयात करने का औचित्य ।] (1)

"कि खाद्य विभाग के सम्बन्ध में 10,00,00,000 रु० से अनधिक राशि अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[उत्पादन में वृद्धि एवं आयात के बावजूद चीनी के मूल्यों में कमी करने में असफलता] (2)

"कि खाद्य विभाग के सम्बन्ध में 10,00,00,000 रु० से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांगों में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता] (3)

"कि खाद्य विभाग के सम्बन्ध में 10,00,00,000रू० में अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांगों में 100 रुपए कम किए जाएं ।,'

[लेवी चीनी प्रणाली को समाप्त कर सम्पूर्ण चीनी राशन की दुकानों पर उपलब्ध कराने में असफलता] (4)

"कि खाद्य विभाग के सम्बन्ध में 10,00,00,000 रू० से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांगों में 100रुपए कम किए जाएं ।"

देहातों में उचित दर की दुकानों से दी जाने वाली चीनी की मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता] (5)

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि खाद्य विभाग के सम्बन्ध में 10,00,000 रू० से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100रु० कम किए जाएं ।"

[चीनी के मूल्यों को तय करने में अनियमताएं] (6)

"कि खाद्य विभाग के सम्बन्ध में 10,00,00,000 रू० से अकधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।"

[भारतीय खाद्य निगम में व्याप्त कदाचार रोकने की आवश्यकता] (7)

"कि नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के सम्बन्ध में 3,22,000 रू० से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।"

उपभोक्ता सहकारी समितियों के कार्यकरण में सुधार लाने की आवश्यकता] (8)

"कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के सम्बन्ध में 26,74,83,000 रु० से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100रु० कम किए जाएं ।"

[नियंत्रित कपड़े के मूल्य में वृद्धि करने का औचित्य] (9)

"कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के सम्बन्ध में 56,74,83,000 रु० से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।"

[रास्ट्रीय वस्त्र निगम में व्याप्त कदाचार को रोकने की आवश्यकता] (10)

"कि वस्त्र, हथकरघा ओर हस्तशिल्प के सम्बन्ध में 56,74,83,000 रु० से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की माँग में 100 रु० कम किए जाएं ।"

[ग्राम्य उद्योग और लघु उद्योगों की ओर प्रोत्साहन देने की आवश्यकता] (11)

"कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के सम्बन्ध में 56,74,93,000 रु० से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की माँग में 100 रु० कम किए जाएं ।"

[ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन के प्रबन्ध मण्डल में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता] (12)

"कि संचार मन्त्रालय के सम्बन्ध में 5,50,000 रु० से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की माँग में 100 रु० कम किए जाए ।"

[दूर संचार सेवा समीक्षा समिति गठित करने का औचित्य] (13)

"कि रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय के सम्बन्ध में 1,000 रु० से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रु० कम किए जाएं ।"

[नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में एक स्थाई रक्षा प्रदर्शनी लगाने का औचित्य] (14)

कि ऊर्जा विभाग के सम्बन्ध में 16,45,00,000 रुपए से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग 100 रुपए कम किये जायें ।

[बिहार राज्य में बिजली की भारी कमी को दूर करने के लिए बिहार राज्य बिजली बोर्ड को अधिकतम सहायता देने की आवश्यकता ।] (15)

कि ऊर्जा विभाग के सम्बन्ध में 16,45,00,000 रुपए से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को और अधिक ऋण देने की आवश्यकता ।] (16)

"कि महासागर विकास विभाग के सम्बन्ध में 4,46,000 रुपए से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[महासागर विकास विभाग स्थापित करने का औचित्य ।] (17)

श्री रामवतार शास्त्री : मैं प्रस्तुत करता हूं —

कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के संबंधों में 56,74,83,000 रुपए से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

[नियंत्रित कपड़ों के मूल्यों में अनावश्यक वृद्धि] (18)

कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के सम्बन्ध में 56,74,83,000 रुपए अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की की मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[नियंत्रण कपड़ों के मूल्य में कमी लाने में असफलता] (19)

कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के सम्बन्ध में 56,74,83,000 रुपए अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन व सभी जूट कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण करने में असफलता] (20)

कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के सम्बन्ध में 56,74,83,000 रुपए से अनधिक राशि अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[हथकरघा उद्योग में व्याप्त संकट का हल करने में असफलता।] (21)

कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के सम्बन्ध में 56,74,83,000 रुपए से अनधिक राशि अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 कम किए जाएं।

[सभी निजी कपड़ा मिलों का राष्ट्रीकरण करने में असफलता। (22)

कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के संबंध में 56,74,83,000 रुपए से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[कपड़ा मिलों के मालिकों को विशेष रियासतें देना।](23)

वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के संबंध में 56,74,83,000 रुपए से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[जनता कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करने में असफलता।] (24)

कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के संबंध में 56,74,83,000 रुपए से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

[जनता कपड़े के मूल्यों में कमी की आवश्यकता] (25)

कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के संबंध में 56, 74, 83,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

[हथकरघा उद्योग में लगे लोगों को और आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता देने] (26)

कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के संबंध में 56,74, 83,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

[हथकरघा उद्योग में लगे लोगों को सस्ते दर पर सूत की सप्लाई करने में असफलता] (27)

कि वस्त, हथकरघा और हस्तशिल्प के संबंध में 56, 74, 83,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की माँग में 100 रुपए कम किए जांएं ।

[हथकरधा उद्योग के लिए दिए जाने वाले सूत में कढ़ाचार को रोकने में असफलता] (28)

कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के संबंध में 56,74,83,000 रुपए से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपए कम किए जाए ।

[हथकरघा उद्योग में लगे लोगों की पर्याप्त मात्रा में और आसान शर्तों पर ऋण देने में असफलता] (29)

कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के संबंध में 56,74, 83,000 से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की माँग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[हथकरघा उद्योच में तैयार कपड़ों की सरकार द्वारा खरीदने की आवश्यकता] (30)
कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के संबंध में 56,74,83,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।

[हथकरघा उद्योग में बने कपड़ों की बिक्री की गारंटी करने में अमफलता] (31)

कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के संबन्ध में 56, 74, 83,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपये कम किए जाए ।

[हथकरघा उद्योग में स्थापित सहयोग समितियों में व्याप्त कदाचार को रोकने में विफलता] (32)

कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के सम्बन्थ में 56, 74, 83,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।
[गरीन्मुख कपढ़ा नीति निर्धारित करने में असफलता] (33)

कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के सम्बन्ध में 56, 74, 83,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 10० रुपए कम किए जाए

[नियंत्रित व जनता कपड़ों की बिक्री के क्रम में चल रहे कदाचार को रोकने में असफलता] (34)

कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के सम्बन्ध में 56, 74, 83,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की माँग में 100 रुपये कम किए जाएं ।

[हथकरघा उद्योग में तैयार मालों की बिक्री के लिए बाजार विकसित करने में असफलता] । (35)

कि वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प के सम्बन्ध में 56, 74, 83000 रुपए से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 पए कम किए जाएं ।

"कि सूचना तथा प्रसारण के सम्बन्ध में 6,00,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 10 रुपये कम किए जायें ।"

[छोटे अखबारों को और रियायतें देने की आवश्यकता] । (36)

"कि सूचना तथा प्रसारण के सम्बन्ध में 6,00,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 10 रुपये कम किए जायें ।"

[अखबारी कागज की चोर बाजारी और मुनाफाखोरी को रोकने की आवश्यकता । (37)

"कि पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग के सम्बन्ध में 21,56,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[सभी निजी पेट्रोलियम कम्पनियों का बिना मुआवजा दिए राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता ।] (38)

"कि विद्युत विभाग के सम्बन्ध में 16,45 00,000 रुपये से अनधिक रापि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[कम अवमि में प्राप्त हो सकने वाले 2×33 मेगावाट के एकक के आयात को रोक पाने में असफलता] (39)

"कि विद्युत विभाग के सम्बन्ध में 16,45,00,000, रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[2×33 मेगावाट एकक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० से नहीं लेना ।] (40)

"वित्त मंत्रालय के अन्य व्यय के सम्बन्ध में 1,05,00,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें"

[राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण में सुधार लाने में असफलता ।] (41)

"कि वित्त मंत्रालय के अन्य व्यय के सम्बन्ध में 1,05,00,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदा की मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[रास्ट्रीयकृत बैंकों में अनियमितताओं को रोकने में असफलता ।] (42)

"कि वित्त सन्त्रालय के अन्य व्यय के सम्बन्ध में 1,05,00,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक की मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[राष्ट्रीयकृत बैंकों से बड़े उद्योगपतियों, मुनाफाखोरों, गल्लाचोरों आदि को दिए जाने वाले ऋणों को बन्द करने में असफलता ।] (43)

"कि वित्त मन्त्रालय के अन्य व्यय के सम्बन्ध में1,05,00,00,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों, छोटे उद्योगपतियों, बेरोजगारों, शिल्पियों, कुटीर उद्योगों को चलाने वालों को ऋण देने में असफलता।] (44)

"कि मन्त्रिमंडल के संबध में 35,76,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि मन्त्रिमंडल के सम्बन्ध में 35,76,000 रुपये से अनधिक राशि की अनुपूरक अनुदानों की मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन] (45)

कि सूचना और प्रचार के सम्बन्ध में 6,00,00,000 रूपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[अखबारी कागज पर सीमाशुल्क समाप्त करने की आवश्यकता] (46)

कि वित्त मंत्रालय के अन्य व्यय के सम्बन्ध में 105,00,00,000 से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

श्री सुबोध सेन (जलपाईगुरी) :मैं प्रस्ताव करता हूं :।

कि वित्त मन्त्रालय के अन्य व्यय के सम्बन्ध में 105,00,00,000 से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदन की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आई० आर0 डी० पी० स्कीम के अन्तर्गत छोटे किसानों को समय पर ऋण देने में असफल] (47)

कि वित्त मन्त्रालय के अन्य व्यय के सम्बन्ध में 105,00,00,000 से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विकलांग व्यक्तियों को लाभकारी रोजगार के लिये ऋण देने में असफलता] (48)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति, उसकी समस्याओं, तक सरकार द्वारा अनुसरित नीति पर बिचार विमर्श करने का एक और मौका मिला है। अब मैं आरम्भ में यह जानना चाहता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में सरकार ने क्या मूल्यांकन किया हैं। अभी हाल ही में वित्त मंत्री श्री वेंकट-

रामन ने कहा था कि अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी है उसमें सुधार हो रहा है और हमें आशा है कि उसमें और अधिक सुधार होगा। परन्तु, दुर्भाग्यवश समाचार पत्रों से पता चलता है कि स्वयं प्रधान मन्त्री ने देश को बताया कि हमारी अर्थव्यवथा की दशा काफी खराब है। कौन सी बात सही है ? श्री वेंकटरामन द्वारा दिया गया सुखद समाचार या प्रधान मन्त्री द्वारा दी गई बुरी खबर ? मैं यही जानना चाहता हूं। अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए एक सामान्य व्यक्ति यही निष्कर्ष निकालेगा कि दशा काफी खराब है और अर्थव्यवस्धा पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है।

समस्याएं क्या हैं ? सर्व प्रथम तो अनियंत्रित मुद्रा स्फीति की समस्या है। कीमतें बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इसके साथ-साथ, भुगतान संतुलन की स्थिति बिगड़ती जा रही है। हमें प्रतिबन्धित बाजारों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अपने औद्योगिक ए कों की क्षमता का उपयोग करने की अक्षमता की समस्या का हमें सामना करना पढ़ रहा है। हम न केवल मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं अपितु आम आदमी को तो गुजारा न हो सकने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर यह स्थिति है, मूल्य आसमान को छूते जा रहे हैं' बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ से भी अधिक हो रही है, गांवों बेरोजगारी व्यापक रूप से बढ़ती जा रही है और शिक्षित युवकों को भी बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो हमारी अर्थव्यवस्था ाक क्या भविष्य होगा ? विश्व बैंक की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि भारत उन कुछ अभागे देशों में से एक है ? जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। विश्व बैंक की 1981 की रिपोर्ट के अनुसार डालर के रूप में हमारा प्रति व्यक्ति एकल राष्ट्रीय उत्पादन केवल 190 है जबकि चीन में यह 260, श्री लँका में 230, इन्डोनेशिया में 370, कम आय वाले राष्ट्रों को समूह के लिए 210तथा मध्य आय वाले देशों के समूह के लिए 1420 है। मुद्रा-स्फीति में उत्तरोत्तर वृद्धि क्यों हो रही है। वित्त मन्त्री यह बयान कर रहे हैं कि हमारे यहां मुद्रा-स्फीति बाहरी कारणों से हुई है। इस समय यह पेट्रोलियम के मूल्य में वृद्धि होने के कारण हो रही है। उनका कहना यह है कि सूखे के लिए सहायता दिए जाने के कारण यह हो सकती है। लेकिन आँकड़ों से पता चलता है कि तीस वर्षों से निरंतर मूल्य बढ़ते जा रहे हैं तथा मूल्य छठे दशक के 1.5% से वढ़कर सातवें दशक में 6.1 प्रतिशत और आठवें दशक में 9.7% हो गए। मैं कुछ और आँकड़े प्रस्तुत करूंगा— 1966-67 में 13.9. 1967-68 में 11.6 प्रतिशत 1973-74 में20.2% प्रतिशत 1974-75 में 25.2 प्रतिशत 1979-80 मे 17.1 प्रतिशत और 1980 में 19,5 प्रतिशत की दर से मूल्य में वृद्धि हुई अगर यह स्थिति है तो हमें यह ोनिष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि यह मूल्य वृद्धि कुछ निरंतर जारी रहने वाले कारणों की वजह से हो रही है। निश्चय ही सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां इस मूल्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझसे सहमत होंगे कि मुद्रा-स्फीति के परिणाम स्वरुप···

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी हो सकता है कि मैं आपसे सहमत न हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अगर मैं आपको तथ्य प्रस्तुत करूं और अगर फिर भी आप सहमत न हों तो मैं तो यही कहूंगा कि आप तथ्यों से मुंह मोड़ रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है, शायद मैं आपसे सहमत न होऊं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मुद्रा स्फीति होने पर क्या होता है ? इसमें केवल होता यह है कि संपत्तियां गरीब से अमीर के हाथ में चली जाती है । दुर्भाग्य से, यही हमारे देश में हो रहा है । यह लोगों को लूटने का सबसे सभ्य तरीका है। शुरू-शुरू में दिन दहाड़े लूटकर लोगों से पैसा लिया जाता था लेकिन, आज लोगों को लूटने का सभ्य तरीका है — मूल्य बढ़ा दो । जब मूल्य बढ़ते हैं तो वास्तविक मजूरी कम हो जाती है । स्वाभाविक है, इससे पैसा गरीब से अमीर के हाथ में पहुंच जाता है तथा उनके बीच की खाई बढ़ती जाती है । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो रहा है ? जिन वस्तुओं का हम आयात करते हैं, उनके मूल्य बढ़ रहे हैं तथा जिनका हम निर्यात करते हैं, उनके भाव गिर रहे हैं । हमारी अर्थ-व्यवस्था अभी भी लगभग उपनिवेशवादी अर्थ व्यवस्था है । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हम किन-किन वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं ? मुख्य रूप में प्राथमिक उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से हम कौन सी वस्तुओं का आयात कर रहे हैं ? मुख्यतया तैयार माल का हम आयात कर रहे हैं । जाहिर है क्या हो रहा है ? हमारे देश का आस्तियां औद्योगिक योरोपीय देशों मुख्य रूप से साम्राज्यवादी देशों के पास पहुंच रही हैं । सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है ? हमारे आन्तरिक संसाधनों का पूर्वक प्रबन्ध करने के स्थान पर जैसे मुनाफे को कम करना, काले धन को रोकना, अनुयार्जित आय का पता लगाना, सरकार हमारे देश को लूटने के लिए बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों और समृद्ध वर्ग को रियायतें दे रही है, जिससे उनका मुनाफा बढ़ सके । हमारी जनता को लूटने के लिए सरकार वेतन जाम की बात करती है । अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी बता देगा कि अत्यधिक मुद्रा स्फीति के समय वेतन-जाम होने से, जैसा कि छठी योजना मे सुझाव दिया गया है, वेतन भोगी की वास्तविक आय कम हो जाती है । वह गरीब होता जाता है । आपको मालूम ही है कि अत्यधिक मुद्रा स्फीति के समय व्यापारी और समृद्ध लोग ही अपनी संपत्ति और आय बढ़ा पाते हैं । हमारी सरकार द्वारा जानबूझ कर यह नीति अपनाई गई है ।

क्या कारण है कि व्यापार का अन्तर बढ़कर 5000 करोड़ रु० हो रहा है । इसका कारण हमारी आयात की गलत नीति है । क्या कारण है कि हम आयात-प्रतिस्थापन करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं ? क्या कारण है कि हम आवश्यक वस्तुओं, विलासिता की वस्तुओं का आयात भी कर रहे हैं, जबकि देश को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है । हमारे योग्य वित्त मन्त्री कहेंगे कि हम उनका आयात मूल्य नियंत्रण के लिये कर रहे हैं ? क्या कारण है कि जब कि प्राथमिक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं का उत्पादन बढ रहा है, हम फिर भी गेहूं और चीनी का आयात कर रहे हैं ? इस समस्या के बारे में आम जवाब यह दिया जाता है और जैसा कि सत्ताधारी दल के बहुत से सदस्य कहते हैं : ठीक है, अगर उत्पादन में वृद्धि होगी तो मुद्रा

स्फीति पर नियंत्रण किया जा सकेगा तथा मूल्य गिर जाएगे। लेकिन ऐसा नहीं है। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है लेकिन मूल्य कम नहीं हुए हैं।

इस सबके अलावा हम क्या कर रहे हैं ? हम अपनी अर्थ व्यवस्था को साम्राज्यवादी देशों के हाथों गिरवी रख रहे है। हाल ही में हमारे देश ने अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष से अब तक की सबसे अधिक राशि का ऋण लेने के लिये समझौता किया है। भारत द्वारा अब तक लिए जाने वाले ऋणों में यह ऋण सबसे अधिक राशि का ऋण है। और अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अब तक दिये गये ऋणों में यह सबसे अधिक राशि का ऋण है। इस ऋण को लिए जाने का क्या कारण है ? श्री वेंकट रामन ने इसका कारण हमें आयात निर्यात व्यापार में काफी अन्तर होना बताया है लेकिन हमें अपने विकास कार्यो के लिए मशीनर्स और अन्य उपकरणों का आयात करना होगा। ठीक है। लेकिन अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कौन-कौन सी शर्तें रखी हैं ? समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार श्री वेंकटरामन ने कहा है कि इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा को किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचता। क्या वह अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा रखी गई शर्तों को स्पष्ट करेंगे ? तभी हम जान पाएंगे और निर्णय कर सकेंगे कि वे प्रतिष्ठा के लिए घातक है अथवा नहीं।

सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उन देशों को यह सुविधा देता हैं जिन्हें आयात निर्यात व्यापार में घाठा हो रहा हो। इसके अलावा वह इन ऋणों के लिए कड़ी शर्तें रखता है। साधारणतया वह इन देशों को संरचनात्मक समान्याओं को दूर करने का सुझाव देता है। क्या शर्तें लागू की गई है ? वे सामान्यतया सरकार द्वारा खर्च में नियन्त्रण, वित्तीय और अर्थिक प्रबन्ध और कल्याण कार्यों के लिए कहते है। उदहारण के लिए तन्जानिया अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेना चहाता था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई कड़ी शर्तें राष्ट्रपति न्येरेरे को बहुत बुरी लगी और उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' का नाम 'इन्टरनेशनल मिनिस्ट्री आफ फांइनेस रख दिया। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन्टरनेशनल फाइनेस मिनिस्टर' बन गया है जमैका अन्तर्राष्टीय मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त करना चाहता था। जमैका को कड़ी शर्तें बता दी गई। उन्हें अपनी मुद्रा का मूल्य घटाना पड़ा कल्याण सम्बन्धी कार्यों में कमी करनी पडी तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशों को मानना पड़ा। लेकिन उसका क्या परिणाम रहा ? आर्थिक संकट बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ी व्यापार का घाटा भी बढ़ गया तथा अन्ततः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा मुद्रा कोष के ऋण के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं आ सका।

क्या मैं अन्य उदाहरण का उल्लेख कर सकता हूं ? ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त किया तथा उसने उनके समक्ष रखी गई कठोर शर्तों को स्वीकार कर लिया। इसका क्या परिणाम रहा ? ब्रिटेन गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है. बेरोजगारी बढ़ रही है, मूल्य बढ़ रहे हैं और व्यापार में और अधिक घाटा हो रहा है।

अतः हमारी आर्थिक समस्याओं का यह हल नहीं है। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण प्राप्त करने वाले देशों पर अपनी ही आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा थोपता

है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्वबैंक के जरिए साम्राज्यवादी राष्ट्र विकासशील और विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर शासन करते हैं। हमारे देश के आर्थिक संकट का फायदा उठाते हुए साम्राज्यवादी राष्ट्र हमारे ऊपर आर्थिक नीतियां थोपना चाहते हैं और हमारी सरकार उन के आगे घुटने टेक रही है। अन्यथा सरकार को यह बताना चाहिए कि वह किन शर्तों पर वह इतनी बड़ी राशि का ऋण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ले रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : चक्रवर्ती जी मेरे ख्याल में अब 6 बज चुके हैं। आप अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं। आपने अपना समय लगभग पूरा कर लिया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या मैं अपना भाषण कल जारी रख सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां आप जारी रखेंगे।

———

6.01 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 9 सितम्बर, 1981/18 भाद्र, 1903 (शक) के 11 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

प्रबन्धक आर० आर० गुप्ता प्रेस, 472, पण्डित रामचन्द्र देहलवी मार्ग, दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित।